सप्तम माला खंड 1 अंक 1

बुधवार, 2 सितम्बर 1981

11 भाद्र 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 13, बुधवार, 2 सितम्बर, 1981/11 भाद्र, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1—28
*तारांकित प्रश्न संख्या :	244 से 246 और 248 से 252	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		29—203
तारांकित प्रश्न संख्या :	243, 247, 253 से 257 और 259 से 261	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2401 से 2403, 2405 से 2424, 2426 से 2447, 2449, 2452 से 2462, 2464 से 2499, 2501, 2502 और 2504 से 2600	
सभा पटल पर रखे गये पत्र		203—206
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति — 27वां प्रतिवेदन		
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में		206—214
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		214—270
महाराष्ट्र में कतिपय न्यासों को आयकर सम्बन्धी छूट देने के मामले में अनियमितताओं का समाचार		
	श्री एन० के० शेजवलकर	214
	श्री आर० वेंकटरामन	214
	श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	233
	श्री जैनुल बशर	242

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री रशीद मसूद 253

श्री सुनील मैत्रा 259

श्री मगन भाई बरोट 269

सांगली मिरज और नान्देड-माधवनगर नये सांगली रेल सम्पर्क को बहाल करने के बारे में याचिका 270

श्री आर० के० महालगी 270

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1981-82 270

विवरण प्रस्तुत किया गया

नियम 377 के अधीन मामले 270—276

(एक) पूर्वोत्तर रेलवे में रेल लाइनों को बड़ी लाईन में बदले जाने के पश्चात यात्रियों को होने वाली कठिनाइयां

श्री अशफाक हुसैन 270

(दो) दूसरा हुगली पुल परियोजना को आवंटित धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री अजित बाग 271

(तीन) झेलम एक्सप्रेस और महानगरी एक्सप्रेस का बुरहानपुर में हाल्ट स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री शिव कुमार सिंह 272

(चार) सेवानिवृत्त नाविकों की पेन्शन के लाभ

श्री एडुआर्डो फैलीरो 272

(पांच) तमिल दैनिक "मुरसोली मुरासु" के मदुरै संस्करण का प्रकाशन पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री सी० टी० दण्डपाणि 273

(छः) सैदपुर (उत्तर प्रदेश) में डकैती, हत्या तथा बूटमार की घटनाओं में वृद्धि

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री 273

(सात) देशी तम्बाकू को भी तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत लाये जाने की आवश्यकता

श्री मोतीभाई आर० चौधरी 274

(आठ) रेल अधिकारियों तथा भारतीय खाद्य निगम की लापरवाही के कारण खाद्यान्नों के सड़ जाने की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 275

कोयला खान, श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 276—279

राज्य सभा द्वारा किये गए संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव

श्री विक्रम महाजन 276

श्री जगपाल सिंह 277

राज्य सभा द्वारा किये गए संशोधनों से सहमत होने का प्रस्ताव

श्री विक्रम महाजन 278

मुम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमन और दीव पर अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1980 279—281

राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव

श्री पी० शिव शंकर 279

सिनेमा-कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1981, और सिनेमा-कर्मकार कल्याण निधि विधेयक, 1981 281—288

विचार करने का प्रस्ताव

श्री जेवियर अराकल 281

श्री सी० टी० दण्डपाणि 285

श्री दिलीप सिंह भूरिया 286

आधे घंटे की चर्चा 288—300

कोसी, गंडक और राजस्थान नगर को पूरा करने से बाद सिंचित की जाने वाली भूमि

श्री भोगेन्द्र झा 288

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी 292

श्री कमल मिश्र मधुकर 296

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 297

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत 297

कार्य मन्त्रणा समिति 300

19वां प्रतिवेदन

लोक-सभा

बुधवार, 2 सितम्बर 1981/11 भाद्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

श्री मनीराम बागड़ी : नियम 388 के अन्तर्गत गढ़वाल उप चुनाव के बारे में...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो इलैक्शन कमीशन का है, यहां का नहीं।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, आप जरा सुनिए ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं (व्यवधान) सब ठीक चलेगा (व्यवधान) यह इलैक्शन कमीशन करेगा (व्यवधान) ** अनुमति नहीं दी जाती । कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा । (व्यवधान) कुछ तो सोचें क्या कर रहे हैं आप ? (व्यवधान) यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान) आपको थोड़ा सा ख्याल नहीं है सदन का ? मुझे आपसे यह आशा नहीं है । यह बहुत खराब बात है । यह बहुत खराब बात है ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दीर्घावधि ऊर्जा नीति का अध्ययन

*244. श्री जैनुल बशर : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा दीर्घावधि ऊर्जा नीति के बारे में कोई अध्ययन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऊर्जा के विभिन्न साधनों के लिए क्षेत्र निर्धारित करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(घ) तेल और ऊर्जा के अन्य साधनों की खपत में बचत करने के लिए क्या अन्य उपाय किए जायेंगे ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : ऊर्जा नीति सम्बन्धी एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया था और इसकी सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं। सरकार ने ऊर्जा से सम्बन्धित मन्त्रिमन्डल समिति का गठन किया है और इस कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार किया गया तथा नीति सम्बन्धी उपाय और विकास कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं ।

(ख) ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, अर्थात् कोयला, जल-बिद्युत और तेल का हमारे देश में असमान रूप में प्रकीर्णन है और इसलिए क्षेत्रों का निर्धारण उनकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगा।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) तेल और ऊर्जा के अन्य साधनों की खपत में किफायत करने के लिए विभिन्न अल्पावधि और दीर्घावधि उपायों का प्रस्ताव है। बिजली के क्षेत्रक में संचरण और वितरण में होने वाली हानि को कम करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। सड़क परिवहन में डीजल की खपत को कम करने तथा वाणिज्यिक वाहनों में डीजल की खपत के इस्तेमाल की जगह और ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए वैकल्पिक ईंधन और शिल्पविज्ञान का विकास करने के लिए भी आवश्यक उपाय किए जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दे दी व्यवस्था, 388 अलाऊ नहीं किया है। **(व्यवधान)** कोई प्रश्न नहीं। मैंने अनुमति नहीं दी है । **(व्यवधान)** आप तो, मुझे पता नहीं, काम चलने नहीं दे रहे हैं। व्यवस्था के बगैर काम कैसे चलेगा ? **(व्यवधान)** अगर आपने अपने हाथ से काम चलाना है तो चलायें **(व्यवधान)** गलत बात करने का कोई फायदा नहीं। **(व्यवधान)** मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर आपने ऐसा करना है, तो यह व्यवस्था बनाई क्यों है। अगर व्यवस्था बनाई है, तो उसके अनुसार चलना होगा । यह गलत बात है। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। बैठिए **(व्यवधान)** ** कोई बात रिकार्ड न की जाय। जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है वह रिकार्ड करने की बात नहीं है। उन्होंने मेरी अनुमति के बगैर कहा है। यह रिकार्ड न किया जाए। **(व्यवधान)** ** सरकार वहां मौजूद है। लोगों की चुनी हुई सरकार है। लेजिस्लेटिव असेम्बली चल रही है । सब कुछ है यह बात गलत है। **(व्यवधान)** मैंने केवल यही कहा था कि मेरी अनुमति के बिना कही गई बात रिकार्ड नहीं की जा सकती। प्रत्येक शब्द अबाध्य है। **(व्यवधान)** क्वैस्चन आवर में कोई पायंट आफ आर्डर नहीं है **(व्यवधान)** मुझे बार-बार समझाना पड़ेगा। मेरे कहने का भाव यह नहीं है। जो इस पटल पर लिखा जाता है, वह सैक्रोसेंक्ट है, वह कोई नहीं बदल सकता, अगर वह अनपार्लियामेंटरी न हो। लेकिन अगर सारे माननीय सदस्य बगैर मुझ से पूछे बोलना चाहेंगे, तो न तो मैं सुन पाऊंगा और न रिकार्ड हो पाएगा। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है कि मैं इजाजत न दूं, आप बोलें और वह रिकार्ड पर आ जाय। यह आपकी बनाई हुई व्यवस्था

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है मेरी नहीं । इस तरह मेरे यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है (व्यवधान) ** मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं मैंने आज्ञा नहीं दी है । अगर इधर का सारा पक्ष भी मनमानी करने लग जाएगा, तो आप क्या करेंगे ? सबके —आपके और इनके —सहयोग से सदन चलेगा । ऐसे नहीं चलेगा ॥ (व्यवधान) ** यह अच्छी बात नहीं है । इस तरह सीमा पार करना अच्छी बात नहीं है । (व्यवधान) ** मैंने इस माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी, श्री जैनुल बशर (व्यवधान) ** मैं काहे का अध्यक्ष हूं ? मेरी बात तो मानते नहीं हैं । कहां मान रहे हैं आप मेरी बात ? (व्यवधान)जब व्यवस्था में नहीं है, तो कैसे सुन लूं ? यह ठीक नहीं है । यह नियमानुसार नहीं है (व्यवधान) । और कोई सान्त्वना नहीं है (व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिक्स तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को महसूस करें कि केवल चार या पांच सदस्य अपने नेता की लोकप्रियता दिखाने के लिए विरोधी दलों सहित सारी सभा का समय बरबाद कर रहे हैं ।

श्री नीलालोहियावसन नाडार : मैं केवल यही जानना चाहता हूं । क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया गया है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कह सकता परन्तु यह सब बातें अच्छी नहीं हैं । मैं यह कह सकता हूं कि सभी सीमाओं का अतिक्रमण किया जा रहा है । (व्यवधान) सरकार का मुझे पता नहीं है, इस वक्त तो कुछ और ही हो रहा है । (व्यवधान) सभी सीमाओं का अतिक्रमण किया जा रहा है । बहुत अधिक हो चुका है ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आपकी व्यवस्था चाहता हूं । उससे सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा ।अगर आप व्यवस्था दे देंगे तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा । मैंने 388 में एक सवाल उठाया है ...

अध्यक्ष महोदय : मैंने इजाजत नहीं दी ।

श्री मनीराम बागड़ी : आपने नामंजूर कर दिया ?

अध्यक्ष महोदय : कर दिया ।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर आप यहीं खड़े होकर कह देते कि आपका 388 का सवाल नामंजूर कर दिया ...

अध्यक्ष महोदय : मैंने और क्या कहा ? ...(व्यवधान)...

श्री मनीराम बागड़ी : आप एक बात बताइये ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कितनी दफा बताऊं ? मैंने कहलवाया, लिख कर भिजवाया, कह

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

भी दिया जाकर, मेरा स्टाफ कह कर आया कि आपका नहीं मंजूर हुआ। मैंने यहां कहा बार-बार, रिकार्ड देखिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम 388 के अन्तर्गत मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री मनीराम बागड़ी : किस बारे में ? ... (व्यवधान) ...

श्री मनीराम बागड़ी : अगर आप यह बताने से कतराते हैं कि 388 किस बात पर था ...(व्यवधान) ... आप यह कहिये कि यह गढ़वाल के चुनाव...

अध्यक्ष महोदय : बिलकुल यही कहा गढ़वाल के चुनाव के मुताल्लिक, और क्या कहा मैंने ?

श्री मनीराम बागड़ी : आप यह कहें, आपने नहीं कहा, न मैंने सुना।

श्री अध्यक्ष महोदय : यही कहा है मैंने कि आपने जो व्यवस्था का सवाल 388 को निलम्बित करने के लिए गढ़वाल के एलेक्शन के मुताल्लिक यहां पेश करवाना चाहा है मैंने उस को एलाऊ नहीं किया, यही मैंने कहा है।

श्री जैनुल बशर : ऊर्जा प्रबन्ध इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि योजना आयोग ने कुछ प्रयास किया है और सरकार ने कुछ कार्यवाही की है। मैं यह जानना चाहूंगा कि योजना आयोग के कार्यकारी दल की सिफारिशें क्या थीं और मंत्रिमण्डलीय समिति ने क्या निर्णय लिए हैं और नीति सम्बन्धी क्या कदम उठाए गए हैं तथा कौन से विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : इस प्रतिवेदन की पांच प्रतियां वर्ष 1980 की पहली तिमाही में संसद के पुस्तालय में रख दी गई थी और सरकार द्वारा सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

श्री जैनुल बशर : सिफारिशें क्या हैं और क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे लिए यह बताना काफी कठिन है क्योंकि लम्बी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 22 मुख्य सिफारिशें हैं, जो इस कार्यकारी दल द्वारा की गई हैं और इन सभी मुख्य सिफारिशों को सरकार द्वार स्वीकार कर लिया गया है। और इनमें से अधिकांश सिफारिशें कार्यकारी दल द्वारा दिए गए नीति सम्बन्धी निर्देश हैं।

श्री जैनुल बशर : मैं समझता हूं कि मेरे प्रश्न के भाग (ख) को गलत समझ लिया गया है। उन्होंने क्षेत्र का अर्थ भौगोलिक क्षेत्र के रूप में लिया है किंतु मेरा तात्पर्य प्रयोग के क्षेत्र से था। मैं जानना चाहता हूं कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि अमुक स्रोत को उद्योग के लिए, अमुक स्रोत को कृषि के लिए और अमुक स्रोत को कृषि हेतु तथा परिवहन

आदि हेतु वितरित किया जा रहा है और क्या इस प्रकार के वितरण के लिए सरकार द्वारा कोई नीति अपनाई गई है जिससे कि ऊर्जा के स्रोतों का दुरुपयोग न हो सके और परस्पर कोई विरोध न हो।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न को पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूं। किन्तु सारा मामला ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के स्थानों पर निर्भर करता है। कुछ क्षेत्रों में कोयला उपलब्ध है और तो विभिन्न क्षेत्रों में तेल उपलब्ध है और हमें इस बात का पता लगाना है कि हम अपनी ऊर्जा की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसोधनों का अधिकतक उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं।

जहां तक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इसके वितरण का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि इस समय मेरे लिए यह बताना भी सम्भव होगा कि किसी अमुक क्षेत्र को कितनी पन बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और अमुक क्षेत्र को कितनी। यह बताना कठिन होगा। किन्तु यह बात ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की भोगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। किन्तु हमारे पास उपलब्ध प्राकृति ससाधनों का अधिकतम प्रयोग हो कुल मिलाकर इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी नीति का मुख्य लक्ष्य यही होगा कि जहां तक सम्भव हो हम तेल के उपयोग में अधिक से अधिक कमी करें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जो योजना आयोग की अध्यक्ष हैं यहां मौजूद है। महोदय, मंत्री जो द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए और यह कि आप इस को मानते हैं कि कुछ समय बाद पेट्रोल और डीजल के भन्डार समाप्त हो जाएगा और 200 वर्षों के भीतर कोयले के भण्डार भी समाप्त हो जाएंगे। पन बिजली ही मुख्य स्रोत होगी। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या योजना अयोग ने सौर ऊर्जा के विकास के बारे में कोई अध्ययन किया है ? फांस ने इस ऊर्जा का विकास किया है यद्यपि अभी यह काफी महगी है, वे इसकी उत्पादन लागत में कमी करने के प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधान मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या देश में सौर ऊर्जा का विकास करने के लिए कोई अध्ययन किए गए हैं। उनमें यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उनका ज्वार भाटीय (टाइडल) ऊर्जा का विकास करने का भी विचार है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमने इस सम्बन्ध में न केवल अध्ययन ही किए हैं अपितु हमने इस दिशा में अनेक कदम भी उठाए हैं। नैरोबी में हम इस बात को प्रदर्शित करने में समर्थ रहे हैं। कि सामान्य व्यक्ति द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। वास्तव मे हम उनके ग्रामीण क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने के लिए एक सैट वहां पर छोड़ कर आये हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० को वित्तीय सहायता

*245. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० नई दिल्ली की वित्तीय स्थिति बहुत असंतोषजनक है जिसके परिणामस्वरूप यह अच्छी तरह से कर्मचारियों की सेवा करने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति को आवश्यक वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है जिससे यह अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा सके और ऐसे क्षेत्रों में, जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर नियंत्रण रखने में सहायता कर सके ;

(ग) क्या जनकपुरी, हरीनगर, सुनीरका आदि जैसे क्षेत्रों में जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं, अधिक संख्या में ब्रांच स्टोर्स खोलने का प्रस्ताव है और निर्माण तथा आवास मंत्रालय को प्रत्येक डी० डी० ए० और केन्द्रीय सरकारी कालोनियों में 3-4 दुकानें इसके लिए निर्धारित करने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृहमंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हालांकि यह सच है कि सोसायटी की वित्तीय दशा अभी भी संतोषजनक नहीं है, फिर भी 30 जून 1981 को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के दौरान इसके सक्रियात्मक कार्य में पर्याप्त सुधार हुआ है । जबकि विगत पांच वर्षों के दौरान सोसायटी को प्रति वर्ष 4 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की हानि रही है, 1980-81 में यह हानि लगभग केवल 90,000/- रुपये की है । यह आशा है कि सोसायटी को 1981-82 में भारी लाभ रहेगा । सोसायटी के कार्य में सुधार लाने के लिये किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, यह अब सरकारी कर्मचारियों को दैनिक आवश्यकता की सभी वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करने में समर्थ है ।

(ख) विगत में सरकार ने सोसायटी को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी है :—

(i) 8·70 लाख रुपये की शेयर पूंजी ।

(ii) 24 लाख रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण जिसमें से 16 लाख रुपये अब भी सोसायटी के पास हैं ।

(iii) माल के बंधक रखने पर अथवा अन्यथा बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक गारंटी ।

(iv) भारतीय खाद्य निगम से राशन की वस्तुएं लेने के लिए 4 लाख रुपये की अल्पावधि उधार सुविधा ।

(v) वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के लिए आर्थिक सहायता।

(vi) स्टोरों के लिए नाम मात्र के किराये पर आवास तथा गोदामों के किराए के लिए आर्थिक सहायता।

सोसायटी ने 1981-82 के दौरान व्यापार में संभावित वृद्धि के लिये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए 15 लाख रुपये की अतिरिक्त संपार्श्विक गारंटी के लिए आवेदन किया है। इस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) इस समय सोसायटी के 31 शाखा स्टोर हैं जो अधिकांशतः सरकारी आवासीय कालोनियों में स्थित हैं। तीन और शाखाएं शीघ्र खोले जाने का प्रस्ताव है। नए स्टोर खोलते समय सोसायटी नई बन रही सरकारी कालोनियों जहां इसे नाम मात्र के किराये पर आवास मिल जाता है, को वरीयता देती है क्योंकि इसके जनशक्ति तथा वित्तीय दोनों स्रोत सीमित हैं। यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना किराए के आवास की व्यवस्था कर दी जाए तो सोसायटी अन्य कालोनियों में भी चरणबद्ध तरीके से शाखा स्टोर खोल सकती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में 4 लाख से लेकर 10 लाख रुपये का घाटा हुआ है और इस वर्ष भी यह हानि 30 हजार रुपये की हो रही है, प्रायः देखा जाता है कि इन सोसायटियों में चोरी धड़ल्ले से होती है, स्टोर से सामान गायब हो जाता है। इतना ही नहीं, बन्द पैकेटों और डिब्बों से, नीचे सूराख करके सोसायटी के कर्मचारी सामान चुरा लेते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस घाटे का कारण यह घोटाला तो नहीं है तथा पिछले तीन वर्षों में मंत्री जी को कितनी शिकायतें इस प्रकार की चोरी इत्यादि की मिलीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : श्रीमन् माननीय सदस्य ने इन वर्षों में हुई कुल हानि के बारे में सूचना मांगी है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह हानि प्रति वर्ष छोटी-मोटी चोरियों और कुप्रबन्ध के कारण होती है। श्रीमन, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि गत वर्ष यानि वर्ष 1980-81 में हम नुकसान को केवल 90,000 रुपये तक सीमित रखने में सफल रहे हैं। वर्ष 1979-80 में 9.10 लाख का घाटा हुआ था। हमने कुछ सुधार किये हैं। हमने राष्ट्रीय सहकारिता संघ की परामर्शदात्री से सलाह ली, उन्होंने हमें परामर्श दिया, उनकी सलाह मानी गयी। इसलिए मैं माननीय सदस्य को अवगत करा देना चाहता हूं कि जो भी कारण बताए गए हैं उनकी जांच की जा रही है। अब प्रबन्ध बेहतर है जिसके कारण घाटा 9.10 लाख से घट कर 90,000 रुपये रह गया है। हमें उम्मीद है कि इस वर्ष के उत्तरार्ध में इसमें और कमी होगी और आने वाले वर्षों में—प्रगति करके हमें कुछ लाभ भी होगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। इनसे मैंने पूछा है कि पिछले तीन वर्षों में आपको कितनी शिकायतें मिली हैं। और जो शिकायतें मिली हैं, उस पर आपने क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही जो की है, वह तो बता दी है, लेकिन नम्बर नहीं बताया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या मन्त्री जी यह बताने में आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास नम्बर हैं कि कितनी शिकायतें मिली हैं ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : यदि माननीय सदस्य मुझे इन शिकायतों के बारे में एक अलग नोटिस दें तो मैं सूचना एकत्र करूंगा और माननीय सदस्य को उससे अवगत करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह आपको सूचना दे देंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिलता है, यही रोना है। खैर, दे देंगे ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : आप बड़े सन्तोषी जीव लगते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि तीन और शाखाएं शीघ्र खोलने का प्रस्ताव है। नए स्टोर खोलते समय, सोसायटी नई बन रही सरकारी कालोनियों, जहां इसे नाम मात्र के किराये पर आवास मिल जाता है, को वरीयता देती है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आप तीन और शाखायें खोलने जा रहे हैं, क्या सरकार द्वारा कोई डी० डी० ए० से स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया गया है ? यदि किया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ? 15 लाख रु० की क्रेडिट सोसाइटियों द्वारा आपसे मांगी गई है, इस क्रेडिट को आप कब दे रहे हैं ? इसको देने में क्यों देरी हो रही है ? जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उसने इसको कर दिया था। अब एक डेढ साल हो गया, आप यह क्रेडिट नहीं दे रहे हैं और इस क्रेडिट को आप कब तक पूरा कर देंगे ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैंने पूरी जानकारी दे दी है और घाटे के बारे में भी, जो घटकर 90,000 रुपये रह गया है। वह कुछ शिकायतों के बारे में जानकारी चाहते थे। मैंने कहा है कि सरकार की जो जानकारी मिलेगी उसे मैं उन्हें पहुंचा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप शिकायतों की संख्या बतायेंगे शिकायतें नहीं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : इस साल खोली जाने वाली नयी शाखाओं के बारे में, हमने तीन नयी शाखाएँ खोली हैं तथा तीन और शाखाएं खोलने का विचार है। इन शाखाओं को हम सरकारी कालोनियों में, जहां सरकारी कर्मचारी रहते हैं, खोलेंगे। हमें परेशानी यह है कि इन शाखाओं के लिए उपलब्ध स्थान स्टोर चलाने के उपयुक्त नहीं है। इसलिए हम दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय से उपयुक्त स्थान देने के बारे में बात करना चाहते हैं। जब भी इस प्रकार का निर्माण होता है हम कुछ (आवास) जगह लेने की कोशिश करते हैं। जहां भी सरकारी कर्मचारी रहते हैं और उन्हें जरूरत है, हम शाखाएँ खोल रहे हैं ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायी जा सकें।

श्रीमती प्रमिला बंडवते : अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए यह पूछना चाहती हूं कि बम्बई में जो को-ओपरेटिव स्टोर चलता है, उनकी ओर से आपके पास कोई निवेदन आया है कि उनकी दुकान के लिए जो किराया बढ़ाया गया है, तो आप वर्क एण्ड हाऊसिंग मिनिस्ट्री से बातचीत करके उनको स्टोर चलाने के लिए नोमिनल रेट पर क्या व्यवस्था करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : यह इस प्रश्न के सन्दर्भ से बाहर की बात है।

श्री दलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि 1980-81 में लाइसेन्स हुए हैं, इस सोसायटी के संचालक में जो अधिकारी बैठे हुए थे, तो वे लाइसेंस किन कारणों से हुए हैं और उस घाटे को पूरा करने के लिए उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही मन्त्री जी करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : प्रबन्धक मण्डल के 8 निदेशकों को सरकार मनोनीत करेगी और 8 का चुनाव होगा। संयुक्त सचिवों में एक अध्यक्ष होगा। आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए पर्यवेक्षण कर्मचारियों कर्मचारी हैं। पर्यवेक्षण की संख्या 219 है। इन लोगों के माध्यम से बिक्री की जाती है तथा हम पर्यवेक्षण कर्मचारियों को नियुक्ति कर रहे हैं।

सिविल सेवाओं के लिए चयन प्रक्रिया में सुधार

*246. श्री एजीद अलम : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश और सिविल सेवाओं को चलाने के लिए देश में उचित आयु के श्रेष्ठ प्रतिभा के अधिक व्यक्तियों की भर्ती में सुधार लाने हेतु सिविल सेवाओं के लिए चयन की वर्तमान प्रक्रिया का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती की विद्यमान प्रणाली की जांच करने तथा परीक्षा प्रणाली और चयन पद्धतियों में ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने 6-2 74 को प्रोफेसर डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में "भर्ती नीति तथा चयन पद्धति से सम्बन्धित एक समिति का गठन किया जो राष्ट्रीय विकास तथा पुनर्निर्माण के कार्य के संदर्भ में सेवाओं की भूमिका तथा कार्य के समीचीन ज्ञान, कौशल तथा गुणवत्ता पर पर्याप्त बल दे सके । समिति ने 29 मार्च, 1976 को अपनी रिपोर्ट दे दी । सरकार ने समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट पर राज्य सरकारों के परामर्श से तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखकर विचार किया । कोठारी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर पहले की भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा के स्थान पर 1979 में सिविल सेवा परीक्षा की नई योजना लागू की गई । विदेश तथा सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए देश में उपलब्ध श्रेष्ठतम् प्रतिभाशाली व्यक्तियों को समुचित आयु में सेवा में लेने के लिए सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान योजना में पर्याप्त ध्यान रखा जाता है ।

(2) यह अपेक्षाकृत एक नया प्रयोग है तथा इस प्रकार की बहुविषयक परीक्षा आयोजन के बारे में कोई विशिष्ट निष्कर्ष निकालना तथा केवल लगभग दो वर्ष पहले ही शुरू की गई सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान योजना की पुनरीक्षा करना समयपूर्व होगा ।

श्री रशीद मसूद : स्पीकर साहब, हम यह देख रहे हैं कि जहां-जहां आई० ए० एस० आफिसर्ज को भेज रहे हैं वहां स्टेण्डर्ड में कमी आ रही है । हम जिन कम्पनियों को नेशनलाइज़ करते हैं, जिनके मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेते हैं उन पर आई० ए० एस० आफिसर को बैठा देते हैं, जैसा कपड़ा मिलें हैं, दूसरी मिलें हैं, सीमेंट फ़ैक्टरीज़ लेंगे उनमें भी उनको ही भेजेंगे । अभी तक आई० ए० एस० में जो लोग साइन्स, फिज़िक्स, बोटनी या दूसरे साइन्स सब्जेक्टस ले कर बैठते हैं, वे उन लोगों के मुकाबले जो ला, हिस्ट्री, पोलिटीकल साइन्स, सब्जेक्ट्स लेकर बैठते हैं, नहीं आ पाते हैं । यही वजह है कि इस सर्विस में साइन्स ग्रेजुएट्स ज्यादा नहीं आ पाये हैं । क्या गवर्नमेन्ट इस बात पर गौर करेगी—चूंकि हमारा स्कीअर अब बहुत बढ़ रहा है, टैक्नीकल कामों में भी आई०ए०एस० आफिसर्ज़ जा रहे हैं, इसलिए मुखतलिफ़ सब्जेक्ट्स का कोटा

मुकर्रिर किया जाय, ताकि इसमें फिजिक्स और दूसरे साइन्स के सब्जेक्ट्स के लोग भी आ सकें ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्य ने कहा है कि कार्यकुशलता घट रही है। यह सच नहीं है। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। 1971 में प्रथम श्रेणी के 219 छात्रों ने परीक्षा दी थी और उनमें से 38.56 प्रतिशत चुने गये थे। 1977 में प्रथम श्रेणी प्राप्त 379 व्यक्ति बैठे थे जिनमें से भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में 53.68 प्रतिशत व्यक्ति चुने गय थे। सदस्य महोदय कहते हैं कि कार्य कुशलता गिर रही है। जिन लोगों ने भौतिकी और इन सभी विषयों का अध्ययन किया है, उनके लिये पार्श्व पद हैं और जो इन क्षेत्रों से आते हैं उन्हें हमारी सेवाओं में पार्श्व पदों पर पर नियुक्त किया जाता है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, ऐसे अनेकों व्यक्तियों को, जिन्होंने इन क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्राप्त की है, उन्हें इन पार्श्व पदों पर सचिव, सह-सचिव के बतौर नियुक्त किया गया है। ऐसा नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि हमने ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा की है अथवा हमने ऐसे व्यक्तियों की प्रतिभा का उपयोग नहीं किया है।

श्री रशीद मसूद : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने यह नहीं पूछा था कि हमारा स्फीयर बढ़ रहा है, टैक्नीकल कामों में भी हमारे आई० ए० एस० आफिसर्ज जा रहे हैं जबकि उनमें साइंस वाले कम होते हैं पालिटीकल साइंस, सोशल साइंस वाले ज्यादा होते हैं। इसलिए साइंस के पेपर वाले लोग ज्यादा से ज्यादा आस कर के आ सकें, क्या इसके लिए कुछ करेंगे।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : वैज्ञानिक अनुभव प्राप्त बहुत से व्यक्ति आ रहे हैं। जिन्हें पृष्ठ भूमि का ज्ञान होता है और वे प्रविष्ठ होते हैं और वे भारतीय प्रशासनिक सेवा परिक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। विभाग उन व्यक्तियों को लेते हैं जो इन विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त होते हैं और जो आते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में प्रविष्ठ होते हैं। अनेकों व्यक्ति जो वैज्ञानिक क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त होते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया जा रहा है।

श्री रशीद मसूद : देखने में यह आ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट मुखतलिफ तरीकों से जोर लगाकर, पैसे लेकर दूसरे लोगों को ले रही है, ऐसे ट्रस्ट्स फार्म हो रहे हैं, इन सब को देखते हुए आई० ए० एस० में जो हमारा इन्टरव्यू का सिस्टम है वह बहुत डिफैक्टिव है। वहां फैक्चुअल सवाल पूछेंगे कि लेनिन के जमाने फलां कन्ट्री का कौन प्राईम मिनिस्टर था और सन् 1942 में कौन हमारे यहां वायसराय था। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप को रखवा देंगे बोर्ड में।

श्री रशीद मसूद : मेरा कहना यह है कि ऐसे सवाल पूछने का इन्तजाम होना चाहिए, जिससे पर्सनेलिटी का पता लगे और ऐसे लोगों को रखना चाहिए, सलेक्ट करना चाहिए, जो

इम्प्रेसिव हों। ऐसी सूरत में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मिनिस्टर साहब यह फरमायेंगे कि इन्टरव्यू के लिए जो पेनेल बनाया जाता है उसमें एक साईकेट्रिस्ट को रखा जाएगा ?

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : अध्यक्ष महोदय, वहां रखा जाय या न रखा जाय लेकिन यहां जरूर रखिये।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्य ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा है वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है (व्यवधान)। एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और समय समय पर उसे संशोधित किया जाता है, जिससे कि योग्यतम व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो सके। अतः यह कहना सही नहीं है कि उम्मीदवारों को भयभीत करने के लिए कुछ असम्बद्ध प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और उसमें संशोधन तथा परिवर्तन करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा समिति बैठती है। इस प्रयोजन के लिए हम सर्वोत्तम प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति लेने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से आने वाले लड़कों के प्रति चुनाव में एक निश्चित पूर्वाग्रह होता है और क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों से आने वाले लड़कों के प्रति अंग्रेजी में उनकी प्रवीणता न होने के कारण उनके साथ भेदभाव बरता जाता है। यदि हां, तो मन्त्री जी बतायेंगे कि इस बात का ध्यान रखने के लिए कि विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को एक समान अवसर प्राप्त हो, क्या कदम उठाए जाने को विचार किया जा रहा है ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में प्रवीणता रखने वालों को अन्य लोगों से अधिक लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। प्रारम्भिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं, पहला 150 अंकों का सामान्य अध्ययन का और दूसरा 300 अंकों का वैकल्पिक विषयों का। सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होता है जिसमें प्रश्नों के चुनाव का पर्याप्त विकल्प होता है। मुख्य परिक्षा के दो भाग होते हैं -- लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। लिखित परीक्षा में आठ प्रश्न पत्र होते हैं। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों के लिए मैट्रीकुलेशन या उसके समकक्ष स्तर को अर्हकता का मानदण्ड माना गया है। पदक्रम के लिए इन प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंकों की गणना नहीं की जाती है। तथापि उत्तरपूर्वी राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड संघ शासित प्रदेशों से बैठने वाले उम्मीदवारों तथा सिक्कम राज्य से बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए भी 1982 तक होने वाली परीक्षाओं के लिए भारतीय भाषाएं अनिवार्य नहीं रखी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : जिसकी अपेक्षा की गई है, वह यह है। क्या आप उन लोगों को समान अवसर प्रदान कर सकते हैं क्योंकि वे लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते जो सरकारी स्कूलों से आते हैं। उनका यही प्रश्न है। इसे स्पष्ट किया जाय। आप उसका औचित्य किस प्रकार ठहराते हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : साक्षात्कार के समय विकास (व्यवधान)

श्री० मधु दण्डवते : प्रश्न के बावजूद आप पढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सीधा प्रश्न है कि क्या ग्रामीण इलाके, गांवों से आने वाला छात्र, जहां उसे अंग्रेजी पढ़ने का अवसर नहीं प्राप्त होता, अन्य लोगों का मुकाबला कर सकेगा ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैं इसी ओर आ रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि अंग्रेजी भाषा का केवल एक अर्हक परीक्षा है।

अध्यक्ष महोदय : अन्य विषय भी।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : साक्षात्कार के लिए केवल 250 अंक होते हैं। अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता के आधार पर छात्रों को न परखने का प्रत्येक अवसर हमने प्रदान किया है। यही किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर आधे घन्टे तक चर्चा करना चाहूंगा।

इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के निर्माण के लिए स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन को जारी किया गया आशय पत्र

*248. श्रीमती माथुरी सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न स्टेट इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशनों को इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के निर्माण के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ;

(ग) क्या कुछ राज्यों के एककों को महत्वपूर्ण पुर्जे प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अनिश्चितता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह): (क) तथा (ख) जी, हां। राज्य स्तरीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सभी आवेदनों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं। ये आवेदन तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त हुए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती माथुरी सिंह : मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे मैं सतुष्ट हूं।

विदेशों से धनराशि प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठन

* 249 श्री धर्मवीर सिंह : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :—

(क) देश में कौन-कौन स्वैच्छिक संगठन विदेशों से धनराशि प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार के कुछ स्वैच्छिक संगठनों के प्रमुख सदस्य सामान्य पदधारी हैं तथा उनका ऐसे अनेक संगठनों पर नियन्त्रण है ;

(ग) क्या इन संगठनों के लेखाओं की सरकारी लेखा परीक्षा-अनिवार्य है ;

(घ) क्या सरकार इन संगठनों के कार्यकलापों पर निगरानी रखती है ; और

(ङ) क्या इनमें से कोई संगठन आपत्तिजनक गतिविधियों में लगा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में लगभग 5,000 संगठन/एसोसिएशन हैं जो विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) विदेशी अभिदान (विनियमन) नियम, 1976 के नियम 8(2) के अधीन प्रत्येक एसोसिएशन के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत सरकार को चार्टर्ड एकाउंटेंड द्वारा प्रमाणित अपना वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(घ) इन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जिन साधनों और तरीकों से विदेशी अभिदान प्राप्त किया जाता है और जिन प्रयोजनों के लिए यह प्राप्त किया जाता है, उनको इन संगठनों द्वारा वर्ष में दो बार निर्धारित विवरणियों के माध्यम से सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

(ङ) सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हैं जहां ये संगठन आपत्तिजनक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये गये हैं।

श्री धर्मवीर सिंह : इस प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने जिस लापरवाह ढंग से उत्तर दिया है, मुझे उसका विरोध करना चाहिए। मैंने उनके नाम जानने चाहे थे। आप प्रश्न को पढ़ें। मैंने

पूछा था "कौन-कौन से स्वैच्छिक संगठन"। मन्त्री महोदय ने केवल यह उत्तर दिया : '5000 संगठन'।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सभी 5000 संगठनों के यहां नाम बताना सम्भव नहीं है।

श्री धर्मवीर सिंह : इसलिए मैंने उनसे सभापटल पर एक विवरण रखने का अनुरोध किया था, ताकि उन संगठनों के नामों को पढ़ सकूं, अपने विचार बना सकूं और पूरक प्रश्न पूछ सकूं। जैसे भी हो, माननीय मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया है कि सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आए हैं जहां ये संगठन आपत्तिजनक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाए गए हैं। मेरा विचार था कि सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए वे उन संगठनों के नाम यहां बता देंगे, जिनके विरुद्ध उन्होंने आपत्तिजनक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने की शिकायतें प्राप्त की हैं। क्या मैं उनसे ऐसे संगठनों का नाम बताने का अनुरोध कर सकता हूं? वे किस प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधियों में कब अन्तर्ग्रस्त पाये गए थे? ये संगठन कहां-कहां स्थित हैं?

श्री योगेन्द्र मकवाना : गत शुक्रवार को, इसी सदन में गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और इससे सम्बन्धित संगठनों जैसे संगठनों पर चर्चा हुई थी। सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार करते हुए सदन को आश्वासन दिया था कि इसकी जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम के अधीन एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंह : वे कौन-कौन से संगठन हैं और आप उनके नाम क्यों नहीं ले रहे हैं?

श्री योगेन्द्र मकवाना : गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और अन्य संगठन।

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी सूची दे सकते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं सभापटल पर इसकी सूची रख दूंगा।

श्री विलास मुत्तमवार : वे विदेशी संस्थाएं या सरकारें कौन सी हैं जो अपने देश के भीतर स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक मदद करती हैं? ऐसी सहायता के पीछे इन विदेशी संस्थाओं के उद्देश्य क्या है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : (एसोसिएशन आफ वोलन्टरी एजेन्सीज फोर रूरल डेवलपमेंट) की 'अवार्ड' 'केयर' (कोपरेटिव फोर अमेरिकन रिलीफ) एवरीव्हेअर' 'एफ्रो' (ए० एफ० पी० आर० ओ०) आदि ऐसी ही अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। ये स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान करती हैं। ये संस्कृति और अन्य सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता देती हैं।

श्री नीरेन घोष : क्या यह सच है कि गांधी शान्ति प्रतिष्ठान से चूंकि जयप्रकाश नारायण सम्बद्ध थे, इसलिए यह सब कुछ किया जा रहा है, जो राजनीति से प्रेरित है? क्या यह सच नहीं है कि इसी सदन में हमने अनेक बार आवाज उठाई है कि अनेक स्वैच्छिक संगठन पृथकतावादी गतिविधियों में लगे हुए हैं और वे असम, त्रिपुरा तथा कई स्थानों पर पृथकतावादी आन्दोलनों का समर्थन कर रहे हैं? यद्यपि 'केयर' जैसे स्वैच्छिक संगठनों का यहां हवाला भी दिया गया, लेकिन कोई ऐसी जांच नहीं की गई जो इस सदन को सन्तुष्ट कर पाती। अतः क्या वे इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि क्या यह राजनीतिक पक्षपात नहीं है कि केवल गांधी शान्ती प्रतिष्ठान के मामले में ही जांच की जा रही है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य द्वारा लगाए गए इस आरोप का मैं खंडन करता हूं। जो आरोप लगाया गया है उसमें कोई दम नहीं है। जब पिछली बार इस विषय से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार किया गया था, तो चर्चा में भाग लेने वाले इस सदन के सभी वर्गों ने ऐसे उदाहरण दिए थे, जिनमें इन संगठनों द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया था। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है ऐसे संगठनों पर सरकार द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिन्हें विदेशों से धन प्राप्त हो रहा है।

श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन

*250. श्री चित्त बसु : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन 4 अगस्त, 1981 को नई दिल्ली में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। राज्य श्रम मन्त्रियों का 32वां अधिवेशन 4 और 5 अगस्त, 1981 को हुआ था।

(ख) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं।

विवरण

राज्य श्रम मन्त्री सम्मेलन का 32वां अधिवेशन—नई दिल्ली—अगस्त 4-5, 1981 मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें

1. केन्द्रीय और राज्य सरकारों के, जिनमें संघ-राज्य क्षेत्रों की सरकारें शामिल हैं, श्रम मन्त्रियों का 32वां सम्मेलन 4 और 5 अगस्त, 1981 को हुआ था। इस सम्मेलन से पहले सरकारों के श्रम सचिवों की बैठक हुई थी।

2. इस सम्मेलन ने जुलाई, 1980 में हुए 31वें सम्मेलन के बाद की श्रम क्षेत्र में प्रगति को नोट किया। यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक सरकार को यह सूचित करने के लिए प्रबन्ध किए जाएं कि देश के विभिन्न राज्यों में क्या हो रहा है। यह आवधिक रिपोर्टों द्वारा राज्य सरकारों में सूचना एकत्रित करके और उन्हें सामान्य पारस्परिक सूचना के लिए भेजकर किया जा सकता है। इस सम्मेलन ने सिफारिश की कि इस उद्देश्य के लिए श्रम मन्त्रालय में एक उपयुक्त संस्थागत मशीनरी गठित की जाए, जो समय-समय पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए महत्वपूर्ण कानूनी और कल्याणकारी उपायों के बारे में सूचना के वितरण केन्द्र के रूप में काम करेगी।

3. सम्मेलन ने इस बात को स्वीकार किया कि तेल कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और समय की मांग उत्पादन को जारी रखने की है। इस संदर्भ में, किसी भी कारण से होने वाली कामबन्दी, हड़तालों, धीरे काम करो, तालाबन्दी या जबरी छुट्टी- से बचना चाहिए क्योंकि वे देश को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए सम्मेलन ने (पश्चिम बंगाल तथा केरल को छोड़कर) कुछ अनिवार्य सेवाओं में हड़तालों आदि पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान करने के लिए जारी किए गए अध्यादेश का स्वागत किया। तथापि पश्चिम बंगाल तथा केरल की सरकारों ने अध्यादेश का समर्थन नहीं किया।

4. सम्मेलन ने यह भी सुझाव दिया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से अनुचित कारणों से की गई काम बन्दियों की जांच की जाए तथा राज्य सरकारों को काम बन्दियों और छंटनी को रोकने के लिए कानून बनाने की अनुमति दी जाए।

5. सम्मेलन ने यह महसूस किया कि नियोजक कर्मचारी सम्बन्धों में हिंसा और धमकी श्रमिकों तथा उद्योग एवं देश के हितों को नुकसान पहुंचाएंगे। इस प्रवृत्ति को हर कीमत पर रोकना चाहिए। साथ ही, सम्मेलन को यह भी विचार था कि श्रमिकों की शिकायत तथा श्रमिकों एवं नियोजकों के बीच विवादों के समाधान की क्रियाविधि में सुधार किया जाना चाहिए। अतः सम्मेलन ने सिफारिश की कि औद्योगिक सम्बन्धों को शासित करने वाले कानूनों में संशोधन, जिन पर पिछले सम्मेलन में सहमति हुई थी, शीघ्र लिए जाएं। सम्मेलन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधनों की भी सिफारिश की :—

1. कर्मकार की परिभाषा में ठेकदारों द्वारा नियोजित श्रमिक भी शामिल होने चाहिए।

2. नियोजक द्वारा काम बन्दी के लिए दिए जाने वाले नोटिस की अवधि को 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाना चाहिए।

3. धारा 25 (ण) तथा धारा (द) को, उन कमियों को दूर करके, जिनके कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान उपबन्धों को रद्द किया गया था, पुनः शुरू किया जाए।

4. इस कर्मकार को निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाए जिसे श्रम न्यायालय या अधिकरण के समय कार्यवाहियों के लंबित पड़े रहने के दौरान नोकरी से हटाया या बर्खास्त किया जाता है।

6. सम्मेलन ने यह भी नोट किया कि श्रमिक संघ आन्दोलन को अन्तर एवं अन्तः यूनियन प्रतिस्पर्द्धा के कारण अत्यधिक नुकसान हो रहा है और उससे औद्योगिक वातावरण को क्षति पहुंची है। सदस्यता के सत्यापन द्वारा ट्रेड यूनियनों को मान्यता के सम्बन्ध में मतैक्य था। चूंकि यूनयनों के प्रतिनिधि स्वरूप को निर्धारित करने की पद्धति के सम्बन्ध में कोई सहमति नहीं थी, अतः भारत सरकार को स्वयं इस मामले को तय करना चाहिए ताकि मामले में अनिश्चितता को हटाया जा सके और एक समान पद्धति निर्धारित की जा सके।

7. सम्मेलन ने सुझाव दिया कि भारत सकार कारखाना अधिनियम के उल्लंघन के लिए और दने दण्ड को और बढ़ा करने पर विचार करे तथा कारखानों के निरीक्षण और कारखानों के निर्माण के लिए स्वीकृति के लिए एक सुस्पष्ट पद्धति भी तैयार करे।

8. सम्मेलन ने ग्रेच्यूटी विधि के गठन के सम्बन्ध में सुझावों पर विचार करने के लिए एक समिति नयुक्त करने का निर्णय लिया, योजना और श्रम मंत्री से समिति के गठन का निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

9. समिति ने कामबन्दी, जबरी छुट्टी आदि के कारण रोजगार से हटाए जाने वाले श्रमिकों को सहायता देने के लिए बेरोजगारी बीमा योजना आरम्भ करने सम्बन्धी सुझावों पर विचार करने के लिए एक अन्य समिति भी नियुक्त करने का निर्णय लिया। उसी समिति को रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के लिए विधि के गठन सम्बधी सुझावों पर पुन : विचार करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार इस बात की जांच करे कि क्या राज्य सरकारों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 25 (द) के अधीन शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। सम्मेलन ने इन शक्तियों को राज्य सरकारों को प्रदान करने की सिफारिश की।

10. सम्मेलन ने पिछले सम्मेलन में गठित की गई श्रम मंत्रियों की स्थायी समिति की उप समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया और यह निर्णय किया कि इसी प्रकार की उप-समितियां उन मामलों पर गहराई से विचार करने के लिए गठित की जाएं, जिन्हें इस सम्मेलन में उठाया गया है। परन्तु जिन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

मद 4 11. न्यूनतम मजूरी के मामले में सम्मेलन ने निम्नलिखित निर्णय लिए :—

(क) न्यूनतम मजदूरी के लाभों को उन कर्मकारों पर विस्तारित करने की दृष्टि से, जो कुछ नियोजनों के न्यूनतम मजरी अधिनियम की अनुसूची में शामिल न होने के कारण अभी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, अधिनियम में उपयुक्त संशोधन द्वारा सामान्य न्यूनतम मजूरी की पद्धति आरंभ की जाए। ऐसी सामान्य न्यूनतम मजूरी रोजगार के विभिन्न समूहों जैसे कि (1) कृषि और सम्बन्ध कार्यकलाप (2) दुकान और प्रतिष्ठानों, और (3) कारखाना प्रतिष्ठानों आदि के सम्बन्ध में उचित सरकारो द्वारा क्षेत्रवार या राज्यवार या क्षेत्रीय आधार पर, जैसा भी उचित हो, निर्धारित की जाए।

(ख) भारत सरकार ऐस एक से अधिक राज्य में फैले हुए रोजगारों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर सकती है, यदि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों में सहमति हो।

(ग) क्रमिक ढंग से यह सुनिश्चित करने के लिए उचित मापदण्ड तैयार किया जाना चाहिए कि न्यूनतम मजूरी गरीबी की लाइन से नीचे न गिरे।

(घ) जहां तक संभव हो सके, न्यूनतम मजूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने के लिए एक क्रियाविधि तैयार को जानी चाहिए, जैसा कि कुछ राज्यों द्वारा लिया गया है, ताकि उन्हें अविलम्ब आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जा सके।

(ङ) न्यूनतम मजूरी के आरंभिक निर्धारण के लिए समिति पद्धति को अपनाया जा सकता है परन्तु एक बार न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के बाद, उन के पुनरीक्षण के लिए अधिसूचना पद्धति को अपनाया जा सकता है क्योंकि इसमें कम समय लगता है। फिर भी यदि मजूरी के पुनरीक्षण के लिए भी समिति पद्धति को अपनाना आवश्यक समझा जाता है तो समिति से कहा जाना चाहिए कि वह अपना कार्य नियत समय अर्थात् छः महीने या एक वर्ष के अन्तर शीघ्र पूरा करे।

(च) सम्मेलन ने नोट किया कि राज्य सरकारों ने, जहां कहीं अपेक्षित था न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने संबंधी कदम उठाए और सिफारिश की कि यह प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जानी चाहिए।

(छ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को संशोधित करने के लिए भारत सरकार को शीघ्र ही एक व्यापक विधान प्रस्तुत करना चाहिए ताकि इसकी कमियों को दूर किया जाए और इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके। सम्मेलन ने एक समिति गठित

करने का निर्णय किया ताकि इस संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर गहराई से विचार किया जा सके ।

(ग) सम्मेलन ने प्रवर्तन तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया और सिफारिश की कि जिन्होंने ऐसे कदम अभी तक नहीं उठाए हैं उन्हें भी ऐसा करना चाहिए । जब भी कभी आवश्यक हो, इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त वित्तीय आवंटन के लिए योजना आयोग से सम्पर्क किया जाना चाहिए ।

मद 5. 12. रोजगार और प्रशिक्षण के प्रश्न पर, सम्मेलन की सिफारिशें निम्नलिखित प्रकार थीं :—

(क) सम्मेलन ने जिला जन शक्ति आयोजक तथा रोजगार सृजन परिषदों के गठन की योजना का समर्थन किया । इसके लिए रोजगार सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता होगी, और इसके लिए और अधिक निधि की जरूरत पड़ेगी ।

(ख) सम्मेलन ने यह सुझाव दिया कि निजी क्षेत्र में वर्ग "ग" और "घ" पदों में भर्ती भी अनिवार्यत : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी चाहिए ।

(ग) सम्मेलन ने विकलांगों के लिए नौकरी आरक्षण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के प्रयासों का समर्थन और प्रशंसा की और इस प्रयोजन के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की ।

(घ) सम्मेलन ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और शिक्षुता कार्यक्रमों में सुधार, उनका दर्जा बढ़ाने और प्रशिक्षण का आधुनिकीकरण करने संबंधी श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव का समर्थन किया । इस प्रयोजन के लिए अधिकांशतः राज्यों ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त निधि की माँग की है ।

(ङ) समिति ने मंघ्यू और कादिर से गतियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 60 : 40 के अनुपात में केन्द्र और राज्य में वित्तीय सहभागन को पुनः लागू करने की सिफारिश की ।

(च) सम्मेलन ने अनौपचारिक प्रशिक्षण तथा स्व : उद्यमता प्रशिक्षण को आरंभ करने के लिए श्रम मंत्रालय के पहल और प्रयासों का समर्थन किया । समिति ने श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए क्रियाविधि संबंधी पहल को भी नोट किया ।

(छ) सम्मेलन ने शिक्षुता अधिनियम 1961 में संशोधन करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि प्रशिक्षित शिक्षुओं को कुछ सीमा तक उन प्रतिष्ठानों द्वारा रोजगार देना अनिवार्य किया जा सके, जो शिक्षुओं को प्रशिक्षित करते हैं ।

(ज) सम्मेलन ने यह विचार भी व्यक्त किया कि और अधिक विनिर्दिष्ट व्यवसायों को शिक्षुता कार्यक्रम में शामिल किया जाए और कृषि और जल पर आधारित व्यवसायों को अन्तर्गत लाने के लिए व्यवसायों की विविधता पर विचार किया जाए ।

(झ) शिक्षुओं की छात्रवृत्तियों में उपयुक्त वृद्धि की जाए ।

मद 6. 13. सम्मेलन ने प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता संबंधी योजना का सामान्यत: समर्थन किया परन्तु यह महसूस किया कि कानूनी समर्थन की कमी के कारण अब तक की गई प्रगति संतोषजनक नहीं है । कानून को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही भारत सरकार और राज्य सरकारों को अपने अपने नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश जारी करके इस संबंध में नेतृत्व प्रदान करनी चाहिए ताकि योजना को पूर्ण और उचित ढंग से परखा जा सके । सम्मेलन ने सिफारिश की कि योजना को सफल बनाने के लिए श्रमिकों तथा प्रबन्ध कार्मिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि उनमें योजना के उद्देश्यों और प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में जागरुकता पैदा की जा सके । सम्मेलन ने यह भी शिफारिश की कि इस योजना को न केवल उत्पादन में लागू किया जाना चाहिए बल्कि अन्य कार्यकलापों अर्थात् विक्रय, क्रय और सेवाओं पर भी लागू किया जाना चाहिए । यह सुझाव दिया गया कि उद्योग संबंधी भागर्व आयोग की सिफारिशों की जांच की जाए और इन्हें अन्य उद्योगों पर लागू किया जाए ।

मद 7 14. जहां तक कृषि श्रमिकों के लिए कानून का संबंध है, राष्ट्रीय आधार पर ऐसा कानून प्रस्तुत करने की वांछनीयता या अत्यावश्यकता के बारे में मतैक्य नहीं था । जब कि कुछ राज्यों ने सिद्धान्त रूप से इस उपाय का स्वागत किया, अन्यों ने एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच और एक ही राज्य के भीतर भी दशाओं की विविधता के कारण समान कानून को लागू करने में होने वाली कठिनइयों का उल्लेख किया । सम्मेलन ने यह निर्णय लिया कि सम्पूर्ण मामले का कार्यकारी बल द्वारा गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए ।

मद 8. 15. सम्मेलन ने असंगठित क्षेत्र में हथकरघा, चमड़ा, मत्स्य तथा इसी प्रकार के अन्य उद्योगों में श्रमिकों के लाभ के लिए कल्याण विधियों की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत किया । यह स्वीकार किया गया कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें इस संबंध में उपयुक्त उपाय करेंगी और यह कि कल्याण निधियों का उपयोग प्राथमिकता आधार पर श्रमिकों की डाक्टरों देख रेख, शिक्षा और आवास के लिए किया जाना चाहिए । यह देखने के लिए कि डाक्टरी देख रेख सुविधाओं में कोई दोहरापन न हो राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभागों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कल्याण निधि प्रशासनों के बीच समन्वय होना चाहिए । कल्याण योजनाओं का पैटर्न लचीला होना चाहिए ताकि स्थानीय दशाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके । कुछ राज्यों ने यह भी दोहराया कि कल्याण निधियों के संचालन का कार्य राज्यों को सौंपने के लिए पिछले सम्मेलन में हुए मतैक्य को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए, विशेष रूप से बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के मामले में ।

मद 9 16. सम्मेलन ने ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए अवैतनिक आयोजकों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की योजना का स्वागत किया । तथापि, यह महसूस किया गया कि योजना की परिधि का विस्तार अन्य राज्यों में भी किया जाए ।

मद 10 17. सम्मेलन ने ठेका श्रम (विनियमन, और उत्सादन) अधिनियम बंधुआ श्रमिक पद्धति (उत्सादन) अधिनियम और अन्तर राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर विचार किया । इस संबंध में मतैक्य था कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए विभिन्न संशोधनों की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया जाना चाहिए और संशोधनों को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए । बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के प्रश्न पर यह महसूस किया गया कि राज्य सरकारों को उच्चतम वित्तीय शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं ताकि शीघ्र पुनर्वास किया जा सके । प्रत्येक बंधुआ श्रमिक को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को पुनर्वास और बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए बढी हुई दर पर वित्तीय सहायता देनी चाहिए । सम्मेलन प्रवासी श्रमिकों का शोषण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में सहमत हुआ । यह भी निर्णय लिया गया कि जिन राज्य सरकारों के अधीन प्रवासी श्रमिक...विद्यमान हैं, वे प्रवासी श्रमिकों के मूल राज्यों के अधिकारियों को सभी सुविधाएं देंगी ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि ऐसे प्रवासी श्रमिकों के विरुद्ध कोई शोषण या भेद भाव न हो । सम्मेलन ने बिना और देरी के अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अधीन नियमों को तैयार करने और उनका कार्यान्यवयन करने के लिए सभी राज्य सरकारों पर जोर भी डाला है ।

मद 11 18. यथासंभव कम से कम समय में पात्र व्यक्तियों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना को परिधि का विस्तार करने की आवश्यकता को स्वीकार किया । चीनी उद्योग और अन्य मौसमी उद्योगों के लिए उपयुक्त तरीके से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने की अपेक्षाओं को भी स्वीकार किया गया । इस बात पर बल दिया गया कि सामाजिक सुरक्षा परियोजनाओं के लिए भूमि हासिल करने में देरी को कम से कम किया जाए जो प्रक्रिया को सरल बनाकर की जा सकती है और यह कि परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेज किया जाना चाहिए । राज्य सरकारों से अंशदानों में कमी या अंशदानों को समाप्त करके, केन्द्रीय सरकार से अंशदानों की व्यवस्था कराके और चिकित्सा व्यय पर लगी सीमा को हटाके निगम के वित्तीय प्रबन्ध में सुधार करने के विचार व्यक्त किए गए; इन पहलुओं पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा विचार किया जा सकता है ।

सम्मेलन ने यह भी महसूस किया कि कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों की सेवाओं में और सुधार करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ।

मद 12 19. यह महसूस किया गया कि राज्य सरकारों और प्रशासनों को अपनी श्रम नीति तैयार करने तथा इसका कार्यान्वयन करते समय छठी पंचवर्षीय योजना के श्रम और श्रम कल्याण संबंधी अध्याय में शामिल नीति मामलों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखना चाहिए ।

मद 1 - 20. सांविधिक मजूरी बोर्डों की स्थापना के लिए समधिकारी कानून बनाने के संबंध में सम्मेलन के समय रखे गए प्रस्तावों को आमतौर पर अनुमोदित किया गया; तथापि कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे मजदूरी बोर्डों की उपयोगिता के बारे में संदेह व्यक्त किया। सम्मेलन ने सिफारिश की कि चीनी उद्योग के लिए तीसरा मजदूर बोर्ड अविलम्ब स्थापित किया जाना चाहिए।

श्री चित्त बसु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्मेलन में पता चला था कि अन्य कारणों की तुलना में तालाबन्दियों और कारखानों के बन्द होने के कारण जन दिवसों की अधिकतम हानि हुई थी ? क्या इसको देखते हुए सरकार ने देश में तालाबन्दियों और कारखानों के बन्द करने पर रोक लगाने का निर्णय किया है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए एक विधेयक इस सत्र में ही सभा के समक्ष रखा जाएगा। इससे प्रत्येक समस्या हल हो जायेगी।

श्री चित्त बसु : मेरे विचार से मुझे इस उत्तर पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरा उत्तर मिल गया है। आप और क्या चाहते हैं।

श्री चित्त बसु : क्या ये सच है कि बहुत से राज्य सरकारों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, केरल और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अध्यादेश के लोकतन्त्र विरोधी, श्रमिक वर्ग विरोधी और कठोर स्वरूप के कारण इसकी उद्घोषणा का विरोध किया था ? इस बात को देखते हुए कि इस कठोर अध्यादेश के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ है क्या सरकार का विचार इस अध्यादेश को वापस लेने का है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जहां तक अध्यादेश की उद्घोषणा का सम्बन्ध है मैं कहना चाहती हूं कि यह अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादकता और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए है। प्रश्न के अन्य भाग के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों ने अध्यादेश की उद्घोषणा स्वीकार कर ली है। केवल केरल और पश्चिम बंगाल ने इसका विरोध किया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री बी० बी० देसाई अनुपस्थित। अब श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सदन के सभा पटल पर रखे गये विवरण में राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्षों को दिया गया है। इस विवरण में मैं पाता हूं कि राज्यों के श्रम मंत्रियों ने महसूस किया है कि किन्हीं कारणों–हड़तालों, धीरे काम करो, तालाबन्दी अथवा जबरी छुट्टी—के लिए काम को बन्द करने से दूर रहना चाहिए क्योंकि इनसे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। अतः इस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किये गये अध्यादेश का स्वागत किया गया जिसमें केन्द्रीय सरकार को हड़तालों आदि पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है।

क्या आप इसमें तर्क देखते हैं ? वे हड़तालों, धीरे काम करो, तालाबंदियों और जबरी छुट्टी के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि उन्होंने हड़तालों

पर रोक लगाने के लिए उद्घोषित अध्यादेश का स्वागत किया था। मंत्री महोदय कृपया इस की विचारणीय प्रक्रियाओं की व्याख्या करें जिसके द्वारा वे हड़तालों पर रोक लगाकर इतने प्रसन्न हैं लेकिन काम बन्द करने के अन्य तरीकों के बारे में सोच नहीं रहे हैं।

इसमें यह भी कहा गया है "सम्मेलन ने यह भी सुझाव दिया कि अनुचित कारणों से की गई कामबंदियों की जांच की जाय।" कामबंदियां भी काम को बंद कर देना है। अनुचित कारणों से की गई कामबंदियां अथवा अनुचित कामबंदियों के मामले में क्या किया जाना चाहिये। इसकी जांच की जाय। इससे अधिक कुछ नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह बिलकुल ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अतः सभी दन्ड प्रावधान केवल हड़तालों के लिए आरक्षित हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह बिलकुल ठीक है। अब मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक कामबंदियों अथवा तालाबंदियों अथवा जबरी छुट्टी का संबंध है ये श्रम मन्त्री चिंतित नहीं थे। क्या यह श्रम मन्त्रियों का समूह है अथवा नियोजकों के प्रतिनिधि हैं ? मैं नहीं जानता।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : महोदय यह आवश्यक सेवाओं के मामले में केवल हड़तालों पर रोक लगाना था और कामबन्दी तथा तालाबन्दी के मामले में माननीय सदस्य प्रधानमन्त्री के वक्तव्य के बारे में अच्छी प्रकार जानते हैं। और तालाबन्दियों तथा कामबन्दी के मामले में हम विचार कर रहे हैं कि इस सदन में संशोधित विधेयक किस प्रकार लाया जाय। (व्यवधान) मेरा तात्पर्य औद्योगिक विवाद अधिनियम (संशोधन) विधेयक से है। (व्यवधान) हम इस सदन में यह विधेयक लाकर अध्यादेश का स्थानापन्न करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यादेश केवल हड़तालों के मामले में है।

श्री के० ए० राजन : अध्यक्ष महोदय, श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन की कार्यवाही से देखा गया है कि उन्होंने कृषि श्रमिकों के बारे में विधान बनाने का कार्य शुरू किया है।

एक वर्ष पूर्व एक अध्ययन दल गठित किया गया था और भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से टिप्पणियां मांगी थीं कि इस विधान को कहां तक कार्यान्वित किया जा सकता था। अब उन्हें कृषि श्रमिकों के व्यापक विधान के बारे में राज्य सरकारों की रिपोर्टें मिल गई हैं। लेकिन अब मुझे पता चला है कि आप दोबारा इसे एक अन्य अध्ययन दल को दे रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस विधान को यथासम्भव शीघ्र क्यों न लाया जाय क्योंकि अन्य सभी कार्यवाही पूरी हो चुकी हैं और विधेयक का प्रारूप बना लिया गया है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : न्यूनतम मजूरी अधिनियम है जो कृषि श्रमिकों और माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किए गए अन्य रोजगारों को शामिल करता है। सरकार एक विधान लाने पर विचार कर रही है।

श्री बी० के० नायर : विवरण के पैराग्राफ 15 में यह कहा गया है :

"सम्मेलन ने असंगठित क्षेत्र में हथकरघा, चमड़ा मत्स्य तथा इसी प्रकार के अन्य उद्योगों में श्रमिकों के लाभ के लिए कल्याण निधियों की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत किया । यह स्वीकार किया गया कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें इस सम्बन्ध में उपयुक्त उपाय करेंगी और यह कि कल्याण निधियों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर श्रमिकों की डाक्टरी देखरेख, शिक्षा और आवास के लिए किया जाना चाहिये ।"

मैं जानना चाहता हूं कि इस निधि की स्थापना कौन कर रहा है और क्या यह केन्द्रीय सरकार है अथवा राज्य सरकारें हैं ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : उपयुक्त सरकार ।

श्री रमावतार शास्त्री : यूनियन के बीच मान्यता के सवाल को लेकर विवाद होने की स्थिति में व्यवस्था है कि सीक्रेट बैलट से उस बात को तय किया जाय । तो हम लोग ऐसी मांग करते रहे हैं, मजदूर आन्दोलन की यह मांग बराबर चल रही है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में भी सीक्रेट बैलट से यूनियनों की मान्यता का सवाल हल किया जाय, इसके बारे में भी आपके सम्मेलन में कोई विचार हुआ ? यदि नहीं, तो इस सवाल को हल करने के बारे में आप क्या रास्ता सुझाते हैं ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : उस पर दो तरह की राय जाहिर की गई है । एक चैकअप सिस्टम लागू करने चाहते हैं । दूसरा सीक्रेट बैलट से और तीसरे सरकार पर छोड़ना चाहते हैं । मैं पूछना चाहती हूं माननीय सदस्य से कि उन्हें इस बात का इल्म (जानकारी) है कि कितने राउंड आफ टॉक्स उनके तथा अन्य मजदूर संगठनों के नेताओं से श्रम सचिव और मन्त्री के स्तर पर हुए हैं । अध्यक्ष महोदय किसी भी नतीजे पर Unanimous नहीं पहुंचे हैं वे । मेरा दरवाजा अभी भी उनसे इस सम्बन्ध में बात करने के लिए खुला है ।

बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन

* 251. प्रो० रूप चन्द पाल : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बाल श्रम अधिनियम तथा बच्चों के हित की रक्षा करने वाले अन्य अधिनियमों के अनेक उपबन्धों के उल्लंघन की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में बच्चों को अंधाधुन्ध शोषण से बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को अनुदेश जारी किये हैं कि वे बालकों के रोजगार से संबंधित सगत कानूनों का सख्ती से पालन करने के लिए वर्तमान मशीनरी को सुदृढ़ करें ताकि उनका शोषण रोका जा सके और कामकाजी बालकों के लिए कल्याण उपायों को शुरू किया जा सके । उन्हें यह भी परामर्श दिया गया है कि वे भारत सरकार द्वारा गठित बाल श्रम सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की भांति राज्य/जिला

स्तर पर सलाहकार बोर्डों का गठन करें ताकि कामकाजी बालकों की समस्याओं पर लगातार निगरानी रखी जा सके ।

प्रो० रूप चन्द पाल : बाल श्रम को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं लेकिन रोजाना इनका उल्लंघन किया जा रहा है । इस देश में लाखों बच्चों को उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है । उन्हें उनकी उचित मजदूरी से भी वंचित किया जा रहा है । कभी-कभी खास तौर से माचिस, खान जैसे उद्योगों में उनका जीवन भी सुरक्षित नहीं होता । खानों में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों से भी काम कराया जा रहा है । हीरा पालिश व्यापार में कम उम्र के बच्चों से काम लिया जा रहा है । क्या यह सच नहीं है कि उनके अंधे हो जाने की बात भी बताई गई है ? इस बात के परिप्रेक्ष्य में क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय को इस बात का स्मरण करा सकता हूं कि गत वर्ष जुलाई में इस सदन में माननीय श्रम मन्त्री ने इस बात का आश्वासन दिया था कि बच्चों की स्थिति, उनकी नौकरी की नियमित रूप से जांच करने के लिए एक सेल बनाया जा रहा है जिससे इस बात की निगरानी की जा सके कि इन बेईमान व्यापारियों द्वारा इन बच्चों का शोषण न हो । क्या उस सेल की स्थापना कर दी गई है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : 1979 में उस सेल की स्थापना की गई थी और तब 1979 में श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी की अध्यक्षता में बाल श्रम के संबंध में एक समिति गठित की गई थी । समिति ने दिसम्बर 1979 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी । समिति ने 23 सिफारिशें की थी । शक्ति प्राप्त समिति द्वारा सिफारिशों की छंटनी करने के पश्चात 23 सिफारिशों में से उन 22 सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली थीं । उन सिफारिशों के निष्कर्ष के रूप में बाल श्रम के संबंध में एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है । इसकी अनेक बैठकें आयोजित की गई हैं । बच्चों के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर 1981 में प्रस्तुत किए जाने की आशा है ।

प्रो० रूप चन्द पाल : क्या उन बच्चों का इलाज करने अथवा नउकी हालत में सुधार लाने के लिए कोई योजना विचाराधीन है, जो उन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप जिनमें कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया था, बीमार हो अथवा जिनकी आंखों को क्षति पहुंची अथवा जो अपंग हो गए ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत किसी बच्चे को खानों में काम पर नहीं लगाया जाता है । लेकिन यदि ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो मैं उस पर विचार करूंगी ।

डा० कर्ण सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाल श्रम अधिनियम जम्मू और काश्मीर राज्यों में भी लागू होता है ? जम्मू और कश्मीर के कालीन उद्योग में हजारों बच्चे अत्यंत अस्वास्थ्यकर और कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वहां अधिनियम लागू होता है और, यदि नहीं तो क्या इस

अधिनियम के प्रावधानों को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार को समझाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : सरकार जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार से इस बात का अनुरोध करेगी कि वह इस अधिनियम को अपने राज्य में लागू करे।

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) : सदन के उस कोने में एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर अनवरत परामर्श जारी है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें, केवल सदन की कार्यवाही की जानी है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि बाल श्रम अधिनियम प्रदेशों में शक्ति से लागू होता है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्या आप कोई नए कदम उठाएंगी ? क्या आप इस बात को महसूस करती हैं कि जो छोटे-छोटे बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है ? क्या उन बच्चों को ऐसी जगह से बचाकर कुछ ऐसे धन्धे खोलकर उन्हें लगाने का विचार है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर न पड़े ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का सुझाव कबूल कर लीजिए।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : 15 वर्ष के नीचे के बच्चों को हैजर्ड अस(Hazardous)आकूपेशन में नहीं रखने का प्रावधान है। इस सिलसिले में हमारे पास कोई भी कम्पलेंट ऐसी नहीं आई है कि इस तरह के माइन्स में बच्चों की बहाली होती है। लेकिन जहां तक लाइट वर्क का ताल्लुक है, वहां 12,12 बरस के छोटे बच्चे काम करते हैं और उनके वैलफेयर के सम्बन्ध में सरकार के पास कानूनी प्रावधान है। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, उनको कहा गया है और कहा भी जाएगा कि वे सख्ती से इन कानूनों का पालन करें।

श्री दिग्विजय सिंह : गुजरात राज्य में सूरत और भावनगर दो जिले हैं जहां 20,000 के लगभग बच्चे हीरा-पालिश उद्योग में कार्य करते हैं। ऐसी शिकायत है कि ये बच्चे, 20 वर्ष की आयु के होते-होते अंधे हो जाते हैं। क्या इन बच्चों को उनकी आंखें समाप्त होने से बचाने के लिए कोई कार्यवाही करने की सरकार की योजना है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : सरकार मामले की जांच कराएगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा नियुक्त की गयी पुनरीक्षा समिति

*252. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा किसी पुनरीक्षा समिति की नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और यह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी;

(ग) क्या उक्त समिति को किसी केन्द्रीय श्रमिक संगठन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति में 13 सदस्य (अध्यक्ष सहित) हैं। इसका विचारार्थ विषय कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कार्यप्रणाली, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं को लागू करने के विशेष संदर्भ में, समीक्षा करना और यह सिफारिश करना है कि इसमें कैसे सुधार किया जाए। यह समिति कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंशदानों की बकाया राशि की स्थिति की भी पुनरीक्षा कर सकती है और भविष्य में ऐसी बकाया राशि को वसूल करने तथा उसके संचयन को रोकने के लिए उपायों का सुझाव दे सकती है। आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1981 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी।

(ग) जी हां।

(घ) समिति को अभी तक इंटक, एटक, हिन्द मजदूर सभा और भारतीय मजदूर संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो देश के करोड़ों मजदूरों पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक सुरक्षा उपायों जैसे इस मामले में जो पुनरीक्षा समिति गठित की गई है वह प्रतिष्ठापित त्रिपक्षीय सिद्धान्त के आधार पर गठित नहीं की गई है, यह कैसे हुआ है? यह कैसे हुआ कि त्रिपक्षीय सिद्धान्त को छोड़ दिया गया है? यह कैसे हुआ कि इस तरह के मामले में एक ऐसी समिति गठित की गई है जिसमें मुख्य केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को अथवा नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को को भी शामिल नहीं किया गया है? जो लोग इस कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंशदान दे रहे हैं, उनके प्रतिनिधियों को उस पुनरीक्षा समिति में शामिल नहीं किया गया है जिसमें मुख्यतः सरकारी अधिकारी हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंटक) के एक प्रतिनिधि को समिति का सभापति बनाया गया है। परन्तु त्रिपक्षीय सिद्धान्त की पूर्णरूप उपेक्षा कर दी गई है। मैं जानना चाहूंगा कि इस तरीके से ऐसा क्यों किया जा रहा है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : आपके तथा अन्य केन्द्रीय मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के संगठनों से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और आपकी आवास समिति द्वारा की गई आपत्तियों और दिए गए सुझावों पर तथा मौखिक साक्ष्यों पर भी इस सम्बन्ध में विचार किया जाएगा और इस तरह उसमें किसी भी राजनीतिक दल को वंचित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत में इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में इन्जीनियरों और तकनीशियनों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना

*243. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में इलैक्ट्रॉनिक्स में इन्जीनियरों और तकनीशियनों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं बनाई हैं,

(ख) क्या उन तकनीशियनों के लिए भी योजनाएं बनाई गयी हैं जो इलैक्ट्रानिकी में आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विदेशों से वापस आने के इच्छुक हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) जी हां। इलैक्ट्रॉनिकी विभाग पिछले अनेक वर्षों से इलैक्ट्रॉनिकी के व्यापक क्षेत्रों में हमारे इन्जीनियरों तथा तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों को काफी महत्त्व देता आ रहा है। विवरण-I में जनशक्ति-विकास के उन कार्यक्रमों की सूची दी गई है जिन्हें इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने इलैक्ट्रॉनिकी आयोग की प्रौद्योगिकी विकास परिषद के माध्यम से विभिन्न संस्थानों को अनुदान आदि देकर शुरू किया है। इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने अब तक ऐसे कार्यक्रमों पर कुल 3.2 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया है। इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने विशेष महत्त्व की जिस परियोजना के लिए धनराशि प्रदान की है वह है भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर स्थित इलैक्ट्रॉनिक डिजाइन प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी० ई० डी० टी०) में 31 लाख रुपये की लागत से चलाया गया कार्यक्रम। इस परियोजना के जरिये इलैक्ट्रॉनिक उपस्करों के डिजाइन (अभिकल्पन) तथा उनकी संरचना के बारे में उद्योग तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं से आने वाले इन्जीनियरों व तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें समसामयिक डिजाइन-तकनीकों व आधुनिक उत्पादन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा। इस परियोजना के फलस्वरूप हमारे इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग को अनेक प्रकार से लाभ पहुँचा है। इस बात को स्वीकार करते हुए योजना आयोग ने छठी योजना के दौरान कुल 2.5 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश से उत्तरी, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में इसी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी० ई० डी० टी०) स्थापित करने के लिए इलैक्ट्रॉनिकी विभाग को अपना अनुमोदन प्रदान किया है। इलैक्ट्रॉनिक डिजाइन प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी० ई० डी० टी०) कार्यक्रम के अलावा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग की छठी योजना में इलैक्ट्रॉनिकी के अनेक उन्नत क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहायता देने की दृष्टि से कुल 6 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

देश के अन्दर जनशक्ति को लक्ष्य करके चलाए जाने वाले इन कार्यक्रमों के अलावा, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने "राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी अध्येतावृत्ति—विदेशों से वैज्ञानिकों/इंजीनियरों की वापसी"

नामक एक योजना भी बनाई है जिसके अन्तर्गत विदेशों में रह रहे हमारे उन वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों को तकनीकी सूचना तथा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है जो यहां उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। विदेश से वापस आने वाले भारतीयों को पूंजीगत वस्तुओं तथा खपत योग्य वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में आयात नीति के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं। एक प्रोत्साहन अभिमुख यन्त्रेतर (सॉफ्टवेयर) निर्यात सम्वर्द्धन नीति भी बनाई गई है तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने 2 जनवरी, 1981 को उसकी घोषणा भी कर दी है। इस नीति का एक खास पहलू यह है कि विदेशों से वापस आने वाले हमारे वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों को ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है :

विवरण

इलैक्ट्रानिकी विभाग का जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र० सं०	इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र	सम्बन्धित संस्थान का नाम	अवधि	पूंजी-निवेश (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	सेमीकंडक्टर एकीकृत परिपथ	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	3 वर्ष	3.39
2.	कम्प्यूटर प्रणालियां	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय, हैदराबाद	2 वर्ष	2.35
3.	विशेष सेमीकंडक्टर युक्तियां तथा विशिष्ट किस्म के सेमीकंडक्टर एकीकृत परिपथ	भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपुर	4 वर्ष	15.00
4.	कम्प्यूटर पर आधारित सूचना प्रणालियां	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद	5 वर्ष	8.00
5.	खनन इलैक्ट्रॉनिकी	उड़ीसा इन्जीनियरी विद्यालय, कटक	4 वर्ष	9.47

1	2	3	4	5
6.	खनन इलैक्ट्रॉनिकी	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	4 वर्ष	9.90
7.	माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित प्रणालियों का डिजाइन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	3 वर्ष	15.90
8.	इन्जीनियरी महाविद्यालयों में माइक्रोप्रोसेसर से संबंधित शिक्षा का प्रारंभ	समुचित स्वचलन संवर्धन प्रयोगशाला (ए. ए. पी. एल.), इलैक्ट्रॉनिकी आयोग (स. आ. वि. दल.), नई दिल्ली	1 वर्ष	9.80
9.	प्रकाशीय इलैक्ट्रॉनिकी	कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता	5 वर्ष	9.80
10.	अंकीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई	2 वर्ष	8.15
11.	विद्युत क्षेत्र के लिए माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित प्रणालियां	बंगाल इन्जीनियरी कॉलेज, हावड़ा	3 वर्ष	6.00
12.	इलैक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	हैदराबाद विज्ञान संस्था हैदराबाद	1 वर्ष	1.70
13.	इलैक्ट्रॉनिकी के लिए थाइरिस्टर-नियन्त्रण उपस्कर	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1 वर्ष	7.73
14.	इलैक्ट्रॉनिकी डिजाइन प्रौद्योगिकी केन्द्र	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	6 वर्ष	30.78
15.	माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) अंकीय नियन्त्रण	क्षेत्रीय इन्जीनियरी महाविद्यालय, वारंगल	2 वर्ष	1.34

1	2	3	4	5
16.	परिवहन योग्य माड्यूलर मशीन-प्रायोगिक विज्ञान तथा इन्जीनियरी पाठ्यक्रम के लिए स्वतन्त्र शिक्षण कार्यक्रम	तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़	3 वर्ष	1.99
17.	सूक्ष्मतरंग प्रोद्योगिकी	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	5 वर्ष**	19.52
18.	अन्तर्जलीय इलैक्ट्रानिकी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	5 वर्ष	36.80
19.	***तटीय समुद्र में ध्वनि-सम्प्रेषण	भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर	5 वर्ष	37.42
20.	***रेखिक बीम उच्चशक्ति सूक्ष्मतरंग ट्यूब (लीनियर बीम हाई पावर माइक्रोवेव ट्यूब)	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	5 वर्ष	88.14
			कुल	323.18

*सितम्बर, 1980 में पूरा हुआ।

**जुलाई, 1981 में पूरा हुआ। तीन और वर्षों के लिए परियोजना बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

***इन परियोजनाओं में अनुसंधान तथा विकास कार्य के अतिरिक्त जनशक्ति प्रशिक्षण का कार्य भी शामिल है।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि का इकट्ठा होना

*247. **श्री एच० एन० नन्जेगौडा**
श्री के० लकप्पा } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान भविष्य निधि की बकाया धनराशि ने पिछले सभी रिकार्ड और सीमाएं तोड़ दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ; और

(ग) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा न्यास मंडल के तत्कालीन चेयरमैन के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान, इतनी अधिक वकाया धनराशि के इकट्ठा होने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) और (ख) यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन निधि और कर्मचारी जमा-सम्बद्ध बीमा निधि के अंशदानों, प्रशासनिक प्रकारों और अन्य वकाया राशि के कारण कुछ नियोजकों से बहुत अधिक धनराशि वकाया है। ये बकाया राशि मुख्य रूप से औद्योगिक यूनिटों की रुग्णता, प्रतिष्ठानों के बन्द होने, कम्पनियों के परिसमापन आदि के कारण इकट्ठी हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सोभराज रूल्स तिहाड़ जेल, शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*252. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" (दिल्ली संस्करण) में "सोभराज रूल्स तिहाड़ जेल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि तिहाड़ केन्द्रीय जेल में बन्द अन्तर्राष्ट्रीय कुख्यात चार्ल्स सोभराज ने कैदियों को डरा धमका कर तथा जेल के अधीक्षक और उसके उप-अधीक्षक को ब्लैक मेल करके जेल में आतंक फैलाया हुआ है ;

(ख) क्या इस समाचार में प्रकाशित सूचना सही है ; और

(ग) यदि हां, तो तिहाड़ जेल में इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) जी हां श्रीमान। सरकार को तिहाड़ जेल के सम्बन्ध में कुछ अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। इनकी जांच की जा रही है।

पर्यावरण नियन्त्रण के सम्बन्ध में राज्यों को निदेश

*254. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को पर्यावरण नियन्त्रण के बारे में कारगर कदम उठाने के सम्बन्ध में निदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधानमन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1980 में प्रधानमन्त्री ने पर्यावरणीय नियन्त्रण तथा हमारे पर्यावरण के संरक्षण से सम्बन्धित अनेक सुझाव देते हुए सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को सम्बोधित किया।

निर्माण और आवास मन्त्रालय ने सभी राज्यों के उद्योग विभागों को अनुदेश जारी किए हैं कि नये उद्योग चालू करने से पहले अपने-अपने बोर्डों से टिप्पणियां तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाएं।

(ग) अधिकांश राज्यों ने मुख्यमन्त्री, मंत्रियों की अध्यक्षता में पर्यावरणीय मामलों से सम्बन्धित अपनी सरकारों को सलाह देने के लिए राज्य पर्यावरण समितियों का गठन किया है। राज्य सरकारें वृक्षों की कटाई पर नियन्त्रण करने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए तथा सामाजिक वानिकी का विस्तार करने के लिए भी उपाय कर रही है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने पर्यावरण विभागों का गठन कर दिया है।

राज्य सरकारें वन्य-जीवन (सुरक्षा) अधिनियम को कार्यान्वित कर रही है। वनस्पतिजात और प्राणिजात की प्राकृतिक परम्परा की रक्षा करने के लिए लगभग 220 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की स्थापना की जा चुकी है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में वनों को गैर-वनिक प्रयोजनों के लिए परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा तथा पांच उत्तर-पूर्वी पहाड़ी राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्य सरकारों ने जल अधिनियम, 1974 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए जल-प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण के लिए बोर्डों की स्थापना की है। सभी नये उद्योगों को राज्य-बोर्डों से लाइसेंस प्राप्त करने के स्तर पर अनापत्ति-प्रमाणपत्र प्राप्त करने होते हैं और उद्योगों को स्थापित करने से पूर्व बहिस्राव के विसर्जन के लिए सहमति आदेश प्राप्त करने होते हैं। इन बोर्डों को वायु (प्रदूषण में निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 को कार्यान्वित करने के लिए भी जिम्मेदारी दी गई है।

छठी योजना में उद्योगोंके क्षेत्रीय विकास के लिए कार्यक्रम

*255. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के क्षेत्रीय विकास के लिए भारत सरकार के कोई कार्यक्रम हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल सरकार की यह शिकायत रही है कि केन्द्रीय सरकार राज्य में अपने उद्योगों में पर्याप्त निवेश नहीं कर रही है ; और

(ग) उन शिकायतों पर भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। छठी पंचवर्षीय

योजना में औद्योगिक विकास की गति में क्षेत्रीय असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करने की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद की अगस्त, 1980 में हुई बैठक में तथा उद्योग मन्त्रियों के फरवरी, 1981 में हुए सम्मेलन में केरल के मुख्यमन्त्री और उद्योग मन्त्री ने केरल में पर्याप्त निवेश न किए जाने का उल्लेख किया था।

मार्च 1972 से मार्च 1980 के दौरान केरल में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में सकल ब्लाक निवेश का मूल्य 137.10 करोड़ रुपये से बढ़कर 4 2.84 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा, छठी योजना में केरल, में औद्योगिक एवं खनिज परियोजनाओं पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के निवेश को 255.75 करोड़ रुपये तक कर देने का प्रस्ताव है।

नए छोटे सीमेंट संयन्त्र लगाने के लिए मार्ग निर्देश

* 256. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति**
श्री के० मालन्ना } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए लघु सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने के लिए कोई मार्गनिर्देश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां तो, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे लघु सन्यन्त्र किन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां।

(ख) विस्तृत विवरण दिनांक 3 जुलाई 1981 के प्रेस नोट में दिया गया है, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ;

(ग) मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के प्रस्तावों पर आशय-पत्रों की स्वीकृति देने अथवा तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास पंजीकरण करने के लिए' विचार किया जाएगा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2770/81]

पर्यावरण सम्बन्धी मामलों में विदेशों के साथ कार्यकलापों का आदान-प्रदान

*257. **श्री एस० बी० सिदवाल** : क्या प्रधान मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आपसी हित और लाभ के लिए विदेश से पर्यावरण सम्बन्धी मामलों में जानकारी, विशेषज्ञों तथा सम्बन्धित कार्यकलापों के आदान-प्रदान के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उन प्रस्तावों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई योजना तैयार की गई है तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) विदेशों से इस प्रकार के प्रस्ताव समय-समय पर प्राप्त हो रहे हैं।

(ख) पर्यावरणीय मामलों से सहयोग के लिए यू० एस० ए०, फ्रांस तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) से द्विपक्षीय प्रबन्ध विद्यमान हैं। यू० एस० ए० ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध भारत-अमरीकी उप-आयोग के अधीन भारत-अमरीकी कार्यशालाओं में भाग लिया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा भारत ने एक संयुक्त कार्य-निरूपण समिति का गठन किया जिसकी बैठक हुई और जिसने निर्णय किया कि पर्यावरण तथा दूर सम्वेदन से सम्बन्धित एक कार्यकारी दल की स्थापना की जाए। कार्यकारी दल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सूचना-आंकड़ों तथा अनुभव की सांझेदारी के लिए सिफारिशें की। फ्रांस के साथ सहयोग के कार्यक्रम के फलस्वरूप पर्यावरण का विषय-विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भारत फ्रांसीसी कार्यक्रम में शामिल किया गया था।

(ग) भारत-अमरीकी कार्यशालाओं के अनुसरण में कुछ अनुसंधान परियोजनाओं का अभिनिर्धारण किया गया। जिनमें संयुक्त अनुसंधान, सूचना का आदान-प्रदान तथा विशेषज्ञों का आदान-प्रदान शामिल था।

बस्ती जिले के खलीलाबाद में कागज के कारखाने की स्थापना

259. *श्री कृष्णचन्द्र पांडे
श्री सज्जन कुमार } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कागज उद्योग के लिए अपेक्षित सभी कच्चा माल उपलब्ध है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार बस्ती जिले के खलीलाबाद में कागज का कारखाना स्थापित करने की योजना तैयार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक किया जाएगा और इसमें उत्पादन कब शुरू होगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कागज की छोटी मिलों की सहायता के लिए काफी मात्रा में कृषि के बचे हुए पदार्थ उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमेंट की आवश्यकता

* 260. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले चार वर्षों के लिए सीमेंट की प्रत्याशित आवश्यकता कितनी है;

(ख) देश में इस समय सीमेंट के उत्पादन की प्रतिस्थापित क्षमता कितनी है;

(ग) इस समय कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जा रही है;

(घ) सरकार का वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में सीमेंट का आयात करने का विचार है; और;

(ङ) इस सम्बन्ध में भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) योजना आयोग द्वारा 1981 से 85 तक के 4 वर्षों के लिए नियुक्त सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा आंकी गई सीमेंट की मांग को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) 1. 8. 1981 को सीमेंट उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता 284.30 लाख मीटर टन थी ।

(ग) वर्ष 1981-82 में 47.0 लाख मी० टन अतिरिक्त क्षमता स्थापित किए जाने की आशा है ।

(घ) सरकार ने वर्ष 1981-82 में 20 लाख मी० टन सीमेंट के आयात को प्राधिकृत किया है ।

(ङ) सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1984-85 तक सीमेंट आसानी से उपलब्ध होने लगेगा ।

विवरण

सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार अगले चार वर्षों में अर्थात् 1981 में 85 तक सीमेंट की आवश्यकता निम्न प्रकार है :

वर्ष	मांग (दस लाख मी टनों में)
1981-82	30.22
1982-83	32.64
1983-84	35.25
1984-85	38.07

केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर आये भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी

* 261. डा कृपा सिन्धु भोई : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की संख्या क्या है जो केन्द्रीय सरकार में छः वर्ष से अधिक से प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) सरकार की नीति के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी केन्द्रीय सरकार में एक साथ कितनी अधिकतम अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर सकते हैं; और

(ग) उन भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों को राज्यों में वापस भेजने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी जिनकी केन्द्र प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि पूरी हो गई है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : 1.8. 1981 को केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए 685 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों में से केवल 35 अधिकारियों (विदेश नियुक्ति पर गए अधिकारियों को छोड़कर) को केन्द्रीय सरकार में 6 वर्ष से अधिक हो गए हैं।

(ख) तथा (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य संगठित केन्द्रीय समूह (क) सेवाओं के अधिकारी केन्द्र में अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पदों पर नीचे निर्दिष्ट की गई निर्धारित कार्य अवधियों के लिए कार्य करते हैं :—

(1) अवर-सचिव के स्तर के पद	3 वर्ष
(2) उप सचिव के स्तर के पद	4 वर्ष
(3) निदेशक तथा उससे ऊपर के पद	5 वर्ष

उनकी कार्यावधियों की समाप्ति पर सामान्यतया अधिकारियों को उनके सम्बन्धित राज्यों/संवर्गों में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। किन्तु सरकारी कार्य की अत्यावश्यकताओं तथा प्रशासनिक कारणों से उनकी कार्यावधियों को घटाया-बढ़ाया जा सकता है।

बदरपुर में भट्टी खानों में काम कर रहे मजदूर

2401. श्री भीखूराम जैन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदरपुर की भट्टी खानों में कितने मजदूर काम करते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि वहां पर खनन गतिविधियां रात्रि को भी चलती हैं और श्रमिकों को खानों में नीचे जाना पड़ता है परन्तु रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कुछ बेईमान लाइसेंसधारी चोरी छिपे खनन गतिविधियों में संलग्न हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि ठेकेदार प्राय: कोई कर अदा नहीं करते और दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम को राजस्व की भारी हानि होती है;

(ङ) क्या यह भी सच है क्षेत्र में सड़कों तथा गलियों में रोशनी नहीं है और अनेक लाइसेंस-धारियों को तीन से चार खानें आवंटित हैं;

(च) क्या सरकार का विचार बदरपुर की भट्टी खानों में खनन गतिविधियों को अपने अधिकार में लेने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : दिल्ली प्रशासन ने निम्न-लिखित सूचना भेजी है :—

(क) भट्टी खानों में लगभग 3000 श्रमिक नियोजित हैं।

(ख) खनिज पदार्थों को निकालने का काम दिन के समय किया जाता है। तथापि, खनिज पदार्थों का लदान केवल पिट-हैड से चौबीस घण्टे किया जाता है।

(ग) खनन क्षेत्रों में लाइसेंस केवल प्राधिकृत लाइसेंस धारियों को दिया जाता है।

(घ) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम खनिज पदार्थ ले जाने वाले वाहनों से चैक पोस्ट पर रायल्टी और विक्रय-कर एकत्र करता है। चैक-पोस्ट पर नियुक्त किया गया निरीक्षण स्टाफ द्वारा राजस्व की चोरी रोकी जाती है।

(ङ) जी नहीं।

(च)और(छ)दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने जो एक सरकारी उपक्रम है, पहले ही इन खानों को अपने अधिकार में ले लिया है।

भूतपूर्व अण्डमान राजनीतिक बंदी बन्धुत्व सर्किल का ज्ञापन

2402, श्री आर० के० महालगी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान में "सेलुलर जेल" के बारे में कुछ सुझावों के बारे में भूतपूर्व अण्डमान राजनीतिक बन्दी बन्धुत्व सर्किल के अध्यक्ष की दिनांक 24 नवम्बर, 1980 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिए गये सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि इस ज्ञापन में दिए गए सभी सुझावों को कार्यान्वित किया जाए तो इस पर कितना व्यय होगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) भूतपूर्व अण्डमान राजनैतिक कैदी भ्रातृत्व सर्कल ने अपने 21 नवम्बर, 1980 के पत्र में व्यापक रूप से निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

(1) स्कन्ध नम्बर 1, जिसमें इस समय जिला जेल है, तुरन्त खाली किया जाए।

(2) वर्तमान संग्रहालय की दशा अच्छी नहीं है और इसमें सुधार किया जाये, जहां कोई पुस्तकालय अथवा अनुसंधान यूनिट नहीं है यह स्थापित की जाय और इस संग्रहालय में स्वतन्त्रता सेनानियों के अलावा व्यक्तियों के चित्र हैं जिन्हें हटाया जाये।

(3) एक यात्री विश्राम गृह का निर्माण किया जाए।

(4) उपयुक्त रख-रखाव कर्मचारी नियुक्त किये जाएँ।

(5) युवा पीढ़ी में स्मारक को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जाये।

2. सेलूलर जेल के स्कन्ध नम्बर 1 को जिला जेल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर में एक नया कम्पलेक्स बनाने और इस विंग से जिला जेल को वहां ले जाने का प्रस्ताव है। नये जेल कम्पलैक्स का निर्माण होने तक जिला जेल को वर्तमान परिसर में ही रखना पड़ेगा।

3. अण्डमान व निकोबार प्रशासन ने अपने एक अधिकारी को अनुदेश दिए हैं कि वह भारत का राष्ट्रीय पुरातत्व, नई दिल्ली में उपलब्ध सामग्री से दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची तैयार करे। इसको पूरा करने और सम्बद्ध सामग्री का पता लगाने के बाद फोटो प्रतियां/माइक्रो फिल्म तैयार की जायेंगी और सेलूलर जेल के संग्रहालय, पुस्तकालय में रखी जायेंगी। जहां तक उन शहीदों के फोटोग्राफ लगाने का सम्बन्ध है, जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध में सेलूलर जेल में जापानियों के हाथों यातना सही थी, अण्डमान व निकोबार प्रशासन ने स्थानीय भावनाओं को ध्यान में रखकर मुख्य-भूमि के राजनैतिक कैदियों के साथ उनके फोटोग्राफ लगाने का निर्णय किया है। इन द्वीपों के संसद सदस्य ने अण्डमान व निकोबार प्रशासन के इस निर्णय की सराहना की थी।

4. भूतपूर्व अण्डमान राजनैतिक कैदी भ्रातृत्व सर्कल ने इच्छा व्यक्त की है कि सेलूलर जेल के सामने जिस भवन का प्रयोग इस समय जेल वार्डरों के आवासीय क्वार्टरों के रूप में किया जा रहा है; उसे एक यात्री विश्रामगृह में बदल दिया जाए। प्रस्तावित नये जेल कम्पलैक्स का निर्माण होने और जेल वार्डरों को इस कम्पलैक्स में भेजे जाने के बाद इस सुझाव पर विचार किया जायेगा। इसी प्रकार सेलूलर जेल भवन के लिए अलग रख-रखाव कर्मचारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में वर्तमान जिला जेल अधीक्षक जो सेलूलर जेल के सारे भवन के रख-रखाव की देखभाल भी कर रहे हैं; प्रस्तावित नये जेल कम्पलैक्स में भेजे जाने के बाद विचार किया जायेगा।

5. अण्डमान व निकोबार प्रशासन ने सेलूलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का इतिहास आरम्भ करके और उसको विशेष महत्व देकर उस पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इन द्वीपों के बारे सूचना देने के लिए अण्डमान व निकोबार प्रशासन द्वारा नियुक्त सामान्य जनसम्पर्क माध्यमों के जरिये यह पुस्तिका वितरित की जा रही है।

6. सेलुलर जेल के स्कन्ध नंबर I को खाली करने के उद्देश्य से नये जेल कम्पलैक्स के निर्माण की अनुमानित लागत 1.63 करोड़ रुपये है। अन्य सुझावों के कार्यान्वयन की वित्तीय कठिनाइयों के बारे में ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

"बिग रैकेट इन स्टील अनएर्थड" शीर्षक

2403. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अप्रैल 1981 के "टाइम्स आफ इण्डिया" नई दिल्ली में बिग रैकेट इन स्टील अनएर्थड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हाँ, तो संगठित घोटाले का विस्तृत ब्यौरा क्या है और इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) दोषी फर्मों और दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजोत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार नई दिल्ली जिला पुलिस के विशेष सैल द्वारा दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम कार्यालय परिसर के बाहर श्री कश्मीरी लाल को 10-3-1981 को गिरफ्तार किया था। कनाट प्लेस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420/568/471 के तहत एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था।

(ग) जांच के बाद पुलिस ने दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को यह सूचना दे दी थी कि उक्त मामले का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का सुझाव नहीं दिया है।

डाटा प्रोसैसिंग विभाग के कम्प्यूटीकरण के बारे में जनगणना कर्मचारियों द्वारा विरोध

2-03. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना कर्मचारी डाटा प्रोसैसिंग विभाग के कम्प्यूटीकरण किए जाने के सख्त विरोधी हैं क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर छंटनी करनी होगी और यह विभाग के नियमित कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर को प्रभावित करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अखिल भारतीय जनगणना संघ के कर्मचारियों ने छटनी और पदोन्नति के अवसर समाप्त होने के सम्बन्ध में आशंकाएं व्यक्त की हैं, परन्तु जनगणना आंकड़ों के संगणकीकरण की योजना में संचालकों, पर्यवेक्षकों, इत्यादि के रूप में कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में कार्मिकों और अपेक्षित अर्हता तथा अनुभव रखने वाले जनगणना कर्मचारियों के सृजन की परिकल्पना की गई है, और इन्हें इन पदों पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जायेगा। अतः संगणकीकरण के परिणामस्वरूप जनगणना कर्मचारियों को छटनी और उनकी पदोन्नति के आधार को नुकसान होने का कोई प्रश्न नहीं है और संघ के प्रतिनिधियों को यह सूचित कर दिया गया है कि उनकी आशंकाएं निराधार हैं।

सिगरेटों का उत्पादन

2406. **श्रीमती संयोगिता राने** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिगरेट का वार्षिक कितना उत्पादन होता है और उसका मूल्य क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या अनेक देशों में इस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1978 में उत्पादन 70,9130 लाख सिगरेटें थीं जिनका मूल्य लगभग 156 करोड़ रु० था। वर्ष 1980 में उत्पादन 85350 लाख सिगरेटों तक पहुंच गया है।

(ख) सरकार को ठीक-ठीक जानकारी नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

महर्षि योगी के शिविर में भाग लेने वाले विदेशी

2407. **आचार्य भगवान देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बहादुरशाह जफर मार्ग में "इंडियन एक्सप्रेस" बिल्डिंग में तथाकथित महर्षि महेश योगी द्वारा आयोजित "साधना शिविर" में कितने विदेशी राष्ट्रिकों ने भाग लिया था और उन्होंने कितने दिन भाग लिया था;

(ख) क्या भारत सरकार ने उन्हें अनुमति दी थी और उन्हें भारतीय मुद्रा उपलब्ध कराई थी ताकि वे साधना शिविर में भाग लेने के बाद अपने भोजन और निवास के लिए व्यवस्था कर सकें; और

(ग) क्या कुछ ऐसे तथ्य सरकार के नोटिस में आए हैं कि इनमें बहुत से विदेशी व्यक्ति विदेशी आसूचना एजेन्सियों से सम्बद्ध थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बताया जाता है कि लगभग 3000 विदेशियों ने भिन्न-भिन्न समय के लिए शिविर में भाग लिया था जो नवम्बर, 1980 से मई 1981 तक चला था ।

(ख) उन देशों के नागरिक जिन्हें भारत में आने के लिए वीसा की आवश्यकता होती है, भारत के विभिन्न मिशनों से वीसा प्राप्त करके आए थे । देश में आने वाले अन्य पर्यटकों के समान, इस शिविर में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए अपने आवास और भोजन के खर्च के वास्ते विदेशी मुद्रा जो उन्होंने भारत में प्रवेश के समय विधिवत घोषित की थी, के भारतीय मुद्रा में विनिमय की सुविधा उपलब्ध थी ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

नागालैण्ड के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं

2408. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने नागालैंड के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) इस प्रकार की योजनाओं का एक विवरण संलग्न है ।

नागालैण्ड के आर्थिक विकास के लिए उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा प्रायोजित योजनाएं

(क) चालू योजनाएं

1. कृषि और संबद्ध योजनाएं

(क) मंगेलू केवमेंट क्षेत्र के लिए भूमि उद्धारोत्तर सहायता ।

(ख) वाटरशेड प्रबन्ध कार्यक्रम ।

(ग) सर्वेक्षण जांच और योजना एकक की स्थापना ।

(घ) क्षेत्रीय आलू बीज फार्म फैडरेशन हेलीपोंग ।

(ङ) नींम्बू वंश के फलों के लिए लोगनाक में क्षेत्रीय फलोद्यान एवम् रोपण क्यारी ।

(च) काफी रोपण क्यारी ।

(छ) कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

2. मछली पालन

क्षेत्रीय मछली बीज फार्म, तेजमा ।

3. जल और विद्युत विकास

कोपली विद्युत की सप्लाई के लिए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ।

4. रेशम उत्पादन

(क) ओक-तसार के लिए तन्तुवयन एवं प्रशिक्षण केन्द्र ।

(ख) शहतूत रोपण क्यारी की स्थापना ।

(ग) ओक तसार बीज कृषि कोष के परिरक्षण की योजना ।

5. परिवहन और संचार

(क) नाम तल्ला मन सड़क

(ख) अमगूरी—मोकोकतुग सड़क

(ग) मीरापानी वोरवा सड़क

(घ) कोहिमा लेईका लाईसग सड़क ।

(ङ) तादोबी पफुटसीरी छेतोबा सड़क का सुधार (नागालैंड का क्षेत्र)

(च) कृषि महाविद्यालय के लिए सम्पर्क सड़क ।

6. जनशक्ति

(क) फैलोशिप और अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(ख) रेशम उत्पादन में कार्मिकों को प्रशिक्षण ।

(ख) नई योजनाएं

1. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम

(क) आलू उत्पादन के लिए फाउंडेशन बीजों का विस्तार

(ख) बागवानी फसलों का उत्पादन ।

(ग) टी डिमोंस्ट्रेशन प्लांट।

(घ) कॉफी के लिए उपयुक्त भूमि का सर्वेक्षण और सीमांकन।

(ङ) कॉफी के लिए शेड ट्री शोडलिंग नर्सरी खोलना।

(च) रबड़ के लिए वड उड नर्सरियां।

(छ) रीजनल एक्जोटिक बीफ केरल क्रास बोडिंग फार्म।

(ज) बोईलर चूजा उत्पादन उप-स्टेशन

(झ) मछली पालन करने वाले किसानों और अधिकारियों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

1. उद्योग और खान

(क) बोरजन कोयले का विस्तृत विस्तार और परीक्षण।

(ख) 50 टी० पी० डी० लघु सीमेंट प्लांट वाजिहों की स्थापना।

3. रेशम उत्पादन

अम्बर चर्खा यूनिट

4. परिवहन और संचार

(क) पिशो-जेफ्यू मोइलन-मोल्हा सड़क।

(ख) पुगरी-मीया-निमी सड़क

(ग) लेईका-एमूकडिया सड़क।

5. रेलवे

(क) अमगूर तुली

(ख) दीमापुर से चेमकुडिया नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण।

6. पूर्ण की गई योजनाएं

1. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम—क्षेत्रीय पहाड़ी पशु गर्भाधान फार्म।

2. जल और विद्युत विकास—दो स्थानों में माईक्रो हाइड्रिल अनुसंधान।

(3) रेशम उत्पादन—(क) ओक तासर का सर्वेक्षण और परीक्षण करना।

(ख) उत्पादोन्मुखी समग्र पाईलट विस्तार केन्द्र।

लाइफबॉय साबुन

2409. **श्री सुबोध सेन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि यूवी-लीवर, ब्रिटेन की एक सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर द्वारा उत्पादित लाइफबॉय साबुन एक लाण्डरी साबुन है अथवा नहाने का साबुन है,

(ख) यदि हां, तो इस अज्ञानता के लिए क्या कारण है;

(ग) क्या उनका ध्यान हिन्दुस्तान लीवर द्वारा समय-समय पर लाइफबॉय के वजन में की गई भारी कमी की ओर दिलाया गया है, यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या उनका ध्यान हिन्दुस्तान लीवर द्वारा समय-समय पर लाइफबॉय के टी० एफ० एम० तत्व में भारी कमी किए जाने की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या हिन्दुस्तान लीवर ने लाइफबॉय के शुद्ध वजन को माप के प्रयोजन हेतु 20 प्रतिशत अथवा अधिक सीलन का दावा किया है; और

(च) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सांख्यिकीय और उत्पादन शुल्क के भुगतान संबंधी दोनों उद्देश्यों के लिए लाइफबॉय को टायलेट साबुन कहा जाता है।

(ग) और (घ) नाप और तौल (पैक की गई वस्तुएं) अधिनियम 1977 के मानकों के उपबंधों के अन्तर्गत एक उत्पादक को 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 85 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम और 150 ग्राम वजन की टायलेट साबुन की टिकियां बनाने का विकल्प है। वर्तमान में लाइफबॉय (पैक करते समय) 150 ग्राम की टिकिया के रूप में बेचा जाता है।

भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिह्न योजना स्वैच्छिक होती है। मे० हिन्दुस्तान लीवर लि० योजना से सम्बंधित नहीं है। अतः इस योजना के बारे में लाइफबॉय के कुल टी० एफ० एम० तत्वों का विश्लेषण नहीं किया गया है। वर्तमान में न्यूनतम टी० एफ० एम० तत्व को बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) और (च) साबुन सहित पैक की हुई वस्तुओं के घोषित शुद्ध भार पर छूटे माप और तौल (पैक की हुई वस्तुएं) अधिनियम के मानकों के अन्तर्गत दी जाती हैं। साबुन एक ऐसी वस्तु है जिसके भार में काफी अन्तर हो जाता है अतः शुद्ध भार को (पैक करते समय) अभिव्यक्ति से जाना जाता है। परिवेश सम्बन्धी स्थिति के कारण यदि वजन कम हो जाता है तो खुदरा व्यापारी/थोक व्यापारी के खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है। साबुनों के भार पर अनुमत छूटों

की व्यवस्था नियमों में कर दी गई है अतः इस बारे में उत्पादक द्वारा कोई भी दावा किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

(विग रैकेट इन स्टील अनग्रर्थड) शीर्षक

2410. श्री एस० एस० कृष्ण : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के विरोध के बावजूद रेमिंगटन रेंड के हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स के ऊपर जाकर प्रतिवर्ष 15,000 विद्युत चालित टाइपराइटरों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स ऐसे टाइपराइटरों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) यद्यपि मैसर्स हिन्दुस्तान प्रिंटर्स लि० को प्रति वर्ष 4,000 बिजली के टाइपराइटर बनाने का लाइसेंस मिला हुआ है, किन्तु इस समय देश में इनका उत्पादन बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उत्पादन बन्द कर दिया था और वह प्रतिवर्ष बढ़ी हुई क्षमता में बढ़िया किस्म के 10,000 टाइपराइटर बनाना चाहते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिजली से चलने वाला टाइपराइटर परम्परागत टाइपराइटर से उन्नत किस्म का है और इस प्रकार के टाइपराइटरों की उत्पादन क्षमता उत्पन्न करने की आवश्यकता है, इसलिए यह निश्चित किया गया था कि मैसर्स रेमिंगटन रेन्ड आफ इण्डिया लि० तथा हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० में से प्रत्येक को प्रतिवर्ष 15,000 टाइपराइटरों की क्षमता के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। इन दोनों कम्पनियों के आशय-पत्र तथा विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के लिए अनुमति दे दी गई है।

अप्रचलित सेंचुरिअन टैंकों का निपटान

2411. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने सेंचुरिअन टैंक अप्रचलित हो गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उनके निपटान के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ग) इन टैंकों के निपटान की निर्धारित शर्तें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जो सेंचुरियन टैंक पुराने पड़ जाते हैं उन्हें क्रमिक रूप से अलग कर दिया जाता है। ऐसे टैंकों को फिलहाल तब तक स्टाक में रखा जा रहा है जब तक इनके वैकल्पिक इस्तेमाल के लिए कोई निर्णय लिया जाता है। इस समय इनके निपटान का प्रश्न नहीं उठता। इनकी संख्या बताना लोकहित में नहीं होगा।

रेल कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कानूनी अधिकारों से वंचित करना।

2412. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान रेल कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन कानूनी अधिकारों से वंचित किए जाने के बारे में "हीराबल" दिनांक 7 जुलाई 1981 में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे में मजदूर संघों तथा औद्योगिक संबंधों के बारे में वास्तविक स्थिति के बारे में, जैसा कि उक्त समाचार में बताई गई है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या वास्तविक तथ्यों के संदर्भ में मंत्रालय सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबन्धों के हित में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन उनके विवादों को हल करने के लिए रेल कर्मचारियों के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने को तैयार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसा विशेष समाचार नहीं देखा है।

(ग) रेलों में श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अन्तर्गत आते हैं। रेलवे कर्मचारियों को रेल मंत्रालय द्वारा गठित तीन सूत्री स्थाई वार्तातन्त्र के लाभ प्राप्त हैं जो रेलवे श्रमिकों और रेलवे प्रबंधतंत्र के बीच विवादों पर विचार करती है। आल इंडिया रेलवे मेन फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन को, इस स्थायी वार्तातन्त्र पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, रेलवेमैन अपने विवादों का निपटारा करने के लिए जे. सी. एम. मशीनरी में भी भाग ले रहे हैं। जब विभागीय मशीनरी असफल हो जाती है, तब केन्द्रीय औद्योगिक संबन्ध मशीनरी, जो श्रम मन्त्रालय के अधीन है, रेलवे कर्मचारियों से सम्बन्धित विवादों में मध्यस्थता करती है।

ट्रैक्टरों का उत्पादन

2413. **श्री अनादि चरणदास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में विभिन्न निजी तथा सरकारी क्षेत्र की फैक्टरियों में कुल कितने ट्रैक्टरों का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष के पहले छः महीनों में निजी तथा सरकारी क्षेत्र दोनों में ट्रैक्टरों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो वर्ष 1981 के उपर्युक्त छः महीने की अवधि के दौरान निजी तथा सरकारी क्षेत्र—दोनों के उत्पादन में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान विभिन्न गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के एककों में ट्रैक्टरों का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

1979-80	62,553 नग
1980-81	71,120 नग

(ख) जी, हाँ

(ग) तथा (घ) : 1981 के आरम्भ के छः महीनों में कुल 40,443 नग ट्रैक्टरों का उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 31,281 नग ट्रैक्टरों का उत्पादन हुआ था जिसमें 29% से भी अधिक की वृद्धि का पता चलता है।

पहाड़ी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संरक्षण और पुनःस्थापना हेतु राष्ट्रीय पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना

2414. **श्री हरिहर सोरन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नाजुक स्थिति में पहुँच चुकी पारिस्थितिकी प्रणाली का पता लगाने और पहाड़ी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी के संरक्षण और पुनःस्थापन हेतु परियोजनाओं के खाके तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) क्या फैक्टरियों, उद्योगों और खान क्षेत्रों के वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इसी प्रकार के एक पारिस्थितिकी विकास बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, क्या प्रस्तावित पारिस्थितिक-विकास बोर्ड विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) उड़ीसा में उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हाँ। हाल में एक राष्ट्रीय पारिविकास बोर्ड का गठन किया गया है।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोरापुट विकास प्राधिकरण और दण्डकारण्य परियोजना का विलय

2415. **श्री के० प्रधानी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट विकास प्राधिकरण बनाने और पहली परियोजना में दण्डकारण्य

परियोजना का विलय करने का, जैसाकि बस्तर (मध्य प्रदेश) के मामले में किया गया है, कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) जी, हां । योजना आयोग को उड़ीसा सरकार द्वारा कोरापुट विकास प्राधिकरण की स्थापना करने के बारे में उक्त सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है, और न ही दंडकारण्य परियोजना को उक्त प्राधिकरण में मिलाने का कोई प्रस्ताव है । इसी तरह से दंडकारण्य के मध्य प्रदेश के हिस्से को भी बस्तर विकास प्राधिकरण में नहीं मिलाया गया है ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

कागज की कमी

2416. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कागज की कमी है, जिसके कारण देश भर में छात्रों के लिए नोट बुकों की भारी कमी है, और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) इस समय देश में कागज की कोई कमी नहीं है। कागज मिलों द्वारा कागज का अधिक उत्पादन किये जाने के अतिरिक्त सरकार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कागज का आयात भी कर रही है।

जगुआर सौदे का समाप्त किया जाना

2417. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश जगुआर स्ट्राइक विमान के निर्माण के लिए 300 मिलियन पाउण्ड के सौदे को समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कितने जगुआर विमान खरीदे गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ब्यौरे बताना लोक हित में नहीं होगा ।

कम्पटी के निकट गादा और अजानी गांवों की भूमि का अधिग्रहण

2418. **श्री सूरज भान** : क्या रक्षा मंत्री कम्पटी में "फायरिंग-अभ्यास" के सम्बन्ध में गादा और अजानी गाँव वासियों का अभ्यावेदन 15 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7493 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पटी जिला नागपुर के पास गादा और अजानी गांवों की भूमि फायरिंग रेंज के लिए अधिगृहीत न करने के संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं । मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

2419. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में ऐसे जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है :

(ख) पिछड़ा घोषित किए जाने के लिए क्या आधार अपनाये गए हैं : और

(ग) उपर्युक्त घोषित क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) हरियाणा के भिवानी, हिसार, जीन्द तथा मोहिन्दरगढ़ जिले अखिल भारतीय सावधि ऋण देने वाले संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं पाने के लिए पात्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गए हैं ।

इनके अलावा, निम्नलिखित क्षेत्र पूंजीगत निवेश राजसहायता के लिए पात्र औद्योगिक दृष्टि पिछड़े हुए घोषित किये गए हैं :—

भिवानी जिला (जिसमें भिवानी तथा दादरी उपखण्ड तथा 8 ब्लाक का एक क्षेत्र अर्थात हिसार ब्लाक नम्बर 1 और बरवाना ब्लाक (हिसार तहसील का) हांसी ब्लाक नम्बर 1 (हांसी तहसील से) बहुना ब्लाक (फतेहाबाद तहसील से) तोहना ब्लाक/तहसील तोहना तहसील से) हिसार जिले से जींद ब्लाक और जुलाना ब्लाक (जींद तहसील से) उचाना ब्लाक (नरवाना तहसील से) जींद जिले से तथा पुनर्गठित मोहिन्दरगढ़ जिला (जिसमें मोहिन्दरगढ़ और रिवाड़ी उपखण्ड आता है)।

(ख) राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद समिति के निर्णयों के अनुसार रियायती वित्त प्राप्त करने हेतु पात्रता के लिए स्वीकार किये गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के लिए "मार्गदर्शी सिद्धान्त" अपनाने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को निम्नलिखित मानदण्ड परिचालित किए गए थे :—

जो इस बात पर निर्भर करता है कि

1. प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न वाणिज्यिक फसल का उत्पादन जो क्या जिला प्रधानत: खाद्यानों नकद फसलों का उत्पादक है अन्य जिलों से तुलना के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित आधार पर खाद्यानों और वाणिज्यिक फसलों के बीच परिवर्तन दरें निश्चित की जा सकती है।

2. जनसंख्या में खेतिहर मजदूरों का अनुपात।

3. प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सकल)

4. प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या में कारखाने के कर्मचारियों की संख्या अथवा इसके विकल्प में प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या में से द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों की संख्या।

5. बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत।

6. जनसंख्या को देखते हुई समतल सड़कों की लम्बाई अथवा रेल लाइन की मीली में लम्बाई।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाने के प्रयोजन से उनके द्वारा अपनाए गए मानदण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा सम्बन्धित मन्त्रालयों से परामर्श करके विचार किया गया था। भेजे गए आंकड़ों के आधार पर सम्बन्धित राज्यों के औसत से कम सूचकांक वाले अधिकांश जिलों को रियायती वित्त पाने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा सुना गया है।

(ग) औद्योगिक दृष्टि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के संवर्द्धन के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित रियायतों तथा राजस्व सम्बन्धी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करती है :—

1. निवेश राजसहायता की केन्द्रीय योजना।

2. अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी वित्तीय संस्थानों की रियायती वित्तीय सुविधाएं।

3. कर में रियायतें।

4. लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया खरीद।

5. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।

6. ब्याज राजसहायता ।

7. कच्चे माल के आयात के लिए निवेश सुविधाएं ।

8. ग्रामीण कार्यक्रम परियोजना ।

9. ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम ।

10. जिला उद्योग केन्द्र ।

11. मूल (सीड) सीमान्त (मार्जिन) धनराशि सहायता ।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को वित्तीय सहायता

2420. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर :** क्या रक्षा मन्त्री युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को वित्तीय सहायता देने के बारे में 1 अप्रैल, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 5957 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30.6.81 को युद्ध में मारे गए और विकलांग हुए सैनिकों की विशेष निधि में कुल कितनी राशि थी ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष सहित, पिछले तीन वर्षों के दौरान युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को दी गई आवर्ती/अनावर्ती अनुदान राशि राज्यवार, कितनी है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं से भूमि आवंटन आदि के संबंध में परेशान किए जाने की कितनी शिकायतें, राज्यवार, प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इन शिकायतों को-दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 8,07,32,864,22 रुपये ।

(घ) एक विवरण संगलन है ।

(ग) और (घ) भूमि राज्य का विषय है और भूमि से सम्बन्धित शिकायतों पर अनिवार्य रूप से राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है । लेकिन जब कभी युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं से भूमि के आवंटन आदि के सम्बन्ध में परेशान किए जाने के बारे में कोई शिकायत इस मन्त्रालय में प्राप्त होती है तो युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं की शिकायतों को दूर करवाने के दृष्टिकोण से उन्हें राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है ।

विभिन्न राज्यों को युद्ध संतप्त निधि से 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (30-6-1981 तक) में दिए गए अनुदान को दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष			
		1978-79	1979-80	1980-81	1981-82 (30-6-81 तक)
1.	हरियाणा	14,904.80 रुपये	11,615.43 रुपये	32,946-39 रुपये	81.46 रुपये
2.	पंजाब	1,00,000.00 रुपये	—	1,60,706.27 रुपये	
3.	हिमाचल प्रदेश	—	45,000.00	15,000.00 रुपये	
4.	महाराष्ट्र	9,59,110.34 रुपये	5,97,392.43 रुपये	10,490.79 रुपये	
5.	दिल्ली	21,825.00 रुपये	14,495.58 रुपये	3,89,472.80 रुपये	8,726.70 रुपये
6.	मिजोरम	48,000.00 रुपये	—	—	
7.	कर्नाटक	—	5,10,00.00 रुपये	4,107.00 रुपये	
8.	मध्य प्रदेश	—	2,52,000.00 रुपये	7,000.00 रुपये	
9.	सिक्किम	—	—	2,400.00 रुपये	
10.	नेपाल	—	16,926.00 रुपये	—	
	जोड़	11,43,840.14 रुपये	12,47,429.44 रुपये	6,22,123.25 रुपये	8808.16 रुपये

दिल्ली में पुलिस स्टेशनों के अन्तर्गत सलाहकार समितियोंका गठन

2421. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में विभिन्न पुलिस स्टेशनों के अन्तर्गत क्षेत्रों में रहने वाले गण्य-मान्य नागरिकों की सलाहकार समितियों के गठन पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी रूपरेखा क्या है और कब तक इन समितियों का गठन होगा तथा इन समितियों के सदस्यों को चुनने के क्या मापदण्ड होंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और क्या पहले भी ऐसी समितियों का गठन हुआ था और क्या वे असफल रही थीं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पहले कार्य कर रही थाना स्तर की समितियां लाभदायक सिद्ध नहीं हुई। अब पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिस अधिकारियों के साथ नागरिकों को बैठकें करके जनता के साथ सम्पर्क किया जाता है।

वर्ष 1980 तथा 1981 में हुई जन दिवसों की हानि

2422. **श्री राम सिंह यादव :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 के दौरान हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण 80 लाख जन दिवसों की हानि हुई और 34.5 लाख जन-दिवसों की हानि तो विगत तीन महीनों अर्थात जनवरी से मार्च, 1981 के बीच हुई ;

(ख) यदि हिसाब लगाया जाए तो इन हड़तालों एवं तालाबन्दियों से देश को कुल कितनी राशि की हानि हुई ; और

(ग) राष्ट्र को होने वाली उक्त भारी हानि से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं। उपलब्ध अन्तिम सूचना के अनुसार, वर्ष 1980 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण हानि हुए श्रम दिन 219.3 लाख थे और 1981 के प्रथम तीन महीनों के दौरान हानि हुए श्रम दिन 47.5 लाख थे।

(ख) 1980 के दौरान नष्ट हुए उत्पादन का मूल्य 296.99 करोड़ रुपये (अनंतिम) हैं। जनवरी से मार्च, 1981 के दौरान नष्ट हुए उत्पादन का मूल्य उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार ने औद्योगिक संबंध स्थिति पर लगातार निगरानी रखी। केन्द्र और राज्यों दोनों में औद्योगिक संबंध तंत्र ने उपचारी मध्यस्थता, संसाधन न्याय निर्णयन या विवाचन, जैसा

कि वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और/या स्वैच्छिक व्यवसायों के अधीन अनिवार्य है, के माध्यम से काम बंदियों तथा इनके कारण समय हानि को कम से कम करने का प्रयास जारी रखें।

रेडियो आइसोटोप्स द्वारा उत्पन्न एटामिक रेडिएशन का समुद्र विज्ञान में प्रयोग

2423. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो आइसोटोप्स के उपयोग से एटामिक रेडिएशन का निर्माण करके उसका समुद्र विज्ञान में प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, एलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) समुद्रतल में तलछट के एक जगह से दूसरी जगह आने का अध्ययन करने में रेडियो-आइसोटोपों का इस्तेमाल करने के एक कार्यक्रम पर देश की विभिन्न बन्दरगाहों में पिछले बीस वर्षों से काम किया जाता रहा है। इससे बन्दरगाहों के अधिकारियों को वर्तमान बन्दरगाहों में तल से निकाली गई तलछट को फेंकने के लिए उपयुक्त स्थल चुनने में और नई बन्दरगाहों के मामले में यह तय करने में कि कौन से जलमार्ग उपयुक्त रहेंगे, मदद मिली है। समुद्र-विज्ञान में रेडियो-आइसोटोपों का और आगे इस्तेमाल करने के प्रश्न पर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थानों और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के बीच बात चीत चल रही है।

'प्लाट टू क्रीएट टेंशन" शीर्षक समाचार

2424. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अगस्त, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्लाट टू क्रीएट टेंशन" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) सरकार साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों सहित साम्प्रदायिक स्थिति पर सतत निगरानी रखती है और राज्य सरकारों से साम्प्रदायिक स्थिति के विषय में परामर्श करती है।

अमृतसर के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन

2426. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन योजना 1972 के अन्तर्गत पेंशन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अमृतसर जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों के किन्हीं आवेदन पत्रों को वर्ष 1980 के दौरान रद्द किया गया था;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से प्रत्येक द्वारा क्या सबूत पेश किए गए थे;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार की नीति पेश किए गए साक्ष्य में कमी निकालना तथा स्वतन्त्रता सेनानी द्वारा दिए गए सबूत में त्रुटि को दूर करने हेतु उसे अवसर देने की है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति को यह अवसर दिया गया था; यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

गृहमन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :(क) से(ग) अमृतसर जिले में स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों में से रद्द किए गए आवेदनों की कोई अलग सूची नहीं रखी जाती है। स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना के उदारीकरण के परिणामस्वरूप सम्मान पेंशन के लिए आवेदन पत्र 1. 8. 1980 के बाद आमन्त्रित किए गये थे और व्यक्ति अभी तक अपने आवेदन पत्र भेज रहे हैं।

(घ) और (ङ) पेंशन के लिए आवेदन पत्रों की छटनी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और उस पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। दावा निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से रद्द किया जाता है :—

(1) आवेदक वास्तविक स्वतन्त्रता सेनानी न हो।

(2) यातना 6 महीने से कम हो (महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में 3 महीने)।

(3) यातना स्वतन्त्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में न हो।

(4) झूठे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना।

(5) नजरबन्दी/ निष्कासन/ लापता होना/साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं होना।

(6) भूमिगत यातना स्वैच्छिक हो।

संबंधित आवेदकों को तदनुसार सूचित किया जाता है। यदि आवेदक अपने वास्तविक सेनानी होने और सम्मान पेंशन का हकदार होने को सिद्ध करने के लिए बाद में विश्वसनीय और पूर्ण दस्तावेजों प्रमाण प्रस्तुत करे तो मामलों को पुनः चालू किया जाता है।

मद्रास रिफाइनरी में मासिक और दैनिक आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में उनकी बकाया धनराशि

2427. **श्रीनिहाल सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड में मासिक और दैनिक आधार पर कार्यकर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कितनी धनराशि जमा कराई गई है और कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्रीमती (रामदुलारी सिन्हा) (क) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि यह प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नहीं आता है। क्योंकि यह ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां यह योजना कार्यान्वित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली पुलिस चौकियों के लिए किराए पर लिए गए मकान

2428. **श्री रामसिंह शास्त्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा कितने मकान पुलिस चौकियों की स्थापना के लिए किराये पर लिये गये हैं और किराए के रूप में कितनी राशि अदा की जा रही है; और

(ख) क्या दिल्ली पुलिस ने इस प्रयोजन के लिए गैर सरकारी मकान किराये पर लिये हैं और मकानों के मालिकों को किराया अदा नहीं किया जा रहा है और अपने मकानों के लिए किराया मांगे जाने पर उनको धमकी दी जाती है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 11 पुलिस स्टेशनों और 16 पुलिस चौकियों के लिए 23 निजी मकान और 4 डी० डी० ए० के फ्लैट किराये पर लिए गये हैं। ऐसे 22 मकानों के लिए प्रतिमाह 24533 रुपया किराया दिया जाता है। शेष 5 मकानों के सम्बन्ध में किराया, किराया निर्धारण समिति द्वारा अभी निर्धारित किया जाना है और जैसे ही किराया निर्धारित हो जायेगा इसका भुगतान कर दिया जायेगा। निजी मकानों को, मकान मालिकों की पूर्व सहमति से किराये पर लिया जाता है और यह सही नहीं है कि मालिकों को किराया मांगने पर धमकी दी जाती है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक श्रम की लागत

2429. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय क्रमशः औद्योगिक श्रमिक की औसत लागत क्या है; और

(ख) यदि ग्रमीण क्षेत्रों के श्रम की लागत का कोई अन्तर विद्यमान है तो वह क्या है; और उत्पादन और रोजगार के विशेष सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 1977-78 के लिए सभी उद्योगों में किए गए श्रम की औसत लागत प्रति-

व्यक्ति 25.70 रुपये थी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से आंकड़े तैयार नहीं किये जा रहे हैं।

(ख) : ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र में मोटे तौर पर परम्परागत उद्योग (हथ करघा, खादी, और ग्राम उद्योग, रेशम-उत्पादन, दस्तकारी और नारियल जटा) शामिल हैं, और आधुनिक लघु उद्योग, जिनमें "टिनी" यूनिट और बिजलीकरघा शामिल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी है। छठी पंचवर्षीय योजना के डाकुमेंट के अनुसार, ग्राम लघु उद्योगों में औसत रोजगार 1973-74 में 176.36 लाख था जो 1979-80 में बढ़कर 233.44 लाख हो गया। उसी अवधि के दौरान उत्पादन का मूल्य 13600 करोड़ रुपये से बढ़कर 30935 करोड़ रुपये हो गया।

बिहार शरीफ में बीड़ी श्रमिकों के लिये अस्पताल खोला जाना

2430. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के नालन्दा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में लगभग 15000 बीड़ी मजदूर है;

(ख) क्या यह सच है कि यह कर्मचारी उचित इलाज के लिये आर्थिक स्तर न होने के कारण अनेक बीमारियों से ग्रसित है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास बीड़ी मजदूर कल्याण-कोश से उनके लिए कम से कम 10 बिस्तरों के अस्पताल खोलने की कोई समुचित योजना है; यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) वहां एक चलता-फिरता मैडीकल यूनिट स्थापित किया गया है। बिहार-शरीफ में बीड़ी श्रमिकों के लिए अस्पताल स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

नमक की क्वालिटी तथा शुद्धता

2431. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में कोयले की क्वालिटी और शुद्धता अपेक्षित मानक तक निर्धारित किया गया है,

(ख) क्या यह सच है कि नमक के उत्पादन में बड़ी मात्रा में क्षति होती है; और

(ग) नमक के उत्पादन की बड़ी क्षमता तथा नमक प्रौद्योगिक का विकास करने और इसकी क्वालिटी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का प्रस्ताव है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : देश में उत्पादित नमक की किस्म और शुद्धता समग्रत: विहितमान मानकों के अनुरूप है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार ने नमक उत्पादन के अंतर्गत अधिक लवणमय क्षेत्रों को शामिल करके नमक के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पहले से ही कदम उठाये हैं । उत्पादन में वृद्धि करने तथा नमक की किस्म में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी में विकास करने को बराबर प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर का प्रभुत्व

2·32. **श्री मोहम्मद ईस्माइल** : क्या **उद्योग मन्त्री** सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में डिटर्जेंट बनाने वाले एककों के बारे में 10 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3110 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग वाली हिन्दुस्तान लीवर ही एकमात्र ऐसी कम्पनी है जो सिंथेटिक डिटरजेन्ट के उत्पादन के क्षेत्र में लगी है, जबकि देश में संगठित और लघु क्षेत्र दोनों में ही कार्यरत सैंकड़ों भारतीय इकाइयां है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में इस विदेशी सहायक कम्पनी की प्रभुता को समाप्त करने के लिएसरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) यह कम्पनी सिंथेटिक डिटर्जेंट के क्षेत्र में सरकार से किस आधार पर अनुकूल रवैया प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है; और

(घ) क्या उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, डिटर्जेंट को महत्वपूर्ण क्षेत्र की सूची में शामिल किया जाएगा ?

उद्योग मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) इस क्षेत्र में सिंथेटिक प्रक्षालकों का उत्पादन करने वाले औद्योगिक एककों में केवल मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ही विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली एक मात्र कम्पनी है ।

(ख) हाल ही में सरकार द्वारा सिंथेटिक प्रक्षालकों के उत्पादन के लिए एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार व विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाली कम्पनियों की अनेक योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

(ग) सिंथेटिक प्रक्षालकों का उत्पादन वर्ग 1973 की औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी नीति के अनुबन्ध में शामिल कार्यकलाप है । चूंकि ऐसे कार्य-कलाप एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कम्पनियों के लिए खुले हैं, अत: मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के साथ कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया है ।

(घ) जी नहीं ।

वनों और पहाड़ी घाटियों में रहने वाले आदिवासियों का कल्याण

2433. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय वनों तथा पहाड़ी घाटियों में रहने वाले आदिवासियों के कल्याण के लिए सभी सम्भव प्रयास कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उड़ीसा के फूलबनी, कालाहन्डी और कोरापुट जिलों में रहने वाले बोडा आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही बोडा विकास परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) बोडा आदिवासी केवल कोरापुट जिले के खेरपुर ब्लाक में रह रहे हैं। उनके विकास के लिए 1977 में एक माइक्रो परियोजना बनाई गयी है, जिसके अन्तर्गत 31 गांव और 1200 बोडा परिवार आते हैं । कृषि पशुपालन, बागवानी, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, संचार और शिक्षा जैसे विकासात्मक कार्यों पर कार्यान्वियन हो रहा है । 1980-81 के अन्त तक विभिन्न योजनाओं के लिए 21.79 लाख रु० स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से बताया जाता है कि जून, 1981 के अन्त तक 21.77 लाख रु० प्रयोग में लाए गए हैं । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

जहांगीरपुरी, दिल्ली में जहरीली शराब से मृत्यु

2434. **श्री रामलाल राही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाई जा रही शराब की दुकान से खरीदकर शराब पीने से हाल ही में, अगस्त महीने में जहांगीरपुरी दिल्ली में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो जहरीली शराब तथा शराब में क्या अन्तर है, उस शराब की भट्टी का क्या नाम है जहां वह तैयार की गई थी ; और क्या उस फैक्टरी का निरीक्षण किया गया था ;

(ग) शराब पीने से होने वाली मौतों को यदि पूर्णतया रोका नहीं जा सकता तो उन्हें कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान शराब पीने के कारण मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 8 अगस्त, 1981 को चार व्यक्तियों ने, उनमें से एक व्यक्ति के घर पर इकट्ठे

दिल्ली एक्साइज (नेवल स्पेशल) रम की लगभग आधी बोतल पी थी। इनमें से एक व्यक्ति तुरन्त बाद बेहोश हो गया और बाद में मर गया। मृत्यु का वास्तविक कारण केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला से रसायन विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही ज्ञात होगा, जिसे शराब का नमूना, उल्टी और मृतक की धोवन इस उद्देश्य के लिए भेजी गयी है। रम की बोतल दिल्ली संघ शासित क्षेत्र से बाहर की फैक्टरी द्वारा आसवन/भरी गयी थी और इसलिए दिल्ली प्रशासन द्वारा फैक्टरी की कोई जांच नहीं की गई।

(ग) दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा घटना की जांच किए जाने के आदेश के अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित एहतियाती/सुधारात्मक उपाय किए हैं :—

1. चोरी छिपे शराब का व्यापार करने वालों पर कड़ी निगरानी।

2. दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अवैध शराब के व्यापार में लगी दो महिलाओं सहित 12 व्यक्तियों को हवालात में रखा है।

3. अवैध शराब उत्पादन के लिए ज्ञात क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गयी है।

4. दिल्ली पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत कुख्यात चोरी छिपे शराब का व्यापार करने वालों को निष्कासित करने की कार्यवाई भी की जाती है।

5. अवैध शराब निकालने वालों पर निरन्तर छापे मारे जाते हैं।

6. सीमा पुलिस स्टेशनों को परिवहन और अवैध शराब की बिक्री पर तीक्षण सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए हैं।

(घ) 1 जनवरी से 15 अगस्त 1981 तक की अवधि के दौरान अवैध शराब के संदिग्ध उपभोग से 23 व्यक्ति मारे गये हैं। केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला से इन मृतक व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की धोवन विश्लेपण आदि की रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा है जिससे मृत्यु के वास्तविक कारण का पता लग सकेगा।

भारत हैवी वेसल्स एण्ड प्लेट्स के रिएक्टर वैजल्स 'फैब्रिकेशन' ठेके

2435. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी वेसल्स एण्ड प्लेट्स ने परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए हैवी रिएक्टर वेजल्स तथा अन्य उपकरणों के विभिन्न 'फैब्रिकेशन' ठेके लिए हैं ;

(ख) क्या यह अपने कुछ ठेकों को पूरा करने में असफल रहा है ; और

(ग) इसने कौन-कौन से ठेके प्राप्त किए थे और इन ठेकों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स के परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए हैवी रिएक्टर वेसलों का ढांचा निर्माण नहीं किया था। हां, कोटा, तूतीकोरिन तथा तलचर स्थित हैवी वाटर परियोजनाओं के लिए आवश्यक उच्च दाब तथा अन्य परम्परागत किस्म के हीट एक्सचेंजरों, कालमों तथा प्रेशर वेसलों जैसे उपकरणों की वस्तुओं का निर्माण किया गया था और 1976 तथा 1978 में उनको सप्लाई किया गया था।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विदेश से निःशुल्क प्राप्त होने वाले सामानों तथा अन्य माल के देरी से प्राप्त होने के कारण ठेकों के कार्यान्वयन में विलम्ब के अतिरिक्त बी० एच० सी० वी० किसी ठेके को पूरा करने में असफल नहीं रहा है।

(ग) वी० एच० पी० वी० द्वारा लिए गए ठेकों तथा उपकरण सप्लाई करने की तिथि का विवरण निम्न प्रकार है :—

परियोजना का नाम	आर्डर की तिथि	माल प्राप्त होने की वास्तविक तिथि	सप्लाई करने की तिथि
1. कोटा	5 जनवरी, 1973	अक्तूबर, 1974 से जनवरी, 1975	जून, 1976
2. तूतीकोरिन	अप्रैल, 1972 से सितम्बर, 1972	अप्रैल, 1975	मार्च, 1976
3. तलचर	नवम्बर, 1973 से मार्च, 1974	अक्तूबर, 1974 से सितम्बर, 1978	मार्च, 1978

सभी पुराने क्रयादेश पूर्ण रूप से पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

दिल्ली में बिक्री-कर में छूट प्राप्त उपभोक्ता वस्तुएं

2436. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उपभोक्ता वस्तुओं के नाम क्या हैं जिन पर संघशासित क्षेत्र दिल्ली में बिक्री-कर से छूट प्राप्त है ;

(ख) किस आधार पर यह छूट दी गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली बिक्री-कर अधिनियम 1975 के अन्तर्गत "उपभोक्ता वस्तु" नाम का कोई शब्द नहीं है। तथापि इस अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री-कर से मुक्त वस्तुओं की एक सूची, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में लागू दिल्ली बिक्री-कर अधिनियम 1975 की तीसरी अनुसूची (कर-मुक्त वस्तुओं की अनुसूची) में निहित है। कर छूट जनहित में दी गई है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन द्वारा त्रिवेन्द्रम में नई परियोजना चालू करना

2437. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा त्रिवेन्द्रम जिला वेलियामाला, नेडूमंगेड में चालू की जाने वाली नई परियोजना की क्या प्रगति है ; और

(ख) परियोजना कब चालू हो जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (**श्री सी० पी० एन० सिंह**) : (क) और (ख) केरल में वेलियामाला क्षेत्र में ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट परियोजना और इससे सम्बद्ध उप-प्रणालियों जैसे द्रव इन्जिन विकास, प्रमोचक राकेट नियन्त्रण प्रणाली, प्रमोचक राकेट क्रियाविधि से सम्बन्धित कुछ क्रियाकलापों तथा इनसे सम्बद्ध कुछ विशिष्टी अवलम्बक सुविधाओं को क्रमिक रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। परियोजनाओं क औपचारिक स्वीकृति के बाद ही इन सुविधाओं की स्थापना से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ होगा।

बिहार में विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोग

2438. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में अपनी मातृ भाषा के रूप में तथा दूसरी भाषा के रूप में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की कुल जिलावार संख्या क्या है जोकि 1981 में किए गए नवीनतम सर्वेक्षण कार्यों से सामने आई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : 1981 की जनगणना की विवरणियों का प्रावस्थाओं में सारणीकरण किया जा रहा है। मातृभाषा और द्विभाषिकता सम्बन्धी आंकड़े इस सारणी के बाद ही उपलब्ध होंगे, जिसमें कुछ समय लगेगा।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग पर हुआ खर्च

2439. **श्री जीतेन्द्र प्रसाद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुलिस आयोग पर कुल कितना खर्च किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुलिस आयोग पर 1977-78 से 1980-81 (अगस्त तक) की अवधि के दौरान किया गया कुल खर्च 62,26,627.63 रुपये है।

तमिलनाडु में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

2440. **श्री एन० डेनिस** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य में कुल कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दी जाती है ; और

(ख) उनमें (1) कितनी महिलाएं और (2) कितने पुरुष हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 4568

(ख)	महिलाएं	941
	पुरुष	3624

नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड तथा इंचेक टायर्स लिमिटेड में हानि

2441. **श्री एस० आर० ए० एस० अप्पालानायडू** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड तथा इंचेक टायर्स लिमिटेड को क्रमश: 1977 तथा 1978 में अपने नियन्त्रण में लिया था :

(ख) यदि हां, तो क्या इन कम्पनियों के कार्यकरण में कोई सुधार हुआ है अथवा वे अभी भी घाटे पर चल रहे हैं;

(ग) यदि उनको अभी भी घाटा हो रहा है तो इनको अधिकार में लिये जाने के बाद इनको कुल कितना संचयी घाटा हुआ है और उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां।

प्रबन्ध-अधिग्रहण की तिथियां निम्नलिखित हैं:—

नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (कलकत्ता एकक)	23.12.77
नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (कल्याणी एकक)	10.2.78
इंचेक टायर्स लिमिटेड	13.4.78

(ख) कम्पनियों को निरन्तर हानि हो रही है।

(ग) अभिग्रहण के बाद की अवधि (30.6.1981 तक) में इन्चेक टायर्स लिमिटेड तथा नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड को क्रमश: 1143 लाख रुपये और 974 लाख रुपये की कुल संचित हानि (जिसमें अभिग्रहण पूर्व देयताओं के लिए ब्याज और मूल्य ह्रास शामिल हैं) हुई थी। निरन्तर हानि होने के कारण ये हैं :—

"बिजली की संभरण की खराब हालत, चूंकि एकक पूर्णतया उधार ली गई निधियों से चलाए जा रहे हैं, अत: उन पर ब्याज के भार का काफी प्रभाव, संयंत्र तथा मशीनों की खराब

हालत, प्रबन्ध-अकुशलता और कार्यदक्षता का अभाव, कच्चे माल का मूल्य बढ़ जाने के कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि आदि।

(घ) इन 2 एककों की पुर्नस्थापना की विस्तृत योजनाओं पर तेजी से विचार किया जा रहा है।

चेयरमैन, कोल्हापुर इन्जीनियरिंग एसोसिएशन कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से अभ्यावेदन

2442. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चेयरमैन, कोल्हापुर इन्जीनियरिंग एसोसिएशन, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से उनके लघु उद्योगों की कुछ समस्याओं के बारे में दिनांक 18 अप्रैल, 1981 का कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) उक्त अभ्यावेदन में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मांग पर क्या कार्यवाई की गई है;

(घ) यदि अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) कार्यवाई पूरी कब तक की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) अभ्यावेदन में कच्चा लोहा, कोयला, इस्पात, सीमेंट और बिजली प्राप्त करने में कोल्हापुर स्थित उद्योग की कुछ कठिनाइयों का जिक्र किया गया है।

(ग) इस्पात, कच्चा लोहा, सीमेंट आदि जैसी कुछ कच्ची सामग्री की सामान्यतः कमी है। सरकार इन कच्चे मालों के समान वितरण की व्यवस्था करने हेतु सभी सम्भव प्रयास कर रही है। ज्ञापन में बताई गई कठिनाइयों के बारे में सम्बद्ध प्राधिकरणों से बातचीत की जा रही है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गृह मंत्रालय में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनुवादक और हिन्दी अधिकारी

2443. **श्री भोखा भाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मन्त्रालय में और उसके अन्य विभागों में कार्यरत अनुवादकों और हिन्दी अधिकारियों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुवादकों और हिन्दी अधिकारियों की संख्या कितनी है और क्या दोनों पद वर्गों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा पूरा है ;

(ग) यदि नहीं, तो आरक्षित कोटा न भरने के क्या कारण हैं जबकि हिन्दी अधिकारियों के रूप में पदोन्नत करने के लिए अनुसूचित जाति के अर्हताप्राप्त उपयुक्त और अनुवादक वहां उपलब्ध हैं ; और

(घ) पिछली रिक्तियों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

2444. **श्री नित्यानंद मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है;

(ख) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से उनकी, लिपिकों के अतिरिक्त, तृतीय श्रेणी के पदों में जिसके लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है, पदोन्नति किए जाने से पूर्व विकल्प मांगा जाता है ;

(ग) क्या बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में बने रहने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर "नहीं" हो तो सरकार का इस दृष्टि से कौन-से कदम उठाने का विचार है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त हों ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान । सचिवालय सुरक्षा बल के उन समूह "घ" कर्मचारियों को छोड़कर जो 15-9-69 को अथवा उसके बाद सेवा में आए, जिनके लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । ऐसे किसी भी कर्मचारी को इस बात की छूट होती है कि वह पदोन्नति से इन्कार कर सकता है जिससे उसे एक निर्धारित अवधि के लिए पदोन्नति की मांग करने से वंचित रखा जाएगा ।

(ग) तथा (घ) समूह "घ" कर्मचारियों को समूह "घ" कर्मचारी ही बने रहने की कथित अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास कोई सूचना नहीं

है। जैसाकि ऊपर बताया गया है। यदि कोई कर्मचारी समूह "घ" कर्मचारी ही बना रहना चाहता तो उसे उच्च ग्रेड में पदोन्नति से इन्कार करने की छूट है।

अशोक नगर नई दिल्ली में मकानों के कर योग्य मूल्य का निर्धारण

2445. **श्री केशवराव पारधी** : क्या गृह मन्त्री अशोक नगर, नई दिल्ली में मकानों के कर योग्य मूल्य के निर्धारण के बारे में 29 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9106 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गयी जानकारी एकत्र और संकलित कर ली गयी है ; यदि हां, तो क्या वे इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और यह जानकारी कब तक सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अतारांकित प्रश्न सं० 9106 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में विवरण, संसदीय कार्य विभाग द्वारा 24.8.81 को लोकसभा के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के खुले मेन होलों के कारण मौतें

2446. **श्री राजेश पाईलट** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में कितने व्यक्ति दुर्घटनाओं के कारण खुले मेन होलों में गिर गये ;

(ख) कितने व्यक्ति मर गये और कितनों को बचाया जा सका ;

(ग) मेनहोल खुले रखने के उत्तरदायी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने 10 अगस्त, 1981 को जामा मस्जिद, दिल्ली के निकट खुले मेनहोल में गिरने वाले बच्चे के मामले में कोई जांच की है ; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1978 से 1980 तथा

15 अगस्त, 1981 तक के दौरान दिल्ली पुलिस में दर्ज कराए गए मामलों के अनुसार संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में संयोग से खुले मेनहोलों में छः व्यक्ति गिरे।

(ख) पांच व्यक्ति मरे, जबकि एक बच्चे को बचा लिया गया।

(ग) इनमें से 4 मामले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-क के अधीन दर्ज किए गए थे। एक मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण का एक कनिष्ट अभियन्ता गिरफ्तार किया गया तथा उस पर मुकदमा चल रहा है। अन्य तीन मामलों की जांच की जा रही है और इन मामलों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(घ) तथा (ङ) प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 513 तारीख 10 अगस्त, 1981 के अन्तर्गत एक मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336 के अधीन थाना जामा मस्जिद में दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किया गया है और उसकी जांच की जा रही है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन

2447. **श्री चक्रधारी सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974 से आज तक, वर्षवार, केन्द्रीय सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया;

(ख) कितने उम्मीदवारों ने हिन्दी माध्यम से परीक्षा दी और इस अवधि में वर्षवार कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन उम्मीदवारों को अंकों में कुछ छूट देने का है जो हिन्दी माध्यम से परीक्षा देना चाहते हैं जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को कुछ अवसर मिले ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

1 वर्ष 1974 से 1979 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई अनुभाग अधिकारी ग्रेड-सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के सम्बन्ध में प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) से सम्बन्धित सूचना वर्षवार नीचे दी गई है। वर्ष 1980 में ली गई सम्मिलित सीमित विभागीय प्रति-

योगिता परीक्षा के अन्तिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। इसलिए वर्ष 1980 में ली गई परीक्षा से सम्बन्धित सूचना विवरण में सम्मिलित नहीं की गई है।

	1974	1975	1976	1977	1978	1979
(क) उक्त वर्षों के दौरान ली गई अनुभाग अधिकारी ग्रेड/सम्मलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की संख्या।	128	95	78	129	95	126
(ख) उन उम्मीदवारों की संख्या, जिन्होंने हिन्दी माध्यम से परीक्षा दी, और	1	3	5	1	9	12
उन उम्मीदवारों की संख्या जो इस अवधि में अन्तिम रूप से उत्तीर्ण हुए।	—	—	—	—	—	—

यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भी की जाती है जिसके लिए वर्ष 1979 से हिन्दी को परीक्षा के माध्यम के रूप में अनुमति दे दी गई है। इस स्रोत से केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1974	1975	1976	1977	1978	1979
65	22	47	50	56	66

ऐसे वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या के कोई पृथक आंकड़े संघ लोक सेवा आयोग के पास उपलब्ध नहीं है जिन्होंने हिन्दी के माध्यम से परीक्षा दी थी।

रैपिंग और पैकिंग कागज का वितरण

2449. **श्री एस०ए० दोराई सेबेस्तीयन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने निर्माताओं से रैपिंग और पैकिंग कागज के लिए कोई तरीके तैयार किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि पैकिंग और रैपिंग कागज के

उत्पादों का उत्पादन करने वाली लघु औद्योगिक इकाइयों को बिचौलियों पर निर्भर करना पड़ता है, जो एकाधिकार वाले लोग हैं और प्राय: ऊंची दरों पर कागज बेचते हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में लघु औद्योगिक इकाइयों को रैपिंग और पैकिंग कागज की सीधी सप्लाई कराने के लिए कोई पद्धति तैयार करेगी?

(क) उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चन्नना) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) वितरण प्रणाली की उलझनों को दृष्टिगत रखते हुए कि लघु उद्योग एककों को रैपिंग और पैकिंग कागज की सीधी सप्लाई करने का सुनिश्चय करना कठिन होगा। किन्तु सरकार लघु कागज मिलों की वृद्धि को प्रोत्साहित कर रही है तथा बढ़े हुए उत्पादन से कागज की उपलब्धता में सुगमता हुई है।

पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक और निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों, हरिजनों और आदिवासियों की नियुक्ति

2452. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े क्षेत्रों में सभी जगहों पर स्थानीय मजदूरों का अनुपलब्धता के तर्क के आधार पर बाहर के लोगों की भर्ती की जा रही है ;

(ख) क्या स्थानीय लोगों की "अकुशलता" के तर्क पर भर्ती के मामले में सामान्य स्थानीय मजदूरों की अधिकतम सीमा तक उपेक्षा की जा रही है ;

(ग) क्या इसी आधार पर निजी क्षेत्र को औद्योगिक इकाइयों में भी बाहर के व्यक्तियों को अधिकतम अवसर दिए जा रहे हैं और स्थानीय श्रमिकों की पूर्णतया उपेक्षा करने की प्रवृत्ति चल पड़ी है ;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षित पदों पर निरपवाद रूप से स्थानीय हरिजनों और आदिवासियों की भर्ती की जाए, आरक्षण नियमों के अन्तर्गत कुछ श्रम संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत करना चाहती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार ऐसी सभी रिक्तियों को, उनके स्वरूप और अवधि के बावजूद (ऐसी रिक्तियों को, छोड़कर, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, आदि के माध्यम से भरा जाना अपेक्षित है) स्थानीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करना तथा उनके माध्यम से भरा जाना अपेक्षित है। भर्ती के अन्य स्रोतों का केवल तभी उपयोग किया जा सकता है, यदि संबंधित

रोजगार कार्यालय "अप्राप्य प्रमाणपत्र" जारी करता है। इसी प्रकार निम्नतर रैंकों में कार्मिक की भर्ती, जिनका केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकतम वेतनमान 800/-रु० से अधिक नहीं है, स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही की जानी अपेक्षित है। निजी क्षेत्रों के नियोजकों के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वे अपने स्टाफ की भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से करें।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से नौकरी चाहने वालों को रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की गई न केवल आरक्षित रिक्तियों के लिए बल्कि अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी सम्प्रेषित करने के लिए अनुदेश पहले से विद्यमान हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बार्सेलोना को सेंचुरियन टैंकों का भेजा जाना

2453. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
श्री रशीद मसूद
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री राम विलास पासवान
श्रीमती प्रमिला दण्डवते } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि "स्कैन" के रूप में दिखाये गए 90 सेंचुरियन टैंकों की बार्सेलोना के लिए बम्बई से लदान किया गया था जबकि गोपनीय अनुबन्धक ने इसका वास्तविक गंतव्य स्थान दक्षिण अफ्रीका दिखाया गया है, जिसके कारण सुरक्षा परिषद के दक्षिण अफ्रीका में हथियार ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध का उल्लंघन होता है; और

(ख) इस संबन्ध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाई की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) स्पेन सरकार द्वारा दी गई आयात अनुमति के आधार पर दिसम्बर, 1977 में 90 पुराने और काम में न आने योग्य सैंचूरियन टैंकों को गलाने और ढलाई सम्बन्धी से अच्छी किस्म की स्टील प्राप्त करने के लिए स्पेन की एक फर्म को बेचे गए थे। जलयान के कागजात के अनुसार गन्तव्य बन्दरगाह बार्सेलोना (स्पेन) था।

समाचार पत्रों के अनुसार कुछ विदेशी फर्मों पर उक्त जलयानों का गन्तव्य स्थान बदलकर दक्षिणी अफ्रीका करने का आरोप लगाया गया है। सम्बन्धित सरकारें इस मामले की जांच कर रही हैं।

कोयले में भिन्न अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना

2454. **श्री एडुआर्डो फलीरो :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम के आयात पर होने वाले भारी व्यय को देखते हुए सरकार ने कोयले से भिन्न अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) एक ब्यौरेवार विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

विवरण

1. विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग (डी० एस० टी०) के एक नव ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों आधारों पर नव ऊर्जा स्रोतों के उपयोगीकरण से सम्बन्धित अनुसंधान, अभिकल्प और विकास आता है। इस व्यापक आधार वाले एकीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसंधान संस्थाओं, उद्योगों, उपयोक्ता और विस्तार अभिकरणों के भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। इसके माध्यम से पर्याप्त विशेष योग्यता की व्यवस्था की गई थी और विभिन्न प्रणालियों, युक्तियों और उत्पादों का विकास किया गया।

2. पिछले दो वर्षों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को काम में लाने के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है और क्षेत्रीय प्रतिष्ठापनाओं की गति को उल्लेखनीय रूप से त्वरित किया गया है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की धाराओं पर एक ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग की स्थापना की है ताकि इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सके और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में सु-समन्वित उपागम की व्यवस्था की जा सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस क्षेत्र के लिए छठी योजनावधि के दौरान 50 करोड़ रुपये के विनिधान की व्यवस्था की गई है। इस बात का भी संकेत दिया गया है कि कार्यक्रम में की गई प्रगति को देखते हुए मध्यावधि योजना मूल्यांकन के समय पर व्यय में अतिरिक्त विनिधान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये का विनिधान कृषि मंत्रालय के लिए किया गया है ताकि छठी योजना की अवधि के दौरान जैव गैस संयंत्रों के बड़े पैमाने पर प्रतिष्ठापन में रियायतों की व्यवस्था की जाये।

3. सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में गतिविधियों के अन्तर्गत ऐसे अनुप्रयोग आते हैं यथा जल और स्थान तापन, प्रशीतन और वातानुकूलन, फसल शुष्कन, विलवणीकरण, पम्पन,

विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन आदि। प्रदर्शन; जल तापन प्रणालियां, एक होटल बेकरी, अस्पताल, कपड़ा मिल, डेयरी आदि में प्रतिष्ठापित की जा चुकी हैं और इस समय इन्हें विभिन्न स्थानों में जिनमें एक आसवनशाला और इलैक्ट्रानिकी फैक्टरी भी शामिल है, में भी प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। प्रदर्शन रोकड़ फसल शुष्कक, विभिन्न स्थानों में प्रतिष्ठापित की जा चुकी हैं और इस समय तम्बाकू को सुखा के लिए शुष्ककों, प्लाईवुड की वेनियर शुष्कन, अनाज शुष्कन और रोकड़ फसलों के शुष्कन के लिए शुष्ककों की प्रतिष्ठापना का की जा रही है। सौर शक्ति से चलने वाली इमारती लकड़ी की भट्टियों की प्रतिष्ठापना का विस्तार किया जा रहा है। एक सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र (एस० टी० ई० सी०) की स्थापना को हाथ में लिया जा रहा है। ताकि बड़े पैमाने पर आदि प्रारूपों के विकास, जानकारी और उत्पादों के मूल्यांकन, प्रदर्शन, वाणिज्यीकरण को हाथ में लिया जा सके।

4. सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा सिलिकान सौर सेलों के उत्पादन के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रम को पूर्ण रूप से समर्थन प्रदान किया जा रहा है और उसका विस्तार किया जा रहा है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग लागतें कम करने के लिए संविरचना के पैमाने को बढ़ाने और सौर सैलों की प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों और कुशलताओं में सुधार लाने पर अधिक बल दे रहा है और साथ ही कम लागत की सौर ग्रेड सिलिकान सामग्री के विकास और स्वदेश में ही उत्पादन पर अधिक बल दे रहा है। इन्हीं घटनाओं (विकासों) और लागत कम करने के माध्यम से ही वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर इनके अनुप्रयोग किए जा सकते हैं। एक पूर्व वाणिज्यिक प्रायोगिक संयन्त्र (एन० ए० एस० पी० ई० डी०) परियोजना को आरम्भ किया गया है ताकि 1983 तक एक मेगावाट स्तर तक सिलिकान प्रकाश वोल्टीय सैलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और उनका व्यापक पैमाने पर क्षेत्रीय स्तर के प्रदर्शन किये जा सकें। सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए कई स्थानों पर प्रदर्शन प्रकाश वोल्टीय पम्पों की प्रतिष्ठापना की गई है। प्रकाश वोल्टीय मोडयूलों के उपयोग का सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित परियोजनाओं में, गांवों में सामुदायिक रेडियो और दूरदर्शन में, जहाजरानी के लिए रेडियो बीकन यन्त्रों में दूरस्थ क्षेत्रों के संचार उपकरण में प्रदर्शन किया जा रहा है।

5. जीव भार उत्पादन, रूपान्तरण और उपयोगीकरण के क्षेत्र में अधिक बल सामुदायिक आकार के जैव गैस संयन्त्रों के प्रतिष्ठापन और प्रदर्शन और निवेश के रूप में गोबर के अतिरिक्त जल कुमुदिनी, कचरा, वनस्पति अपशिष्टों और कृषि अवशेष जैसे अन्य प्रकार के ठोस अपशिष्टों/सामग्रियों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। देश में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन सामुदायिक संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है और वे खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए गैस के अतिरिक्त प्रेरक शक्ति और बिजली प्रदान करेंगे और साथ ही कार्बनिक खाद भी कृषि मंत्रालय केन्द्रीय वित्तीय रियायत से छठी योजना अवधि के दौरान 400,000 जैव गैस संयंत्रों तक की प्रतिष्ठापना के लिए कार्यक्रम का बीड़ा उठा रहा है। देश में लखनऊ और मदुरै में जीवभार अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। ये तीव्र वृद्धि के लिए और विभिन्न कृषि जलवायु और मृदा अवस्थाओं आदि में वृद्धि के लिए पादपों के प्रकारों की संवीक्षा करेंगे और तब ऊतक संवर्द्धन के माध्यम से उनका बड़े पैमाने पर रोपण करने के लिए उनका गुणन करेंगे। इन स्पीशीज के अन्तर्गत पैट्रो फसलें, ईंधन की लकड़ी

की किस्में आदि आयेंगी जिनमें ल्यूसीनियां, यूफोर्बिया, गुआयूले और जोजोबा जैसी किस्मों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

6. विभिन्न प्रकार की पवन चक्कियों के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम को आरम्भ किया गया है ताकि इनके बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने के लिए अनुभव प्राप्त किया जा सके। देश में विभिन्न स्थानों पर पाल टाइप पवन चक्कियों और 'भोर पवन चक्कियों आदि के प्ररूपों की प्रतिष्ठापना की जा रही है। पवन ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है ताकि वे पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए और इस क्षेत्र में कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र बिन्दुओं के रूप में कार्य कर सकें। स्थानीय प्रेरक शक्ति (पम्प सैटों, कृषि परिचालनों आदि के लिए शक्ति आदि के लिए) की व्यवस्था के लिए और बिजली के उत्पादन लिए पवनचक्कियों (की स्थापना) पर विचार किया जा रहा है।

7. ऊर्जा संरक्षण-ऊर्जा भण्डारन के बारे में, और भू तापीय ऊर्जा, हाईड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, लघु जल प्रौद्योगिकियों, आदि जैसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जाओं को इसमें शामिल करके इस कार्यक्रम का विस्तार भी किया जा रहा है। इन विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्य और मानीटरन कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त विशेषज्ञ दलों की स्थापना की जा रही है।

8. छठी पंचवर्षीय योजना में आयोग पहले से ही कि विकास की गयी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और वाणिज्यीकरण पर विशेष बल दे रहा है जिससे कि देश में नवीकरणीय उर्जाओं का व्यापकतर उपयोग किया जा सके। प्रस्ताव है कि योजनाओं के दौरान देश के प्रत्येक जिले में एक ऐसे प्रायोगिक प्रदर्शन यूनिट की स्थापना की जाये जो कि नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों पर आधारित हो। वित्तीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहनों को आरम्भ किया जा रहा है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण के तीव्र वाणिज्यीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। जिन प्रोत्साहनों की पहले से ही घोषणा की जा चुकी है उनमें व्यापार या व्यवसाय में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण का विनिर्माण या उपयोग करने के लिए प्रतिष्ठापित मशीनरी या संयंत्र पर अधिक मूल्य ह्रास छूट, उत्पादन शुल्क से उन्मुक्ति और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोक्ताओं को जैव गैस संयंत्रों, सौर कुकरों, जल पम्पन युक्तियों आदि पर रियायतें शामिल हैं। वित्तीय संस्थाओं ने संस्थागत उधार को उन्हीं शर्तों पर मानना स्वीकार कर लिया है जो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए दिए गए उधारों पर लागू होती है, जिससे कि विनिर्माताओं और उपयोक्ताओं दोनों के लिए उपयुक्त शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था की जा सकेगी। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे बिक्रीकर, और चुंगी जैसे उपकरण में उन्मुक्ति प्रदान करें।

9. इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि देश में विभिन्न स्थानों पर लम्बे अर्से तक क्रमबद्ध, आधार पर और छुट-पुट रूप में इन क्षेत्रों में कार्य किया जाता रहा है और समय-समय पर विभिन्न प्रकार के दावे भी किये गये हैं। सरकार का प्रयास यह रहा है कि वित्तीय समर्थन के साथ संस्थागत ढांचा तैयार किया जाए ताकि नई और नवीकरणीय ऊर्जाओं पर आधारित प्रणालियों के अनुसंधान, अभिकल्प, विकास, प्रदर्शन, उत्पादन और बड़े पैमाने पर प्रतिष्ठापन के समग्र व्यापक

स्पैक्ट्रम में विभिन्न गतिविधियों का समर्थन, समन्वय, मूल्यांकन और सम्वर्द्धन किया जा सके। ऊपर के पैराओं में जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस दिशा में एक व्यवस्था-बद्ध मुख्य श्रीगणेश किया जा चुका है।

बंधुआ मजदूरों की रक्षा

2455. **श्री समर मुखर्जी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान अब तक राज्य-वार कितने बंधुआ मजदूरों की रक्षा की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने उनके बचाव सम्बन्धी कार्य में बाधा डाली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य	1-4-1980 से 31-3-1981 तक पता लगाए गए और कराए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	197
2. बिहार	285
3. गुजरात	—
4. हरियाणा	--
5. कर्नाटक	10
6. केरल	—
7. मध्यप्रदेश	—
8. महाराष्ट्र	—
9. उड़ीसा	543
10. राजस्थान	—
13. तमिलनाडु	46
12. उत्तर प्रदेश	500
जोड़	1581

ई० आई० सी० एण्ड आई० सी० पी० कर्मचारी यूनियन कलकत्ता द्वारा ज्ञापन

2456. **श्री मुकुन्द मंडल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ई० आई० सी० एंड आई० सी० पी० कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता का दिनांक 8 अप्रैल 1981 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में एकक की तेजी से बिगड़ती हालत और कच्चे माल की प्राप्ति, बिजली के बिलों का भुगतान न करने, कैन्टीन की सुविधायें समाप्त करने, सम्बन्धित प्राधिकरणों में कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि-अंशदानों को जमा न करने सम्बन्धी अन्य मामलों की ओर ध्यान दिलाया गया है ।

(ग) यह कम्पनी निजी क्षेत्र में है । इन आरोपों की जांच तथा सूचना के लिए राज्य-सरकार को भेज दिया गया है ।

आसूचना ब्यूरो के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

2457. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मामले के न्यायाधीन होने और एक अवमान याचिका के विचाराधीन होने के बावजूद सरकार आसूचना विभाग के कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर रही थी जो अपनी वैध मूल्यांकन हेतु जागरूक थे ;

(ख) क्या 52 वर्षों की आयु वाले कर्मचारियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आसूचना ब्यूरो में स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से और जनहित में किए गए हैं । स्थानान्तरण के निर्णय पर न्यायालय में लम्बित पड़े किसी मामले का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । तथापि स्थानान्तरण के कुछ मामलों को न्यायालय में चुनौती दी गयी है और न्यायाधीन हैं । इन स्थानान्तरणों के संबंध में सरकार न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के अनुसार काम कर रही है ।

(ख) और (ग) 52 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का स्थानान्तरण न करने के कोई आदेश नहीं हैं ।

जगतपुरी, उत्तर प्रदेश के निकट सैनिक कार्मिकों द्वारा गोलियों का परीक्षण

2458, **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक कार्मिक उत्तर प्रदेश में चांदमारी में जगतपुरी के लगभग 20 किलोमीटर निकट एक वन में गोलियों का परीक्षण करते रहे है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस परीक्षण से 500 से अधिक आदिवासी इन गोलियों के शिकार हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) माननीय सदस्य ने प्रश्न में जैसे चांदमारी रेंज का वर्णन दिया है, वैसा कोई चांदमारी रेंज नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"रा" के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई अवकाश यात्रा छूट

2459. **डा० एस० यू० आजमी**
श्री हरीश कुमार गंगनार
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मई-जून में "रा" के कितने कर्मचारियों ने अपने माता-पिता सहित अवकाश यात्रा छूट प्राप्त की ;

(ख) क्या विभाग इन कर्मचारियों द्वारा मां-बाप को अपने आश्रितों के रूप में घोषित किए जाने से संतुष्ट है अथवा क्या विभाग इन कर्मचारियों द्वारा मां-बाप के सम्बन्ध में कितना विवरण की प्रामाणिकता जानने के लिए जांच कराने के आदेश देगा ; और

(ग) इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क)अपेक्षित सूचना देना जनहित में न होगा ।

(ख) और (ग) यदि कोई ऐसी सामग्री प्राप्त हुई जिससे किसी दावे की प्रमाणिकता पर संदेह होता हो तो मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्यवाही की जाएगी ।

आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन

2460. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी वैलफेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन की स्थापना जूनियर अफसरों तथा नीचे रैंक के कार्मिकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1978 में की गई थी ;

(ख) क्या इस संगठन को मेजर सोमनाथ शर्मा, एक मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता के बाद "सोम विहार" नाम से आर० के० पुरम, नई दिल्ली में एक भूखण्ड का आवन्टन किया गया था ;

(ग) इस मन्त्रालय को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और क्रमानुसार कितने व्यक्तियों को भूखण्ड उपलब्ध कराए गए ;

(घ) क्या यह सच है कि उच्चाधिकारियों ने अपने पतों को बदल दिया और जूनियर अफसरों को पीछे हटाकर, जिनके लिए यह योजना बनाई गई थी, भूखण्डों का आवंटन प्राप्त कर लिया है ;

(ङ) क्या यह सच है कि 50 मेजर जनरलों और 20 उच्च पदाधिकारियों ने जूनियर अफसरों के आवेदन पत्रों को नजरन्दाज करके इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया है ; और

(च) जूनियर अफसरों को किए गए उनके वायदों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (च) "आर्मी वैलफेयर हाउसिंह आर्गेनाइजेशन" पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसायटी है। अतः इससे रक्षा मन्त्रालय का सम्बन्ध नहीं है।

पाकिस्तान को परमाणु विस्फोट के लिए चीनी सहायता

2461. **श्री जगपाल सिंह**
श्री त्रिलोक चन्द
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री बी० डी० सिंह
श्री रशीद मसूद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में हाल ही में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि चीन ने पाकिस्तान को मूल्यवान कच्चा माल और उपकरणों को देने के अतिरिक्त परमाणु बम का परीक्षण करने की सुविधा देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो संबंधों को सामान्य बनाने के लिए चीन के विदेश मंत्री के साथ दिल्ली में हुई हाल की वार्ता के संदर्भ में विशेषकर इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है। किन्तु इस सम्बन्ध में कोई प्रमाणित सूचनाएं नहीं है।

(ख) सरकार अपने सुरक्षा पर्यावरण में होने वाली सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है और अपनी रक्षा तैयारियों को अद्यतन बनाने के लिए समुचित उपाय करती है।

खाड़ी के देशों से आने वाले लोगों की संख्या

2462. **श्री सतीश अग्रवाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से अप्रैल, 1981 तक खाड़ी के देशों से भारत का दौरा करने वाले व्यक्तियों की (महीनावार और देशवार) संख्या क्या है; और

(ख) वे किस उद्देश्य से यहां आए थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण 1 तथा 2 में दी गई है।

(ख) वे विभिन्न उद्देश्यों से अर्थात् अध्ययन, पर्यटन, व्यापार आदि के लिए आये थे।

विवरण—1

खाड़ी के देशों में भारत का दौरा करने वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीयतावार, महीनेवार संख्या

वर्ष 1980

देश का नाम	जन०	फर०	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग०	सित०	अक्तू०	नव०	दिस०	जोड़
बहरीन	837	784	903	582	853	1295	931	1231	978	689	611	799	10493
ईराक	261	310	209	201	118	174	232	296	213	143	91	143	2391
ईरान	2025	1653	2091	1971	1421	2442	2960	2108	1363	870	757	1096	20757
इजराइल	111	113	114	128	104	164	180	206	185	401	378	354	2438
जोर्डन	187	100	132	117	129	130	273	163	132	138	151	202	1854
कुवैत	271	58	329	196	253	499	264	398	218	210	187	220	3103
लेबनान	69	90	81	104	113	84	107	61	92	129	94	74	1098
ओमन	630	438	414	519	641	1289	717	872	726	421	465	732	7864
कतार	442	266	324	264	587	1324	390	963	824	246	293	274	6197

विवरण 1 (जारी)

खाड़ी के देशों में भारत का दौरा करने वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीयतावार, महीनेवार संख्या

वर्ष 1980

देश का नाम	जन०	फर०	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग०	सित०	अक्तू०	नव०	दिस०	जोड़
सऊदी अरब	1035	1777	1194	1601	1577	2764	1637	3408	1611	1985	1526	1635	21750
सीरिया	76	48	79	127	43	40	71	68	40	26	81	80	779
शारजाह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	6
द० यमन	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
संयुक्त अरब अमीरात	1032	631	779	693	995	1664	2646	2756	1620	907	924	876	15523
यमन	403	269	360	386	438	476	466	566	381	423	363	425	4966

विवरण—2

खाड़ी के देशों में भारत का दौरा करने वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीयतावार, महीनेवार संख्या

वर्ष 1980

देश का नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	जोड़
बहरीन	785	346	1065	841	3037
ईराक	179	305	340	243	1107
ईरान	1280	1052	937	933	4202
इजरायल	226	87	104	135	552
जोर्डन	177	220	178	115	690
कुवैत	319	431	374	232	1356
लेवनान	60	94	73	73	300
ओमन	882	485	606	610	2583
कतार	598	265	563	376	1802
साऊदी अरब	1619	2228	1772	1821	7440
सीरिया	75	106	98	190	469
शारजाह	1	2	2	4	9
द० यमन	1	—	2	—	3
संयुक्त अरब अमीरात	1228	742	776	812	3558
यमन	480	364	526	499	1869

हल्दिया के लिए जहाज मरम्मत परियोजना

2464. **श्री रेणू पद दास**
श्री सत्य गोपाल मिश्र } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने जहाज मरम्मत परियोजना को हल्दिया में स्थापित करने के मामले में वित्त मन्त्रालय के साथ उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा पेश की गई परियोजना की सम्भाव्यता और व्यवहार्यता की जांच वित्त मंत्रालय समेत भारत सरकार की अनेक मूल्यांकनकर्त्ता एंजेसियों के साथ परामर्श करके की जा रही है। उनके साथ परामर्श करके मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय समुद्र क्षेत्र में विदेशी नौकाओं द्वारा अवैध प्रवेश

2465. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय समुद्र क्षेत्र में विदेशी नौकाओं के तस्करी के प्रयोजन से अवैध प्रवेश की घटनाओं में हाल में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या अपने समुद्र क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए तट-रक्षकों के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो अवैध प्रवेश की घटनाओं में कितनी वृद्धियां हुई हैं और तट रक्षकों को ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु पर्याप्त कानूनी शक्तियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) 1980 के आंकड़ों की तुलना में 1981 के दौरान देखी और पकड़ी गई विदेशी नौकाओं की संख्या में कमी दिखायी देती है।

तटरक्षक कार्मिकों को भारतीय समुद्री सीमा का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कानूनी शक्तियां दे दी गई हैं।

केरल फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन द्वारा गिरिजनों को रोजगार दिया जाना

2466. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि केरल फार्मास्यूटिकल कारपो-

रेशन ने जड़ी, बूटी शहद आदि जैसी वन उत्पादों को एकत्र करने और उन्हें छोटे पैकटों में बेचने के लिए गिरिजनों को रोजगार देकर उनकी सहायता करने की बहुचर्चित योजना छोड़ दी है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त राज्य एजेन्सी द्वारा यह योजना छोड़ दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र इसे अन्य राज्यों में लोकप्रिय बनाने के लिए इस परियोजना के आधार पर कोई योजना तैयार कर रहा है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस योजना को पुन: आरम्भ करने की सलाह देगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केरल फार्मास्युटिकल कारपोरेशन ने गिरिजन सहकारी समितियों से लघु वन उत्पादों की खरीद और निपटान बन्द कर दिया है क्योंकि राज्य सरकार ने 2 फरवरी, 1981 के आदेश द्वारा इस कार्य को राज्य के वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया है।

(ख) यह कदम गिरिजन सहकारी समितियों को आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए उठाया गया था क्योंकि केरल फार्मास्युटिकल कारपोरेशन से उनको बकाया राशि का भुगतान करना था ।

(ग) तथा (घ) जी नहीं, श्रीमान ।

आवड़ी क्लोथिंग फैक्टरी, मद्रास के लिए रिहायशी इमारतें बनाने के लिए धनराशि का आबंटन

2467. **डा० ए० कलानिधि** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में मद्रास के निकट आवड़ी क्लोथिंग फैक्टरी के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी धनराशि आबंटित की जायेगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मद्रास के निकट आवड़ी क्लोथिंग फैक्टरी के लिए रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए निधियां आबंटित करने का छठी पंचवर्षीय योजना में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट का उत्पादन

2468. **श्री टी० आर० रमन्ना :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1798 1979, 1980 और 1981 में सीमेंट का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमेंट की कितनी मात्रा का आयात किया गया; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने सीमेंट का राज्यवार आवंटन किया गया;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) :

(क) वर्ष	उत्पादन (दस लाख मीटरों टनों में)
1978	19.62
1979	18.30
1980	17.90
1981 (जून तक)	9.94

(ख) वर्ष	आयातित मात्रा (लाख मीटरों टनों में)
1978-79	16.55
1979-80	15.47
1980-81	19.74

(ग) पिछले तीन वर्षों में सीमेंट के राज्यवार आवंटन को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	आवंटन (हजार मी० टनों में)		
		1978	1979	1980
	पूर्वी क्षेत्र			
1.	आसाम	235.0	253.5	219.0
2.	बिहार	1116.0	1109.1	914.6

1 2	3	4	5
3. उड़ीसा	362.0	394.1	431.9
4. पश्चिम बंगाल	1318.0	1419.6	1195.6
5. मणिपुर	38.0	43.0	46.5
6. नागालैंड	31.0	43.0	46.5
7. अरुणाचल प्रदेश	7.0	45.0	52.0
8. त्रिपुरा	31.3	43.0	49.0
9. मेघालय	45.0	64.5	66.0
10. सिक्कम	31.3	43.0	44.6
11. मिजोरम	20.0	25.8	26.4
पश्चिम क्षेत्र			
1. गुजरात	1462.5	1692.5	1539.3
2. मध्य प्रदेश	825.0	734.1	746.1
3. महाराष्ट्र	2412.4	2213.5	2103.5
4. गोवा दमन व दीव	112.0	127.3	130.2
5. दादरा, नागर हवेली	8.6	10.9	11.6
दक्षिणी क्षेत्र			
1. आंध्र प्रदेश	1555.5	1533.5	1551.5
2. तमिलनाडु	1467.0	1523.8	1529.9
3. कर्नाटक	1142.6	1232.1	1025.7
4. केरल	765.8	886.0	983.7
5. पांडिचेरी	39.0	43.0	45.6
6. अन्डमान एंड निकोबार आइसलैंड	12.0	12.9	18.3
7. लक्षद्वीप	5.1	6.7	7.6

1 2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र			
1. हरियाणा	699.0	689.5	619.5
2. राजस्थान	607.0	629.3	571.7
3. उत्तर प्रदेश	2175.0	2238.5	1952.3
4. हिमाचल प्रदेश	132.0	135.3	118.0
5. जम्मू एण्ड कश्मीर	182.5	196.0	184.4
6. पंजाब	1000.0	985.1	911.9
7. चण्डीगढ़	82.0	84.9	83.6
8. दिल्ली	539.5	536.5	527.2

"राजस्थान के गांव में पाए गए चीनी भाषा के परचे"

2469. **श्री अशोक गहलोत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जुलाई, 1981 के दैनिक समाचार पत्र "नव ज्योति" "राजस्थान की दीवाली तहसील के गांव में चीनी भाषा के परचे मिले" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रभावशाली कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

बाई और वलौल नालों पर पुलों का निर्माण

2470. **श्री गिरधारी लाल डोगरा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई और अगस्त के महीनों में जम्मू और पठानकोट के बीच राष्ट्रीय राजपथ बाई और वलौल नालों में बाढ़ के कारण एक साथ घंटों बन्द रहता था;

(ख) क्या इन नालों पर पुलों के लिए हर वर्ष मंजूरी दी जाती है परन्तु उनका निर्माण नहीं किया जाता; और

(ग) इन पुलों का निर्माण कब किया जायेगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) मानसून के दौरान सड़क थोड़ी अवधि सामान्यतया लगभग दो या तीन घंटों के लिए बन्द रहती है, क्योंकि तब वर्तमान उभारदार रास्ते के ऊपर से बाढ़ का तेज पानी बहता रहता है ।

(ख) और (ग) इन नालों के ऊपर पुलों का निर्माण करने के लिए अभी तक कोई मंजूरी जारी नहीं की गई है । आवश्यक जल विज्ञान और भूमि सम्बन्धी आंकड़ों पर कार्यवाई की जा रही है । उक्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ही पुलों के निर्माण के लिए कार्यक्रम चलाया जा सकता है ।

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं का विभाजन

2471. श्री मूलचन्द डागा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं की संख्या तथा उन वर्गों की संख्या क्या है जिनमें उन्हें विभाजित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इन सभी सेवाओं के लिए भर्ती तथा अन्य ऐसे सम्बन्धित नियम बना लिए गये हैं और राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सूची क्या है; और

(घ) उनमें से कुछेक का राजपत्र में प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं और उनके प्रकाशन में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

नैरोबी में ऊर्जा के पुनः उपयोग में आने योग्य स्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र गोष्ठी में भारत का भाग लेना

2472. श्री जगदीश टाइलर
श्री हरीश कुमार गंगवार } : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अगस्त, 1981 में नैरोबी में आयोजित ऊर्जा के पुनः उपयोग में आने योग्य स्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र गोष्ठी में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इनकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों से राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) भारत ने ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया जो कि 10-21 अगस्त, 1981 तक नैरोबी में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के उद्घाटन अधिवेशन में भारत के प्रधान मन्त्री ने मुख्य अभिभाषण दिया। केनिया के राष्ट्रपति और कनाडा, जमैका और स्वीडन के प्रधानमन्त्रियों ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य राज्यों से उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में कार्यक्रम स्वीकार किया जिसके अन्तर्गत नीति विषयक और विशिष्ट उपाय आते हैं और जिसमें प्राथमिकता प्राप्त कार्य के क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया गया है। इन क्षेत्रों के अन्तर्गत ऊर्जा मूल्यांकन और नियोजन, ग्रामीण और शहरी ऊर्जा आवश्यकताओं से संबंधित अनुसंधान विकास और प्रदर्शन परिपक्व प्रौद्योगिकियों के स्थानांतरण, अनुकूलन और अनुप्रयोग, सूचना का विनिमय और कार्मिकों का प्रशिक्षण शामिल है। इस कार्यक्रम में ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में विकासशील देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक और तकनीकी सहयोग की आवश्यकता का अभिनिर्धारण करता है। सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र में एक अन्तः शासकीय निकाय की स्थापना करने की सिफारिश की जिसका विशिष्ट रूप से सम्बन्ध ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से हो और साथ ही प्रदाता और रुचि लेने वाले देशों की परामर्श बैठकों में हो ताकि कार्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की जा सके। कार्य कार्यक्रम के अलावा सम्मेलन में कई संकल्प स्वीकार किए गये। भारत और केनिया द्वारा पेश किए गये एक ऐसे संकल्प में जिसका यह प्रायोजन कई अन्य देशों में भी किया गया है, वन रोपण कार्यक्रम को त्वरित करने और ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के संवर्द्धन के लिए आवाहन किया गया है।

(ग) सरकार, संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त होने के पश्चात सम्मेलन की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करेगी, सम्मेलन द्वारा अभिनिर्धारित बहुत से उपायों को भारत में ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। जहां आवश्यक होगा, नए कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे और पहले चले आ रहे कार्यक्रमों को त्वरित किया जाएगा। सरकार भी सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई अतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में पूर्णरूप से भाग लेगी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जन-दिवसों की हानि

2473. **श्री ई० बालनन्दन**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी
श्री चिन्तामणि जैना
श्री मोहनलाल पटेल } : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि देश में तालाबंदी के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और राज्य-वार जन दिवसों की कितनी हानि हुई ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) : 1978-80 की अवधि के दौरान देश में (राज्य-वार) तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1978-80 की अवधि के दौरान तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (राज्यवार) दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (हजारों में)		
		1978	1979	1980 (अ)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	123	63	15
2.	असम	—	—	—
3.	बिहार	346	764	619
4.	गुजरात	62	128	352
5.	हरियाणा	130	197	101
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
8.	कर्नाटक	124	588	183
9.	केरल	163	493	794
10.	मध्य प्रदेश	57	—	404
11.	महाराष्ट्र	1,031	1,229	1,830
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—

1	2	3	4	5
15.	उड़ीसा	22	4	102
16.	पंजाब	7	—	105
17.	राजस्थान	36	3	246
18.	सिक्कम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	485	602	923
20.	त्रिपुरा	—	4	—
21.	उत्तर प्रदेश	1,649	646	239
22.	पश्चिम बंगाल	8,632	3,085	4,427
23.	अन्डमान और निकोबार	—	6	6
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
25.	चंडीगढ़	—	—	—
26.	दादर और नागर हवेली	—	—	—
27.	दिल्ली	50	223	18
28.	गोवा, दमन और दीव	—	3	35
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	—	—	—
31.	पांडिचेरी	—	5	—
	कुल	12,917	8,050	9,907

(अ) = अनंतिम

(—) = शून्य

नोट :—आंकड़े पूर्णांक के कारण अनिवार्यतः जोड़ से मेल न खाते हों।

देश में "वर्क परमिट सिस्टम" को लागू किया जाना

2474. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देवा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में "वर्क परमिट सिस्टम" को लागू करने के बारे में सरकार का रवैया क्या है ;

(ख) क्या यह व्यवस्था किसी राज्य में लागू कर दी गई है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या कुछ राज्य इसे लागू करने की दृष्टि से इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और यदि हां तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) समाचार पत्र में यह रिपोर्टें छपी हैं कि महाराष्ट्र सरकार बम्बई शहर में वर्क परमिट प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है, तथापि, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्क परमिट सिस्टम शुरू करने का कोई भी प्रस्ताव इस समय उनके विचाराधीन नहीं है ।

उपर्युक्त की दृष्टि में किसी विषय के बारे में किसी नीति/रुख का प्रश्न नहीं उठता ।

कामन पुलिस काडर बनाना

2475. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी संघ राज्य क्षेत्रों के इन्सपेक्टर औहदे तक पुलिस का एक कामन काडर बनाने का विचार है जो कि भ्रष्ट एवं बेईमान पुलिस कर्मचारियों के लिए डर के रूप में होगा, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा और अपराधों की दर में कमी होगी जिसमें अब वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय उद्योगों में लगी पूंजी

2476. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय उद्योगों में आवश्यकता से अधिक पूंजी लगाई जा

रही है और लगी हुई पूंजी के अनुपात में उससे आय 1950 से 1980 के बीच बद से बदतर होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार कर रही है और इससे निपटने के लिए कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) अर्थव्यवस्था के उत्पादनकारी तथा खनन क्षेत्रों में लगी हुई वृद्धिशील पूंजी उत्पादन के अनुपात के एक विश्लेषण से पता चलता है कि यह अनुपात विभिन्न योजना अवधियों में समान नहीं रहा है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से पता चलता हैं :—

उत्पादनकारी और खनन

1979-80 के मूल्य

योजना	अवधि	लगी हुई वृद्धिशील पूंजी/ उत्पादन का अनुपात
प्रथम योजना	1951-52 1955-56	5.52
दूसरी योजना	1956-57 1960-61	7.49
तीसरी योजना	1961-62 1965-66	6.67
चौथी योजना	1969-70 1973-74	11.46
पांचवी योजना	1974-75 1978-79	8.73

फिर भी, अधिक पूंजी/उत्पादन का अनुपात ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अधिक पूंजी लगाने के कारण ही हो। उदाहरण के लिए कई बार इसका प्रभाव कच्चे माल तथा अन्य निविष्ट साधनों की कमी के रूप में हो सकता है। अवस्थापना सम्बन्धी निविष्टियों की पूर्ति में वृद्धि करने और उनमें समन्वय बनाये रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उद्योगों की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही ग्रमीण तथा लघु उद्योगों के विकास पर भी अत्याधिक जोर दिया गया है। उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के फलस्वरूप उत्पादनकारी तथा खनन क्षेत्रों में लगी

हुई वृद्धि शील पूंजी/उत्पादन का अनुपात पांचवी योजना में हुए 8.73 प्रतिशत की अपेक्षा छठी योजना में 6.91 प्रतिशत हो जाने का अनुभाग लगाया गया है।

"आन द जोब ट्रेनिंग योजना"

2477. **श्री इम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत पुनर्वास महानिदेशक ने तीनों 'रक्षा सेवाओं' से प्रति-वर्ष सेवानिवृत होने वाले लगभग 60,000 जवानों को और 900 कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उपयुक्त रोजगार देने के प्रयास के रूप में 'आन द जोब ट्रेनिंग' योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक शुरू की गई योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन योजनाओं से भूतपूर्व सैनिकों को किस हद तक रोजगार मिला है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि जितने भूतपूर्व सैनिक अब तक सेवानिवृत्ति हुए हैं उन सबको वैकल्पिक रोजगार दिया जा चुका है ; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष में ऐसे कितने सैनिकों को रोजगार दिया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए उनकी सेवा के अन्तिम 18 महीनों में "कार्य करते हुए प्रशिक्षण" देने की योजना हाल ही में शुरू की गई है जिससे कि वे 10 चुने हुए व्यवसायों में कुशलता प्राप्त कर सकें। इस प्रशिक्षण की अवधि नौ महीने है। यह प्रशिक्षण विभागीय और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य प्रथम चरण में क्रमिक रूप से 2,000 रक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है। इस समय इस योजना के अन्तर्गत रक्षा सेवाओं के अन्य रैन्कों को ही परीक्षण दिया जाता है।

(ग) इस समय प्रशिक्षार्थियों का पहला दल प्रशिक्षण ले रहा है। यह आशा की जाती है कि कुशलता में सुधार होने से प्रशिक्षार्थी सेवा निवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन या अपना काम-धन्धा शुरू करने से अपने आपको पुनर्व्यवस्थापित कर सकेंगे।

(घ) सेवा-निवृत्त होने वाले सभी रक्षा सेवा कार्मिक सरकार से रोजगार सहायता नहीं चाहते। इनमें अधिकांश अपने काम-धन्धे के जरिए अपने आपको पुनर्व्यस्थापित करने को तरजीह देते हैं तो अन्य कुछ व्यक्ति अपने ही प्रयत्नों के जरिए रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। सरकार से सहायता चाहे वगैर वैकल्पिक रोजगार प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के बारे में सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार कितने भूतपूर्व सैनिकों को

रोजगार देगी, यह संरकार से रोजगार सहायता चाहने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या और भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देने के लिए उपलब्ध रिक्तियों की स्थिति पर निर्भर करेगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही

2478. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त गृह मन्त्रालय को इस आशय से अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है कि मन्त्रालय उसके द्वारा दिए गए सुझावों के संदर्भ में कार्यवाही करेगा और यदि हां, तो वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिए उपरोक्त प्रतिवेदन मंत्रालय को कब प्रस्तुत किए गए थे और उन प्रतिवेदनों पर मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है तथा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या वर्ष 1977-78 और 1978-79 के प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण इस सत्र के दौरान लोक सभा के सभा पटल पर रखा जाएगा ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने 29 दिसम्बर, 1978 और 31 मार्च, 1980 को क्रमशः 1977-78 और 1978-79 के लिए अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। 1977-78 के लिए रिपोर्ट की प्रतियां लोक सभा के पटल पर 1 फरवरी, 1980 को और राज्य सभा के पटल पर 2 फरवरी 1980 को रख दी गई थी। इस प्रकार 1978-79 वर्ष के लिए रिपोर्ट की प्रतियां लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर 22 दिसम्बर, 1980 को रख दी गई थीं। आयुक्त द्वारा इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासनों और सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों को भेजी गई हैं और सभी सिफारिशों पर उनकी टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। सभी सिफारिशों पर उनकी टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद इन रिपोर्टों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

सीमेंट की सप्लाई

2479. **श्री नीरेन घोष** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को गत सात महीने में प्रतिमाह की नई सीमेंट की सप्लाई के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) राज्यों को सीमेंट की सप्लाई की मात्रा किस आधार पर तय की जाती है ;

(ग) क्या कुछ राज्यों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उनके कोटे की तुलना में उन्हें कम मात्रा में सीमेंट मिली है ;

(घ) ऐसी शिकायतें किन राज्यों से मिली हैं ;

(ङ) क्या उन शिकायतों को दूर कर दिया गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जनवरी से जुलाई, 1981 की अवधि में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को भेजी गई सीमेंट का मासिक ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (च) राज्यों को सीमेंट का आवंटन पिछली खपत तथा सीमेंट की समग्र उपलब्धता के आधार पर निश्चित किए गए मापदण्ड के अनुसार किया जाता है। देश में सीमेंट के कम उपलब्ध होने की आम शिकायत है। देश में सीमेंट की सामान्य रूप से कमी होने के कारण सभी राज्यों की सीमेंट की समग्र आवश्यकता पूरा कर पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। सरकार विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके, नई क्षमता स्वीकृत करके तथा आयात द्वारा देश में सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। देश में सीमेंट की उपलब्धता स्थिति में सुधार होने के बाद ही राज्यों के आवंटन को बढ़ा पाना संभव हो सकेगा।

विवरण

जनवरी—जुलाई 1981 की अवधि में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के प्रेषण को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई (अ०)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राजस्थान	40378	35996	49666	49673	67296	40178	44399	327586
2.	दिल्ली	27941	38364	38168	43782	41852	37098	27727	254932
3.	उत्तर प्रदेश	101211	139115	162665	122448	162691	154993	132740	1015663
4.	पंजाब	38662	60806	56403	33145	56347	38242	72200	7355707
5.	हरियाणा	38789	38248	41151	43165	49194	42685	35333	288565
6.	हिमाचल प्रदेश	4805	7225	12-74	12278	11422	7256	8583	64043
7.	चंडीगढ़	2071	7914	10464	7318	7851	7669	8724	52031
8.	जम्मू और कश्मीर	17646	8580	17047	5170	6884	14123	11119	80569
9.	पश्चिम बंगाल	73466	88163	80764	81115	76716	104588	115836	625648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	बिहार	92330	72603	86378	83642	64360	66694	38504	534511
11.	उड़ीसा	22539	29943	272377	16652	20325	33533	44528	194757
12.	असम	11168	17116	38794	11890	18581	10227	16872	124648
13.	मणिपुर	2219	3664	6654	2856	3721	5784	3200	280098
14.	नागालैंड	4393	1603	6223	2024	2327	8669	3975	28514
15.	त्रिपुरा	2301	19	2826	3881	3337	680	9547	22391
16.	सिक्किम	3037	1350	4352	2556	1296	2090	16607	21288
17.	मिजोरम	1851	273	695	168	36	2289	40	5352
18.	अरुणाचल प्रदेश	2115	1048	2191	524	2063	780	645	9366
19.	मेघालय	4786	5633	7085	4702	4908	4034	6250	37398
20.	महाराष्ट्र	175394	134986	103816	129029	135372	139968	145539	1054105
21.	गुजरात	12822	106640	119487	119467	146024	117046	116372	853258
22.	मध्य प्रदेश	82929	76738	80419	60962	65609	84902	67276	518835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	गोवा,दमन द्वीप	8638	4443	16801	23488	14937	1038	1369	70714
24.	डी० एन० जी०	800	464	448	511	578	889	267	3957
25.	तमिलनाडु	119959	176676	135664	111785	159594	117637	137502	908817
26.	आन्ध्र प्रदेश	134602	129461	151284	133244	141112	120102	144240	954045
27.	कर्नाटक	77942	47913	79329	54481	99134	72173	66897	497869
28.	केरल	61711	92333	121576	85850	58663	85262	51772	560167
29.	पांडिचेरी	4061	2436	3676	2935	2263	1663	1584	18618
30.	अंडमान और निकोबार	1650	—	984	—	2199	—	1900	8733
31.	लक्षद्वीप	379	419	—	—	—	—	—	798
	योग	1335795	1280192	1554721	1248541	1426692	1321594	1334447	9520982

हिन्दुस्तान कागज निगम

2480. श्री राजेश कुमार सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान कागज निगम की स्थापना कब की गई थी ;

(ख) निगम की स्थापना से लेकर अब तक कुल कितने और कौन-कौन से कागज उत्पादन संयन्त्रों की स्थापना की है ;

(ग) क्या कोई संयंत्र पूरा हो चुका है ;

(घ) प्रत्येक संयंत्र पर कितना वित्तीय खर्च आया है ; और

(ङ) इस निगम को प्रारम्भ से लेकर अब तक का कुल प्रशासनिक खर्च कितना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की स्थापना मई, 1970 में की गई थी।

(ख) निगम निम्नलिखित परियोजनाओं की स्थापना करने में लगा हुआ है :—

1. केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट, मेवेल्लूर, केरल।
2. नागालैंड पेपर प्रोजेक्ट, तुली, नागालैंड।
3. नौगांव पेपर प्रोजेक्ट, जागी रोड, असम।
4. कछार पेपर प्रोजेक्ट, पंचग्राम, असम।

(ग) नागालैंड पेपर प्रोजेक्ट परीक्षण के तौर पर चल रही है तथा इसमें कुछ ही महीनों में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो जायेगी। केरल न्यूजप्रिंट परियोजना के भी 1981 के अन्त तक शुरू हो जाने की आशा है। नौगांव और कछार परियोजनाओं के 1984 के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है।

(घ) परियोजनाओं की पूर्वानुमानित अन्तिम लागतें नीचे दी जाती हैं :—

	(रुपये करोड़ों में)
1. केरल न्यूजप्रिंट परियोजना	151.90
2. नागालैंड पेपर परियोजना	83.73
3. नौगांव पेपर परियोजना	228.44
4. कछार पेपर परियोजना	226.32

(ङ) निगम के प्रशासन पर उसकी स्थापना की तिथि से कुल 917 लाख रुपये व्यय हुआ।

बंगाल सरकार विदेशी सहायता एजेंसियों के प्रति सतर्क

2481. **श्री शिबु सोरन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का ध्यान दिनांक 4 अगस्त, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स "बंगाल सरकार विदेशी सहायता एजेंसियों के प्रति सतर्क" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत सहायता एजेंसियों की तथाकथित अवांछनीय गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

एकाधिकार गृहों की ओर बकाया धनराशि

2492. **श्री शिव चरण वर्मा**
श्री त्रिलोक चन्द } : क्या श्रम मन्त्री 1 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1580 के उत्तर तथा 10 अप्रैल, 1981 को एकाधिकार गृहों की ओर बकाया के बारे में आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए सभा पटल पर रखे विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनके पते अभी तक ढूंढे नहीं जा सके हैं और ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन पर श्रम कानून लागू नहीं होते तथा ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अभी तक बकाया की अदायगी नहीं की है ; और

(ख) क्या उन सभी कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 1580 तारीख पहली मार्च, 1979 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने में सदन की मेज पर रखे गए विवरण में दी गई सूचना के अतिरिक्त कोई और सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राज्य सरकारों से इस मामले में समुचित कार्यवाही करने के लिए कहा जा रहा है ।

"रिसर्जेंस आफ लैफ्ट एक्स्ट्रीमिस्ट एक्टीविटी"
शीर्षक समाचार

2483. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जुलाई, 1981 के अंग्रेजी दैनिक "पायनियर"(लखनऊ सिटी संस्करण) में "गवर्नमेंट अलर्ट्स स्टेट्स-रिसर्जेंस आफ लैफ्ट एक्स्ट्रीमिस्ट एक्टीविटी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और इस आतंक को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) इस आतंक के कारण पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अलग-अलग हिंसा थी, "राज्यवार" और "वर्षवार" कितनी घटनाएं हुई; और

(घ) हिंसा की बढ़ती हुई इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार ने उल्लिखित समाचार देखा है। विधि और व्यवस्था मुख्यत: राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखती है तथा समय-समय पर ऐसा मार्गदर्शन और सहायता देती है जो आवश्यक हो।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात के लिए सीमेंट

2484. श्री डी० पी० जदेजा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने 1980 और 1981 के लिए कितने सीमेंट की मांग की थी ;

(ख) वर्ष 1980-81 और जून 1981 तक अलग-अलग गुजरात राज्य को उसकी मांग की तुलना में वास्तव में कितने सीमेंट की सप्लाई की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि मांग के अनुपात में बहुत कम मात्रा में सीमेंट की सप्लाई की गई

जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं, गैर-सरकारी निर्माण कार्यों और ग्रामीण निर्माण के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ; और

(घ) यदि हां, तो गुजरात राज्य की भविष्य में सीमेंट की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने हाल ही में बताया है कि उनकी सीमेंट की आवश्यकता प्रति तिमाही 7.6 लाख मी० टन होगी। गुजरात राज्य को वर्ष 1980 तथा वर्ष 1981 की पहली दो तिमाहियों में सीमेंट का किया गया आवंटन और प्रेषण निम्न प्रकार है :—

(मी० टनों में)

वर्ष	आवंटन	प्रेषण
1980	15,39,300	14,32,00
1981 (जनवरी-जून, 81)	7,35,000	7,36,800

(ग) और (घ) देश में सीमेंट की सामान्यतः कमी के कारण राज्यों की सीमेंट की पूरी आवश्यकताएं पूरा करना अभी सम्भव नहीं हुआ है। इस सीमा तक निर्माण कार्यकलाप पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। गुजरात राज्य सहित राज्यों के आवंटन को बढ़ा पाना देश में सीमेंट की उपलब्धता स्थिति सुधर जाने के पश्चात ही सम्भव होगा, जिसके लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में कागज लुगदी कारखाने के लिए आशय पत्र का जारी किया जाना

2485. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को एक लुगदी और कागज का कारखाना चालू करने के लिए आशयपत्र जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह अब किस चरण में है :

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) काकीनाडा में अण्डमान की हाईवुड से कागज लुगदी तथा छपाई और लिखाई के कागज के उत्पादन करने की जीव्यता का प्रारम्भिक अनुमान लगा लिया गया है। कागज मिल परियोजना की स्थापना करने के लिए एक विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन किया जाना है।

सीमेंट का आवंटन

2486. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 में प्रत्येक राज्य को सीमेंट का कितना आवंटन किया गया;

(ख) वर्ष 1979 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितना सीमेंट भेजा गया तथा प्रति व्यक्ति खपत क्या थी;

(ग) राज्यों को सीमेंट के कोटे के आवंटन के आधार क्या हैं;

(घ) क्या मन्त्री महोदय को पता है कि पश्चिम बंगाल को दिया गया प्रतिव्यक्ति सीमेंट बहुत कम है और यह वर्ष 1979 में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत के अखिल भारतीय औसत से भी कम है जो कि 30.07 किलोग्राम थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस राज्य के प्रति इस घोर अन्याय को समाप्त करने तथा सीमेंट के आवंटन को प्रति तिमाही 5,00,000 मीटरी टन तक, जो कि पश्चिमी बंगाल की न्यूनतम आवश्यकता है, करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1980 में राज्य को दिए गए सीमेंट के राज्यवार आवंटन को दिखाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) वर्ष 1979 में किए गए राज्यवार प्रेषण और प्रतिव्यक्ति खपत को बताने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(ग) राज्यों को सीमेंट का प्रति तिमाही आवंटन पिछली खपत और सीमेंट की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(घ) यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल की प्रतिव्यक्ति सीमेंट की खपत सारे भारत की औसत प्रतिव्यक्ति खपत से कम है किन्तु ऐसे भी राज्य हैं जिनकी प्रतिव्यक्ति खपत इससे भी कम है।

(ङ) राज्यों को सीमेंट का बढ़ा हुआ आवंटन सीमेंट की उपलब्धता स्थिति बेहतर होने पर ही सम्भव है, जिसके लिए हर प्रयास किया जा रहा है।

विवरण I

क्रमांक	राज्य	सीमेंट का आवंटन (हजार मी० टनों में) 1980
1.	आसाम	219.0
2.	बिहार	914.6
3.	उड़िसा	431.9
4.	पश्चिमी बंगाल	1195.6
5.	मणिपुर	46.5
6.	नागालैंड	46.5
7.	अरुणाचल प्रदेश	52.0
8.	त्रिपुरा	49.0
9.	मेघालय	66.0
10.	सिक्किम	44.6
11.	मिजोरम	26.4
12.	गुजरात	1539.3
13.	मध्य प्रदेश	746.1
14.	महाराष्ट्र	2103.5
15.	गोवा, दमन और दीव	120 2
16.	दादरा और नगर हवेली	11.6
17.	हरियाणा	619.5
18.	राजस्थान	571.7
19.	उत्तर प्रदेश	1952.3
20.	हिमाचल प्रदेश	118.0

1	2	3
21.	जम्मू और कश्मीर	184.4
22.	पंजाब	911.9
23.	चंडीगढ़	83.6
24.	दिल्ली	527.2
25.	आन्ध्र प्रदेश	1551.5
26.	तमिलनाडु	1529.9
27.	कर्नाटक	1025.7
28.	केरल	983.7
29.	पांडिचेरी	45.0
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	18.3
31	लक्षद्वीप	7.6

विवरण 2

1979 का राज्यवार सीमेंट प्रेषण और प्रतिव्यक्ति खपत

क्रमांक	क्षेत्र/राज्य	कुल प्रेषण (हजार मी० टनों में)	1979 में प्रति व्यक्ति प्रेषण (किलोग्राम में)
उत्तरी			
1.	चंडीगढ़	80	192.22
2.	दिल्ली	702	121.45
3.	हरियाणा	722	59.98
4.	हिमाचल प्रदेश	127	30.99
5.	जम्मू और काश्मीर	228	39.72
6.	पंजाब	872	55.87

1	2	3	4
7.	राजस्थान	723	22.51
8.	उत्तर प्रदेश	2083	20.29
योग		5546	31.07
पूर्वी			
1.	अरुणाचल प्रदेश	31	51.16
2.	आसाम	283	14.92
3.	बिहार	1033	15.60
4.	मणिपुर	43	30.87
5.	मेघालय	47	37.12
6	मिजोरम	9	20.50
7.	नागालैंड	45	66.27
8.	उड़ीसा	462	17.63
9.	सिक्किम	25	101.21
10.	त्रिपुरा	28	13.96
11.	पश्चिमी बंगाल	1377	25.50
योग		3383	19.67
पश्चिमी			
1.	दादरा और नगर हवेली	9	104.65
2.	गोवा, दमन और दीव	85	76.78
3.	गुजरात	1666	52.14
4.	मध्य प्रदेश	1133	22.12
5.	महाराष्ट्र	2213	37.43
योग		5106	35.58

1	2	3	4
दक्षिणी			
1.	अण्डमान और निकोबार	12	68.57
2.	आंध्र प्रदेश	1858	37.11
3.	कर्नाटक	1163	33.68
4.	केरल	877	34.76
5.	लक्षद्वीप	3	85.71
6.	पांडिचेरी	37	64.69
7.	तमिलनाडु	1550	34.32
योग		5540	35.30
कुल योग		195575	30.07

मूल्यों की खराब स्थिति

2487. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में मूल्यों की खराब स्थिति पर योजना आयोग का क्या दृष्टिकोण है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : यद्यपि मुद्रास्फीति का दबाव बना रहा है, फिर भी वर्तमान वर्ष में मुद्रास्फीति की दर में काफी वृद्धि हुई है। हाल ही में सरकार ने मुद्रास्फीति निरोधक अनेक उपाय किए हैं। इनसे तथा आधारिक संरचना में सतत सुधार, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति और अच्छी फसल की सम्भावनाओं से मुद्रास्फीति की दर को और कम करने के प्रभाव पड़ने की आशा है।

अबंध रूप से चल रहे निजी वाहनों की दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जांच

2488. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में चार्टर्ड बसों के रूप में बड़ी संख्या में चल रही निजी ठेके वाली बसों, जिनके पास कोई कानूनी मंजूरी नहीं है, की जांच नहीं कर रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) दोषी व्यक्तियों को कानून के हवाले करने के लिए क्या एक समुचित अभियान चलाया जाएगा; और उनके परिणाम क्या निकलेंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली पुलिस चार्टर्ड बसों के रूप में चल रही निजी ठेके के वाहनों की जांच नहीं करती है। 1. 1. 1981 से 31-7-81 तक की अवधि के दौरान, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 23 निजी बसों पर मुकदमा चलाया गया। मोटर वाहन अधिनियम के अन्य विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए उनके विरुद्ध 7,018 अन्य मुकदमे चलाए गए। इस अवधि में 39 निजी बसें जब्त भी की गई। यातायात अपराध कर्त्ताओं को नियंत्रित करना दिल्ली पुलिस की नियमित गतिविधियों में से एक है।

एक उद्योग में ठेका श्रमिकों और अन्य श्रमिकों को समान मजूरी दिया जाना

2489. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उद्योग में अन्य श्रमिक को मिलने वाली मजूरी उसी उद्योग में ठेका श्रमिक को मिल रही मजूरी के बराबर होनी चाहिए ;

(ख) क्या ठेका श्रमिक को मुख्य उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के बराबर वेतन, मंहगाई भत्ता और बोनस दिया जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) से (ग) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के अधीन ठेकेदारों को लाइसेंस, अन्य बातों के साथ-साथ, इस शर्त पर दिये जाते हैं कि उन मामलों में, जहां ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए श्रमिक वैसा या उसी प्रकार का काम करते हैं, जो प्रतिष्ठान के मुख्य नियोजक द्वारा सीधे नियुक्त किए गए श्रमिक करते हैं, वहां ठेकेदार के श्रमिकों की मजदूरी-दरें, छुट्टियां, काम के घंटे और अन्य सेवा-शर्तें वहीं होंगी, जो प्रतिष्ठान के मुख्य नियोजक द्वारा सीधे नियुक्त किए गए श्रमिकों को वैसा या उसी प्रकार का काम करने पर लागू होती हैं।

सीमेंट की कमी

2490. **श्री रतन सिंह राजवा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सीमेंट की भारी कमी का पता है जिसके कारण विभिन्न विकास तथा निर्माण गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार को बम्बई नगर में सीमेंट के वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कदाचारों के बारे में शिकायतें मिली हैं और इसने इन कदाचारों के बारे में बम्बई से प्रकाशित दैनिक "प्रवासी" में छपे समाचार देखे हैं ; और

(ग) देश में सीमेंट की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने तथा इसके समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं तो वे क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) बम्बई सहित देश में सीमेंट की सामान्यतः कमी है। इस सीमा तक यह सम्भव है कि कुछ विकासशील एवं निर्माणकारी कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा।

(ख) सीमेंट कानूनी रूप से एक नियन्त्रित वस्तु है। राज्य सरकारों को, जिनमें महाराष्ट्र सरकार भी सम्मिलित है, शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी शिकायतों को निपटाने हेतु पूर्णतया सक्षम हैं।

(ग) विद्यमान क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करके, नई क्षमताएं स्वीकृत करके तथा सीमेंट का आयात करके देश में सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

राज्यों को जारी किए गए लाइसेंस और आशयपत्र

2491. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में राज्यवार कितने औद्योगिक लाइसेंस और आशयपत्र जारी किए गए ; और

(ख) वर्ष 1980-81 तथा 1981 में अप्रैल माह से लेकर जून माह तक औद्योगिक प्रगति-दर क्या रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक (अनन्तिम) के आधार पर वर्ष 1980-81 में विकास की दर वर्ष 1979-'0 की अपेक्षा 4.1 प्रतिशत अधिक रही। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के औद्योगिक उत्पादन के अप्रैल और मई 1981 के अनन्तिम सूचकांक तथा जून, 1981 के सूचकांक के आधार पर अप्रैल-जून 1981 की समग्र विकास-दर पिछले वर्ष इसी अवधि की अपेक्षा 11.1 प्रतिशत रही।

विवरण

वर्ष 1980 और 1981 (जून, 81 तक) में जारी किए गए आशय-पत्रों (आई० एल०) तथा औद्योगिक लाइसेंसों के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	1980		1981 (जून-81 तक)	
	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1. आन्ध्र प्रदेश	78	42	25	16
2. अण्डमान व निकोबार	—	—	—	—
3. आसाम	2	3	5	1
4. बिहार	19	4	8	7
5. चण्डीगढ़	—	3	1	—
6. दिल्ली	2	5	3	1
7. गोवा, दमन व दीव	9	2	2	5
8. गुजरात	118	85	68	33
9. हरियाणा	59	20	31	11
10. हिमाचल प्रदेश	11	2	8	1
11. जम्मू व काश्मीर	12	1	4	—
12. कर्नाटक	73	40	126	9
13. केरल	22	11	15	6
14. मध्य प्रदेश	47	18	16	6
15. महाराष्ट्र	175	107	50	52
16. मेघालय	—	—	5	—
17. मणिपुर	—	—	—	1

1	2	3	4	5
18. उड़ीसा	14	8	14	2
19. पाण्डिचेरी	1	—	—	—
20. पंजाब	38	18	15	6
21. राजस्थान	45	15	23	12
22. तमिलनाडु	52	37	35	14
23. उत्तर प्रदेश	80	30	26	12
24. पश्चिम बंगाल	55	23	18	16
25. बताया न गया राज्य	4	1	4	1
कुल	946	475	402	212

जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा न्यूनतम मजूरी अधिनियम और कार्मिक संघ अधिनियम का कार्यान्वित न किया जाना

2492. **श्री के० ए० राजन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा न्यूनतम मजूरी अधिनियम और कार्मिक संघ अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या है ; और

(ग) इन्हें कार्यान्वित कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को पहली सितम्बर, 1971 से 1970 के अधिनियम 51 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया गया था।

उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर सरकार (एक) चावल, आटा और दाल मिलों और (दो) होटलों तथा रेस्तरां में रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी-दरें निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर सरकार ने निम्नलिखित उद्योगों में नियोजनों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 27 के अधीन उस अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया है :—

1. कशीदाकारी, जिसमें चेन स्टिच, गावा इम्ब्रायडरी और नामदा बनाना शामिल है,

2. लकड़ी पर नक्काशी,

3. कार्यशालाएं,

4. ईंट और टाइल बनाना,

5. दुकान और प्रतिष्ठान,

6. निजी परिवहन उद्योग, और

7. वन उद्योग ।

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 इस राज्य में पूर्णतया लागू किया जाता है और केन्द्रीय सरकार के अधिकार राज्य सरकारों को उन ट्रेड यूनियनों के सम्बन्ध में दिए गए हैं जिनके उद्देश्य एक राज्य ही तक सीमित नहीं हैं ।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाइसेंस जारी किया जाना

2493. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए ; और

(ख) ये औद्योगिक लाइसेंस किस-किस उद्योग के लिए कौन-कौन सी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को दिया गया और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1980 और 1981 (जून, 1981 तक) के दौरान (31-3-1980 को कम्पनी कार्य विभाग की विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों सम्बन्धी सूची के अनुसार) विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कंपनियों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत 12 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे ।

(ख) विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों के नाम और उस वस्तु का नाम जिसके लिए उन्हें लाइसेंसीकृत किया गया है, निम्न प्रकार है :—

पार्टी का नाम	निर्माण की वस्तु
साइनामाइड इंडिया लि०	(1) एनेट
द जनरल इलैक्ट्रिक कं० आफ इण्डिया लिमिटेड	(1) 2000 एम्पियर से 3000 तक, 660 से 1500 वोल्ट्स तक की परिधि में हाई स्पीड डी० सी० सर्किट ब्रेकर

1	2
	(2) विशेष उद्देश्यों हेतु 33 कि० वाट आदि तक के ट्रान्सफार्मर।
सीमेंस इण्डिया लि०	(1) एल० टी० (एयर) सर्किट ब्रेकर्स (100 एम्पियर से अधिक)
सीवा-गेगी आफ इण्डिया लि०	(1) हाइड्रोक्लोरिक एसिड (33 प्रतिशत) मिथाइल क्लोराइड सान्ता मोनीका संयंत्र में निर्मम स्रोत से बने उपोत्पाद।
	(2) इन पर आधारित सिन्टामिल पदार्थ और मिश्रण।
	(3) ट्रिमेथाइल।
इनगरसोल बेंड (इंडिया) लि०	लौह और अलौह खानों (500-1000 मी० टन क्षमता) में चट्टानों को तोड़ने और टूटी हुई चट्टानों की ढुलाई करने के लिए सहायक सामान सहित फीड र कूलर्स।
इंडियन फोइल्स लि०	अल्यूमिनियम फोइल्स
इंडियन अल्यूमिनियमस कं० लि०	-वही-
यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०	परिष्कृत सामुद्रीय उत्पाद
सेंडविक एशिया लि०	विशेषीकृत औजार

लघु उद्योग बोर्ड की पैंतीसवीं बैठक

2494. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या उद्योग-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जुलाई के दूसरे सप्ताह में लघु उद्योग बोर्ड की हुई पैंतीसवीं बैठक में उन्होंने लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की ओर संकेत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) इस बैठक में उद्योग राज्य मन्त्री ने लघु उद्योगों में तेजी लाने के लिए अनेक उपायों का उल्लेख किया है। इनमें औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में पूर्वा-पर सहायक उद्योगों वाले केन्द्रस्थ संयन्त्रों की स्थापना तकनोलाजी प्रजनन, लघु उद्योगों को इसका अन्तरण, दुर्लभ प्रकार के कुछ कच्चे माल के आयात में उदारता, कुछ दुर्लभ कच्चे माल का बफर स्टाक जिला उद्योग केन्द्रों के कर्मचारियों की तैनाती में संशोधन केवल लघु उद्योग क्षेत्र से खरीदे जाने वाली वस्तुओं में और अधिक आरक्षण, सम्मिलित हैं। ये योजनाएं/प्रस्ताव के कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

मन्त्रालयों में हिन्दी अधिकारियों के वरिष्ठ पदों का बनाया जाना

2495. श्री टी० एस० नेगी : क्या गृह मन्त्रालय में हिन्दी अधिकारी के पदों के निर्माण के सम्बन्ध में अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 1964 के पत्र संख्या 6/59/64 ओ० एल० और दिनांक 8 जनवरी, 1973 के ई० 11020/8/72 की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे और यह बताएंगे :

(क) वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों को क्या विशेष कार्य दिए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार कम से कम उन सम्बद्ध कार्यालयों में वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों के पद बनाने का है जिनके अधीन 50 से अधिक अधीनस्थ कार्यालय हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : 19-2-64 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/59/64-रा० भा० तथा 8-1-73 के पत्र संख्या ई-11020/8/72-रा० भा० की प्रतियां संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2771/81]

(क) विभिन्न मन्त्रालयों में नियुक्त वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों द्वारा मुख्यत: निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं ;

(1) मन्त्रालय तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त हिन्दी स्टाफ के कार्यों की देख-रेख और समन्वय, विशेषकर अनुवाद कार्य के सम्बन्ध में,

(2) राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने तथा इस प्रयोजन से आवश्यकतानुसार कार्यालयों के निरीक्षण करना और राज-भाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आवधिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना,

(3) मन्त्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति से सम्बधित कागजात तैयार करना और सामान्य रूप से उनकी बैठकें आयोजित करने में सहायता करना ।

(ख) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में न्यूनतम हिन्दी पदों के सृजन के लिए सरकार द्वारा मार्ग निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि कार्यभार के समुचित मूल्यांकन के आधार पर ऐसा करना औचित्यपूर्ण हो तो उपर्युक्त न्यूनतम पदों से अधिक या उच्चतर पद सृजित किए जा सकते हैं। यह कार्यवाही विभिन्न मत्रालयों/विभागों द्वारा स्वयं की जाती है और इस सम्बन्ध में कोई सामान्य निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं है।

इलैक्ट्रानिक घड़ियों का उत्पादन

2496. **श्री बागुन सुम्बरुई** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक घड़ियों के उत्पादन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारत में इलेक्ट्रानिक घड़ियों के घरेलू बाजार के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या इलेक्ट्रानिक घड़ी की अन्तिम लागत के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) इन इलेक्ट्रानिक घड़ियों के विपणन के लिए क्या प्रबन्ध किए गये हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री(श्री सी० पी० एन० सिंह) : अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के संयोजन के लिए बड़े क्षेत्र के 13 एककों और लघु क्षेत्र के 25 एककों को आशय पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा गठित तकनीकी दल ने वर्ष 1978 में न केवल यांत्रिक अपितु इलैक्ट्रानिक घड़ियों की खपत के बारे में भी घरेलू बाजार का अध्ययन किया था।

(ग) ड्यूटी के वर्तमान ढांचे के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि अंततः अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों की लागत लगभग 300 रुपये से 600 रुपये तक बैठेगी जो इस बात पर निर्भर करेगी कि संबन्धित अंकीय घड़ी की विशिष्टताएं उसके कार्य-विशेष किस किस्म के हैं।

(घ) तथा (ङ) इलैक्ट्रानिक घड़ियों से सम्बन्धित नीति के अनुसार अंकीय इलैक्ट्रानिकी घड़ियों का विपणन कार्य हिन्दुस्तान मशीन्स टूल्स (एच० एम० टी०) तथा सार्वजनिक क्षेत्र की राज्य स्तरीय अनुमोदित इलैक्ट्रानिकी कम्पनियों/औद्योगिक विकास निगमों द्वारा किये जाने की योजना है।

जिला उद्योग केन्द्रों का कार्यकरण

2497. श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रारम्भ से कितने जिला उद्योग केन्द्रों की योजना बनाई गई है और वर्षवार कितने केन्द्र स्थापित किए गये हैं;

(ख) क्या किसी उच्चस्तरीय समिति के जरिये इन जिला उद्योग केन्द्रों की उपयोगिता की गहराई से जांच की गई है यदि हां, तो इसका क्या प्रतिवेदन था;

(ग) देश में जिला उद्योग केन्द्रों में वृद्धि करने/बन्द करने के बारे में सरकार की नवीनतम धारणा क्या है;

(घ) क्या जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकरण के बारे में समाचार पत्रों में आलोचना हुई है; और

(ङ) ऐसे जिला उद्योग केन्द्र कौन से हैं और उनकी असफलता रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के सभी जिलों को शामिल करने की योजना बनाई गई थी। वर्षवार स्थापित किए गए केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या
1978-79	346
1979-80	26
1980-81	10
	382

इन 382 केन्द्रों में 392 जिलों को शामिल किया गया है।

(ख) जी, हां। जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण की घोषणा हो जाने के पश्चात राज्य सरकारों के परामर्श से विद्यमान व्यवस्था के प्रभाव को आंकने के लिए कुछ जिला उद्योग केन्द्रों का अध्ययन किया गया था।

(ग) जिला उद्योग केन्द्रों की संगठनात्मक संरचना में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

(घ) तथा (ङ) जी, हां। जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के कार्यकरण की कुछ कमियां जिला उद्योग केन्द्रों का स्टाफिंग पेटर्न, जिला उद्योग केन्द्रों के कर्मचारियों की गुणवत्ता का स्तर, शक्तियों का अपर्याप्त प्रत्यायोजन तथा मानीटरिंग प्रणाली अपर्याप्तता से सम्बन्धित थीं।

पुनर्गठित जिला उद्योग केन्द्रों के स्टाफिंग पेटर्न को विद्यमान कठोर पेटर्न के बजाए और अधिक लचीला बना दिया गया है। जिले की आवश्यकता के लिए उपयुक्त समझे गए विषयों में प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में एक महाप्रबन्धक चार कार्यकारी प्रबन्धक तथा तीन परियोजना प्रबन्धक होंगे।

इस कार्यक्रम की राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर उपयुक्त रूप से देखभाल की जाएगी।

पाकिस्तान से जम्मू और काश्मीर में आए शरणार्थियों को प्राप्त नागरिकता के अधिकार

2498. डा० कर्ण सिंह
श्री आर० के० महालगी } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से आए 25,000 से अधिक शरणार्थियों को जो इस समय जम्मू और काश्मीर राज्य के जम्मू क्षेत्र में रह रहे हैं; अभी तक नागरिकता के अधिकार नहीं दिए गए हैं;

(ख) क्या भारत सरकार के विचार में इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है; और

(ग) यदि हां, तो इन शरणार्थियों को पूर्ण नागरिकता के अधिकार देने हेतु राज्य सरकार को मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) ऐसे शरणार्थियों के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि भारतीय मूल के वे व्यक्ति जिन्होंने 1947 में उन क्षेत्रों से जो अब पाकिस्तान में शामिल हैं, भारत में (जम्मू और कश्मीर राज्य सहित) प्रवास किया था, संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन भारत के नागरिक माने गये थे। अतः भारतीय नागरिकता न दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य में अचल सम्पत्ति अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रतिबंध है। संवैधानिक स्थिति यह है कि उस राज्य के स्थायी निवासी ही वहां अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि जम्मू और कश्मीर के संविधान के भाग III में परिभाषित किया गया है। यह प्रतिबन्ध उन सभी भारतीय नागरिकों पर लागू जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी नहीं है।

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर को फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस रेंज घोषित करना

2499. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने मैनुवर्स, फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1935 (1958 का अधिनियम संख्या 5) की धारा 9 की उपधारा 1 के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर" को 1जुलाई, 1981 से 30 जून, 1986 की अवधि के लिए फायरिंग और आर्टिलरी प्रेक्टिस रेंज घोषित किया है;

(ख) इससे पूर्व इस फील्ड को फायरिंग और आर्टिलरी प्रेक्टिस रेंज कितनी बार और कितने समय के लिए घोषित किया गया था;

(ग) इस फील्ड में अतीत में चांद-मारी और तोपें चलाने के अभ्यासों के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(घ) इन दुर्घटनाओं में ग्रामवार मरे व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ङ) इन दुर्घटनाओं में कितने मवेशी/पशु मारे गए और उनका ब्यौरा क्या है तथा उनके मालिकों को इससे कितनी हानि हुई; और

(च) क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों और इन दुर्घटनाओं में मारे गए पशुओं के मालिकों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि हां, तो हर मामले में कितनी राशि दी गई और दुर्घटनाएं घटने के कितने दिन बाद उनको मुआवजा दिया गया ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

महाजन रेंज को मैनुवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस अधिनियम, 19 8 के अधीन अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 9 (1) के प्रावधानों के अधीन, राज्य सरकार फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी अभ्यास के लिए किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित कर सकती है। फिर भी अधिनियम की धारा 9 (2) के प्रावधानों के अधीन, गोलाबारी करने से पूर्व, विनिर्दिष्ट क्षेत्र को गोलाबारी के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करना पड़ता है। महाजन रेंज को उक्त अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन पहली बार अक्तूबर 75 में पांच वर्षों की अवधि अर्थात् सितम्बर 80 तक के लिए अधिसूचित किया गया था जो बाद में मई 81 तक बढ़ा दी गई थी। उसके बाद राजस्थान सरकार ने मैनुवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस अधिनियम, 1938

की धारा 9 (1) के अधीन महाजन रेंज की जुलाई 81 से जून 86 तक की और अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 9 (2) के अधीन महाजन रेंज को वास्तविक गोलाबारी के लिए इस प्रकार से अधिसूचित किया जा चुका है :—

(क) दिसम्बर 75 से जून 76 तक

(ख) दिसम्बर 76 से जून 77 तक

(ग) जुलाई 77 से जून 78 तक (इस अवधि में केवल 58 दिनों के लिए)

(घ) दिसम्बर 79 से जून 80 तक

(ङ) फरवरी 81 से मई 81 तक

3. महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किसी भी सिविलियन कार्मिक के दुर्घटना ग्रस्त होने की कोई सूचना नहीं मिली। फिर भी तीन मामलों के बारे में रिपोर्ट की गई है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) 25 अप्रैल, 1980 को एक सिविलियन श्री मीर सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह निवासी ग्राम धनसर 84 एम एम हीट राकेट के अनफटे बम से अपने घर में छेड़ छाड़ करते समय मारा गया था और उसके तीन पुत्र नामतः सुमीर सिंह, नवल सिंह और शिवराज सिंह, घायल हो गए थे। उक्त गांव अधिसूचित क्षेत्र के बाहर है। उपर्युक्त व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि इसने गोलाबारूद उक्त चांद मारी क्षेत्र से एकत्र किया था और उसे चांदमारी क्षेत्र की सीमाओं के बाहर अपने गांव धनसर ले आया था।

(ख) 23/24 फरवरी 81 की रात को श्री चोला राम निवासी ग्राम मोतालई के घर को पायरोटेकनीक गोलाबारूद को चलाने के कारण आग लग गई। इन्हें 28 मार्च 81 को 7560 रुपये मुआवजे के रूप में भुगतान किए गए और मुआवजा भुगतान करने के बाद इनसे इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया कि अब उनका "कोई दावा (क्लेम) नहीं" है।

(ग) मार्च 81 में सैनिक अधिकारियों को लुंकरनसर के तहसीलदार के माध्यम से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि मार्च 81 में चांदमारी के दौरान मोतालई ग्राम के श्री टीका के दो ऊंट, धनेसर गांव के श्री चोलाराम के दो बैल, और श्री ईश्वर रामकी चार गाएं मारी गई। फिर भी, स्थानीय सिविल अधिकारियों ने मार्च 81 की चांदमारी के समापन पर यूनिटों को "कोई दावा नहीं प्रमाणपत्र" जारी कर दिया था। उक्त ग्राम वासियों ने गोलाबारी के कारण मारे गए बताए पशुओं के लिए निम्नलिखित मुआवजे की मांग की है :—

(क) दो ऊंट	6000 रुपये
(ख) दो बैल	5000 रुपये
(ग) चार गाएं	10000 रुपये

4. उक्त दावे की सत्यता साबित करने के लिए मामलों की जांच की जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि चांदमारी के दिनों में चांदमारी रेंजों को सभी पशुओं से रिक्त होना चाहिए जिसके लिए स्थानीय सिविल तथा सैनिक अधिकारियों द्वारा मिल-जुलकर तय की गई उचित दरों पर मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

उपग्रह छोड़ने में ब्रिटेन के साथ सहयोग

2501. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन उपग्रह छोड़ने में भारत के साथ सहयोग करने को उत्सुक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) ब्रिटेन ने शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग में भारत के साथ सहयोग करने में रुचि व्यक्त की है :

(ख) यद्यपि सहयोग के संभाव्य क्षेत्रों के बारे में कई अध्ययन प्रगति में है, उपग्रह छोड़ने के लिए किसी विशेष सहयोग पर विचार नहीं किया गया है।

"गवर्नमेंट कनसर्न्ड ओवर इण्डस्ट्रियल क्लाइमेट" शीर्षक से समाचार

2502. **श्री पियूष तिरकी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिनांक 29 जुलाई, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "गवर्नमेंट कन्सर्न्ड ओवर इण्डस्ट्रियल क्लाईमेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में सरकार को कितनी हड़तालों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार ने समाचार पत्र रिपोर्ट देखी है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जुलाई, 1980 से जून 1981 की अवधि के दौरान 2055 हड़तालें हुई।

(ग) औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति पर सरकार निरन्तर नजर रखे हुए है। केन्द्र तथा राज्य दोनों में औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी वर्तमान संवैधानिक उपबन्धों और या/स्वैच्छिक प्रबन्धों के अधीन

आवश्यकतानुसार निवारक मध्यस्थता सुलह कार्यवाही, न्यायनिर्णयन या पंच फैसले द्वारा काम-बन्दियों और उनसे होनेवाली समय-हानि को कम से कम करने के लिए प्रयत्न करती रही।

ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रमिकों का शोषण

2504. **श्री सत्य गोपाल मिश्रा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि ठेकेदारों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में ठेकों में काम करने वाले श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है और उन्हें अनेक सुविधाओं से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने ठेका श्रमिकों की प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में दोषी मामलों पर विचार करने के लिए पर्याप्त उपबन्ध है। प्रत्येक मामले में कार्यवाही "सम्बन्धित सरकार" की है।

(ग) उन मामलों में जहां केन्द्रीय सरकार "सम्बन्धित सरकार" है, अधिसूचनाएं जारी की गई है कि संलग्न विवरण में दिए गए व्यवसायों/संक्रियाओं में ठेका पद्धति समाप्त की जाए।

विवरण

(1)	कोयला निकालना या कोयला निकालना एवं बेचना	कोयला खानों में, पहली फरवरी, 1975 से
(2)	कोयला लादना और उतारना	
(3)	अधिभार हटाना और मिट्टी काटना	
(4)	साफ्ट कोक का निर्माण	
(5)	भूमि के नीचे स्टोन ड्रिफ्टों की ड्राइविंग और विविध प्रकार के पत्थर की कटाई	
(6)	केन्द्रीय क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों के स्वामित्व वाले तथा उनके अधिबासित भवनों की सफाई, डस्टिंग और निगरानी	पहली मार्च 1977 से
(7)	अधिभार हटाना	लोहा अयस्क खानों में 10 जून, 1980 से
(8)	ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग	
(9)	प्लोट और संक्रियाएं	
(10)	अधिभार हटाना	चूना-पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज खानों में 22 जून, 1930 से
(11)	ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग	

नई योजना परियोजनाओं को स्थगित किया जाना

2505. **श्री स्कारिया थामस** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग नई योजना परियोजनाओं के कार्यान्वयन को स्थगित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लद्दाख वासियों से अभ्यावेदन

2506. **श्री पी० नामग्याल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जंकसार (लद्दाख) के लोगों से कोई अभ्यावेदन मिला है कि जंगसार को बरास्ता "चछर रोड" अर्थात जंकसार नदी वेसिन के बीच से लेह के साथ जोड़ा जाये; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) लद्दाख के कतिपय निवासियों से इस सम्बन्ध में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। रक्षा आवश्यकतायें और प्रभावी लागत समेत सभी सुसंगत मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

रानीगंज में कोयले पर आधारित उद्योग लगाने का प्रस्ताव

2507. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के क्या उद्योग मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग मंत्री की ओर से रानीगंज कोयला क्षेत्र में कोयले पर आधारित उद्योग लगाने के लिए ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार के उद्योग मन्त्री का क्या निर्णय है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) रानीगंज की कोयला खानों से निकलने वाले कोयले पर आधारित मैथानोल तथा पाइप लाईन गैस के उत्पादन के लिए

पश्चिम बंगाल के वर्दमान जिले की जातगोरिया तहसील में एक औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए मैसर्स वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन से औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदन विचाराधीन है।

नमक का उत्पादन

2508. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में नमक का उत्पादन अधिकतम क्षमता तक नहीं को ध्यान में रखते हुए समुद्र से आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत अधिक नमक का उत्पादन किया जा सकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नमक उत्पादन की दृष्टि से रन की खाड़ी में नमक उत्पादन की बहुत अधिक क्षमता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में समुद्री पानी से नमक बनाने के लिए परम्परागत तरीके के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक तरीके को अपनाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1980 में नमक का 80 लाख मी० टन का उत्पादन अब तक का सर्वाधिक उत्पादन था। उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर उत्पादन में और भी वृद्धि की जा सकती है।

(ख) जी, हां।

(ग) कुछ नमक उत्पादकों द्वारा यान्त्रिक साधनों का उपयोग करके कच्छ के रन की जमीन से निकलने वाले खारे पानी के उपयोग का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मूल्य वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप अतिरिक्त साधनों को बढ़ाना

2509. **श्री आर० पी० यादव** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रास्फीति और जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता बढ़ गई है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने अतिरिक्त साधन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपाय सोचे गए हैं और उनसे कौन से साधन प्राप्त होने की आशा है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जनवरी, 1981 से बढ़ती हुई कीमतों और 1981 की जनगणना से प्रकट हुई जनसंख्या वृद्धि के निहितार्थों का अभी विश्लेषण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

एक नैमित्तिक श्रमिक द्वारा नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को धोखा देना

2510. **श्री एन० ई० होरो** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जून, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक पंजाबी नैमित्तिक श्रमिक संयुक्त अरब अमीरात गया था जो वहां से "शेख" के रूप में भारत वापिस लौट आया तथा उसने अनेक भोले भाले व्यक्तियों को लाखों रुपये का धोखा दिया ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त "शेख साहिब" मनजीत ने, जिसने फ्रांसीसी दाढ़ी रखी हुई थी और अरबी कपड़े पहना करता था, वैभवशाली पांच सितारा होटल के आस-पास विभिन्न पदों के लिए कम से कम 118 प्रत्याशियों का साक्षात्कार लिया ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरे पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट को नोट कर लिया है ।

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और इस मामले की जांच जोरदार ढंग से की जा रही है ।

वर्ष 1980 से अब तक मंजूर किए गए और खोले गए क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय

2511. **श्री जेवियर अराक्कल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से अब तक कितने क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालयों की मंजूरी दी गई है और कितने कार्यालय खोले गए हैं ; और

(ख) इन नए क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन कितने कर्मचारी व उद्योग हैं तथा कितनी बकाया राशि अभी वसूल की जानी है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) 1980 से कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं खोला गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

20-सूत्री तथा 5-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करना

2512. **श्री कुंवर राम** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम तथा 5-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में हाल ही में कोई पुनरीक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपलब्धियों के बारे में राज्यवार स्थिति क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सामान्य रूप में सम्बद्ध रहता है । यह 5-सूत्री कार्यक्रम की योजना में शामिल मदों से सम्बन्धित स्थिति की भी समीक्षा करता है ।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम की कुछ मदें कार्यान्वित की जा चुकी हैं और शेष मदों के कार्यान्वयन में काफी प्रगति हुई है । 5-सूत्री कार्यक्रम की योजना में शामिल मदों के सम्बन्ध में भी काफी प्रगति हुई है ।

दिल्ली नगर निगम के दक्षिण जोन में मकान मालिकों के सम्पत्ति कर में की गई वृद्धि के मामले

2513. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 126 के अधीन दिल्ली नगर निगम के दक्षिण जोन और नई दिल्ली दक्षिण जोन के मकान-मालिकों के सम्पत्ति कर में की गई वृद्धि के काफी संख्या में मामले लम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो वस्तीवार सम्बन्धित मकान-मालिकों की संख्या क्या है जिनके मामले उक्त धारा के अधीन इन दो जोनों में लम्बित पड़े हैं और प्रत्येक मामला कितने वर्षों से लम्बित है ;

(ग) क्या इन मामलों के निपटान में देरी के फलस्वरूप सम्बन्धित मकान मालिक उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय से हुए लाभों से वंचित रहेंगे ; और

(घ) दिल्ली नगर निगम के दक्षिण क्षेत्र द्वारा वर्ष 1981 में अब तक इनमें से कितने मामलों का एक-पक्षीय निपटारा किया गया और निगम के इन दोनों क्षेत्रों द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 126 के अधीन लम्बित पड़े सभी मामलों को निपटाने में कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम के दक्षिण जोन तथा नई दिल्ली जोन के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 126 के अधीन मूल्यांकन के लगभग 17,000 मामले लम्बित पड़े हैं। दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि इन मामलों में सम्मिलित प्रत्येक सम्पत्ति के सम्बन्ध में वस्तीवार तथा वर्षवार सूचना के संकलन में काफी समय लगता है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई संकलन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान। निगम कानून के अनुसार सभी लम्बित पड़े मामलों पर निर्णय किया गया है। मामलों को निपटाने में लिया गया समय करदाताओं द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों तथा सूचना के प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। फिर भी निगम ने सूचित किया है कि मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। –

लिबोंग और जल पहाड़ छावनी बोर्ड के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन तथा अन्य भत्ते

2514. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लिबोंग और जल पहाड़ छावनी बोर्ड के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को कलकत्ता राजपत्र अधिसूचना संख्या 5212-एफ 1970 के अनुसार जिसके अधीन राज्य सरकार के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के वेतनमान संशोधित किए जाते हैं ; वेतन और भत्ते नहीं मिल रहे हैं ;

(ख) क्या एन० आई० टी० के निर्णय के अनुसार छावनी बोर्ड के अध्यापक राज्य सरकार के अध्यापकों को मिलने वाले वेतन और भत्तों के समान वेतन और भत्ते पाने के हकदार हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कलकत्ता राजपत्र में उल्लिखित वेतनमान दिए जाने के लिए क्या कार्यवाई किए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वो० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

छावनी बोर्डों के अध्यापकगण राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के अनुसार राज्य सरकार के अध्यापकों के ही समान, वेतन और भत्तों को पाने के हकदार हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं चला रही, किन्तु वहां अन्य एजेंसियां सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय चला रही हैं। अतः यह निर्णय किया गया था कि छावनी बोर्डों के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी वही वेतनमान दिया जाए जो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को स्वीकार्य है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों को 1.4.1970 से संशोधित कर दिया है। पश्चिम बंगाल में स्थित छावनी बोर्ड के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को ये वेतनमान मंजूर कर दिये गये थे, किन्तु छावनी बोर्ड लेबोंग और जल पहाड़ के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों ने संशोधित वेतनमान स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें वही वेतनमान दिए जाने चाहिए जो कूच बिहार में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में लागू हैं। पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य में कोई अलग प्राथमिक विद्यालय नहीं है और कूच बिहार के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक पश्चिम बंगाल के साथ विलय से पूर्व तत्कालीन महाराजा के कर्मचारी थे और इसके परिणामस्वरूप केवल वही अध्यापक सरकारी कर्मचारी माने गये जो उक्त विलय से पूर्व सेवा में थे, चाहे वे गैर-सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में ही कार्य कर रहे हों। अतः छावनी बोर्ड लेबोंग और जल पहाड़ के अध्यापक अप्रैल 1970 से पूर्व का ही वेतनमान लेते रहे हैं और उन्हें समय-समय पर वही महंगाई भत्ता मंजूर किया जाता रहा है जो राज्य सरकार पुराने वेतनमान चुनने वाले कर्मचारियों को मंजूर करती रही है।

महिला श्रम कानूनों की पुनरीक्षा

2515. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिला श्रम कानूनों की पुनरीक्षा करने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो संभावित परिवर्तनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) श्रम कानूनों की पुनरीक्षा करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सांसदों और विधायकों के साथ किया जाने वाला व्यवहार

2516. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने अधिकारियों और राज्य-सरकारों के अधिकारियों के लिए समय-

समय पर इस आशय के निदेश जारी करती रही है कि जब सांसद और विधायक उनसे मिलने आएं, तो उन्हें उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी इस आचार-संहिता का पालन नहीं करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? –

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जहां तक संसद सदस्यों तथा विधायकों के साथ केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा व्यवहार का सम्बन्ध है उनके अनुपालन के लिए निम्नलिखित मुख्य मार्ग-निर्देशन निर्धारित किए गए हैं : —

(i) सरकारी कर्मचारियों को संसद सदस्यों तथा विधायकों के साथ अपने व्यवहार में सही तथा शिष्ट होना चाहिए। यहां तक कि जब कोई संसद सदस्य अथवा विधायक बिना किसी पूर्व निर्धारित समय के भी किसी सरकारी कर्मचारी से मिलने आए तो सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वह पूर्व नियुक्ति द्वारा आए आगन्तुक से मिलने के तुरन्त बाद संसद सदस्य अथवा विधायक से मिले।

(ii) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वे संसद सदस्यों तथा विधायकों की संविधान के अधीन, उनके महत्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन में यथासंभव सहायता करे। तथापि, ऐसे मामलों में, जहां कोई सरकारी कर्मचारी किसी संसद सदस्य के अनुरोध अथवा सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हो, वहां उसे संसद सदस्य को शिष्टता पूर्वक वे कारण स्पष्ट कर देने चाहिए जिनके कारण वह अनुरोध या राय को नहीं मान सका।

यह राज्य सरकारों का कार्य है कि वे अपने अधिकारियों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के मार्ग निर्देशन निर्धारित करें।

(ग) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों से धन पाने वाले संगठन

2517. **प्रो० के० के० तिवारी**
श्री भीकू राम जैन } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित संगठनों को अर्थात (1) सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, सेवाग्राम, वार्धा,

(2) महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जावरा, मोरेना (मध्य प्रदेश) को विदेशों से सहायता मिलती रही है और मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संस्था को कितना धन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या इन संस्थाओं के प्रमुख सदस्य गांधी शांति प्रतिष्ठान और ग्रामीण विकास के लिए स्वयं सेवी एजेन्सियों के संगठन (अवार्ड) के भी पदाधिकारी हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) इन संगठनों, गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों का संघ (अवार्ड) के पदाधिकारियों की एक सूची संलग्न है।

विवरण-1

संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदान की राशि का विवरण

क्रम सं०	संस्था का नाम	राशि रुपये में		
		1978	1979	1980
1	2	3	4	5
1.	सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान सेवाग्राम, वर्धा	—	—	47,975
2.	महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जोआरा, मुरैना (मध्य प्रदेश)	2,00,180	5,72,813	6,71,278

विवरण-2

संगठनों के नाम तथा उनके पदाधिकारियों के नामों की सूची

क्रम सं०	संगठन का नाम	पदाधिकारियों के नाम
1	2	3
1.	सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान सेवाग्राम वर्धा।	1. श्री त्रिमन लाल शाह—अध्यक्ष 2. श्री कनक गांधी—सचिव

1	2	3
2.	महात्मा गांधी सेवा आश्रम जोआरा, मुरैना (म० प्र०)	1. श्री एस० एन० सुब्बाराव—अध्यक्ष 2. श्री पी० वी० राजगोपालन—सचिव 3. श्री दर्शन लाल गोयल—खजांची
3.	गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली।	1. श्री आर० आर० दिवाकर—अध्यक्ष 2. श्री के० एस० राधाकृष्णन—सचिव 3. श्री डी० रामचन्द्रन पोटी—संयुक्त सचिव 4. श्री राम लाल पारिख—खजांची
4.	ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों का संघ (अवार्ड) नई दिल्ली।	1. श्री राधाकृष्णन—अध्यक्ष 2. श्री पन्ना लाल दासगुप्ता—उपाध्यक्ष 3. डा० बलभद्र प्रसाद—खजांची 4. श्री ए० सी० सेन—महासचिव

सीमेंट का विकल्प योजना

2518. **श्री छोटू भाई वासवा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दिन प्रति दिन बढ़ती हुई सीमेंट की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार सीमेंट का विकल्प खोजने के लिए कोई अनुसंधान कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) किन-किन स्थानों पर ऐसा अनुसंधान किया जा रहा है और सीमेंट के सम्भावित विकल्प (विकल्पों) के बारे में ब्यौरा क्या है और उसका/उनका उत्पादन कितनी मात्रा में कब तक प्रारम्भ हो जाएगा।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। कम भार वाले ढांचों की पक्की चिनाई और प्लास्टर करने के लिए चावल की राख पर आधारित चिनाई में सामग्री का विकास किया जा रहा है।

(ख) सीमेंट अनुसंधान संस्थान (सी० आर० आई०) में अनुसंधान किया जा रहा है। प्रयोगशाला में सफलता पूर्वक जांच किए जाने के बाद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 2 मी० टन चावल की भूसी की राख से चिनाई की सीमेंट बनाने वाले एक संयन्त्र की स्थापना की गई है और इसमें मई, 1980 से उत्पादन शुरू हो गया है। हरियाणा, पंजाब आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में ऐसे संयन्त्रों की स्थापना करने के लिए 6 अन्य पार्टियों को जानकारी प्रदान करने हेतु सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने एक करार किया है। हरियाणा स्थित संयन्त्र में हाल ही में उत्पादन शुरू हो गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की तथ क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहट द्वारा भी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में न्यूक्लीयस प्लांट

2519. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के झाबुआ और सिधटी जिलों की औद्योगिक क्षमता का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजा था और जिससे वहां न्यूक्लीयस संयंत्रों की स्थापना के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है या नहीं ;

(ग) यदि हां, तो समिति की इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) न्यूक्लीयस संयंत्रों के अधीन इन जिलों में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए जाएंगे ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

जनवरी—जुलाई 1981 के दौरान देश के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में हड़ताल

2520. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1981 के दौरान देश के विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में अनेक बार हड़तालें तथा तालाबन्दी हुई ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में कितनी बार हड़तालें तथा तालाबन्दियां हुई ;

(ग) इन हड़तालों और तालाबन्दियों के क्या कारण हैं और उपर्युक्त हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण कितने जनदिवसों की हानि हुई ;

(घ) क्या निजी क्षेत्र में हुई जनदिवसों की हानि सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है ;

(ङ) इसकी क्षति की प्रतिशतता क्या है ;

(च) वर्ष 1980 के दौरान इस क्षति की प्रतिशतता क्या है ;

(छ) इस दशक के दौरान सबसे अधिक क्षति वाला वर्ष कौन-सा है और तत्सम्बन्धी कारण क्या है ; और

(ज) उत्पादन बढ़ाने तथा भविष्य में ऐसी हड़तालें और तालाबन्दियां न हों, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध अनन्तिम सूचना के अनुसार, पहली जनवरी से 30 जून, 1981 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में 368 हड़तालें और तालाबन्दियां हुई तथा निजी क्षेत्र में 491 हड़तालें और तालाबन्दियां हुईं। जुलाई, 1981 मास के सम्बन्ध में यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) उक्त हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण विवाद थे, जो "मजदूरी और भत्ते" "व्यक्तिगत छंटनी", "अनुशासनहीनता और हिंसा", "बोनस", "छुट्टी और कार्य घंटे" आदि के बारे में थे। इन हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण 83.6 लाख (अनन्तिम) श्रम दिनों की हानि हुई।

(घ) जी, नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र में 48.9 लाख श्रम दिनों की हानि हुई और निजी क्षेत्र में 34.7 लाख श्रम दिनों की हानि हुई।

(ङ) जनवरी से जून, 1981 के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों में कुल नष्ट हुए समय की तुलना में नष्ट हुए समय की प्रतिशतता क्रमश: 58.48 और 41.52 है।

(च) 1980 में सरकारी और निजी क्षेत्रों की यह प्रतिशतता क्रमश: 18.84 और 81.16 है।

(छ) गत दशक अर्थात् 1971 से 1980 के दौरान, वर्ष 1979 में सबसे अधिक अर्थात् 438.5 लाख श्रम दिनों की हानि हुई। इस हानि का कारण पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों, मझगांव डॉक लिमिटेड, बम्बई, तमिलनाडु में काटन टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज और त्रिवेन्द्रम, केरल, आदि में कीइर स्पिनिंग प्रतिष्ठानों में बड़ी हड़तालें हैं।

(ज) हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण उत्पादन में हानि को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने औद्योगिक संबंध स्थिति पर लगातार नजर रखी। केन्द्र और राज्यों दोनों में औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र ने उपचारी मध्यस्थता, संसाधन, न्यायनिर्णयन या विवाचन जैसा कि वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और/या स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अधीन अनिवार्य हैं, के माध्यम से कामबन्दी और इनके कारण समय की हानियों को कम से कम करने के प्रयास जारी रखे।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा फैक्टरियों को बन्द होने को रोकने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

2521. **श्री काजी सलीम** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 300 अथवा इससे अधिक कर्मचारियों वाली फैक्टरियों को बंद

होने से रोकने तथा दोषी प्रबन्धकों को सख्त सजा देने का उपबन्ध करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में उपबन्ध करने के महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने प्रस्तावित विधान को मंजूरी देने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने दिनांक 2 अगस्त, 1981 के "पेट्रियट" पृष्ठ चार (दिल्ली अंग्रेजी संस्करण) में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है ; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार का प्रस्ताव इस सम्बन्ध में राज्यों को निर्देश देने का है, यदि हां, तो कब ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-ण और 25-द में, जहां तक इसका सम्बन्ध महाराष्ट्र राज्य में लागू होने से है, कतिपय स्थानीय संशोधनों का प्रस्ताव किया है ताकि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अनुचित, अन्यायपूर्ण और दुर्भावपूर्ण कामबन्दी की दशा में श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके । इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

(ङ) और (च) सरकार ने समाचारपत्र रिपोर्ट के विषय-वस्तु को नोट कर लिया है ।

बिहार में 'तापीय बिजली संयंत्र'

2522. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अन्तर्गत मुजफ्फरपुर तापीय बिजलीघर के बनाने की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) इस संयंत्र को कब तक चालू हो जाने की आशा है ; और

(घ) इस समय इस परियोजना की लागत के बारे में अनुमान क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां ।

(ख) ठेके की शर्तों में टर्न-की आधार पर 110-110 मे० वा० के दो यूनिटों वाले एक तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना करने की व्यवस्था है।

(ग) ठेके के वायदे के अनुसार संयंत्र के निम्न प्रकार से चालू होने की आशा है :—

यूनिट I	—	—अगस्त, 1983.
यूनिट II	—	—फरवरी, 1984.

(घ) 146 करोड़ रुपये।

पदोन्नति कोटा बढ़ाने के लिए जे० सी० बी० कर्मचारियों द्वारा अनुरोध

2523. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० सी० बी० के कुछ कर्मचारियों ने वर्ष 1978, 1979 और फरवरी, 1980 में प्राधिकारियों से विभागीय उम्मीदवारों का पदोन्नति कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने तथा तकनीकी सहायक की पदोन्नति के लिए लिखित विभागीय परीक्षा की शर्त समाप्त करने का भी अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए ;

(ग) इस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री शिवराज वी० पाटिल): (क)1978-79 में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था। अभ्यावेदन फरवरी, 1980 में प्राप्त हुए थे।

(ख) 45

(ग) अभ्यावेदनों में की गई मांगों की जांच की गई थी किन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देश में अवैध शस्त्र

2524. **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में अवैध शस्त्रों की अनुमानित मात्रा कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन अवैध शस्त्रों के कारण लोगों में असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ती जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसे रोकने के लिए सरकार शस्त्र लाइसेंस जारी करने में उदारता बरतेगी अथवा इन शस्त्रों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय देश में अवैध शस्त्रों की मात्रा का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। ऐसा अनुमान लगाना संभव भी नहीं है।

(ख) तथा (ग) सरकार देश में अवैध शस्त्रों की समस्या और इसके परिणामों की गम्भीरता से अवगत है। अवैध शस्त्रों की समस्या से निपटने और अवैध शस्त्रों तथा गोला बारूद का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु राज्य सरकारों को विभिन्न उपाय करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में हमें राज्य सरकारों से अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अग्नेय शस्त्र, चाहे वे लाइसेंस शुदा हों अथवा बगैर लाइसेंस के, समाज विरोधी तत्त्वों के कब्जे में न आयें और गम्भीर अपराधों के लिए शस्त्र अधिनियम के अधीन अधिक कड़ी सजा दी जाए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में शस्त्र अधिनियम, 1959 में विस्तृत संशोधन के लिए 24 अगस्त, 1981 को संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। इसके साथ-साथ शस्त्र नियमों का पुनरीक्षण भी किया गया। है यह सुनिश्चित करने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं ताकि सर्वसाधारण आसानी से शस्त्र प्राप्त न कर सकें। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि देश की विद्यमान स्थितियों में लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाने की बजाय इसको कड़ा बनाने की आवश्यकता है।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा कोष का निर्माण

2525. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने विद्युत उत्पादन उपकरण सम्बन्धी अनुसंधान के लिए किसी कोष का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या विद्युत उपकरण के डिजाइन और निर्माण सम्बन्धी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के बारे में विभिन्न विदेशी कम्पनियों के सहयोग की पेशकश का मूल्यांकन करने के लिए हैदराबाद स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड अनुसंधान समूह का प्रयोग किया जा सकता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने विद्युत जनित्रण उपकरणों सम्बन्धी अनुसंधान के लिए किसी कोष का निर्माण नहीं किया है। किन्तु बी० एच० ई० एल० द्वारा कमाए गए लाभ का एक भाग कम्पनी के

अनुसंधान तथा विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों में अनुसंधान तथा विकास पर निम्नलिखित व्यय किया था :—

वर्ष	व्यय (लाख रुपये)
1978-79	587
1979-80	986
1980-81	1183

(ग) जी, हां। हैदराबाद स्थित बी० एच० ई० एल० के अनुसन्धान तथा विकास समूह में तकनीकी सहयोग प्रस्तावों के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों, प्रक्रियाओं, सामान और इंजीनियरी आंकड़ों के तकनीकी मूल्यांकन की सुविधाएं हैं।

संयुक्त अरब अमीरात के नये कानूनों का भारतीयों पर प्रभाव

2526. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार पत्रों की रिपोर्ट की जानकारी है कि संयुक्त अरब अमीरात के नये श्रम कानूनों से वहां पर पहले से काम कर रहे तथा वहां रोजगार चाहने वाले हजारों भारतीयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रहे तथा काम चाहने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन कानूनों के कार्यान्वयन के कारण भारतीय श्रमिकों के हितों पर तत्काल प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। यू० ए० ई० में भारतीय मिशन स्थानीय प्राधिकारियों से नजदीक से सम्पर्क बनाये हुए हैं, ताकि वहां कार्य कर रहे भारतीयों के हितों की रक्षा की जा सके।

भारत में अरब देशों के धन के आगमन की जांच

2527. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुप्तचर एजेंसियों ने भारत में अरब देशों से धन के आगमन पर व्यापक जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कोई ऐसी व्यापक जांच नहीं की गई है हालांकि देश में विदेशी धन के आगमन पर विभिन्न कानूनी उपबंधों के अन्तर्गत नजर रखी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत आबंटन

2528. **श्री भाऊ साहिब थोरट** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए राज्यवार, विशेष घटक योजना के अन्तर्गत आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र राज्य के लिए केन्द्र निधि से कुल कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) इस योजना में महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा कितना है;

(घ) क्या भारत सरकार का विचार पृथक-पृथक योजनायें बनाने का है अथवा वह बना चुकी है जिसके आधार पर विशेष समग्र योजना की राशियां प्रयुक्त की जा सकती हैं;

(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई योजनावार, राशि कितनी है; और

(च) इन योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार का हिस्सा कितना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विशेष घटक योजनाएं बनाई हैं, जहां अनुसूचित जातियों की काफी बड़ी जनसंख्या है। ये योजनायें अलग-अलग राज्य योजनाओं के भाग हैं। विशेष घटक योजना की संकल्पना में विकास के सामान्य क्षेत्रों के अधीन राज्य योजनाओं से ऐसी स्कीमों का पता लगाने, जो अनुसूचित जातियों के लिए लाभकारी होंगी, प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत सभी सम्बद्ध राशि की मात्रा तय करने, और विशेष लक्ष्य निर्धारित करने कि इन योजनाओं से कितने परिवारों को लाभ होगा, की परिकल्पना होती है।

भारत सरकार की विशेष केन्द्रीय सहायता विशेष घटक योजनाओं के लिए योगात्मक होता

है। 1981-82 के लिए विशेष घटक योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता से 110 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है।

(ग) 1981-82 के लिए महाराष्ट्र की विशेष घटक योजना के 4229.69 लाख रुपये होने की संभावना है।

(घ) चूंकि विशेष घटक योजना में शामिल स्कीमें और तदनुरूपी परिव्यय राज्य योजना का भाग है, अतः भारत सरकार के अलग-अलग या योजनायें, जिन पर विशेष घटक योजना की धनराशि खर्च की जा सकती है, बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाबद्ध प्रतिमान पर आधारित नहीं है। मार्ग दर्शन के रूप में यह निर्धारित किया गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रयोग केवल आर्थिक विकास के लिए किया जाए ताकि अनुसूचित जाति की परिवार गरीबी के रेखा को पार कर सकें।

(ङ) राज्य की योजनागत स्कीमों से विशेष घटक स्कीमों में लगाया गया स्कीम-वार परिव्यय परिशिष्ट—1 पर विवरण में दर्शाया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2772/81]

(च) 1981-82 के दौरान महाराष्ट्र की विशेष घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से 797.50 लाख रुपये का प्रयोगात्मक आवंटन बताया गया है।

"चाइनीज एफ-6 फार पाक" शीर्षक से समाचार

2529. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 जून, 1981 के "विजनेस स्टैंडर्ड" में चायनीज एफ-6 फार पाक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार को चीन द्वारा एफ-6 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को दिये जाने के बारे में जानकारी है और कितनी संख्या में;

(ग) क्या यह सच है कि चीन ने पाकिस्तान को एफ-6 को पुनः बनाने का कारखाना भी प्रदान किया है जिससे पाकिस्तान को वे विमान सफाई आदि के लिए पुनः चीन न भेजने पड़ें; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान ने चीन से एफ-6 विमान प्राप्त किए हैं। सप्लाई किये गए विमानों की सही संख्या मालूम नहीं है।

(ग) सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट देखी है।

(घ) सरकार ने अपनी रक्षा तैयारियां करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा है।

हरिजनों पर अत्याचारों का सर्वेक्षण

2530. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हरिजनों पर 1980-81 के दौरान किए गए अत्याचारों के बारे में अब तक, राज्यवार, कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) सरकार हरिजनों की समस्याओं के प्रति पूर्णतः सजग है और राष्ट्र के लिए इस शर्मनाक वातावरण को समाप्त करना चाहती है। सरकार ने अपनी सूचना के लिए मासिक अपराध आंकड़ों के सम्बन्ध में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से सूचना एकत्र करने के कदम उठाये हैं, जहां अनुसूचित जातियों के लोग शिकार होते हैं और गैर अनुसूचित जातियों के लोग अभियुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त समाचारों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों/समाज कल्याण संगठनों के पत्रों और आम जनता से प्राप्त अभ्यावेदनों में प्रकट होने वाले हरिजनों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी जाती हैं। इससे हमें इस समस्या के आयामों के बारे में स्पष्ट बोध होता है और गैर-अनुसूचित जातियों द्वारा अनुसूचित जातियों पर किये जा रहे अपराधों के स्वरूप का पता लगता है।

राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलनों में इन मामलों पर समय-समय पर गहराई से विचार-विमर्श किया जाता है। और अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए एहतियाती, निरोधक दण्डात्मक तथा पुनर्वास उपायों के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण किया जाता है तथा उस पर नजर रखी जाती है।

दिल्ली का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

2531. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को दिल्ली के त्रुटि पूर्ण और गुमराह करने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जानकारी है; और

(ख) यदि हां तो, दिल्ली के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को सही करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) 1960=100 सीरीज में केन्द्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन मूल्य और निर्वाह व्यय सांख्यिकी सम्बन्धी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है। यह समिति भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग ने गठित की है। यह पद्धति दिल्ली केन्द्र के लिए सूचकांक संकलित करने में अपनाई जाती है।

उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र का विकास

2532. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना तैयार न करने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चाव्हाण) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति है जो इस क्षेत्र की अपनी विशिष्ट विकास संबंधी समस्याओं पर और उक्त दो राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श करती है तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए इन राज्य सरकारों को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन और निदेश प्रदान करती है। ये समस्याएं फसल पद्धति, भू-संरक्षण, पशुपालन, सिंचाई, उप-बेसिन योजनाएं तैयार करने आदि जैसे क्षेत्रों से सम्बन्धित होती हैं। संयुक्त समन्वय समिति द्वारा बताए गए मार्गदर्शी सिद्धातों को ध्यान में रखते हुए संबन्धित राज्य सरकारें विकास सम्बन्धी स्कीमें तैयार करती हैं और इस प्रकार की स्कीमों के लिए राज्य योजनाओं में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लिए "कम्पोनेंट" योजना

2533. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के लिए 'कम्पोनेंट' योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन को 1980-81 के लिए 63 लाख रुपये दिये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्पूर्ण राशि का उपयोग अनुसूचित जातियों के हितों के लिए किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली की विशेष कम्पोनेन्ट योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 1980-81 के दौरान 63 लाख रुपये की राशि दी गई थी।

(ग) और (घ) विशेष केन्द्रीय सहायता में से दिल्ली प्रशासन ने राशि को इस प्रकार रिलीज किया है :—

(1) मामूली किराये पर अनुसूचित जातियों को आवंटित की जाने वाली दुकानों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को 50.23 लाख रुपये।

(2) जिन अनुसूचित जातियों के पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का डिप्लोमा है उनको आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक शेडों के निर्माण के लिए दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम को 9.41 लाख रुपये।

(3) अनुसूचित जातियों द्वारा मैटाडोर गाड़ियों की खरीद हेतु सीमान्त धन के रूप में परिवहन निदेशक को 3.66 लाख रुपये।

सिक्किम में नागरिकता विहीन लोगों को भारतीय नागरिकता देने पर सिक्किम सरकार को रिपोर्ट

2534. श्री चित्त महाटा
श्री एन० ई० होरो } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम राज्य में 1970 तक नागरिकता विहीन लोगों को भारतीय नागरिकता देने के प्रश्न पर सिक्किम सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त सरकारी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। चूंकि समिति का गठन सिक्किम राज्य सरकार द्वारा किया गया था, अतः समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई को सीमेंट का आवंटन

2535. **डा० सुब्रह्मण्यस्वामी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बम्बई में गंदी बस्तियों को पुनर्वास हेतु महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त सीमेंट देने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से छठी योजनावधि के दौरान गंदी बस्तियों का विकास करने के लिए 30 लाख मी० टन तथा पुराने भवनों का पुनर्निर्माण करने के लिए 5 लाख मी० टन सीमेंट का आवंटन करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) यह प्रस्ताव कि अक्टूबर, 1981 को प्रारम्भ हो रही तिमाही में 2 लाख मी० टन की प्रथम किस्त जारी की जाय। सम्बन्धित तिमाही में सीमेंट की समग्र उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध की जांच की जा रही है।

महिलाओं पर अत्याचार

2536. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर हुए अत्याचार में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है;

(ग) उन पर किस प्रकार के अत्याचार हुए हैं; और

(घ) ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना अथवा रिपोर्ट नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाय कि हाल में देश के भिन्न-भिन्न भागों में महिलाओं के प्रति अपराधों में अचानक वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) महिलाओं के प्रति अपनयन, अपहरण, छेड़छाड़, बलात्कार आदि कुछ अपराध किए जाते हैं। भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों में ये अपराध शामिल हैं। इन अपराधों से संबन्धित कानूनों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम और दहेज निषेध

अधिनियम भी विद्यमान हैं। महिलाओं पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बरती जा रही सतर्कता के अतिरिक्त अपराधियों का पता लगाने की तुरन्त कार्यवाही भी इसमें सहायता करेंगी। मामले का निरन्तर पर्यवेक्षण किया जाता है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रति और दहेज सम्बन्धी मृत्युओं के बारे में मार्गदर्शी निदेश जारी किए गए हैं।

संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए रोजगार संबंधी राष्ट्रीय नीति

2537. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार रोजगार सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और कब तक इसे लागू किए जाने की सम्भावना है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980—85) जिसे इस वर्ष के आरम्भ में अन्तिम रूप दिया गया था, में इस बारे में सरकार के दृष्टिकोण के ब्यौरे दिए गए हैं।

दिल्ली नगर निगम में श्रेणी चार के कर्मचारियों की पदोन्नति

2538. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम में प्रथमा में उत्तीर्ण कर्मचारियों में से कुछ को तो पदोन्नत कर दिया गया है और ऐसे ही बाकी कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित रखा हुआ है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने श्रेणी-चार के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए किसी परीक्षा का आयोजन किया था अथवा पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर की गई थीं;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम लिपिकों के पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा आयोजित करता है और यदि हां, तो ऐसी परीक्षा आयोजित करने के क्या कारण हैं तथा अब तक श्रेणी-चार के कितने कर्मचारियों की पदोन्नति हो चुकी है; और

(घ) क्या दिनांक 5 जनवरी, 1967 की स्थायी समिति संख्या 1002 के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया था और यदि हां, तो परीक्षा आयोजित करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली नगर निगम की सूचना

के अनुसार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (इलाहाबाद) से प्रथमा पास उनके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 5 को, मई 1979 में निगम द्वारा उक्त अर्हता को मैट्रिकुलेशन के बराबर न होने के कारण अमान्य करने से पहले निम्न श्रेणी लिपिकों के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1980 में दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1967 से सम्बद्ध उपबंधों के संशोधन से पहले सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर ग्रेड-4 (लिपकवर्गीय) की 10 प्रतिशत रिक्तियां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से भरी जाती थीं। इस संशोधन के अनुसार ग्रेड-4 (लिपिकवर्गीय) के पद पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नतियां सिर्फ वरीयता के आधार पर की जाती हैं।

(ग) 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से लिपिकों के 10 प्रतिशत पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित भर्ती विनियमों के अनुसार सीमित विभागीय परीक्षा ली जाती है। अब तक 62 कर्मचारी पदोन्नत किए जा चुके हैं।

(घ) स्थायी समिति ने सीधी भर्ती बन्द करने तथा वरीयता के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नतियां देने के लिए संकल्प सं० 1002 तारीख 5-1-67 के तहत निर्णय किया था परन्तु संघ लोक सेवा आयोग इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ और सलाह दी कि सरकारी कार्यालयों की भांति निम्न श्रेणी लिपिक के पदों पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नतियां 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जानी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग की यह सिफारिश मान ली गई है।

मंडल आयोग की रिपोर्ट

2539. **श्री चित्त बसु**
श्री बापूसाहिब परुलेकर
श्री उत्तम राठौर } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े समुदायों के सम्बन्ध में मंडल आयोग की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) पिछड़े वर्ग आयोग (मण्डल आयोग) की रिपोर्ट में की गई शिफारिशों को अभी तक सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना

2540. **श्री हरिहर सोरन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न कल्याण योजनाएं

जो उन क्षेत्रों में लागू हैं, के अन्तर्गत आदिवासियों को शिक्षित और जागृत करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रस्ताव हैं।

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में कितने प्रशिक्षण केन्द्र प्रस्तावित हैं; और

(ग) कितने किलोमीटर की दूरी पर ये केन्द्र खोले जायेंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान, परन्तु राज्यों में कुछ जनजातीय अनुसंधान संस्थान अपने नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में सेवारत कर्मचारियों और कुछ चुने हुए गैर-शासकीय ग्रुपों के लिए भी पाठ्यक्रम चलाते हैं। आदिवासी लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के ब्यौरों को भी स्पष्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वयं रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण को राष्ट्रीय योजना (टी० आर० वाई० एस० ई० एम०) के लिए आदिवासी क्षेत्र के युवकों सहित ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ राज्यों की प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं के पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु में भी कल्याण योजना सम्बन्धी सामग्री शामिल है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कार्यालयों के वर्गीकरण का आधार

2541. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सरकारी कार्यालयों को "सम्बद्ध कार्यालय" के रूप में वर्गीकृत करने के आधार के बारे में पूरा ब्यौरा देंगे; और

(ख) ऐसे कार्यालयों के नाम क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सचिवालय में कार्यालयों को कार्यात्मक आधार पर "सम्बद्ध कार्यालयों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो कार्यालय अनिवार्य तकनीकी आंकड़े अथवा सलाह देकर नीतियां बनाने में भारत सरकार के मन्त्रालयों अथवा विभागों के साथ निकट से तथा सीधे सम्बन्धित होते हैं तथा सरकार की नीतियों अथवा निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी विभागों आदि को कार्यकारी निर्देशन देते हैं उन्हें "सम्बद्ध कार्यालयों" के रूप में माना जाता है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

चीनी उद्योग का विस्तार

2542. **श्री राजेश कुमार सिंह**
श्री छोटे सिंह यादव
श्री रशीद मसूद
श्री राम बिलास पासवान } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिलों के लिए मशीनों का निर्माण करने वाला क्षेत्र नए कारखाने स्थापित

करने, वर्तमान इकाइयों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण आदि के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए मशीनों की मांग को पूरा करने में समर्थ है; और

(ख) यदि नहीं, तो किस प्रकार से कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में पिछड़े हुए राज्य

2543. **श्री समर मुखर्जी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह जानते हैं कि भारत की 60 प्रतिशत आबादी पिछड़े क्षेत्रों, जो देश के कुल क्षेत्र का 71.3 प्रतिशत है; में रहती है ;

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि सरकारी वर्गीकरण के अनुसार जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा राज्य तथा दिल्ली और चंडीगढ़ के अतिरिक्त अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्र बिल्कुल पिछड़े हुए हैं और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं, जिनका तीन चौथाई भाग पिछड़ा हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गए हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) माननीय सदस्य द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं वे संभवतः वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त प्राप्त करने के लिए चुने गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों और जनसंख्या के संबंध में हैं।

(ग) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के विकास के लिए बनाई गई स्कीम के अलावा ग्रामीण विकास के लिए अनेक ऐसे क्षेत्र विकास कार्यक्रम में हैं जिन्हें इन क्षेत्रों में चयनात्मक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम हैं :— सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय बहुलता वाले क्षेत्रों के लिए उप-योजना। इनके अलावा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक कार्यक्रम भी चल रहे हैं जिनसे कुछ सुविधा-वंचित समूहों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार हो सके।

आयातित कागज के मूल्यों में संशोधन

2544. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख कागज बाजारों में कम मांग को देखते हुए सरकार आयातित कागज के मूल्यों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कमी 300 रुपये प्रति टन की होगी;

(ग) क्या इन वर्षों में यह प्रथम बार है कि आयातित कागज के मूल्यों में कमी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कमी से आयातित कागज के निपटान में किस हद तक सहायता मिलेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड ने जिसे लिखाई और छपाई के आयातित कागज का वितरण करने का कार्य सौंपा गया है, लिखाई और छपाई के आयातित कागज का जिसको कम कीमत पर खरीदा गया है, बिक्री मूल्य हाल ही में कम कर दिया है।

(ख) तथा (ग) जी, हां।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लिखाई और छपाई कागज के मूल्यों में गिरावट आई है तथा इसके फलस्वरूप कागज को कम मूल्य पर खरीदा गया है। लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए लिखाई और छपाई के आयातित कागज के मूल्यों में तदनुसार कमी की गई है।

(ङ) चूंकि आयातित कागज की बिक्री सामान्य है तथा बिक्री संबंधी कोई कठिनाई नहीं है अतः स्टाक के निपटान की दृष्टि से बिक्री मूल्य में कमी की गई है।

राज्यों में प्रति व्यक्ति आय

2545. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों पर केन्द्रीय पूंजी कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय क्या है ; और

(ग) असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) भारत सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में किए गए निवेश (सकल प्रखण्ड के मूल्य) के 31 मार्च, 1980 को राज्यवार आंकड़े विवरण-1 में प्रस्तुत हैं। इसमें विभागीय रूप से प्रबन्ध किए जाने वाले उद्यम और बैंकिंग संस्थाएं शामिल नहीं हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों के सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के लिए वर्तमान और स्थिर कीमतों पर तैयार की गई विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय विवरण-2 में दी गई है।

(ग) असंतुलन को कम करने के लिए, केन्द्रीय सहायता का आवंटन करते समय कम विकसित राज्यों की आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। कम विकसित विशेष श्रेणी के 8 राज्यों, अर्थात् असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के साथ विशेष रियायत बरती जाती है।

आशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत विशेष श्रेणी से इतर राज्यों को आवंटित की जाने वाली कुल केन्द्रीय सहायता का 20 प्रतिशत केवल उन राज्यों में वितरित किया जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले के अन्तर्गत कम विकसित राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन में अपने आप ही अधिमान्यता प्राप्त होती है।

पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी परिषद् के विकास के लिए भी विशेष सहायता दी जाती है जो अपेक्षाकृत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं।

बाजार ऋणों के आवंटन के संबंध में भी उन राज्यों को तरजीह दी जाती है जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है।

विवरण-1

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निवेश

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	(करोड़ रुपये) दि० 31-3-1970 को सकल प्रखंड का मूल्य
1. आन्ध्र प्रदेश	775.12
2. असम	490.73
3. बिहार	3151.67
4. गुजरात	879.80
5. हरियाणा	252.97
6. हिमाचल प्रदेश	127.02
7. जम्मू और कश्मीर	7.05
8. कर्नाटक	746.45
9. केरल	422.84
10. मध्य प्रदेश	2230.77

(1)	(2)
11. महाराष्ट्र	1313.94
12. उड़ीसा	928.37
13. पंजाब	362.52
14. राजस्थान	337.62
15. तमिलनाडु	747.74
16. उत्तर प्रदेश	802.28
17. पश्चिम बंगाल	1540.39
18. दिल्ली	501.89
19. गोआ	6.37
20. अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	150.24
जोड़	15775.42
21. अनावंटित	2385.72
कुल जोड़	18161.14

स्रोत : सरकारी उद्यम सर्वेक्षण, 1979-80, खंड 1 (सरकारी उद्यम ब्यूरो, वित्त मन्त्रालय)

विवरण-2

प्रति व्यक्ति निवल राज्य देशीय उत्पादन

(रुपये)

राज्य	वर्तमान कीमतों पर			1970-71 की कीमतों पर		
	1977-78	1978-79	1979-80	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	1018	1083	1176	629	678	648
2. असम	912	953	960	577	557	536
3. बिहार	728	773	—	429	438	—

1	2	3	4	5	6	7
4. गुजरात	1462	1505	1623	846	884	854
5. हरियाणा	1600	—	—	498*	537*	—
6. हिमाचल प्रदेश	1178	1295	1317	729	742	688
7. जम्मू और कश्मीर	986	1145	—	355*	386*	—
8. कर्नाटक	1129	1136	1267	723	723	722
9. केरल	1004	1091	—	556	569	—
10. मध्य प्रदेश	900	860	828	494	463	367
11. महाराष्ट्र	1637	1694	1903	527*	536*	542*
12. मणिपुर	808	814	822	499	454	438
13. उड़ीसा	820	860	843	500	514	435
14. पंजाब	1966	2088	2278	1231	1308	1321
15. राजस्थान	969	1023	913	572	591	498
16. तमिलनाडु	1051	1116	1350	661	682	711
17. त्रिपुरा	862	861	—	558	558	—
18. उत्तर प्रदेश	949	965	981	511	524	441
19. पश्चिम बंगाल	1263	1253	1330	802	765	723

* ये अनुमान वर्ष 1960-61 की कीमतों पर हैं।

—उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : प्रयुक्त की गई स्रोत सामग्री में अन्तर होने के कारण विभिन्न राज्यों के आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं।

स्रोत : राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो।

लुप्त होने जा रही पौधों की कुछ जातियां

2546. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को इस बात का पता है कि पौधों की कुछ जातियां वनों से लुप्त हो चुकी हैं तथा कुछ और जातियां लुप्त होने वाली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन या सर्वेक्षण कराया है कि कितनी और कौन-कौन से पौधों की जातियां लुप्त होने वाली हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे पौधों की जातियों के नाम और संख्या क्या है; और

(घ) ऐसे पौधों की जातियों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं जो पर्यावरण भेषजीय चारे, ईंधन आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्यमन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कलकत्ता द्वारा संकलित तथा प्रकाशित "ए स्टेट आफ दि रिपोर्ट आन थ्रैटण्ड प्लांट्स आफ इंडिया" में यह जानकारी अन्तर्विष्ट की हुई है और इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(घ) पर्यावरण विभाग, जीवमंडल रिजर्वों के सृजन के माध्यम से संकटापन्न पादप स्पीशीजों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कानूनी और प्रशासनिक उपाय करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से कदम उठा रहा है । राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों का, जिनकी संख्या 200 से अधिक है, एक तन्त्र देश के जैव संसाधनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही विद्यमान है ।

पत्रकार संघ द्वारा मुफ्त इलाज की मांग

2547 . **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मालूम है कि दिल्ली के पत्रकारों के संघ "पत्रकार संघ" ने मुफ्त इलाज की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि, दिल्ली में उन समाचार पत्र प्रतिष्ठानों (जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं) में नियोजित और 1000/- रु० तक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के हकदार हैं ।

कोलगेट पामोल्यूव

2548 . **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पामोल्यूव नामक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी अपने उत्पादन में विविधता लाकर सिंथेटिक डिटर्जेंट और नहाने के साबुन बनाने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा के लिए उसे लाइसेंस दिया गया है और उस पर कितना पूंजी निवेश होगा तथा वह इनका कितनी मात्रा में निर्यात करेगी;

(ग) क्या कारण है जिनकी वजह से सरकार ने इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी को बढ़ावा देने का निर्णय किया है; और

(घ) क्या इसने टूथपेस्ट जैसे अपने उत्पादों के मूल्य में 5 से 6 प्रतिशत तक की वृद्धि की थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) मैसर्स कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) लि० न तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनी है और न ही एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनी है। इस कंपनी को प्रति वर्ष 10,000 मी० टन सिंथेटिक डिटरजेंट का उत्पादन करने के लिए आशय पत्र स्वीकृत किया गया है। यह कंपनी प्रतिवर्ष 12,000 मी० टन के साबुन का उत्पादन करने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास पंजीकृत है। इन गतिविधियों में क्रमश: 280 लाख रुपये तथा 190 लाख रुपये का पूंजीगत निवेश निहित है।

(घ) इस कंपनी ने टूथपेस्ट के मूल्यों में निम्नलिखित वृद्धियां होने की सूचना दी है जो मई, 1981 से प्रभावी है:—

कोलगेट डेन्टल क्रीम (टूथपेस्ट)	मार्च, 81 के मूल्यों की तुलना में मई, 1981 के मूल्यों में वृद्धि का प्रतिशत
200 ग्राम	5.55
150 ग्राम	शून्य
100 ग्राम	4.6
50 ग्राम	शून्य

टूथपेस्ट मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है।

वजेहो नागालैण्ड में टी० पी० डी० संयन्त्र

2549. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा वजेहो नागालैंड में 50 टी० पी० डी० संयंत्र के लिए मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चाह्वण) : (क) और (ख) वजेहो के चूने पत्थर के निक्षेपों पर आधारित एक 50 टी० पी० डी० मिनी सीमेन्ट संयंत्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव उत्तर-पूर्वी परिषद में प्राप्त हुआ है। यह स्कीम भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गयी ऊर्ध्वाधर शैफ्ट भट्टा प्रक्रिया पर आधारित है और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से इस समय इसकी जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

2550. श्री आर० के० महालगी : क्या गृह मंत्री महाराष्ट्र के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन के बारे में 6 मई, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 997 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के स्वतन्त्रता सेनानियों के शेष 1701 मामलों के संबंध में निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने मामले अभी भी सरकार के पास लम्बित पड़े हुए हैं और उनके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन मामलों के संबंध में कब निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। इन 1701 मामलों में से 135 मामलों में निर्णय ले लिया गया है।

(ख) तथा (ग) शेष 1566 मामलों में अन्तिम निर्णय राज्य से सत्यापन और पात्रता रिपोर्ट मिलने पर लिया जाएगा।

महाराष्ट्र में पिछड़े जिलों के विकास हेतु योजना

2551. श्री आर० के० महालगी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में पिछड़े जिलों के विकास के लिए एक व्यापक योजना पर उन्होंने हाल ही में राज्य के मुख्य मन्त्री के साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उन जिलों में औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से स्वीकृति देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनको उपरोक्त उच्चस्तरीय वार्ता के परिणाम-स्वरूप मंजूरी दी जा चुकी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां,।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा समेकित औद्योगिक विकास के लिये केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 3 जिलों अर्थात् औरंगाबाद, रत्नागिरी तथा चन्दपुर का पता लगाया गया है । इन जिलों में गहन औद्योगिक विकास के लिए परियोजनाओं सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु अब केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के एक कृतिक बल का गठन कर लिया गया है। कृतिक बल का कार्य चल रहा है।

पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिकीरण के लिए कार्यवाही योजना

2552. श्री जनार्दन पुजारी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए सरकार द्वारा एक कार्यवाही योजना तैयार की जा रही थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा पता लगाए गए औद्योगिक रूप से पिछड़े कुछ जिलों/क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के संयुक्त कृतिक बल द्वारा क्षेत्रों के बीच सम्पर्क स्थापित करने की दिशा में परियोजना की उन्नत और पिछड़े संभाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यक्रम के लिए अब तक लगाए गए 51 जिलों /क्षेत्रों के बारे में इस प्रकार के 19 कृतिक बलों की स्थापना की जा चुकी है, प्रकृति की वर्तमान स्थिति अनुबन्ध-I में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, पिछड़े क्षेत्रों के विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा औद्योगिक फैलाव पर दी गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की राज्य सरकारों सम्बन्धित मन्त्रालयों और वित्तीय संस्थानों के परामर्श से योजना आयोग में जांच की जा रही है।

विवरण

केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत समेकित औद्योगीकरण का प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा पता लगाए गये जिलों/क्षेत्रों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	सुझाए गए जिले/क्षेत्र	टिप्पणी
आन्ध्र प्रदेश	1. अनन्तपुर × ×	तीन जिलों के लिए कृतिक दल
	2. मेढ़क × ×	स्थापित
	3. श्री काकुलम ×	
बिहार	4. मधुबनी ×	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल
	5. पालामऊ	स्थापित
गुजरात	6. कच्छ*	राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त
	7. अमरेली *	नहीं हुआ है।
	8. साबरकण्ड	
हरियाणा	9. महेन्द्रगढ़ ×	

1	2	3
	10. हिसार जिले का कुछ भाग ×	कृतिक दल स्थापित
	11. जींद जिले का भाग ×	
हिमाचल प्रदेश	12. कांगड़ा ×	सभी तीन जिलों के लिए कृतिक दल की स्थापना हो चुकी है
	13. सोलन ×	
	14. सिरमूर ×	
जम्मू व कश्मीर	15. बारामूला ×	केवल बारामूला जिले के लिए कृतिक दल स्थापित
	16. ऊधमपुर ×	
कर्नाटक	17. तुमकूर*	सभी चारों जिलों के लिए कृतिक दल की स्थापना की जा चुकी है
	18. साउथ कनारा*	
	19. गुलबर्गा*	
	20. बेलगांव *	
केरल	21. एलेप्पी	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
	22 मालापुरम	
मध्य प्रदेश	23. सीधी × ×	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
	24. झबुआ × ×	
महाराष्ट्र	25. औरंगाबाद ×	सभी जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
	26. चन्द्रपुर ×	
	27. रत्न गिरी ×	
नागालैंड	28. मोन ×	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
	29. त्येन संग×	
उड़ीसा	30. पुरी (चरंडक क्षेत्र)	सभी जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
	31. बोलना गिर ×	
	32. कालाहांडी	
	33. धेनकानल ×	
	34. मयूर भंज ×	
पंजाब	35. अमृतसर (गोविन्द वाल साहिब)	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
	36. होशियारपुर	

1	2	3
राजस्थान	37. जोधपुर	सभी जिलों के लिए कृतिक दल की स्थापना
	38. चुरु ×	
	39. भीलवाड़ा ×	
	40. बानोर	
तमिलनाडु	41. पुड्डुको हाई जिले में पुड्डुको दृष्टि × ×	दोनों क्षेत्रों के लिए कृतिक दल स्थापित
	42. मदुराई में झांडी गुल × ×	
उत्तर प्रदेश	43. बलिया ×	सभी जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
	44. झाँसी ×	
	45. अल्मोड़ा ×	
	46. बस्ती ×	
	47. फैजाबाद ×	
	48. राय-बरेली ×	
	49. ललितपुर ×	
पश्चिम बंगाल	50. जलपाइ गुड़ी*	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
	51. बांकुर *	

टिप्पणी :— सम्पूर्ण जिला पूंजी गत निवेश राजसहायता के पात्र हैं।

× × जिले के अन्दर नामित क्षेत्र पूंजीगत निवेश राजसहायता के पात्र हैं।

* रियायती वित्त पाने के लिए अर्ह जिला।

× केन्द्रीय संयंत्र कार्यक्रम के लिए अब तक 51 जिलों का पता लगाया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र

2553. श्री जनार्दन पुजारी
श्री मुकुन्द मण्डल } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी परिषद ने सूचित किया है कि 9 करोड़ रु० के कुल अनुमानित परिव्यय से 30 से 200 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाले 4 लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना किये जाने की योजना बनाई गई है। संयंत्रों में से प्रथम संयंत्र तेजु (अरुणाचल प्रदेश) में निर्माणाधीन है।

सुन्दरबन का औद्योगीकरण

2554. श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र को देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों की सूची में शामिल कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस जिले को भी निवेश सहायता योजना (इन्वेस्टमेंट सबसीडी स्कीम) में शामिल करने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदण्ड तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग द्वारा आंके जाने पर सुन्दरबन जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया।

"औद्योगिक" "छितराव" संबंधी पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति के प्रतिवेदन पर जिसमें औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला/क्षेत्र घोषित करने के लिए संशोधित मानदण्ड को अपनाया गया है, राज्य सरकारों, संबंधित मंत्रालयों तथा वित्तीय संस्थानों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। विद्यमान जिलों/क्षेत्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन, समिति की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय तथा उस पर सरकार के आदेश पर निर्भर करेगा।

सीमेंट को पैकिंग के लिए बोरियां

2555. श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट को पैकिंग के लिए आजकल पुरानी और कटीफटी बोरियों का उपयोग कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप बहुत सा सीमेंट केवल ढुला ढुलाई में बेकार चला जाता है अपितु इन बोरियों में से आसानी से सीमेंट निकाला जा सकता है और इस प्रकार इस कमी वाली वस्तु का काला बाजार बनता है;

(ख) यदि सरकार इस भवन निर्माण सामग्री जिसकी आजकल कमी है के बेकार जाने से रोकने के साथ-साथ सीमेंट निर्माताओं के लिए नई बोरियों के उपयोग को अनिवार्य बना दें तो क्या जूट मिल उद्योग जो, आजकल मांग की मंदी का सामना कर रहे है, लाभ होगा; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) भारत सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सीमेंट नियंत्रण आदेश 1967 के उपबंधों के अधीन उपयोग करने योग्य सीमेंट की पुरानी बड़ी बोरियों का सीमेंट की पैकिंग के लिए उपयोग करने की अनुमति देती है । 1 जुलाई 1981 को शुरू होने वाली तिमाही में सीमेंट की पैकिंग के लिए उपयोग करने योग्य पटसन की पुरानी बोरियों का केवल 22 प्रतिशत ही उपयोग हुआ । जूट की बोरियों से छनकर हो रही सीमेंट की कमी को न्यूनतम करने की दृष्टि से सीमेंट की पैकिंग के लिए सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने बेहतर बुनाई पद्धति से ऐसी बोरियों में सुधार करके विकसित किया है जिन्हें सीमेंट की पैकिंग के लिए अपनाए जाने का प्रस्ताव है । सीमेंट उद्योग द्वारा जूट की बेहतर बोरियों को अपनाए जाने के कारण सीमेंट का छनकर गिरना काफी हद तक कम हो जाने की आशा है। सीमेंट की पैकिंग के लिए नई बोरियों के उपयोग में कुछ वृद्धि हो जाने से जूट उद्योग को लाभ होने की संभावना है ।

बी० आई० पी० औद्योगिक केन्द्र

2556. सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 1-15, 1981 की पाक्षिक पत्रिका "इण्डिया टूडे में "ट्रेड विन्ड्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित "बी० आई० पी० इण्डस्ट्रियल सेन्टर्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका प्रस्ताव पश्चिमी बंगाल, विशेषकर सुन्दरवन के क्षेत्र में, जो देश का सबसे पिछड़ा देश है, किसी ऐसे केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां । तथ्य ये हैं कि उद्योग राज्य मन्त्री ने सभी सरकारों के मुख्य मन्त्रियों को पत्र भेजे थे जिनमें उनसे उन क्षेत्रों/जिलों का तीव्र औद्योगिकीकरण करने के लिए केन्द्रीय संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े कम से कम दो क्षेत्रों/जिलों का पता लगाने के लिए कहा गया था । 17 राज्यों से प्राप्त उत्तरों में से केन्द्र संयंत्र कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए 51 जिलों/क्षेत्रों का पता लगाया गया है। इन क्षेत्रों में औद्योगीकरण करने हेतु परियोजना संबंधी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए। 19 कृतिक बल गठित किए गए हैं जिनमें से 5 कृतिक बलों ने अमृतसर जिले के गोइन्दवाल

साहिब, पुरी जिले के चन्द्रक, आन्ध्र प्रदेश के मेडक, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, सोलन तथा सिरमूर जिलों के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं। कृतिक बलों द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यवाई की जा रही है। अन्य क्षेत्रों के लिए गठित किए गए कृतिक बल कार्य कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने दो जिलों अर्थात् जलपाई गुड़ी तथा बंकुरा का पता लगाया है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल करके एक कृतिक बल का गठन किया गया है और यह कार्य कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुन्दरवन क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र स्वीकार नहीं किया गया था।

स्वदेशी स्रोतों से कागज की मांग को पूरा करना

2557. **श्री बिरजी लाल शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी स्रोतों से कागज की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) इस बारे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सरकार कागज उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करती रही है। स्वदेशी उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्न प्रकार हैं :—

(1) द्वितीय कोटि के कच्चे माल जिसमें विदेशी मुद्रा सम्बन्धी व्यय निहित नहीं होता है, पर आधारित कागज मिलों की स्थापना को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(2) लुगदी के आयात को उदार बना दिया गया है।

(3) कागज बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रद्दी कागज पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(4) गैर-परम्परागत कच्ची सामग्री के प्रयोग पर आधारित नई बड़े आकार की समेकित लुगदी और कागज मिलों और लघु कागज मिलों को उत्पादन शुल्क में रियायतें प्रदान की गयी हैं।

(5) 75 प्रतिशत से अनधिक खोई से बनने वाले कागज को उत्पादन शुल्क से छूट दे दी गई है।

(ख) जहां तक लिखाई और छपाई के कागज का सम्बन्ध है, देशी उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए समग्रतः पर्याप्त है तथा आयात केवल सीमित स्तर तक ही किया जा रहा है।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए छठी योजना में पर्याप्त क्षमता उत्पादन हो जाने की संभावना है। किन्तु जहां तक अखबारी कागज का संबंध है, उत्पादन में वृद्धि होने पर भी देश अगले कुछ वर्षों में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकेगा।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

2558. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार को, जुलाई, 1980 में नई नीति की घोषणा के बाद, हरियाणा में रहने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें पेंशन दिए जाने के लिए कितनों को मंजूर और कितने आवेदन पत्रों को रद्द किया गया है; और

(ग) विचाराधीन पड़े आवेदन पत्रों के मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 270.

(ख) मंजूर किए गए : 4

रद्द किए गए : 6

(ग) शेष मामलों को राज्य की जांच रिपोर्ट तथा उन पर उनकी सिफारिश प्राप्त होने पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

दिल्ली में गृह कर का लगाया जाना

2550. श्री चिन्तामणि जैना : क्या गृह मन्त्री दिल्ली में गृह कर के लगाए जाने के बारे में 25 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1205 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस अवधि के लिए; जिस तिथि से पूर्व फ्लैट का वास्तविक कब्जा डी० डी० ए० के पास था, सम्पत्ति कर भुगतान के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों, विशेषकर पश्चिम जोन के अधिकारियों को जोर न डालने के लिए अनुदेश देने हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा क्या कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और यदि हां, तो क्या;

(ख) क्या पश्चिम जोन, राजौरी गार्डन के अधिकारी इस संबंध में दिल्ली नगर निगम द्वारा उन्हें जारी किए गए;

(ग) क्या पश्चिमी जोन इस अवधि से पूर्व के कर को अपनी पुस्तकों में दर्शाता आ रहा है और चालू वर्ष के लिए जारी किए बिलों में इसे शामिल कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो मामले को ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस आशय के निदेश पहले ही विद्यमान हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के सम्पत्ति कर का मूल्यांकन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहली बार कब्जा सौंपने की तारीख से किया जाता है। इन अनुदेशों को पश्चिमी जोन के अधिकारियों समेत मकान कर विभाग के सभी अधिकारियों को जानकारी है। अत: दिल्ली विकास प्राधिकरण से आवंटितियों द्वारा फ्लैट के प्रथम बार वास्तविक कब्जा लेने की तारीख से पहले की अवधि के लिए सम्पत्ति कर अदा करने के लिए जोर देने का कोई प्रश्न नहीं है। इन अनुदेशों को अवज्ञा करने का कोई मामला, निगम के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) तथा (घ) दिल्ली नगर निगम के अनुसार ऐसा कोई मामला नहीं है। जिसमें आवंटिति द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से पहली बार कब्जा प्राप्त करने की तारीख से पहले के कर की मांग की जा रही है। जब कभी करदाताओं द्वारा आपत्ति उठाई जाएगी तो दिल्ली विकास प्राधिकरण से करदाता द्वारा कब्जा लेने की तारीख का वास्तविक प्रमाण प्राप्त होने पर कब्जा लेने की तारीख से पहले का कर समाप्त कर दिया जाएगा।

गोहाटी में हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी

2560. श्री चिन्तामणि जेना : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अगस्त, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गोहाटी (आसाम) में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में छः लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) तथा (ग) असम सरकार के अनुसार तुलसी बाड़ी बाहरी चौकी के प्रभारी पुलिस उप-निरीक्षक 29 जुलाई, 1981 को जब घर लौट रहे थे तो कुछ बदमाशों ने उन पर पिस्तौल से गोली चलाई जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति के मकान की

तलाशी के दौरान काफी मात्रा में टाइम बम्ब तथा विस्फोटक उपकरणों समेत विस्फोटक तथा विफोटक पदार्थ बरामद किए गए थे। मामले की जांच की जा रही है।

हिन्दी पुस्तक "काल विजय" पर प्रतिबन्ध :

2561. श्री प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अप्रैल, 1981 में आयोजित "नेशनल कन्वेन्शन आफ बुद्धिष्ठ" की ओर से सरकार को यह मांग प्राप्त हुई है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक "काल विजय" में भगवान बुद्ध के बारे में निन्दाजनक सामग्री होने के कारण उसके प्रकाशन और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है और यह कार्यवाही कब की जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) ऐसे प्रकाशन जिनकी भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं का जानबूझकर तिरस्कार करने की दुर्भावनापूर्ण प्रवृति हो, उस वर्ग के धर्म अथवा धार्मिक विश्वासों का अपमान करें अथवा अपमान करने का प्रयत्न करें को अभिनिषिद्ध करने की शक्तियां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन राज्य सरकार में निहित हैं। अतः इस मामले को उपयुक्त कार्यवाही के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया गया था।

भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों को पेंशन देना

2562. श्री ए० नीलालोहितादशन नाडार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 से अब तक भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों से उन्हें पेंशन देने के बाबत कितने आवेदन-पत्र मिले हैं;

(ख) इनमें से कितनों को पेंशन स्वीकृति हो गयी है और कितनों को स्वीकृति नहीं हुई है;

(ग) जिन आवेदन-पत्रों पर कारंवाई हो गई उनका ब्योरा क्या है; और

(घ) अवेदन-पत्रों पर की गई कारंवाई को कैलेन्डर वर्षवार ब्योरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि के लिए भूतपूर्व इंडियन नेशनल आर्मी के किसी भी कार्मिक को पेंशन केवल इसलिए मंजूर नहीं की गई है कि वह इंडियन नेशनल आर्मी का कार्मिक है। "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम" के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिए विहित शर्तें पूरी करने वाले पात्र व्यक्तियों के दावों पर गृह मंत्रालय विचार करता है। इस स्कीम के अधीन भूतपूर्व इंडियन नेशनल आर्मी और भूतपूर्व इंडियन इन्डेपेंडेन्स लीग के उन कार्मिकों, जिन्होंने 6 महीने से अधिक अवधि की ब्रिटिश जेलों/कैम्पों में कारागार/नजरबन्दी की सजा भुगती है, को "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन" मंजूरी की जाती है। इस स्कीम के अधीन पेंशन मंजूरी के लिए अब तक उन लोगों से 33,280 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, दि इंडियन इन्डेपेंडेन्स लीग में भाग लिया है और ब्रिटिश जेलों/कम्पों में नजर बन्दी कारागार की सजा भुगती है। इनमें से 17,081 व्यक्तियों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन मंजूर की गई है और 9,125 व्यक्तियों के दावे नामंजूर किए गए हैं। शेष 7074 मामलों की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का अधिग्रहण करने सम्बन्धी नीति

2563. श्री बी० बी० देसाई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का अधिग्रहण करने संबंधी एक दीर्घावधि नीति तयार करने का है;

(ख) क्या सरकार ने उद्योगों की रुग्णता की समस्या के प्रश्न का अध्ययन करने तथा उद्योगों का अधिग्रहण करने के संबंध में सरकार को उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है; और

(ङ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) रुग्ण उद्योगों संबंधी नीति को संसद के दोनों सदनों में 15 मई, 1978 को तत्कालीन उद्योग मंत्री द्वारा घोषित किया गया था। वर्तमान में सरकार द्वारा नीति की समीक्षा की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्नाटक इलेक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन को ब्रिटेन की फर्म के साथ सहयोग करने की स्वीकृति

2564. श्री बी० वी० देसाई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने कर्नाटक इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन और ब्रिटेन की एक फर्म के बीच उच्च वोल्टता प्रतिरोधकों के निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो कर्नाटक इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन और ब्रिटेन की फर्म के बीच हुए करार की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) कारपोरेशन का मुख्य उत्पादन क्या है;

(घ) ब्रिटेन की फर्म द्वारा कितनी सहायता दी जाएगी, और

(ङ) उत्पादन के कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पार्टी को विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है। इस सहयोग का कार्यान्वयन निम्नलिखित दो चरणों में होगा :—

(1) प्रथम चरण : 14 किलो-वाट शक्ति तक के उच्च-वोल्टता वाले प्रतिरोधकों (रेजिस्टर्स) का विनिर्माण।

(2) द्वितीय चरण : 14 किलोवाट शक्ति से ऊपर के उच्च-वोल्टता वाले प्रतिरोधकों (रेजिस्टरों) का विनिर्माण।

उपयुक्त दोनों चरणों में से पार्टी ने केवल प्रथम चरण के संबंध में ही करारनामा प्रस्तुत किया है जिसके बारे में अनुमति दे दी गई है तथा इसे रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया है)। इस करारनामे के अधीन, भारतीय कंपनी ग्रेट ब्रिटेन की फर्म को करों के भुगतान के बाद विशुद्धतः 20,000 पौंड की राशि की अदायगी करेगी।

(ग) इस समय निगम मुख्यतः दूरदर्शन सेटों तथा अन्य सहायक उत्पादों का उत्पादन कर रहा है।

(घ) ग्रेट ब्रिटेन की फर्म द्वारा निम्नलिखित सहायता/इमदाद प्रदान की जाएगी :—

(i) प्रतिरोधकों (रेजिस्टरों) के विनिर्माण तथा उनकी विनिर्माण प्रक्रिया के संबंध में तकनीकी सहायता, परामर्श तथा सूचना;

(ii) भारतीय कंपनी द्वारा विनिर्मित प्रतिरोधकों का ग्रेट ब्रिटेन की फर्म के कारखाने में परीक्षण ;

(iii) तकनीकी दस्तावेजों की आपूर्ति जिसमें अपेक्षित संयत्रों तथा उपस्करों की सूचियां शामिल हैं; तथा जिन उपस्करों का विशेष रूप से विनिर्माण किया जाना हो उनके मामले में ग्रेट-ब्रिटेन की फर्म द्वारा कारखाने के नक्शों (ड्राइंगों) की भी सप्लाई की जाएगी ;

(iv) संयोजन संबंध सूत्र के ब्यौरे; प्रतिरोधकों के विनिर्माण-कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले संघटकों तथा सामग्रियों की सूचियां और यह जानकारी भी देना कि ऐसे संघटकों तथा सामग्रियों की पूर्ति के लिए उपयुक्त पूर्तिकर्त्ताओं के पते क्या हैं ।

(v) अपनी कार्यशाला में तीन भारतीय तकनीशियनों को प्रशिक्षण देना ।

(ङ) आशा है कि निगम इस करारनामे के अधीन, वर्ष 1982 के अंत तक प्रतिरोधकों का उत्पादन करना आरम्भ कर देगा ।

सरकारी क्षेत्र में स्वदेशीकरण

2565. श्री बी० वी० देसाई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय ने अपने नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कहा है कि स्वदेशी करण प्रयोजन के लिए सुधरी मदों की सूची तैयार की जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उद्योगों द्वारा ऐसी को सूची तैयार की गई है; और

(ग) उसके मुख्य कारण क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) स्वदेशी सरकार की औद्योगिक विकास नीति का अनिवार्य भाग है । इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निरन्तर प्रक्रिया के रूप में इसका अनुसरण करते हैं । स्वदेशी-करण प्रक्रिया को गतिवान बनाने के लिए चुने हुए सरकार के उपक्रमों को ऐसी वस्तुओं का जिनका कि वर्तमान में आयात किया जा रहा है पता लगाने को तथा उसका अपने संयंत्र में या सहायक उद्योगों में स्वदेशी विकास करने को कहा गया है ।

आदिवासी भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन

2566. श्री अर्जुन सेठी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गैर आदिवासियों को भूमि का स्वामित्व परिवर्तित किए जाने से रोकने के लिए कोई विनियम है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आदिवासी जनसंख्या वाले कई राज्यों में इस सम्बन्ध में न्यायालयों में लाए गए आधे से अधिक मामलों में आदिवासियों के खिलाफ निर्णय दिए गए हैं ;

(ग) यदि हां तो क्या सरकार इनके कारणों की जांच कर किसी निर्णय पर पहुंची है, और यदि हां, तो ये क्या कारण हैं ; और

(घ) इन विनियमों में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार(i) महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य में आधे से अधिक मामलों का फैसला याचिका दायर करने वाले आदिवासियों के विरुद्ध किया गया (ii) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा उत्तर प्रदेश और सिक्किम राज्यों में आधे से अधिक मामलों का निर्णय याचिका दायर करने वाले आदिवासियों के पक्ष में किया गया (iii) मणिपुर और तमिलनाडु राज्यों में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया और (iv) कर्नाटक और केरल राज्यों में अधिकतर मामलों का निर्णय किया जाता है।

(ग) न्यायालयों में आदिवासियों के विरुद्ध हो रहे निर्णयों के मुख्य कारण, कानूनों की जानकारी न होना, प्रशासनिक और कानूनी, प्रणाली को जानकारी न होना, मुकदमा न लड़ने की वंशानुगत अनिच्छा, आदिवासियों में न्यायालयों में मामलों को चलाने के लिए साधनों का अभाव आदि हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतर मामलों में, गैर आदिवासी प्रतिद्वन्दियों द्वारा बार-बार स्थगन अपील, उच्च न्यायालयों में मामले का पुनरीक्षण जैसे उत्पन्न की गई कानूनी रुकावटें भी याचिका दायर करने वाले आदिवासियों की असफलता के कारण हैं।

(घ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से वर्तमान विधानों को पुनरीक्षित करने का विरोध किया है। इस प्रकार के पुनरीक्षण भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा जनजाति उप-योजना बैठकों में संयुक्त रूप से भी किए जाते हैं। विधानों को प्रक्रिया में सरल और कार्यान्वयन में प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से इन बैठकों में उत्पन्न होने वाले सुझावों के अनुसार जहां कहीं आवश्यक हो राज्य सरकारें इन विधानों को संशोधित करने के लिए कदम उठाती रही हैं।

"बो० ई० एल० टू मेक डिजिटल इलेक्ट्रोनिक वाचिच" शीर्षक समाचार

2567. श्री के० मालन्ना : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत में इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बंगलोर) ने अपने कम्प्यूटर की सहायता से उपलब्ध सुविधाओं से निर्मित अत्याधुनिकतम पुर्जों से देश को प्रथम स्वदेशी डिजिटल इलेक्ट्रोनिक घड़ियों का मूल रूप तैयार किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने सरकार को इस बात की भी पेशकश की है कि मानक स्तर की इलेक्ट्रोनिक घड़ियों के लिए महत्वपूर्ण पुर्जों के निर्माण से प्राप्त विशेषज्ञता और अनुभव के कारण घड़ियों के माडलों के आयात की व्यवस्था की प्रतिक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिक तथा पर्यावरण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सरकार को भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे किसी दावे के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक लाईसेंसों की संख्या

2568. श्री के० मालन्ना : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों और आशय पत्रों की संख्या से सम्बन्धित ब्योरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1980 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन से सम्बन्धित ब्योरा क्या है और इसकी उपलब्धि किस हद तक रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1980 के दौरान (विकास और विनीयमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 946 आशयपत्र और 745 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे । आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों दोनों ही सम्बन्धित पार्टियों के नाम स्थापना स्थल, विनिर्माण की वस्तु, इत्यादि का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित संसद पुस्तकालय में उपलब्ध "मन्थली न्यूज लैटर" में दिए होते हैं ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में पांच वर्ष की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में औसतन 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होने की परिकल्पना की गई है । औद्योगिक उत्पादन संबंधी सामान्य सूचकांक के अनुसार 1980-81 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि का पता चला जबकि पिछले वर्ष इसकी तुलना में 1.4 प्रतिशत की कमी आई थी ।

औद्योगिक इकाइयों का अतिरिक्त क्षमता

2569. श्री के० मालन्ना : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे व्यक्तियों के कुछ मामले लाए गए हैं जो विद्यमान

इकाइयों का विस्तार करके अथवा नई इकाइयों की स्थापना करके अनधिकृत अतिरिक्त क्षमता तैयार करते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 1980-81 से सम्बन्धित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों को दंड देने के लिए कुछ अधिक शक्ति प्राप्त करने का है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) यद्यपि इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ एकक अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं।

(ग) आवश्यक स्वीकृति के लिए बिना अनधिकृत क्षमता का सृजन करके लाइसेंस की शर्तों का जानबूझ कर उल्लंघन करने वालों का मुकाबला करने के लिए सरकार अपेक्षित शक्तियां भी प्राप्त कर रही हैं।

लघु ढुलाईघर उद्योग

2570. श्री एस० बी० सिवलाल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु ढुलाईघर उद्योग को कच्चे माल की कमी और बिजली की कटौती के कारण गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) उद्योग को बिजली और कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या द्रुत उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं। कुछ अभ्यावेदन इस प्रकार के प्राप्त हुए हैं कि लघु क्षेत्र के फाउन्ड्री एककों को कच्चा लोहा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें बिजली संभरण की कमी भी है।

(ख) लघु एककों को लघु उद्योग निगमों के माध्यम से जहाँ कहीं उन्होंने इस वस्तु का आवान प्रदान करने की इच्छा जाहिर की है। कच्चे लोहे की पूर्ति की जा रही है, दूसरे स्थानों में, सेल (एस० ए० आई० एल०) के स्टॉक यार्डों से सीधे ही लघु एककों को कच्चे लोहे की पूर्ति की जा रही है। कच्चे लोहे के वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) पर कच्चे लोहे का आयात करने की अनुमति देने हेतु आयात नीति को भी उदार बना दिया गया है। देश में बिजली की सामान्य उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए अभ्युपाय भी शुरू किए गये हैं।

बम्बई में भारतीय नौसेना के 'बी' श्रेणी के असैनिक लिपिकों के वेतनमान

2571. प्रो० मधु दण्डवते : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के बावजूद भी, बम्बई में भारतीय नौसेना के 'बी' श्रेणी के उन असैनिक लिपिकों, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, एक समान वेतनमान में भर्ती किया गया था, को उच्च श्रेणी लिपिकों के लिए रु० 80-220 का वेतनमान नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन सम्बद्ध कर्मचारियों को बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुकूल यह ग्रेड कब तक दिया जाएगा; और

(ग) क्या सबंधित कर्मचारियों को उनके उच्च श्रेणी के लिपिक वर्गीकृत किए जाने के पश्चात उन्हें उसी तारीख से बकाया राशि पर ब्याज सहित संशोधित वेतनमान दिया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) वस्त्र आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों से सम्बन्धित एक मुकदमें में बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए 19-5-1981 को सरकारी आदेश जारी किए गए थे जिनके अन्तर्गत भारतीय नौसेना के उन भूतपूर्व 'बी' ग्रेड लिपिकों, जिन्हें 1-1-1947 से उच्च श्रेणी लिपिकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सका था, को उक्त तारीख से ही उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में रखा जाना है और उन्हें पहले की अवधी के लिए वेतन वृद्धियों का लाभ देने के बाद उनके वेतन ग्रेड में उनका वेतन पुनर्निधारित किया जायेगा। इस प्रकार का वर्गीकरण केवल सैद्धांतिक आधार पर ही किया जाएगा और वित्तीय लाभ सरकारी आदेश जारी होने की तारीख से ही स्वीकार्य होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के मामलों की पुनः जांच

2572. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 की पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों को केन्द्रीय राजस्व से पेंशन देने के लिए स्वीकार्य साक्ष्य क्या हैं ;

(ख) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों के मामले के कोई अभिलेख गई, 1978 में पंजाब सरकार द्वारा मांगने पर जांच के लिए भेजे गये थे, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक स्वतन्त्रता सेनानी द्वारा क्या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर उन्हें पहली बार पेंशन दी गई थी ;

(घ) क्या उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित इन में से कोई मामले पहली बार जांच के लिए पंजाब सरकार द्वारा पुलिस विभाग को भेजे गये थे, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या दस्तावेजों को एक पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लिखित, लिखित या अन्य साक्ष्य की प्रति जिसके आधार पर राज्य सरकार ने उनके मामलों की सिफारिश की थी; सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के दावे सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित सबूत अपेक्षित हैं:—

(1) सजा नजरबन्दी इत्यादि के दावे के मामले में जेल प्राधिकारियों से प्रमाणपत्र, जिनके न होने पर वर्तमान अथवा भूतपूर्व संसद सदस्यों अथवा विधायकों से सहबन्दी प्रमाण-पत्र ।

(2) भूमिगत/यातना नजरबन्दी अथवा निष्कासन के दावे के मामले में, आवेदक को फरार घोषित करने वाले न्यायालय/सरकारी आदेश, जिसमें उसको मृत अथवा जिन्दा गिरफ्तार करने के लिए पुरस्कार घोषित किया गया हो, अथवा उसको नजरबन्दी के आदेश देने वाला दस्तावेजी सबूत और जहां ऐसे पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं, वहां उन प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रमाण-पत्र, जिन्होंने स्वयं 5 वर्ष या अधिक की सजा काटी हो ।

(3) सम्पति जब्त करने के आदेश ।

(4) सरकारी सेवाओं से बरखास्तगी के आदेश ।

(ख) और (ग) पुनः सत्यापन के लिए कोई रिकार्ड राज्य सरकार को भेजने की जरूरत नहीं है। स्वतन्त्रता सेनानी पेन्शन योजना, जिसका नाम अब स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना रख दिया गया है, के अन्तर्गत पेंशन के लिए आवेदकों को अपेक्षित दस्तावेजी सबूत के साथ अपने आवेदन पत्र सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से भेजने पड़ते हैं, साथ ही उसकी एक प्रतिलिपि गृह मन्त्रालय के स्वतन्त्रता सेनानी प्रभाग को भेजनी पड़ती है। राज्य सरकारें उनके द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र के साथ सबूत को तर्क संगति का सत्यापन करती हैं । इन आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय राज्य सरकार से पेंशन रिपोर्टों तथा अधिकार पत्र प्राप्त होने के बाद किया जाता है । जहां दावा पेंशन योजना के उपबन्धों के अधीन पूरी तरह सिद्ध नहीं होता, वहां राज्य सरकारों से आगे स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है ।

(घ) तथा (ङ) राज्य सरकार, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दावों की अधिप्रमाणिकता और दस्तावेजी सबूत की प्रतियों का शीघ्र सत्यापन के लिए उपयुक्त क्रियाविधि तय करती है । चूंकि पंजाब राज्य के लिए आवेदकों की संख्या 15,000 से अधिक है, अतः आवेदकों की इतनी बड़ी संख्या की विशेष सूची पटल पर रखना व्यवहार्य नहीं होगा ।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों को पुन: पेंशन देना

2573. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश राज्यों में 31 जुलाई, 1980 तक किन्हीं स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन उनकी आय 5000/- रु० की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाने के फलस्वरूप बन्द कर दी गई थी ;

(ख) अगर हां, तो उनकी सूची क्या है;

(ग) क्या ऊपर भाग (क) में उल्लिखित किसी पेंशन को पुन: दिया गया था; और

(घ) अगर हां, तो उनका विवरण और प्रत्येक मामले में पुन: पेंशन देने के कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना, जिसका नाम अब बदलकर स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना रख दिया गया है, के उदार बनाने के परिणामस्वरूप 1.8.1980 से वार्षिक आय की सीमा हटा देने के बाद, निर्धारित सीमा से अधिक आय के आधार पर पहले जिन पेन्शनों को निलम्बित किया गया था या रोक दिया गया/रद्द कर दिया गया था, उन्हें पुन: चालू कर दिया गया है । सम्बन्धित महालेखाकारों को भुगतान करने के निर्देशन दे दिए गए हैं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

2574. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार द्वारा पेंशन योजना, 1972 के अन्तर्गत पेंशन दिए जाने के लिए स्वतन्त्रता सेनानियों के कुछ आवेदन पत्रों को, जांच करने के बाद उनके मन्त्रालय को भेजा था, यदि हां, तो उनके मंत्रालय के स्वतन्त्रता सेनानी डिवीजन में ये आवेदन पत्र कब प्राप्त हुए थे ;

(ख) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित स्वतन्त्रता सेनानियों के विवरण की एक सूची सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ;

(ग) प्रत्येक मामले में अन्तिम निर्णय किस तारीख को लिया गया था और सम्बन्धित स्वतन्त्रता सेनानी को सूचित करने हेतु उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या ऐसे भी मामले हैं जिन पर 7 जून, 1978 से कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता सैनिक पेंशन जिसका नाम अब बदलकर स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन रख दिया गया है, पेंशन की मंजूरी के लिए पंजाब से अब तक 15 हजार से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और अभी तक आ रहे है । इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों के विवरणों सहित उनकी सूची सभा पटल पर रखना व्यवहारिक नहीं होगा ।

(ग) से (ङ) राज्य से सत्यापन और हकदारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेंशन के लिए आवेदक की पात्रता पर अन्तिम निर्णय लिया जाता है । ऐसी राज्य रिपोर्ट समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं । योजना के अंतर्गत जो मामले पात्र पाए जाते हैं उन्हें स्वीकृत किया जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक आवेदक की जो पात्र नहीं है, आवेदन को रद्द करने के कारण सूचित किए जाते हैं ।

सरकारी क्षेत्र में कार-परियोजना

2575. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र में कार-परियोजना के लिए 'रेनाल्ट' का चयन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह डीजल से चलने वाली कार होगी अथवा पेट्रोल से ;

(ग) 'रेनाल्ट' का उत्पादन करने वाली फ्रांसीसी फर्म के साथ सहयोग की क्या शर्तें हैं ;

(घ) इसके निर्माण के कब तक शुरु हो जाने की सम्भावना है और पहली बार कब तक सड़क पर आ जाएगी ; और

(ङ) मूल्यों और कराधान के चालू स्तर के अनुसार कुल मिलाकर इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) यात्री कारों और वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र की परियोजना में सहयोग के लिए मे० रेनाल्ट सहित विभिन्न विदेशी मोटरगाड़ी निर्माताओं के साथ बातचीत चल रही है उनके प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद उपयुक्त पार्टी के साथ करार करके और बनाई जाने वाली गाड़ियों के प्रकार के बारे में निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा । अतारांकित प्रश्न संख्या 2575.

(घ) आशा है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजना में मोटरगाड़ियों का उत्पादन 1983 में प्रारम्भ हो जायेगा ।

(ङ) कार की कीमत चुने जाने वाले माडल, किए गए निवेश और अन्य संगत बातों पर निर्भर करेगी ।

नमक उत्पादन के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी

2576. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक उत्पादन में अपव्यय को बचाने और लागत में बचत को सुनिश्चित करने तथा किस्म और शुद्धता में सुधार लाने के लिए उत्पादन की बेहतर प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) क्या भारतीय नमक तथा पाकिस्तान से आयातित पहाड़ी नमक की शुद्धता तथा मूल्य में कोई अन्तर है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : नमक के उत्पादन बढ़ाने और किस्म में सुधार लाने के लिए इसके उत्पादन में बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं--

1. नमक उत्पादकों को नमक कार्यशालाओं की वैज्ञानिक ढंग से रूपरेखा तैयार करने के बारे में सलाह देना,
2. नमक उत्पादकों को नमक उत्पादन के विभव सम्पन्न क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए तथा नमक कार्यशालाओं हेतु रूपरेखा योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करना ।
3. कार्यशालाओं के एकीकरण/पुनःएकीकरण का स्थल पर जाकर पर्यवेक्षण करना ।
4. मिट्टी, खारे पानी, नमक और बिटर्नस के नमूनों का विश्लेषण करना तथा नमक उत्पादकों को प्रक्रिया नियंत्रण के बारे में सलाह देना ।
5. नमक के उत्पादन और भण्डारन के दौरान नमक की हानि रोकने के लिए पोलिथीन की चादरों का उपयोग तथा लाने ले जाने में नमक के होने वाले नुकसान को रोकने के लिए पैकिंग हेतु पटसन की बोरियों के स्थान पर पोलिथलीन की बोरियों का उपयोग ।

(ख) तत्वों की भिन्नता होने के कारण, पाकिस्तान से आयात किया जाने वाला सेंधा नमक भारत में बने समुद्री/झील के नमक से शुद्धतर है । आयातित सेंधा नमक का औसत मूल्य प्रति कि० ग्रा० 600 पैसे ही है ।

रेजर-ब्लेड उद्योग के लिए लाइसेंस

2577. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने रेजर-ब्लेड उद्योग के नए लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या अनेक बड़े व्यापारिक घराने इस क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक हैं और उनमें से कुछ ने तकनीकी सहयोग के लिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादकों से गठबन्धन भी कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो ये घराने कौन-कौन से हैं और उन्होंने रेज़र-ब्लेड के किन किन अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक संघो अथवा फर्मों से सहयोग करने का विचार किया है तथा ईक्विटी पूंजी, तैयार उत्पाद के निर्यात और रायल्टी तथा लाभ को अपने अपने देश में भेजने की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री(श्री चरणजीत चानना) : (क) सेफ्टी रेजर ब्लेडों के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता के प्रस्तावों पर स्वीकृति क्षमता को कार्यान्वित न करने तथा बढ़िया किस्म के ब्लेडों की बढ़ती उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गुणावगुणों के आधार विचार किया जा रहा था। यही नीति अभी भी लागू है।

(ख) और (ग) कर्नाटक स्टेट इन्डस्ट्रियल एन्ड इन्वेस्टमेन्ट डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड तथा एशियन केबल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही संयुक्त क्षेत्र की एक परियोजना के रूप में मैसर्स कर्नाटक ब्लेड्स लिमिटेड को सेफ्टी रेजर ब्लेडों के निर्माण के लिए एक एकक स्थापित करने हेतु जनवरी, 1980 में एक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना के लिए एकमुश्त राशि और रायल्टी के भुगतान पर मैसर्स विल्किन्सन स्वोर्ड लिमिटेड के साथ विदेशी तकनीकी सहयोग करने की भी स्वीकृति दी गई है।

आन्ध्र प्रदेश इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन को आन्ध्र प्रदेश राज्य के मेडक में सेफ्टी रेजर ब्लेडों के निर्माण के लिए एक नया एकक स्थापित करने हेतु एक आशय पत्र जारी किया गया है। इस प्रस्ताव में विदेशी सहयोग निहित है तथा आवेदक से सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

मैसर्स हाऊस आंणपोद्दार इन्टरप्राइसेज कलकत्ता ने स्टेनलैस स्टील रेजर ब्लेडों के निर्माण के लिए अलवर (राजस्थान) में एक नये एकक हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस के स्वीकृति के लिए तथा अमेरीका के मैसर्स जिलेट के साथ विदेशी सहयोग करने जिसमें तकनीकी सहयोग व वित्तीय भागीदारी निहित है, के लिए एक मिश्रित आवेदन प्रस्तुत किया है। इस आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है तथा इस मामले में भी अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विदेशों से धनराशि प्राप्त कर रहे संगठन

2578. श्री भीकू राम जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित संगठन अर्थात (एक) सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक अध्ययन संस्थान (इस समय सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक अध्ययन जे० पी० संस्थान कहा

जाता है), (दो) कलकत्ता, रायलसीमा विकास परिषद, तिरूपति; और (तीन) एशियाई ग्रामीण विकास संस्थान बंगलोर, विदेशों से धनराशि प्राप्त करते हैं और कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक संस्था को कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या इन संस्थाओं के प्रमुख सदस्य गांधी शांति प्रतिष्ठान "और ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों के संघ" (एवार्ड) के भी पदाधिकारी हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विवरण-एक संलग्न है।

(ग) इन संगठनों, गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों का संघ (अवार्ड) के पदाधिकारियों को विवरण-दो संलग्न है।

विवरण—एक

संगठन और उनके पदाधिकारियों के नाम

इन्स्टीच्यूट आफ सोसल चेंज तथा सोसल वेलफेयर, कलकत्ता।

1. श्री राधा कृष्णन
2. श्री क्षितिश राय चौधरी
3. माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्यसाची मुखर्जी
4. श्री रविन्द्र मुखोपाध्याय
5. प्रो० सुगुआता दास गुप्ता

एशियन इन्स्टीच्यूट फार रूरल डेवलपमेंट, बंगलोर।

1. श्री ए० टी० अरियारत्ना
2. डा० पुइये उनगफाकोरन
3. श्री एम० वी० राजशेखरन

गांधी पीस फाउंडेशन, नई दिल्ली।

1. श्री आर० आर० दिवाकर
2. श्री के० एस० राधाकृष्णन
3. श्री डी० रामचन्द्रन पोटो
4. श्री राम लाल पारिख

एसोसिएशन आफ वालियंटरी एजेंसीज फार रूरल डेवलेपमेंट (अवार्ड) नई दिल्ली।

1. श्री राधा कृष्णन
2. श्री पन्ना लाल दास गुप्ता
3. डा० ए० सी० बलभद्र प्रसाद
4. श्री ए० सी० सेन।

विवरण-दो

वर्ष 1978, 1979 तथा 1980 के दौरान इन संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदान की राशि का विवरण ।

क्रम संख्या	संगठनों का नाम	प्राप्त राशि (रुपयों में)			विवरण
		1978	1979	1980	
1.	इन्स्टीच्यूट आफ सोसल चेंज एंड सोसल वेलफेयर, कलकत्ता	34,050	40,800	2,09,877	
2.	रायलसीमा विकास परिषद, तिरूपति	—	—	—	इस मन्त्रालय के रिकार्ड में कोई आंकड़े नहीं हैं ।
3.	एशियन इन्स्टीच्यूट फार रूरल डेवलपमेंट, बंगलोर	88,360	4,40,856	20,95,617	

विदेशों से धन प्राप्त कर रहे संगठन

2579. श्री भीकू राम जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित संगठन विदेशों से धन प्राप्त करते रहे है और कर रहे हैं ;

(एक) सेंटर फार एग्रेरियन रिफार्मस, ट्रेनिंग एण्ड एजूकेशन, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) (दो) एप्रोप्रिएट टेकनोलोजी एसोसिएशन, लखनऊ; (तीन) ग्राम नियोजन केन्द्र, गाजियाबाद;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों में से प्रत्येक ने कितनी धनराशि प्राप्त की है ; और

(ग) क्या इन संस्थाओं के प्रमुख सदस्य गांधी पीस फाउण्डेशन और एसोसिएशन आफ वालेंटरी एजेंसीज फार रूरल डेवलपमेंट (अवार्ड) में पदाधिकारी भी हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विवरण-एक संलग्न है ।

(ग) इन संगठनों, गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों का संघ (एवार्ड) के पदाधिकारों सम्बन्धी विवरण-दो संलग्न है ।

विवरण-एक

वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान इन संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अभिदान की राशि का विवरण।

क्रम सं०	संस्थाओं के नाम	प्राप्त की गई राशि (रुपये में)			विवरण
		1978	1979	1980	
1.	सेंटर फार एग्रेरियन रिसर्च ट्रेनिंग एण्ड एजूकेशन, गाजियाबाद।	60,606	1,60,485	29,950	
2.	एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी एसोसिएशन, लखनऊ।	7,26, 196	7,50,519	4,85,479	
3.	ग्राम नियोजन केन्द्र, गाजियाबाद	—	—	--	इस मंत्रालय के रिकार्ड में नहीं है।

विवरण-दो

संस्थाओं तथा उनके पदाधिकारियों के नाम

सेंटर फार एप्रोप्रियेट रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजूकेशन, गाजियाबाद ।

1. श्री आर० के० पाटिल
2. श्री सतीश चन्द्र

एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी एसोसिएशन, लखनऊ ।

1. डा० राम दास
2. श्री ए० के० करण
3. श्री एम० के० गर्ग
4. श्री एम० एम० होदा
5. श्री दरबारी लाल गुप्त

गांधी शांति प्रतिष्ठान ।

1. श्री आर० आर० दिवाकर
2. श्री के० एस० राधाकृष्णन
3. श्री डी० रामचन्द्रन पोटी
4. श्री राम लाल पारिख

ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों का संघ (अवार्ड) नई दिल्ली ।

1. श्री राधा कृष्णन
2. श्री पन्ना लाल दास गुप्ता
3. डा० ए० सी० बलभद्र प्रसाद
4. श्री ए० सी० सेन ।

यूनिकेम लेबोरेट्रीज पर ई० एस० आई० और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

2580. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम मन्त्री यूनिकेम लेबोरेट्रीज पर ई० एस० आई० और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि के बारे में 8 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6949 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य बीमा योजना के कारण यूनिकेम लेबोरेट्रीज पर 24,772.24 रु० की बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में 24,772.24 रु० की बकाया राशि को वसूल करने के लिए आवश्यक वसूली प्रमाणपत्र पहले ही दायर किए गए हैं और वे कार्यवाही के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित पड़े हैं ।

भारतीय औषध निर्माता कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

2581. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम मन्त्री भारतीय औषध निर्माता कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में 18 फरवरी 1981, के अतारांकित प्रश्न संख्या 375 के उत्तर के सम्बन्ध में यह और बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषध निर्माता कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) अब तक प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

भाग (क) और (ख) इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कम्पनियों के कर्मचारी विभिन्न श्रम कानूनों के अध्यधीन हैं और उन्हें संरक्षण प्राप्त है । निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है :

(1) कारखाना अधिनियम, 1948
(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(3) औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश), अधिनियम, 1946 ।
(4) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 ।
(5) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 ।
(6) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 ।
(7) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 ।
(8) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ।
(9) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 ।
(10) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ।
(11) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 ।
(12) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 ।

भाग (ग) :—

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		प्राप्त हुई सूचना
1	महाराष्ट्र	(क) कर्मचारियों की कुल संख्या	22,699
		(ख) स्थाई अस्थाई	उपलब्ध नहीं
2.	केरल	(क) कर्मकारियों की कुल संख्या	6,000
		(ख) स्थाई अस्थाई	ब्योरा उपलब्ध नहीं

1	2	3
3. उड़ीसा	(क) कर्मचारियों की कुल संख्या	346
	(ख) स्थाई 272	
	अस्थाई 74	
4. असम	(क) कर्मचारियों की कुल संख्या	334
	(ख) स्थाई, अस्थाई	उपलब्ध नहीं
5. हरियाणा	(क) कर्मचारियों की कुल संख्या	914
	(ख) स्थाई, अस्थाई	उपलब्ध नहीं
6. त्रिपुरा	(क) कर्मचारियों की कुल संख्या	61
	(ख) स्थाई 33	
	अस्थाई 54	
7. हिमाचल प्रदेश	(क) कर्मचारियों की कुल संख्या	54
	(ख) स्थाई शून्य	
	अस्थाई 54	
8. पांडिचेरी	(क) कर्मचारियों की कुल संख्या	58
	(ख) स्थाई, अस्थाई	मालूम नहीं
9. चंडीगढ़	(क) कर्मचारियों की कुल संख्या	218
	(ख) स्थाई 203	
	अस्थाई 15	
10. दिल्ली	(क) और (ख)	ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
11. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	...	शून्य
12. सिक्किम	...	शून्य
13. दादरा और नागर हवेली	...	शून्य
14. मिजोरम	...	शून्य
15. नागालैंड	...	शून्य
16. अरुणाचल प्रदेश	...	शून्य
17. लक्षद्वीप	...	शून्य
18. मेघालय	...	शून्य

बोहरिंगर नाल लिमिटेड, बम्बई की और कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि

2582. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम मन्त्री बोहरिंगर नाल लिमिटेड, बम्बई की और कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि के बारे में 8 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6886 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की राज्य बीमा निधि योजना के अन्तर्गत बोहरिंगर नाल लिमिटेड को 231375 रुपये वसूल करने के लिए मांग पत्र दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि कब तक जमा हो जाएगी ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि और आगे सत्यापन करने पर, देय बकाया राशि 2303.75 रुपये पाई गई है (न कि 2313.75 रुपए, जैसा कि पहले सूचित किया गया) और नियोजक ने तीन रुपए की राशि को छोड़कर, जो विवादग्रस्त है, इस राशि का भुगतान कर दिया है ।

(ख) तीन रुपए की शेष राशि की वसूली नियोजक द्वारा उठाए गए विवाद का निपटारा होते ही शीघ्र की जाएगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन सुविधाएं

2583. श्री ए० टी० पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों मे उद्योगों को क्या विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराए हुए हैं; और

(ख) इन सुविधाओं से कार्य निष्पादन पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) ग्रामोद्योग बिक्री डिपुओं, ग्रामशिल्प मिश्रित एककों तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादों की प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए अनुदानो और ऋणों के रूप में कुछ किस्म के ग्रामोद्योगों को विपणन संबंधी सहायता प्रदान की जाती है ।

(ख) ग्रामोद्योगों के उत्पादों का बिक्री मूल्य 1977-78 में 190.29 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1979-80 मे बढ़ कर 358.97 करोड़ रुपए हो गया है ।

बिहार के नालन्दा जिले में उद्योगों को लगाना

2584. श्री विजय कुमार यादव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के नालन्दा जिले में सिलिका खाने, हड्डियां, चमड़ा, आलू और प्रशिक्षित बुनकर पर्याप्त मात्रा में हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस जिले में कोई बड़े उद्योग नहीं हैं इसलिए यह जिला पिछड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की इस जिले में कोई केन्द्र प्रशासित उद्योग लगाने की योजना है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) नालंदा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा तैयार की गई कार्यवाही योजना के अनुसार जिले में आलू, खानों और चामों व हड्डियों का काफी उत्पादन होता है तथा इस जिले में कुछ एकक रोड़ी तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस समय सिलिका—पत्थर सिलिका ईंटों के उत्पादन के लिए धनबाद भेजा जा रहा है। कार्यवाही योजना से यह पता चलता है कि जिले में 8358 बुनकर हैं।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा तैयार की गई वर्ष 1979 की कार्यवाही योजना के अनुसार नालन्दा जिले में विद्यमान लघु एककों की कुल संख्या 385 थी। यह सही है कि नालन्दा जिले में मझोले या बड़े क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला कोई भी एकक नहीं है। नालन्दा जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है जो अखिल भारतीय सांविधिक ऋणदायी वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त पाने का पात्र है।

(ग) जी, नहीं।

हिन्दुस्तान लीवर के कृषि कार्य डिपो का बन्द किया जाना

2585. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या श्रम मन्त्री हिन्दुस्तान लीवर के कृषि कार्य डिपो को बन्द किए जाने के बारे में 11 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3193 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश कर्मचारियों ने जिन्हें मिथ्या आरोपों के अन्तर्गत हिन्दुस्तान लीवर लि० से अलग कर दिया गया था, हाल में सम्बद्ध सरकार (उत्तर प्रदेश) से हाल में पुनः काम पर जाने की अनुमति अथवा इसके स्थान पर एक औद्योगिक न्यायाधिकरण में अपने विवाद को ले जाने के लिए अभ्यावेदन किया है ; और

(घ) उपर्युक्त कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए सरकार का स्वयं अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी ने अक्तूबर; 1972 में गाजियाबाद में अपने अग्रिकल्चरल आपरेशन डिपो (पोज आपरेशन) को बन्द करने की घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप, इस आपरेशन में लगे 17 श्रमिकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया।

यह सूचित किया गया है कि कम्पनी ने निर्धारित शुल्क का भुगतान करके लाइसेंस संख्या एफ० पी० ओ०-जी० जेड० बी०-1386 का वर्षानुवर्ष नवीकरण करवाया है और अंतिम नवीकरण 31-12-81 तक है। नियोजकों ने सूचित किया है कि उन्होंने डिपो के बन्द होने के पश्चात की अवधि के लिए एग्रिकल्चरल आपरेशन डिपो के सम्बन्ध में न तो कर से छूट का दावा किया है और न ही छूट प्राप्त की है।

(ग) कृषि से सम्बन्धित आपरेशन वास्तव में समाप्त कर दिया गया था। आपरेशनों को समाप्त कर देने के पश्चात्, कम्पनी ने काम बन्दी से प्रभावित 16 श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने की पेशकश की। इस पेशकश को 12 श्रमिकों ने स्वीकार किया, जिन्हें तदनन्तर कम्पनी को अन्य यूनिटों में खपाया गया। औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार शेष 5 श्रमिकों को, जिन्होंने वैकल्पिक रोजगार को स्वीकार नहीं किया था, मुआवजा देने की पेशकश की गई थी।

(घ) राज्य सरकार ने विवादों को श्रम न्यायालय के पास भेज दिया है।

फरवरी, 1981 में हुए व्यापार मेले में भाग लेने वाले देश

2586. श्री निहाल सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में 'इण्डियन इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज एशोसिएशन' द्वारा 2 फरवरी, 1981 से आयोजित व्यापार मेले में देश-वार कितने-कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था; और

(ख) अलग-अलग देश के साथ कितने-कितने निर्यात समझौते हुए ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर जिन्होंने इस मेले का आयोजन किया था, वांछित जानकारी संकलित की गई है तथा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	देश का नाम	मेले में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सं०	बुक किए गए ऋयादेश (लाख रु० में)	प्राप्त होने वाली पूछताछ (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	अल्जीरिया	9	—	60
2.	अर्जेन्टीना	1	—	—
3.	आस्ट्रेलिया	1	—	—
4.	बहरीन	4	—	—
5.	बांग्लादेश	14	—	440
6.	बेल्जियम	12	—	—
7.	बर्मा	1	—	—
8.	कनाडा	26	—	10
9.	चीन	6	—	—
10.	क्यूबा	3	—	—
11.	मिश्र	1	—	—

1	2	3	4	5
12.	इथोपिया	3	—	760
13.	फ्रांस	10	—	250
14.	घाना	1	—	—
15.	जर्मन जनवादी गणराज्य	12	—	—
16.	जाम्बिया	1	—	—
17.	पश्चिम जर्मनी	19	—	—
18.	हुगरी	14	—	—
19.	ईरान	27	—	320
20.	इराक	1	—	20
21.	इटली	2	—	—
22.	आइवरी कोस्ट	2	—	—
23.	जापान	3	—	—
24.	जोर्डन	1	—	—
25.	कुवैत	6	—	10
26.	केन्या	5	—	4000
27.	डी० पी० आर० कोरिया	9	—	50
28.	लेबनान	1	—	—
29.	मेडागास्कर	2	—	—
30.	मलयेशिया	8	—	—
31.	मारीशस	1	—	70
32.	नेपाल	6	—	—
33.	नीदरलैंड	3	—	—
34.	नाइजीरिया	39	3.10	110
35.	नार्वे	1	—	—
36.	पाकिस्तान	6	—	50
37.	पपुआ, न्यूगिनी	1	—	—
38.	फिलीपीन्स	1	—	—
39.	पोलैंड	3	—	10

1	2	3	4	5
40.	सऊदी अरब	12	—	100
41.	सिंगापुर	1	—	—
42.	दक्षिण अफ्रीका	1	—	—
43.	श्री लंका	11	—	380
44.	सूडान	2	—	—
45.	स्वीडन	4	—	—
46.	सीरिया	2	—	180
47.	तन्जानिया	5	—	170
48.	थाईलैंड	2	—	—
49.	युगांडा	6	66.80	20
50.	इंगलैंड	21	—	2070
51.	अमेरिका	16	30.00	30
52.	सोवियत रूस	12	—	90
53.	वेनुज्येला	2	—	—
54.	वियतनाम	11	—	—
55.	जिम्बाबवे	1	—	—
56.	जाम्बिया	2	—	—
57.	युगोस्लाविया	3	—	—
58.	जेरे	—	0.51	—
59.	अन्य देश*	—	—	30
	कुल	380	105.41	9230

* पश्चिम जर्मनी, जापान, बर्मा, नेपाल, डेनमार्क, मलयेशिया, इंडोनेशिया, जिम्बाबवे, रुमानिया, सीरिया, लेबनाल ।

नागालैण्ड का पूर्व-निवेश अध्ययन

2587. श्री जिगावांग कोनयक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूना-संयंत्र की स्थापना के बारे में "पूर्व-निवेश अध्ययन" सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) नागालैण्ड में निम्मी चूना-पत्थर भंडार पर आधारित सीमेंट संयंत्र की स्थापना की सम्भावना क्या है ; और

(ग) तेजू लघु सीमेंट संयंत्र के बारे में जांच-निष्कर्ष क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उत्तर पूर्वी परिषद ने सूचित किया है कि जयन्तिया हिल्स में चूना संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश-पूर्व सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन अक्टूबर, 1981 तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

(ख) लघु सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए संभाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर नागालैण्ड सरकार द्वारा विचार किया जा रहा हैं ।

(ग) तेजू में लघु सीमेंट संयंत्र निर्माणाधीन है ।

सिक्किम में राज्यविहीन लोग

2588. श्री एडुआर्डो फलीरो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में बडी संख्या में राज्यविहीन लोग हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका पता लगाया गया है और ऐसे लोगों को राज्यविहीनता को हल करने के लिए कोई हल निकाला गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन 16 मई, 1975 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें यह व्यवस्था थी कि 26 अप्रैल, 1975 (वह तारीख जिसको सिक्किम भारत संघ का 22 वां राज्य बना) के तुरन्त पहले प्रत्येक वह व्यक्ति जो सिक्किम को प्रजा विनियम 1961 के अधीन सिक्किम की प्रजा था, को भारत का नागरिक समझा जायेगा । जो व्यक्ति 1961 के उक्त विनियम के अधीन दर्ज नहीं किये गये थे अथवा इस प्रकार स्वयं को दर्ज करवाने के पात्र नहीं थे, उन व्यक्तियों में से हैं जिन को राज्य विहीन समझा जा सकता है जब तक वे किसी अन्य राष्ट्रीयता का दावा नहीं करते हैं ।

(ख) राज्य सरकार समस्या पर ध्यान दे रही है और उन्होंने मामले पर सलाह देने के लिये एक समिति स्थापित की है ।

अखिल भारतीय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अनुसचिवीय और अस्पताल कर्मचारी संगठन से ज्ञापन

2589. श्री विजय कुमार यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अनुसचिवीय और अस्पताल कर्मचारी संगठन ने 19 अप्रैल, 1981 को कोई ज्ञापन पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उसमें क्या मुख्य मुद्दे उठाये गए हैं; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पीलू मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) उनकी मांगें इस प्रकार थीं :—

(i) कि रणशीलता पर अंतिम निर्णय लेने से पहले उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया यद्यपि उन्होंने सूचित किया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के अनुसचिवीय कर्मचारियों में से रणशीलता के पक्ष में केवल 5 प्रतिशत कर्मचारी थे ।

(ii) जिन व्यक्तियों ने इसके प्रति इच्छा व्यक्त नहीं की उनको उत्पीड़न से बचाया जाए, और

(iii) कि उनकी सेवा के हितों की संरक्षण दिया जाए ।

(ग) रणशीलता योजना पर लगभग 8 वर्ष तक विचार किया गया था और इसमें शामिल सभी मामलों की गहराई से जांच की गई थी । अखिल भारतीय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अनुसचिवीय और अस्पताल कर्मचारी संगठनों के साथ 1979 में विचार विमर्श किया गया था । तब यह दावा किया गया था कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 5 प्रतिशत अनुसचिवीय कर्मचारी इस योजना के पक्ष में हैं । किन्तु महानिदेशक, के० रि० पु० ब० को जांच पड़ताल के बाद यह मालूम हुआ कि यह दावा वैध नहीं था । इस योजना के लागू होने के बाद केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लगभग 90 प्रतिशत अनुसचिवीय कर्मचारियों ने अब तक रणशीलता के लिए स्वेच्छा प्रकट की है । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कहा है कि इस योजना के लिये स्वेच्छा प्रकट करने हेतु कर्मचारियों पर किसी भी अवस्था में सर्वथा कोई भी दबाव नहीं डाला गया था । रणशीलता के आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि वर्तमान कर्मचारियों में से जो रणशीलता के लिये स्वेच्छा प्रकट नहीं करते, उन पर वर्तमान नियम लागू रहेंगे ।

केन्द्रीय आरक्षित सुरक्षा बल के असैनिक कर्मचारियों का "कम्बाटाइजेशन"

2590. श्री विजय कुमार यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आरक्षित सुरक्षा बल के असैनिक कर्मचारियों के "कम्बाटाइजेशन" के प्रश्न पर "आल इन्डिया सी० आर० पी० एफ० मिनिस्टीरियल स्थिति एण्ड हास्पिटल एसोसिएशन" के साथ विचार किया गया और उनकी राय जानने के लिए उन्हें भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एसोसिएशन ने अपने उत्तर में कहा कि 95 प्रतिशत असैनिक कर्मचारी "कम्बाटाइजेशन" के विरोध में हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या अतीत में "कम्बाटाइजेशन" का प्रश्न मंत्रालय/सरकार ने अस्वीकृत कर दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय आरक्षित सुरक्षा बल के असैनिक कर्मचारियों के कम्बाटाइजेशन का प्रश्न आल इन्डिया सी० आर० पी० एफ० मिनिस्ट्रियल एण्ड हास्पिटल एसोसिएशन को उनकी राय लेने के लिए दिसम्बर, 1979 में भेजा गया था।

(ख) और (ग) एसोसियशन ने अक्तूबर, 1979 में अपने उत्तर में दावा किया कि बहुमत से, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का 90 प्रतिशत से कम नहीं था, कम्बाटाइजेशन को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। एसोसिएशन के अनुसार सिर्फ 5 प्रतिशत स्टाफ कम्बाटाइजेशन को स्वीकार करने के इच्छुक थे। परन्तु जैसा महानिदेशक, सी० आर० पी० एफ० द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के जरिये मालूम किया गया था, स्टाफ के विचारों से संघ के दावे का अनुमोदन नहीं हुआ। वास्तव में इस योजना को अपनाने के बाद लगभग 90 प्रतिशत मिनिस्ट्रियल स्टाफ ने कम्बाटाइजेशन को पसंद किया।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय आरक्षित सुरक्षा बल के असैनिक कर्मचारियों के कम्बाटाइजेशन के प्रश्न पर जनवरी 1973 में विचार किया गया था। 1979 में सरकार ने केन्द्रीय आरक्षित सुरक्षा बल को सुझाव दिया था कि आर्थिक अडचनों को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर बल न दिया जाय। परन्तु केन्द्रीय आरक्षित सुरक्षा बल जुलाई, 1980 में यह कहते हुए योजना को पुनर्जीवित किया कि यह बल के हित में आवश्यक है। अराजपत्रित मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कम्बाटाइजेशन योजना को फरवरी 1981 में अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई थी।

खाड़ी देशों द्वारा अरबीकरण की प्रक्रिया

2591. श्री अनाबिचरण बास : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय अकुशल मजदूर तथा कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का खाड़ी देशों द्वारा अरबीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और नए प्रतिबन्ध लगाने के कारण भविष्य अनिश्चित है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) खाड़ी देशों में काम कर रहे अकुशल श्रमिकों और अन्य कम वेतन भोगी कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जी, नहीं। वैध दस्तावेज धारी भारतीय प्रवासी श्रमिकों को खाड़ी देशों में होने वाली किसी प्रकार की कठिनाई के मामले सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं। तथापि, ऐसे प्रवासी श्रमिकों को जिनमें भारतीय श्रमिक भी शामिल हैं, तो बिना उचित प्राधिकरण के इन देशों में रह रहे हैं, स्थानीय प्रवास कानूनों/विनियमों के कड़ाई से कार्यान्वयन के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लगातार प्रयास कर रही है कि ऐसे श्रमिकों को अनुचित तकलीफ या परेशानी न हो।

पांचवीं योजनावधि के दौरान हरिजनों पर हुए हमले

2592. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री सूरज भान } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजनावधि के दौरान और इसके बाद हरिजनों और आदिवासियों पर हमलों की कितनी घटनाएं हुई थीं ;

(ख) उनमें से गंभीर मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए आयोग और जांच समितियों की संख्या कितनी है ;

(ग) उनमें से कितनों के निष्कर्ष बताए गए थे और अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों के जरिये सजा दी गई थी; और

(घ) कितने मामलों में सामाजिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंध सम्बद्ध थे और क्या परिणाम रहे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-पाक सीमा पर वायु सीमा उल्लंघन तथा गोलियां चलाये जाने की घटनायें

2593. श्री राम विलास पासवान : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के विदेश मन्त्रियों के बीच इस्लामाबाद में हुई हाल की बातचीत के बाद भारत-पाक सीमा के रूप से पाकिस्तान द्वारा कितनी बार किस-किस क्षेत्र में वायु सीमा का उल्लंघन किया गया; और

(ख) सरकार का इन सीमा उल्लंघनों के बारे में क्या विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विदेश मन्त्री की पाकिस्तान की हाल की यात्रा के बाद पाकिस्तान विमानों ने तीन बार भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया है, इनमें से एक अमृतसर सेक्टर में और दो जम्मू तथा कश्मीर सेक्टर में ।

(ख) सरकार ने पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है और कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें ।

ओमान में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार

2594. श्री भोकूराम जैन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को ओमान में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ओमान में भारतीय कर्मचारी वातानुकूलित आवास से वंचित हैं और उन्हें उन कामों को भी करना पड़ता है जो ठेके की शर्तों में नहीं हैं; और

(ग) सरकार ने सल्तनत में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों की समस्या हल करने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) ओमान में समय-समय पर भारतीय श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार सहित विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) प्रवासी श्रमिकों को भारतीयों सहित, (इंजीनियर, फोरमैन, जन सम्पर्क अधिकारी आदि) जो निर्माण कार्य और अन्य बाहरी कार्यों में लगे हैं, आमतौर पर वातानुकूलित आवास नहीं दिया जाता है, सामान्यतः भारतीय श्रमिकों को उनके ठेके के अनुसार कार्य सौंपा जाता है ।

(ग) जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, ओमान में भारतीय दूतावास ठेकों और स्थानीय श्रम कानूनों के अनुसार श्रमिकों को कानूनी देय राशियां और अन्य सुविधाएं दिलवाने के सभी प्रयास करता है ।

उद्योग की वृद्धि-दर

2595. श्री चित्त बसु
श्री राम सिंह यादव
श्री एडुआर्डो फैलीरो } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1981-82 में उद्योग की वृद्धि दर 10 प्रतिशत निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक, इस वर्ष के गत कुछ महीनों के दौरान वास्तविक वृद्धि दर क्या रही है ; और

(ग) यदि परिणाम संतोषजनक नहीं हैं तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ग) 1981-82 की वार्षिक योजना में यह कहा गया है कि तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अर्थात विद्युत, कोयला, और परिवहन में आवश्यक समन्वय करने, 1980-81 में कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने, औद्योगिक संबंध सुधारने और उद्योग में अधिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न उपाय करने तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पन्न नए वातावरण को सुधारने के लिए किए जा रहे सम्मिलित उपायों से इस वर्ष 8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करना संभव हो सकेगा । किन्तु वृद्धि की गति आने वाली अवस्थापना संबंधी कठिनाईयों को हल करने की गति पर निर्भर करेगा ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त अप्रैल और मई, 1981 के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी अनन्तम आंकड़ों और जून, 1981 के विवक सूचकांक के आधार पर अप्रैल—जून, 1981 की अवधि की समग्र वृद्धि दर पिछले वर्ष की यही अवधि 11.1 प्रतिशत निकलती है ।

दिल्ली पुलिस द्वारा पता लगाई गई मार्फिया फैक्टरी

2596. श्री मनोराम बागड़ी
श्री एस० एम० कृष्णा
श्री नवीन रवाणी
श्री विजय कुमार यादव } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक मार्फिया फैक्टरी चलाई जा रही थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली पुलिस ने इस फैक्टरी का उपयुक्त समय पर पता लगा लिया और वहां से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मार्फिया, अफीम आदि पकड़े जो कि वहीं बनाए गए थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस फैक्टरी के गाजीपुर स्थित सरकारी फैक्टरी के साथ संबंध थे ; और

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी से पूछताछ की है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ;

(ख) फैक्टरी के परिसर से 550 ग्राम निर्मित मार्फीन, 8.50 किलो अफीम, 10 किलो अफीम का घोल तथा बड़ी संख्या में फैक्टरी उपकरण पकड़े गए थे ।

(ग) इसके अतिरिक्त कि अभियुक्त जितू गाजीपुर फैक्टरी का भूतपूर्व कर्मचारी है, गाजीपुर स्थित सरकारी फैक्टरी के साथ इसका कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सका।

(घ) दिल्ली में मार्फीन फ़ैक्टरी के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मादक पदार्थ विंग और मादक पदार्थ ब्यूरो, वित्त मंत्रालय को उपयुक्त कार्यवाही के लिए सूचना दी गई।

सरकार तथा भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स, विशाखापत्तनम के बीच समझौते का स्वीकृति की न दिया जाना

2597. श्री आर० के० सहालगी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम (आन्ध्र) के मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच वर्ष 1978 में हुए समझौते को भारत सरकार ने मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त समझौता भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय के सचिव की उपस्थिति में हुआ था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समझौते के मुख्य भाग के क्रियान्वयन की तिथि के एक वर्ष की अवधि के पश्चात ही सरकार ने अपनी असहमति सूचित कर दी थी ;

(घ) इन्कार किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ङ) यदि सरकार उपरोक्त समझौते पर अपनी सहमति दे दे तो उसमें कितना व्यय होगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं। भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स के श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच अगस्त, 1978 में हुए करार को समझौते की इस धारा को छोड़कर 3-9-1979 को मंजूर किया गया था कि जब भी बी० एच० ई० एल० अपने श्रमिकों के लिए समझौते को संशोधित करने पर सहमत होगा तो जिस वेतन-ढांचे पर सहमति हुई उसे भी संशोधित किया जाएगा। सम्पूर्ण करार सरकार की मंजूरी के अधीन था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 24 अगस्त, 1978 को हुए करार को ऊपर (क) में उल्लिखित धारा को छोड़कर पर्याप्त रूप से मूल रूप में 3 सितम्बर, 1979 को मंजूर किया गया था। अतः मंजूरी देने से इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) बंगलोर स्थित उपक्रमों के लिए सरकार ने लिकेज क्लाज को मंजूर नहीं किया है और इसके कारणों को संचार मन्त्री ने 8-5-81 को दोनों सदनों में स्पष्ट कर दिया था, अतः वित्तीय प्रभाव को गणना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

हरियाणा में कुटीर उद्योग की बिक्री को बढ़ाने का प्रयास

2595. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में पीतल धातुओं और ऊनी कम्बलों जैसे कुटीर उद्योग के संचालन और उनकी बिक्री को बढ़ाने तथा कारीगरों की उचित मजदूरी उपलब्ध कराने के लिए कोई संगठित प्रयास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां ।

(ख) हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में पीतल की धातु का सामान तथा ऊनी कम्बल जैसे कुटीर उद्योगों का विकास करने के लिए किए गए विभिन्न अभ्युपाय निम्नलिखित हैं :—

(क) हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम और हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम, जिसके पास कितने ही जिला विपणन कार्यालय तथा एम्पोरियम हैं, इनके माध्यम से विपणन सहायता प्रदान की जा रही है ।

(ख) हरियाणा राज्य लघु उद्योग विकास निगम द्वारा विभिन्न बर्तन निर्माताओं को पीतल स्क्रैप का आयात करने सहित कच्चा माल प्राप्त कराने में सहायता प्रदान की जा रही है ।

(ग) पीतल उद्योग को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए चण्डीगढ़ में एक डिजायन संस्थान चलाया जा रहा है ।

(घ) हरियाणा हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम द्वारा कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए रेवाड़ी में पीतल का एक कलात्मक बर्तनों का केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ।

(ङ) हरियाणा राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम भी पानीपत में एक ऊन तैयार करने का संयंत्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है ताकि ऊनी कम्बल उद्योग के लिए सामान्य सुविधायें प्रदान की जा सकें ।

(च) पीतल धातु के सामान तथा ऊनी कम्बल उद्योग में रत कुशल व अकुशल कामगरों की मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित कर दी गई हैं तथा मजदूरी की इन दरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल कर दिया गया है ।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा लाण्ड्री साबुन का उत्पादन

2599. श्री मोहम्मद इस्माईल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाण्ड्री साबुन का उत्पादन एक ऐसी मद है जिसे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित किया हुआ है;

(ख) क्या उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, यूनीलीवर, लन्दन की एक सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर को कोई निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने तुलन पत्र में क्रमशः लाण्ड्री साबुन और नहाने के साबुन का उल्लेख करें;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस कम्पनी द्वारा लाण्ड्री साबनों की उत्पादन क्षमता रोक दी गई है; और

(च) यदि हां, तो कब और किस स्तर पर ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के पास "साबुनों" के उत्पादन के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया पंजीकरण—प्रमाण-पत्र है। पंजीकरण प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की क्षमता निर्दिष्ट नहीं की गई है। कंपनी ने पंजीकरण प्रमाणपत्र में क्षमता के पृष्ठांकन के लिए आवेदन किया है। मामला विचाराधीन है तथा इस पर विषय संबंधी विद्यमान नीति को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जायेगा। यदि यह एक बार कर दिया जाता है तो नहाने के साबुन और कपड़े धोने के साबुन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र में अलग-अलग विशिष्ट क्षमता निर्दिष्ट की जायेगी। इसके बाद कंपनी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रत्येक वस्तु की क्षमता और उत्पादन अलग-अलग निर्दिष्ट करे।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर की लाइसेंसशुदा क्षमता

2600. श्री मोहम्मद इस्माईल : क्या उद्योग मंत्री मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर को लाइसेंसशुदा क्षमता के बारे में दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5894 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लि० की लाइसेंसशुदा क्षमता के बारे में सद-वार जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना : (क) और (ख) जी, नहीं। अपेक्षित विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	वस्तु	एकक का स्थापना-स्थल	वार्षिक लाइसेंसीकृत/ स्वीकृत क्षमता
1.	सिन्थेटिक डिटरजेंट	बम्बई	20,000 मी० टन
		कलकत्ता	26,000 मी० टन
		जम्मू	10,000 मी० टन
2.	साबुन	बम्बई	क्षमता निर्धारित नहीं की गई।
		कलकत्ता	—वही—
3.	ग्लिसरीन	बम्बई	5,353 मी० टन
		कलकत्ता	3,000 मी० टन
4.	(क) शृंगार प्रसाधन	बम्बई	क्षमता निर्धारित नहीं की गई।
	(ख) दातों प्रसाधन	बम्बई	250
	(ग) वैनिशिंग क्रीम	बम्बई	40
	(घ) केश तेल	बम्बई	138
	(ङ) शृंगार प्रसाधन और टॉयलेट सामान	कलकत्ता	क्षमता निर्धारित नहीं की गई।
	दातों प्रसाधन	कलकत्ता	339
	(च) वैनिशिंग क्रीम	कलकत्ता	58
	(छ) हेयर आयल	कलकत्ता	3508
	(ज) आंवला केश तेल "शोभा"	कलकत्ता	600
	(झ) "महारानी" ब्राण्ड टेल्कम और फेस पाउडर	कलकत्ता	9,192 ग्रुस नग
	(ट) महारानी ब्राण्ड वैनिशिंग और कोल्ड क्रीम	कलकत्ता	8,796 ग्रुस नग
	(ठ) "सनसिल्क" ब्राण्ड शैम्पू	कलकत्ता	36,000 ग्रुस नग (नग का भार : 60 ग्राम
	(ड) "ट्रिन" ब्राण्ड हेयर क्रीम	कलकत्ता	145 मी० टन

1	2	3	4
5.	(क) दुग्ध चूर्ण	एटा	2,621 मी० टन
	(ख) बेबी फूड (बाल आहार)	एटा	1,000 मी० टन (2621 मी० टन दुग्ध चूर्ण की लाइसेंससुदा क्षमता के अंतर्गत अनुमत)
6.	सल्फरिक एसिड	हल्दिया	54,000 मी० टन
7.	फोस्फोरिक एसिड	हल्दिया	19,500 मी० टन
8.	ओस्सीन	तालोजा	3,000 मी० टन
9.	डाई-केलिशयम (सहोत्पाद)	तालोजा	6,000 मी० टन
10.	सोडियम त्रिपोली फास्फेट	हल्दिया	30,000 मी० टन
11.	एसोमेटिक रसायन :	बम्बई	
	भाग "क"		
	1. सिनेन्यूइक एलकोहल 2. पैराक्री सोल और फिनाइल एसीटेट 3. पोमेरोल 4. बेन्जाइल्डी हाईड 5. पी० क्री सोल		35 मी० टन
	भाग "ख"		
	1. चम्पाकोल 2. सिनेनिक एल्डीहाईड 3. साइक्लेमिन एल्डीहाईड 4. साईलोमेकोन 5. फैंटी एल्डीहाईड 6. कार्डीनोलीन 7. हिनोलीन 8. लोनाइल फर्मेट 9. कैट्रोन 10. मेटाम्सोलीन 11. इस्ट्राइरेलाईल एसीटेट 12. वेटेस्टर		50 मी० टन

1	2	3	4
	भाग "ग"		
	1. गेरानियल एण्ड ऐस्टर्ट 2. सिट्रोनेलोल 3. हाईकोक्सी सिट्रोनेलोल 4. फिनाइल इथाइल एल्कोहल 5. बेंजाइल एल्कोहल ऐस्टर्स 6. केरबन और इसके उत्पाद 7. सिट्रेल एसीटेल 8. सिट्रोनोलल		60 मी० टन
12.	लिनालूल	बम्बई	50 मी० टन
13.	औद्योगिक मशीनें	बम्बई	24 संख्या
14.	विलेयक निस्सारण तेल	तालोजा	खली हेतु 100 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता के लिए साल्वेट एक्सट्रक्शन प्लान्ट
15.	आयल मिलिंग	बम्बई	100 मी० टन प्रतिदिन
16.	वनस्पति ×	गाजियाबाद	20,700 मी० टन
	(मार्गरिन, रिफाइंड आयल	तिरूचिरापल्ली	15,000 मी० टन
	तथा इण्डस्ट्रियल हाई	शाम नगर	43,2000 मी० टन
	आयल सहित)	बम्बई	70,800 मी० टन

× वनस्पति की लाइसेंसीकृत क्षमता का कुछ अंश मार्गरिन रिफाइन्ड आयल और इण्डस्ट्रियल हाई आयल का उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

17. फल और सब्जी परिरक्षण उद्योग :

मे० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, गाजियाबाद के पास फल उत्पादन आदेश, 1955 के अन्तर्गत निर्जलीकृत फलों और सब्जियों एवं डिब्बे बंद फलों और सब्जियों का उत्पादन करने के लिए 1955 से ही लाइसेंस है। उन्हें यह लाइसेंस बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए अर्थात प्रतिदिन 2 मी० टन फलों उत्पादों से अधिक की अधिष्ठापित क्षमता अथवा 250 मी० टन से अधिक कुल वार्षिक उत्पादन करने के लिए जारी किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण दत्त तिवारी। (व्यवधान)

आप क्या कहना चाहते हैं ? क्या आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है ? (व्यवधान) आप सलाह कर लीजिए कि आप में से कौन बोलेगा । (व्यवधान) आप में से कौन बोलेगा, पहले सलाह कर लीजिए। (व्यवधान) एक दफा कालिंग एटेन्शन नोटिस हो गया है। ऐसा मत कीजिए ।आप मेरे सामने खड़े हैं । आप बोलिए। मैंने उनको व्यवस्था के प्रश्न पर अनुमति दी है।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, के भ्रष्टाचार के बारे में मैंने एक मोशन किया है·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने उनको अनुमति दी है।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : हम लोगों ने आपको नोटिस दिया है। कल हम लोगों ने कहा था·····

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

श्री तारिक अनवर : क्या यह आपके विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां। (व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दुस्तान में पैसा कलैक्ट कर रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

श्री विलास मुत्तेमवार : यह गम्भीर मामला है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हो जाएगा फैसला। आप बैठते क्यों नहीं ? यह मेरे विचाराधीन है। बैठिए आप। (व्यवधान)कन्सिडर होने के बाद होता है। ऐसे नहीं होता है। आप बैठिए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान) किसने कहा है कि मैं नहीं ले रहा हूं ? आपको किसने कहा कि मैंने ऐसा कहा है ? नहीं, अनुमति नहीं दी जाती है। मैंने श्री बहादुर को अनुमति दी है।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है। अनुमति नहीं दी जाती है। नहीं ! कोई प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

जितनी बात मैंने आपकी सुनी हैं, अगर उतनी उनकी बात सुनता, तो पता नहीं आप आसमान उठा लेते। (व्यवधान) क्या बात सुनूं गढ़वाल की ? आपने मुझे गढ़वाल के बारे में दिया, मैंने उसको डिसएलाउ किया है। मैंने अनुमति नहीं दी है। यह निर्वाचन आयोग के अधीन है।

श्री मनीराम बागड़ी : क्या हम आपको अपने रूलिंग को रीकन्सीडर करने के लिए नहीं कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : आप पूरी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने रूलिंग दे दिया है।

श्री मनीराम बागड़ी : आपके पास लिखा हुआ है। आप सुन क्या रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है और पढ़ भी लिया है। मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। मैं अपने विनिर्णय पर यहां चर्चा नहीं करूंगा। (व्यवधान) पन्द्रह मिनट आपने पहले खराब किए हैं। अब और कर रहे हैं। मैंने रूलिंग दे दिया।···(व्यवधान) क्या बात सुनूं आपकी ?

एक माननीय सदस्य : आपने उनकी बात सुनी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या सुना ? कुछ नहीं सुना मैंने। जो उन्होंने कहा कि मैंने मोशन दिया है उस पर मैंने कहा कि वह मेरे कन्सिडरेशन में है। यही मैंने उनसे कहा है। आपने दिया वह मैंने डिसएलाउ कर दिया। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : आप अगर सुनते ही नहीं हैं तो नाम पुकारने और खड़ा करने से क्या फायदा ?

अध्यक्ष महोदय : जब आप वही बात दोहराएंगे तो मैं क्या सुनूं···(व्यवधान)···मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप इसको सुन लें ठंडे दिल से, वही 388 वाली बात है···(व्यवधान)···हमारी बात सुनकर आप उसको डिसएलाउ करिए।···(व्यवधान)··· अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर क्या फायदा हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी के लिए अलाहिदा नियम और अलाहिदा कानून तो बनाने वाला नहीं हूं। मैं डेली यही करता हूं, जिस बात को ठीक नहीं समझता हूं उसको एलाउ नहीं करता हूं, जिसको ठीक समझता हूं उसको एलाउ करता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : तो इसमें नाम लेने से कौन-सी बात हो गई ? अगर डिसएलाउ सबका किए हैं तो फिर बुलाने और नाम लेने का क्या फायदा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप करते हैं, मैं तो नहीं करता हूं···(**व्यवधान**)···इसमें कोई तुक नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप क्यों करवाते हैं मुझसे ? आप यह तरीका मुझसे रोज क्यों करवाते हैं ? इसलिए कि अखबार में नाम छप जाय ? (**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी : आपने पहले यह कायदा बनाया था कि ऐडजर्नमेंट मोशन वालों का नाम लेकर···

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया। नहीं, मैंने इसे नहीं बनाया। अनुमति नहीं दी जाती है। मैं ऐसा करता हूं, जिसको बताना चाहता हूं, जिसको मैं उचित समझता हूं उसका ब्यौरा देता हूं, जिसको मैं उचित नहीं समझता उसको नहीं देता। मेरे पास तो पचास आते हैं, मैं किस किस के ब्यौरे दूंगा ?···(**व्यवधान**)···नहीं, ऐसी बात नहीं चलेगी। ···(**व्यवधान**) यह ऐसा है कि तीन दिन पहले तो एक बात कही ।···(**व्यवधान**) नहीं, अनुमति नहीं दी जाती है। पत्र सभा पटल पर रखे जाएं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञापन अथवा प्रचार-सामग्री, कलेंडरों, डायरियों आदि के मुद्रण को कागज (संरक्षण और प्रयोग का विनियमन) आदेश, 1974 से छूट देने वाली अधिसूचना

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा(6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 316 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 23 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा विज्ञापन अथवा प्रचार सामग्री, कलेंडरों, डायरियों और निमन्त्रण या शुभकामना कार्डों के मुद्रण को 31 मार्च,

[श्री मल्लिकार्जुन]

1982 तक की अवधि के लिए कागज (संरक्षण और प्रयोग का विनियमन) आदेश, 1974 के खण्ड 3 के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दी गई है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2729 (81)]

भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) 12 वां संशोधन विनियम, 1981

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी०वेंकटसुब्बय्या) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) 12वां संशोधन विनियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 15 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 750 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2730 (81)]

पूर्व विन्यास (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 1981, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 और असम वित्त (संख्या 2)अध्यादेश 1981 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मगन भाई बारोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) पूर्त विन्यास अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी किए गए पूर्त विन्यास (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 661 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2751/81]

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 491 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 अगस्त 1981 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 333—सीशू में परिष्कृत चमड़े की

पहचान के लिए भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित कसौटियां अपनाई जाने के लिए कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2732/81]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 787 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा मेलाथिन(तकनीकी) के निर्माण में प्रयुक्त बैंजीन और टालुईन पर उसके अन्तर्गत दी गई रियायतों को लागू करने के लिए दिनांक 1 मार्च 1973 की अधिसूचना संख्या 34/73 सी ई में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2733/81]

(4) असम राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 जून, 1981 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत असम के राज्यपाल द्वारा 8 अगस्त, 1981 को प्रख्यापित असम, वित्त (संख्या दो) अध्यादेश, 1981 (1931 का असम अध्यादेश संख्या 4) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2734/81]

तम्बाकू पत्तो को पुनः सुखाने में लगी और जिनमें 50 या उसके अधिक नियुक्त हैं संस्थापनाओं तथा कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1981 के बारे में अधिसूचना

श्री मल्लिकार्जुन : मैं श्री पी० वेंकट रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० नि० 479 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें वे स्थापनाएं अधिसूचित की गई हैं जो तम्बाकू पत्ती को कूटने या पुनः सुखाने के उद्योग में लगी हैं और जिनमें 50 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, तथा जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 6 का पहला परन्तुक लागू होगा।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2735/81]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 701 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2736/81]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

27 वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन् (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 27 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जायेगा। श्री शेजवलकर।

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर)—खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : सुनने नहीं देना चाहते प्रोफेसर, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सुनने के लिए तैयार हूं प्वाइन्ट आफ आर्डर अगर कोई हो तो।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय पहले मेरी बात सुनिए···

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। यह तो अव्यवस्था का प्रश्न है। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विचार के लिए लिया जायेगा। मैंने इसी के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। जिन मामलों पर चर्चा की जायेगी उसके बारे में मैं···सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके समक्ष स्थिति स्पष्ट कर दी है··· (व्यवधान) आप ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आप मेरा काम अपने हाथों में क्यों लेते है? यह मेरा काम है। आपका नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने सूचना दी है···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको···करने की अनुमति दूंगा···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने नियम 369 के अन्तर्गत सूचना दी है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार किया है कि इन्दिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। मैं यह दस्तावेज सभा पटल पर रखना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : यदि आप वाद-विवाद में भाग ले रहे होते तो मैं आपको अनुमति दे देता। परन्तु आप वाद-विवाद में भाग नहीं ले रहें हैं। अतः आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।···

अध्यक्ष महोदय : कोई भी जो इसे उठा सकता है···

प्रो० मधु दंडवते : मैं नियम का स्पष्टीकरणचाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्टीकरण दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : नियम 369 देखिए···

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, मैंने इसका अध्ययन किया है। केवल वही सदस्य ऐसा कर सकता है जो वाद-विवाद में भाग ले।

प्रो० मधु दंडवते : नियम में केवल इतना ही कहा गया है कि दस्तावेज उस विशेष विषय से सम्बन्धित होने चाहिये।··· (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या आपने नियम पढ़े हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देखा है···मैंने इसे पढ़ा है। केवल भाग लेने वाला सदस्य ही ऐसा कर सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप उसे उद्धृत करेंगे ?···मैंने उस नियम को भली भांति पढ़ा है—एक बार नहीं सैंकड़ों बार पढ़ा है।···यह दस्तावेज सभा पटल पर रखने के बारे में है। यह महाराष्ट्र सरकार का दस्तावेज है जो स्वीकार करती है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थापित किया गया था···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने उचित सूचना दी है।(**व्यवधान**)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ कहने की अनुमति नहीं है। जो भी ऐसा करता है वह असंसदीय है। मैं अनुमति नहीं दे सकता···(व्यवधान) माननीय सदस्यों, हम एक चर्चा के लिए दो दिन सभा का समय नष्ट करते रहे हैं। अब उसे लिया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप केवल शोर मचाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। इसका केवल यही महत्व है। अन्यथा इसका कोई महत्त्व नहीं है। मैं चाहता हूं कि श्री शेजवलकर आरम्भ करें···(व्यवधान) मैं इससे झुकने वाला नहीं। आप मुझे दबा नहीं सकते। आप मुझे धमका नहीं सकते···आप मुझे धमका नहीं सकते हैं। श्री शेजवलकर।

प्रो० मधु दंडवते : आपने गलत उल्लेख किया है। मैं नियम 369 उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस पर विचार कर लिया है।

प्रो० मधु दंडवते : उसमें कहा है :

(1) "पटल पर रखा गया पत्र का दस्तावेज, उसे उपस्थित करने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जायेगा।

(2) पटल पर रखे गये सब पत्र और दस्तावेज सार्वजनिक समझे जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे ले सकता हूं, बताओ! मैं नहीं ले सकता। (**व्यवधान**)

तत्पश्चात श्री मनीराम बागड़ी एवं कुछ अन्य सदस्य सभाभवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय : श्री शेजवलकर।

प्रो० मधु दंडवते : आपने गलत मतलब लिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देख लिया है और मैं इससे सहमत हूं···

जब आप चर्चा में भाग लें उसका उद्धरण दें और मैं उसकी अनुमति दूंगा··· (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं लिया जायेगा।···(व्यवधान) श्री शेजवलकर।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।···मेरा आधार बहुत सुदृढ़ है। नियम 369 कहता है;···

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब मैंने रोका तो नहीं किसी को। मैंने यह तो नहीं कहा है कि रख नहीं सकते हैं। परन्तु जब आप चर्चा में सम्मिलत हो रहे हों तब आप उसे रख सकते हैं। कोई भी गैर- सरकारी सदस्य, किसी भी चर्चा में भाग लेते समय उसे प्रमाणित कर सकता है और सभा पटल पर रख सकता है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न रखने दें। तब आप जो भी व्यवस्था देना चाहें दे सकते हैं। महोदय, नियम बहुत ही स्पष्ट है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

श्री राजेश कुमार सिंह : हैदरपुर में जिस टंकी में डैड बाडी पाई गई है उसका पानी सप्लाई किया जा रहा है। पीने के लिए···

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे विचाराधीन है। मैं उस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं एक बहुत ही सम्बद्ध बात उठा रहा हूं। आपका विचार है कि जो भी व्यक्ति चर्चाधीन किसी विषय से सम्बद्ध है वह कोई भी दस्तावेज सभा पटल पर रख सकता है।

महोदय, वास्तव में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दिये जाने से पूर्व कल ही मैंने सूचना दी थी। यदि दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाते हैं तो यह चर्चा के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। (**व्यवधान**) मैं असम्बद्ध बातें नहीं कर रहा हूँ।

महोदय, मैं बहुत ही स्पष्ट हूं कि जब कोई चर्चा हो रही है, मैंने एक सूचना दी थी··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। मैंने उन्हें अनुमति दी है।

प्रो० मधु दंडवते : जब भी कोई चर्चा होनी होती है, सभा का कोई भी सदस्य चाहे वह चर्चा में भाग ले या नहीं, यदि वह चर्चा में सहयोग करना चाहता है तो वह कोई भी दस्तावेज, जो सभा के लिए उपयोगी हो, इस बात पर ध्यान दिये बिना कि उसका सम्बन्ध किस राजनैतिक दल से है, सभा पटल पर रख सकता है। और इसलिए, महोदय···(**व्यवधान**)

श्री भागवत झा आजाद : किस नियम के अधीन ?

प्रो० मधु दंडवते : नियम 368 के अधीन। परन्तु यह जरूरी नहीं कि मैं जानकारी दूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों करें ? आप यह काम मेरे लिए छोड़ दें।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, नियम 369 नितान्त स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : केवल शर्त इतनी है कि मुझे उसे प्रमाणित करना है, अध्यक्ष महोदय को उसकी जांच करनी है और तब वह उक्त दस्तावेज को रखने की मुझे अनुमति दे सकते हैं। मैं उसे सभा पटल पर रखूंगा – वह श्री अन्तुले का प्रकाशन है – "दी महाराष्ट्र मार्केट सर्वे"। उसमें कहा है (व्यवधान)महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 117 पढ़ें तब नियम पुस्तिका और अध्यक्ष द्वारा निदेश देखें। नियम पुस्तिका में गैर सरकारी सदस्य को वह अधिकार नहीं दिया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मेरी बात सुनें। मेरा मत यह है कि जब चर्चा आरम्भ होनी है और किन्हीं प्रतिष्ठानों का मामला है तो यह दस्तावेज सामने, जिसमें कहा गया है कि इन्दिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान की स्थापना महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई थी। अब यह दस्तावेज इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए उपयोगी होगा। मैं यह कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जो चर्चा में भाग लेता है उसके लिए। आप इसे किसी को दें दें।

प्रो० मधु दंडवते : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने उसकी जांच कर ली है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी अन्य को उसे दे सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपने उसे देखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देखा है। आप चर्चा में भाग लेने वाले को उसे दे सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या इसमें कुछ गलती है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आएं। श्री शेजवलकर (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जायें ।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । किसी मुद्दे पर मत बोलिये । मेरा कहना है कि आप बैठ जाइए । तुम फिर मेरे से बात कर लेना । अगर आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा ।···(**व्यवधान**) मैंने जब भी आपको कुछ करने को कुछ कहा है आपने उसे नहीं माना ।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपको एक इंफार्मेशन देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इन्फार्मेशन बाद में लूंगा । (**व्यवधान**) आप क्या सुनाना चाहते हैं । (**व्यवधान**)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय मेरा नियम 197 के अधीन एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियमों तथा परम्पराओं के अनुसार अध्यक्ष उचित एवं पर्याप्त आधारों पर अपने आदेश अथवा विनिर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है । लोक सभा में तीन अवसरों पर अर्थात्, 3 मई, 1961, 11 नवम्बर 1965 और 1 सितम्बर, 1966 (**व्यवधान**)···कृपया सुनें ।

मेरे पास पूर्व उदाहरण हैं । पहले तीन अवसरों पर अध्यक्ष महोदय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति वापस ले ली थी । (**व्यवधान**) इस प्रस्ताव में जैसा कि कहा गया है :

> "महाराष्ट्र में कुछ ट्रस्टों को आयकर में छूट दिए जाने के संबंध में अनियमितताओं तथा इस राज्य में सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सदाचार के समाचार ।"

महोदय, मैं पहले मुद्दे के विषय को बाद में लूंगा किन्तु यहां तक सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सम्बन्ध है यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है । महोदय एक ऐसे समय जब महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा का सत्र चल रहा है तब ऐसे विषय को जो राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । सदन में चर्चा करना कहां तक उचित होगा । (**व्यवधान**) महोदय, मैं आपके आदेश को चुनौती नहीं दे रहा हूं । मैं तो केवल आपके आदेश की पुनरीक्षा का अनुरोध कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : पुनरीक्षा कर ली । श्री शेजवलकर ।

कुछ माननीय सदस्य : हम आपके द्वारा पुनरीक्षा के कारण जानना चाहते हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैं केवल दो मिनट लूंगा। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना संसद की कार्यवाही में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैं एक नया सदस्य हूं। मैं जानकारी एकत्रित करने के लिए आज प्रातः से ही पुस्तकालय में व्यस्त रहा। यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझे निराशा होगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर, मैं तो साधारण तौर पर आपको यह बात कह रहा हूं कि आप हर बार क्यों खड़े हो जाते हैं। उनके व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय लेने का काम मेरा है। आप क्यों खड़े हो जाते हैं? (व्यवधान) अब सभी लोगों का एक साथ बोलना ठीक नहीं है। श्री आरिफ मोहम्मद क्या आपके पास कोई और मुद्दा है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : इसमें क्या प्वाइन्ट आफ आर्डर है। आपने एलाऊ किया है, अब इसमें क्या प्वाइन्ट आफ आर्डर उठ रहा है। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं। आप बैठते क्यों नहीं।···(व्यवधान)···आप क्यों बोल रहे हैं।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : ये कौन बोल रहे हैं। ···(व्यवधान) ···

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, नियम के अनुसार वे 'लोक महत्व' का मामला उठा सकते हैं। महोदय, यहां यह मामला एक ऐसा मामला है जिस पर महाराष्ट्र विधान सभा में लगभग दो महीने पूर्व चर्चा हुई थी। महोदय, अब मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि महोदय, अब यह अविलम्ब कैसे हो सकता है? यह लोक महत्व का मामला कैसे हो सकता है? महोदय, यदि मैं यह कहूं कि कि पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स०) कार्यकारी की सिफारिश को बिना सीमेन्ट का एक एक बोरा भी नहीं देती, क्या आप इस मामले को यहां पर चर्चा के लिए अनुमति देंगे? यदि मैं यह कह दूं कि चौधरी चरणसिंह ने 77 लाख रुपये वसूल किए···

**संसद के कार्यकारी वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इसे अनुमति नहीं देता।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : वे कोई अछूते नहीं हैं कि इनके नामों का उल्लेख ही नहीं किया जा सके, वे सदन के सदस्य हैं और वे उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव तब आयेगा जब मैं इसको स्वीकार करने के बारे में निर्णय लूंगा। यदि आपको मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ कहना है तो आप मेरे पास आ सकते हैं और मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, यह काफी पुरानी परम्परा और नियम है कि ऐसे प्रस्तावों की सूचना उसी दिन दी जानी चाहिए जिस दिन यह मामला उठे अथवा लोगों की जानकारी में आए। महोदय, यह मामला सामान्य लोगों की जानकारी में दो महीने पूर्व ही आ गया था। अतः, महोदय···

अध्यक्ष महोदय : वह प्रस्ताव तब आयेगा जब मैं उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में निर्णय लूंगा। यदि आपको मेरे निर्णय के विरुद्ध कोई बात कहनी है, तो आप मेरे पास आकर चर्चा कर सकते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, यह काफी पुरानी परम्परा और नियम है कि ऐसे प्रस्तावों की सूचना उसी दिन दी जानी चाहिए जिस दिन यह मामला उठे अथवा समान्य लोगों की जानकारी में आए। महोदय यह मामला लोगों की जानकारी में दो महीने पहले ही आ गया था अतः महोदय···

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कुछ और बात भी कहनी है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि··· (**व्यवधान**)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मेरा आखिरी अनुरोध यह है कि किसान रैली के लिए चौधरी चरण सिंह द्वारा इकट्ठा किया गया धन, दीन दयाल ट्रस्ट के लिए श्री अटल जी द्वारा इकट्ठा किया गया धन तथा जार्ज फर्नान्डीज द्वारा किए गए धन की राशि करोड़ों में बैठती है और उन्होंने अपने पापों को, अपनी त्रुटियों को छिपाने के लिए ही यह नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। श्री शेजवलकर, किसी भी व्यवस्था के प्रश्न को अनुमति नहीं दी जाती।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसके बारे में नियम 337 देखिये। मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। इसके बारे में नियम 337 में प्रावधान है। एक ऐसे विषय पर, जिस पर पहले ही चर्चा हो चुकी थी, कुछ सूचनाएँ दी गई थीं। महोदय, अब ये बात मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा ऐसा करते हैं। (**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियम 337 की चर्चा कर रहा हूं। आपको मेरी बात सुननी होगी; महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको सुनना होगा। महोदय, श्री अन्तुले के धन संग्रह तथा वितरण आदि के प्रश्न पर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अनेक नोटिस दिए गए हैं और मैं तो सिर्फ इस बात को जानना चाहता हूं कि आपने हमारे नोटिसों को रद्द करने के लिए स्वविवेक का उपयोग किस प्रकार किया है। महोदय, नियम 337 के अन्तर्गत आपको कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें आप किसी नोटिस को बदल सकते हैं। नियम 337 के अन्तर्गत आपका सचिवालय ऐसा कर सकता है। किन्तु आप नियम 337 का उल्लंघन नहीं कर सकते और नोटिसों को बदल नहीं सकते। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है क्योंकि इससे बैलट पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे इस बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा कि आपने इस सम्बन्ध में हमसे पूछे बिना ही आपके सचिवालय ने हमारे नोटिसों को कैसे बदल दिया। हमेशा सामान्य परम्परा यह रही है कि जब कभी किसी नोटिस को बदल जाता है तो ऐसा सम्बन्धित सदस्य से परामर्श करके ही ऐसा किया जाता है। मुझे तो सिर्फ यही कहना है कि आपने हमें यह अवसर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको बता दूं ? हमेशा ऐसे ही किया जाता है। ऐसा हमेशा सदस्य के साथ परामर्श करके ही किया गया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : सदस्यों के साथ परामर्श करके ऐसा नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शेजवलकर की मंजूरी लेकर ऐसा किया है। हमने श्री शेजवलकर के साथ पहले ही परामर्श कर लिया है और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। हां, अब श्री शेजवलकर।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

महाराष्ट्र में कतिपय न्यासों को आयकर सम्बन्धी छूट देने के मामले में अनियमितताओं का समाचार।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर): मैं अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित मामले की ओर वित्त मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें।

"महाराष्ट्र में कुछ कतिपय न्यासों को आयकर में छूट देने के मामले में अनियमितताओं तथा राज्य में आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सदाचार के समाचार"

वित्त मंत्री(श्री आर० वेंकटरामन) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे समाचार छपे हैं, जिनमें महाराष्ट्र

में किन्हीं न्यासों को आयकर से छूटें मंजूर करने के बारे में कुछ अनियमितताएं बरते जाने का आरोप लगाया गया है। लगता है कि इस मामले का संबंध मुख्यतः इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान और कोंकण उन्नति मित्र मंडल, बम्बई से है।

प्रथम उल्लिखित न्यास की स्थापना 18 अक्टूबर, 1980 को की गई थी। इस न्यास के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, महाराष्ट्र राज्य में साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्रों में प्रतिभावान व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना, मान्यता प्रदान करना, बढ़ावा देना, इमदाद तथा सहायता प्रदान करना, ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना; उन्हें लाभप्रद रोजगार देने की दृष्टि से उन्नायक कार्यकलाप शुरू करना; कमजोर वर्गों के इस प्रकार के व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना तथा उनमें से रोगियों और विकलांगों को डाक्टरी इलाज मुहैया करना है।

आयकर अधिनियम की धारा 80-छ के अंतर्गत, करदाता कतिपय निधियों और पूर्त संस्थाओं को दिए गए दान की बाबत कटौती के लिए हकदार है। साधारणतः दान की रकम के 5 प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करने की इजाजत दी जाती है। इस प्रकार की कटौती की पात्रता के लिए संस्था अथवा निधि को, अन्य शर्तों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अथवा धारा 10 के खंड (22), (22क), (23), (23ग) के अंतर्गत आय कर से छूट के लिए हकदार होना चाहिए। दानकर्ताओं के, जो दूर-दूर तक फैले हो सकते हैं, कर-निर्धारण में एकरूपता लाने की दृष्टि से, आयकर आयुक्तों को अर्हक पूर्त संस्थाओं को प्रमाणपत्र देने के अधिकार दिए गए हैं जिससे दानकर्ता उनके द्वारा दिए गए दान के संबंध में कर से छूट प्राप्त कर सके। चूंकि उक्त न्यास के उद्देश्य पूर्त थे और यह न्यास इस संबंध में निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी करता था, बम्बई सिटी के आयकर आयुक्त ने इस न्यास के मामले में धारा 80-छ के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी किया। यह प्रमाण पत्र 31 दिसम्बर, 1981 तक वैध है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के स्थायी अनुदेशों के अनुसार छूट प्रमाण पत्र, प्रारंभ में एक वर्ष के लिए जारी किए जाते हैं और पहले वर्ष के लेखों की छानबीन के बाद, उनका अपेक्षाकृत लम्बी अवधि के लिए, जो तीन वर्षों से अधिक नहीं हो, नवीकरण किया जा सकता है। इन अनुदेशों का, इस न्यास के मामले में भी, कुल मिलाकर पालन किया गया है।

जहां तक कोंकण उन्नति मित्र मंडल, बम्बई का संबंध है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के थाने, रायगढ़ और रत्नगिरि जिलों में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को चलाना है। उक्त संस्था ने ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम तैयार किया जिसके अंतर्गत इन जिलों में 4,785 गांव आते हैं, तथा आयकर अधिनियम की धारा 35 ग ग क के अंतर्गत, इस संस्था एवं उक्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए आवेदन किया। ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए अनुमोदित एसोसिएशनों तथा संस्थाओं को अदा की गयी पूरी रकम की कटौती की बाबत धारा35गग क में व्यवस्था है। इस संबंध में स्वीकृतियां राज्य स्तर के निर्धारित प्राधिकारियों, जिनमें आयकर आयुक्त तथा राज्य सरकार का एक सचिव होता है, द्वारा दी जाती हैं। महाराष्ट्र राज्य के लिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा दरख्वास्तों पर विधिवत विचार किया गया था तथा संस्था एवं इसके द्वारा तैयार किए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रम अनुमोदित किए गए थे। अनुमोदित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

[श्री आर० वेंकटरामन]

में, स्कूल के कमरों का निर्माण करना, प्रौढ़ शिक्षा के लिए अवैतनिक कार्यकर्ताओं का नियोजन करना तथा सुपात्र छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और गणवेष मुहैया करना; सामुदायिक वक्षों का निर्माण करना, सहकारिता क्षेत्र में ग्राम और कुटीर उद्योगों की स्थापना में सहायता प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना, विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की दवाइयां और उपस्कर मुहैया करने के लिए पोषण कार्यक्रम चलाना और 500 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण करना, बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों और स्तन्यदा माताओं को पोषक आहार मुहैया करना, सरकार द्वारा अमल में लाई जाने वाली पाइपों के जरिए जल-पूर्ति योजनाओं की लागत में अंशदान के रूप में पेयजल पूर्ति योजनाएं, सिंचाई कार्यक्रम आदि शामिल हैं। निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्रामीण विकास परियोजनाओं की, 3 सालों की अवधि के दौरान अनुमानित लागत 97.32 करोड़ रु० आएगी। इस मामले में अनुमोदित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऐसे सभी मामलों में लागू मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार हैं। कार्यक्रम को दी गई स्वीकृति 11 अप्रैल 1981 से 31 मार्च, 1984 तक वैध रहेगी। इस संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि निर्धारित प्राधिकारी को धारा 35 ग ग क के अंतर्गत एक बार में 3 वर्षों से अनधिक अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

ध्यानाकर्षण नोटिस में सीमेंट के अनुचित ढंग से वितरण का भी हवाला है। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने सीमेंट के वितरण के लिए एक सुनिश्चित प्रणाली कायम की है। राज्य स्तर पर मंत्रियों और अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय समिति है जो सरकारी, अर्द्ध सरकारी तथा स्थानीय सरकारी निकायों एवं आम जनता की जरूरतों की समीक्षा करती है और उपलब्ध सीमेंट का इन क्षेत्रों के बीच नियतन करती है। जिला स्तर पर, ताल्लुकों के बीच सीमेंट के वितरण के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति है। ताल्लुका स्तर पर, स्थानीय विधायकों की अध्यता में सीमेंट वितरण समितियां मौजूद हैं। दरख्वास्तों के पंजीकरण और दरख्वास्तियों की जरूरत की जांच करने की एक नियमित प्रणाली है। सरकार ने, सीमेंट वितरण समितियों के कार्य चालन के संबंध में मार्ग दर्शक सिद्धात जारी किए हैं। इन सब बातों से वितरण प्रणाली के समुचित होने का पता चलता है। इस वितरण प्रणाली का राज्य सरकार द्वारा एकरूपता से पालन किया गया है और इसलिए यह कहने का कोई आधार नहीं है कि सीमेंट का वितरण अनुचित ढंग से हुआ है।

समग्र जरूरतों के अनुपात में पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध नहीं होने के कारण न तो जनता की जरूरतों को और न ही सरकार तथा अर्द्ध सरकारी निकायों की जरूरतों को पूरा करना संभव हो पाया है। इसके अलावा, चूंकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में सीमेंट की सप्लाई पूर्वक्रय करके प्राप्त कर लेते हैं इसलिए जनसाधारण की मांग पूरी कर पाना संभव नहीं हो पाया है।

मैं यह और कहना चाहूँगा कि इस वर्ष सप्लाई में सुधार होने की संभावना है और यह समस्या नहीं उठेगी।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं आदेश के एक मुद्दे के बारे में बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आदेश का कोई मुद्दा नहीं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णनन (वडागरा) : आप आदेश के मुद्दे को अवश्य सुनें। आदेश का यह बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। (**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष, श्री अनन्तशयनम् आयंगर ने 19 मार्च, 1958 को एक निर्णय दिया था। यह लोक सभा वाद-विवाद, 1958—पृष्ठ 5615-16 पर है। मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। (**व्यवधान**)

यह लोक सभा वाद-विवाद, के पृष्ठ 5615-16 से है। आदेश का यह मेरा मुद्दा नियम 376 के तहत है। (**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : जब कोई मन्त्री किसी ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर देते हैं तो उन्हें उस उत्तर में वे सभी मुद्दे समाहित कर लेने चाहिए जो तत्संबन्धित विषय पर विभिन्न सूचनाओं द्वारा उठाये गये हों और जिनकी प्रतियां उनके पास पहुंच गई हों।"

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : "विभिन्न सूचनाओं में दिए गए"

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अनेकों सूचना दी गई हैं। यह आपसे पिछले अध्यक्ष का नियम है। उसे आप इस तरह नहीं मिटा सकते।

श्री हरिकेश बहादुर : चीनी सहकारी समितियों से अनिवार्य जमा, औद्योगिक अल्कोहल (**व्यवधान**) और शराब-व्यापारी संगठन से अनिवार्य चन्दा... (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : यह आपसे से पिछले अध्यक्ष का नियम है। अब इसे हटा नहीं सकते। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उन सभी बातों का उत्तर दे दिया हैं, जो सूचना में है। (**व्यवधान**) इस सूचना द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया गया है। उन्होंने उन सभी बातों का उत्तर दे दिया है, जो सूचना में है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : कुछ भी कहने से पहले ध्यान रखें। इस सदन के पूर्व उद्धरण की ओर ध्यान दें। आप नियमों का अध्ययन करें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियमों का अध्ययन किया है। इस सूचना में जो मुद्दे उठाये गए हैं . (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : नियम यह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में कैसे जान सकते हैं कि अन्य मुद्दे क्या हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नियम यह है श्री अनन्तशयनम् आयंगर । आपने श्री आयंगर के नियम का उलंघन किया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कैसे जान सकते हैं कि अन्य सूचनाओं में क्या है ? (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : यह रहा बाद का नियम । यह रहा बाद का नियम — "ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर देते समय किसी ऐसे मुद्दे के बारे में सूचना देने के लिये विवश नहीं किया जा सकता जिसे ध्यानाकर्षण सूचना में सीधा नहीं उठाया गया है।" यह स्पष्ट है। यह 7-7-77 को दिया गया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कैसे पता चला । उन्हें दूसरों के बारे में कैसे ज्ञात हुआ । (व्यवधान) इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : आपको सभी सूचनायें मन्त्री जी को भेजनी चाहिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विस्तृत उत्तर दे दिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : क्या आप बताएंगे कि जो नोटिस आये हैं उनमें से कौन से नोटिस उनको भेजे गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री से यह आशा की जाती है कि वह उसका उत्तर दे जो उनको दिया गया है । बस ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप पुराना रूलिंग बदल रहे हैं और नया रूलिंग दे रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : मैं कहना चाहूंगा... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आपसे आशा की जाती है कि आप बैठ जायें । इन माननीय सदस्य को बता दिया जाये कि उन्हें नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्रीमान । अध्यक्ष महोदय··· * (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है ।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण का एक समेकित नोटिस है जिसका उत्तर देने की मन्त्री जी से आशा की जाती और यही उन्होंने किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप श्री आयंगर के विनिर्णय की अवहेलना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा निर्णय है, जो मैंने दे दिया है। (**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : मेरे व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान शेजवलकर, मैंने आपकी बात स्वीकार नहीं की है। (**व्यवधान**) व्यवस्था सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं स्वीकार किया जाएगा। आप इस मोशन पर डिबेट चाहते हैं कि नहीं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कुछ क्षण पहले, माननीय मन्त्री महोदय श्री स्टीफन किसी पुस्तक को उद्धृत कर रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि ये किस पुस्तक को उद्धृत कर रहे थे।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह श्री हेगड़े द्वारा दिया गया विनिर्णय था।

मैं श्री हेगड़े द्वारा दिए गए विनिर्णय को उद्धृत कर रहा था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या वह पुस्तक प्रामाणिक है ? ···(**व्यवधान**)··· नहीं श्रीमान यह प्रमाणिक नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री शेजवलकर, कृपया स्वयं को विषय तक ही सीमित रखिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : मुझे आश्चर्य और निराशा हुई जब मैंने मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य पढ़ा। मामला ट्रस्ट और सीमेंट की सप्लाई के बारे में था। मुख्य रूप से ये दो ही मुद्दे उठाये गए थे। ट्रस्ट के सम्बन्ध में दो या तीन प्रश्नों का उत्तर देने में मन्त्री महोदय अत्यन्त उदार रहे हैं। लेकिन, तब भी मैं समझता हूं कि इस मामले से उठने वाले अनेक प्रश्नों को जानबूझ कर दबा दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि वहां श्री अन्तुले ने कितने ट्रस्ट प्रवर्तित किए हैं ! (**व्यवधान**) मैं इन व्यवधानों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात मुझ से कहिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह (अंतराईचे बोल) महाराष्ट्र सरकार का प्रकाशन है। इसे हाल ही में महाराष्ट्र टाइम्स में पुनः प्रकाशित किया गया था। जो श्री अंतुले ने कहा वह यह है। यह भाषण उन्होंने 28 मार्च, 1981 को पुणे में दिया था। (**व्यवधान**)

मैं इसे एक अत्यन्त गम्भीर मामला समझता हूं। मैं निम्न स्तर पर जाने के बजाय, चर्चा

[श्री एन० के० शेजवलकर]

का स्तर ऊंचा बनाए रखने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आशा है, माननीय सदस्यगण भी इसमें सहयोग करेंगे। यदि गम्भीर किस्म के अन्य मामले हैं तो वे उन्हें बाद में उठा सकते हैं। यदि वे उन्हें इस चर्चा के अन्तर्गत लाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मुझे इसमें लज्जा नहीं है। लेकिन मैं उद्धृत कर रहा हूं, पढ़ नहीं रहा।

जो कोणी आता मोटा सघनमाझ्या कड़े ये तो त्याला मी सांगतो है माझ्या टेबलावर बारा ट्रस्ट आहेत। रोज दाखवतो—शंभर टक्के, पन्नास टक्के एग्जेम्पशन आहे। तुम्ही इनकम टैक्स इतका भरता, मणझे इतका भरत नसाल। याच्या मधून तुमचा इतका शंभर टक्के आहे। ममाझे तुम्हाला खिशातून काही द्यावे लागत नाही।

श्री आर० वेंकटरामन : जो आप कह रहे हैं। उसे मैं सही स्वीकार करता हूं। आप इसका अंग्रेजी रूपान्तरण बताइये। हम इसे स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि हम समझे नहीं कि यह क्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका अनुवाद कर दीजिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : दो पंक्तियां और, उसके बाद मैं इसका अनुवाद करूंगा।

पन्नास टक्के पासून, पन्द्रह टक्के द्यावे लागतात। मणझे अम्मी आता असा छंद सुरु केला आहे। जो येतो त्याच्या कड़े भी ही मामणी करतो। भला खात्री आहे, उड़चा काही महिन्यात, विविध ट्रस्टसाटी पंसावतें साठ कोटी रुपये गोड़ा होतिल।

सारांश है, "जब कोई धनी व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उससे कहता हूं कि मेरी मेज पर 12 ट्रस्ट हैं। उनमें से कुछ पर शत-प्रतिशत आयकर से छूट है। और कुछ 50 प्रतिशत तक। आपको अपना कुछ नहीं करना है। जो आयकर के रूप में धन देने जा रहे हैं, उसे यहां दे दीजिए, वह ट्रस्ट को मिल जाएगा। यह बात हमने इन 12 ट्रस्टों के लिए शुरू की है। (व्यवधान) मुझे विश्वास है कि कुछ महीनों में ही 55 से 60 करोड़ रुपये तक की धनराशि एकत्रित हो जाएगी।" उन्होंने यह बात मार्च 1981 में कही थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आप व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं? आप बैठकर सुनते क्यों नहीं?

श्री एन० के० शेजवलकर : लोगों को इस बात का निर्णय करने दीजिये कि सदन में क्या होना रहा है और कौन लोग आपत्ति उठा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन भी कार्यवाही चलने दीजिये। यदि आप चर्चा नहीं करना चाहते तो हम कार्यवाही स्थगित कर दें।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह एक अन्य प्रकाशन है। यह प्रकाशन महानिदेशक, सूचना

और जनसम्पर्क, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित है और गवर्नमेंट सेन्ट्रल प्रेस, बम्बई में मुद्रित है। इस प्रकाशन के पेज 15 पर यह लिखा है :

"साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में प्रतिभा सम्पन्न लोगों को मान्यता प्राप्त और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान।"

अध्यक्ष महोदय : यह बात वक्तव्य में आ गई है।

श्री एन० के० शेजवलकर : अगला वाक्य महत्त्वपूर्ण है। मैं इसे उद्धृत कर रहा हूं। यदि अध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि मैं इसे उद्धृत न करूं तो मैं इसे उद्धृत नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बात पहले आ गई है, ऐसा मैंने कहा।

श्री एन० के० शेजवलकर : आप इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति मुझे नहीं दे रहे हैं। मैं इसके लिये आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपत्ति नहीं कर रहा। मैं नहीं वह इस बात को दोहरा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वह इस बात को दोहराएं।

श्री एन० के० शेजवलकर : वे शब्द हैं :

"इन्दिरा गांधी···के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक निधि स्थापित की।"

शब्द हैं :

"महाराष्ट्र सरकार ने इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के लिए एक निधि स्थापना की। प्रतिष्ठान के पास एक पांच करोड़ रुपये का कोष होगा···"

मुझे उस बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। बल इन शब्दों पर है : "महाराष्ट्र सरकार ने एक निधि स्थापित की है।" आपकी अनुमति से मैं इसे सदन के सभा पटल पर* रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री एन० के० शेजवलकर : हाल ही में जो बात सामने आयी है वह यह है कि यह एक सरकारी न्यास नहीं है, यह एक निजी न्यास है, यह सरकारी नहीं, एक गैर सरकारी न्यास है। वास्तविकता क्या है ? क्या यह एक निजी न्यास है ? क्योंकि, कोई कहेगा कि श्री अंतुले का वक्तव्य सही नहीं है ! ···(व्यवधान)

* अध्ययन द्वारा बाद में अपेक्षित अनुमति न दिये जाने के कारण उक्त प्रकाशन को सभा पटल पर रखा हुआ नहीं माना गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : वास्तविकता क्या है? क्या यह एक सार्वजनिक न्यास है अथवा एक निजी न्यास अथवा एक सरकारी न्यास है? इस मामले की जांच की जानी है कि आयकर की धारा 80 अथवा 35 के अंतर्गत किस प्रक्रिया को अपनाया गया है। यदि यह एक निजी न्यास है तो धारा 80 की स्थिति में प्रक्रिया एकदम भिन्न है। उन्हें अनुमति अवश्य लेनी चाहिए, इस मामले में जांच की जानी है।

दूसरा प्रश्न है, यदि यह एक निजी न्यास है तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की गई है कि इसकी क्या गतिविधियां हैं, यह क्या करता है और क्या इस तरह की छूट दी जानी चाहिए अथवा नहीं। जहां तक श्री अन्तुले के वक्तव्य का सम्बन्ध है, वे अत्यन्त भ्रम पैदा करने वाले हैं और वे आम जनता के दिमाग में गम्भीर सन्देह उत्पन्न करते हैं। यह केवल एक बार नहीं होता है अपितु अनेक बार··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए, मन्त्रियों को उसमें शामिल किया गया है।

श्री एन० के० शेजवलकर : उन्होंने कहा था, "पार्टी कोष के लिए मैंने यह धनराशि इकट्ठी की है।" यह बात उन्होंने कही है··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने वह बात कभी नहीं कही।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री महोदय उसका उत्तर देंगे, आप नहीं। यह बात सही अथवा गलत है, इसका उत्तर वह देंगे।

श्री एन० के० शेजवलकर : मुझे आधा दर्जन कागज ऐसे मिले हैं जिनसे जाहिर यह होता है··· (व्यवधान)

महोदय, वे आगे कहते हैं : 'नहीं, नहीं। मैंने पार्टी के फण्ड के लिए धन का संग्रह नहीं किया था, मैंने तो केवल ट्रस्ट के लिए धन इकट्ठा किया था।" उन्होंने बाद में स्वयं इंकार कर दिया। मैं तो अभी-अभी यह बात बता रहा हूं कि श्री अन्तुले के वक्तव्य पर कितना विश्वास किया जाए। पहले उन्होंने कहा कि 'मैंने 12 ट्रस्ट स्थापित किए हैं।' बाद में उन्होंने कहा कि 'मैंने 6 या अधिक ट्रस्टों की स्थापना की है'। एक या सात, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा है··· (व्यवधान)। महोदय, इन ट्रस्टों का स्वरूप क्या है? मैं उनसे जानना चाहता हूँ। पहले यह बताया गया था कि यह इन्दिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान के नाम से था। हाल में समाचार पत्रों में छपा है कि इन्दिरा का नाम हटा दिया गया है। अब इसका नाम केवल 'प्रतिभा प्रतिष्ठान' है। महोदय, ऐसा कैसे किया जा सकता है? यदि यह एक निजी ट्रस्ट हो तो भी पंजीयत प्राधिकरण की अनुमति लिए बिना केवल निर्णय अथवा अध्यक्ष के एक वक्तव्य से ऐसा नहीं किया जा सकता। महोदय, यदि

यह ट्रस्ट सोसायटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है, कुल मिलाकर नाम में कोई परिवर्तन किया जाना काफी बड़ी बात है और इस आशय की सूचना सम्बन्धित प्राधिकरण को दी जाती है, ऐसा किए बिना नाम में परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होता। यह किस प्रकार से किया गया ? इन मामलों में तथा अनेक मामलों में उन्होंने ट्रस्टों की सम्पत्ति को क्यों नहीं दिखाया ?

महोदय, इस प्रतिष्ठान के नाम में कि चैक है। अब क्या होगा ? क्या लेखों को बदला जाएगा अथवा लेख उसी नाम से रहेंगे ? इन सभी बातों को ऐसा समझा गया है। जैसे यह कोई व्यक्तिगत मामला हो और कोई इसकी देखभाल न कर रहा हो। सम्भवत: उन्होंने अपनी आंखें बन्द कर ली हैं और उसकी जांच नहीं कर रहे हैं।

अत: मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वास्तव में ट्रस्ट का स्वरूप क्या है और धारा 35 तथा धारा 80 के अन्तर्गत ये स्वीकृतियां किस प्रकार और कब हो गई थीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्यगण शान्त होंगे ?

श्री एन० के० शेजवलकर : धारा 35 अथवा धारा 80 के अन्तर्गत आवेदन पत्र कब दिए गए थे ? वहां कितने ट्रस्ट विद्यमान थे ? यहाँ आवेदन की तिथि तो बताई गई है, किन्तु स्वीकृति की तिथि का काफी सावधानी से लोप कर दिया गया है। वास्विक स्वीकृति कब दी गई थी और यह स्वीकृति-तीन वर्षों के लिए क्यों दी गई और उन ट्रस्टों की सूची क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ? सदन इस बात को जानना चाहेगा। वास्तव में यह ट्रस्टों के माध्यम से धन इकट्ठा करना है। क्या यह धन का स्वैच्छिक संग्रह है ? यह धन का बलात् छीना जाना है। यह धन जबर्दस्ती छीन गया है। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, नियम 197 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं केवल एक भूतपूर्व मन्त्री का उद्धरण दूंगा। जब श्रीमती शालिनी पाटिल मन्त्री थी तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि यह 'जजिया' के समान है, जिसे उस समय में मुगल शासक वसूल किया करते थे। महोदय, वास्तव में हुआ क्या है ? सागर कारखाना संघ के प्रेसीडेंट श्री माधव राव बोरास्टे का देहान्त हो गया और श्री अन्तुले उसके धन चैक के पीछे पड़े हुए थे। अत: इन लोगों ने सहकारी चीनी मिल से इस चैक को हासिल कर लिया, श्रीमती शालिनी पाटिल को यह चैक प्राप्त हो गया, अत: उन्हें बार-बार टेलीफोन पर यह कहकर मजबूर किया गया कि यह राशि हमारे पास भेजी जानी चाहिए, क्योंकि दूरदर्शन वाले उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।...

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, कृपया बैठ जाइये।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपर गांव) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैं इस संगठन का वाइस-प्रैसीडेंट हूं। उनके द्वारा बताये गए तथ्य सही नहीं हैं। उस समय किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। एक प्रस्ताव पास किया गया था।

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया था कि इस स्पष्ट धारणा के साथ कि यह धन धर्मार्थ के लिए है, इस प्रतिष्ठान को दान कर दिया जाए। इतना ही नहीं, फैडरेशन ने ट्रस्टियों से प्रबन्ध मण्डल में प्रतिनिधित्व हेतु भी अनुरोध किया था। यह कहना गलत है कि चीनी फैक्टरियों ने कर को टाल दिया क्योंकि हमने चीनी खाते से किसी राशि का भुगतान नहीं किया था। किसी भी रुग्ण इकाई ने राशि का भुगतान नहीं किया। यह बिल्कुल गलत है। समय-समय पर संघ प्रस्ताव पारित करता है और सदस्यों से अनुरोध करता है कि वे क्यों न सहायता निधि, झोंपड़ी निधि तथा मुख्य मन्त्री के सहायता कोष आदि जैसे धर्मार्थ ट्रस्टों में दान दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान) वे बाद में अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं। ···(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : मैडम को इस बात पर इतना खेद था कि·····के प्रेसीडेंट ने···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अब शान्त होंगे ? पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। श्री शेजवलकर। (व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : दुर्भाग्यवश, मैं चिल्ला नहीं सकता। मैडम ने कहा है····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई मध्याह्न भोजन नहीं। आपने मुझे आराम नहीं दिया है। मैं भी आपको मध्याह्न भोजन नहीं करने दूंगा। (व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : मुख्य मन्त्री को सागर कारखाने के प्रैसीडेंट की मृत्यु की तनिक भी चिन्ता नहीं थी। इन सोसाइटियों से 2.5 करोड़ रु० वसूल किए गए थे। वे उसकी मृत्यु के बारे में चिन्तित नहीं थे। वे तो इस धन को खींचने के लिए चिन्तित थे। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ ? उनके पास नासिक में उस समय कोई चैक नहीं था। यह राशि श्री गुलाब राव पाटिल शीर्षस्थ बैंक प्रेसीडेंट से ली गई थी। उन्होंने इसे बम्बई भेज दिया·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इनको जवाब देने देंगे या नहीं ? ये सुनेंगे नहीं तो जवाब क्या देंगे ? इस सबका जवाब ये देंगे।

कृपया अपने सदस्यों से कहिये कि वे ठीक ढंग से व्यवहार करें। क्या कोई इस बात का ध्यान रखता है ?

श्री एन० के० शेजवलकर : यदि यह धन का छीना जाना नहीं है अथवा यदि यह 'जजिया' नहीं है तो···

अध्यक्ष महोदय : आप बोलने नहीं देंगे तो एक घण्टा और लगेगा। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपको इसे रोकना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अटल विहारी वाजपेयी : इस दल की इसमें रुचि है। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाय।···(व्यवधान)* आप लोग यहां पर ऐसा करेंगे तो बाहर लोग पता नहीं क्या सोचें और क्या सोचते होंगे। यह तो अति हो चुकी। (व्यवधान) प्लीज बैठिए। आप बैठ जाइये। मन्त्री महोदय अपना जवाब कैसे देंगे, अगर उनको सुनाई नहीं देगा। ही इज कम्पीटेंट इनफ टू रिप्लाई। आप क्यों नहीं उनको बोलने देते हैं।

एक माननीय सदस्य : स्पीच नहीं, क्वैश्चन पूछना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आज कोई नई बात नहीं हो रही है। आप आराम से बैठिए। शेजवलकर जी, आप सीमित करके जो प्रश्न हैं, वे पूछिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : आखिरकार में मामले को सिद्ध करने जा रहा हूँ। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछने जा रहा हूं कि क्या इससे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अन्तर्गत कोई अपराध अथवा रिश्वत का मामला बनता है। इसके लिए मुझे यहां स्पष्ट करना पड़ रहा है और सदन को यह बात बतानी पड़ रही है कि ये धन कभी भी स्वैच्छिक दान नहीं था। ये छीना-झपटी से इकट्ठा किया गया है। यदि वे इसको स्वीकार कर लेते हैं तो मैं किसी भी बात को उद्धृत नहीं करूंगा। यदि वे इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि यह धन छीना-झपटी से इकट्ठा किया गया है तो मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप तो सिर्फ प्रश्न पूछिए और वे उसका उत्तर देंगे।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन० के० शेजवलकर : उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी कम्पनियां हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से धन का भुगतान किया है। मैं केवल दो उदाहरण दे रहा हूं। एक कम्पनी का नाम है : बद्धेश्वर जगदम्बा कम्पनी। यह एक रुग्ण चीनी मिल है। इसकी महासभा की बैठक ने इस बात को अस्वीकार कर दिया था और दान के रूप में कुछ भी देने से इन्कार कर दिया था। किन्तु उसके बाद इस राशि का भुगतान करने के लिए निदेशकों पर दबाव डाला गया।

उसके बाद गन्ना उत्पादकों से कहा गया वे अपनी निजी पूंजी में से 2.25 रु० से 2.50 रु० प्रति टन के हिसाब से इस संस्था को भुगतान करें। जैसाकि माननीय मन्त्री ने बताया है, क्या यह राशि अमीर लोगों से ली गई है ?

यहां एक और दस्तावेज तार (सबूत) है जिसे भेजा गया था। तार में, ऐसा प्रतीत होता है, कहा गया है : इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र सरकार को आपका चैक 21 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए।" यह वह तार है जो भेजा गया है। क्या मैं यह गलत कह रहा हूं कि इसमें एक भ्रांति है ?

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, नियम 197 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। "...कोई भाषण नहीं होगा।" वे भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : यहां तक इस भाग का सम्बन्ध है, मेरा प्रश्न है कि कितने ट्रस्ट विद्यमान हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने इस बात को अनेक बार दोहरा तो दिया है।

श्री एन० के० शेजवलकर : अब मैं प्रश्न के दूसरे भाग पर आता हूं जो सीमेंट की सप्लाई के बारे में है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सीमेंट एक नियन्त्रित वस्तु है। सरकार की अनुमति के बिना इसका आवंटन नहीं किया जा सकता। इसे निर्धारित नियन्त्रित दर पर ही दिया जा सकता है। बम्बई में इसका नियन्त्रित मूल्य 28 रु० प्रति बोरी था।

काला बाजारी में इसका मूल्य लगभग 100 रु० अथवा इसके आसपास था। फिर क्या हुआ ? उन्होंने सामान्य उपभोक्ताओं का कोटा 1 लाख से घटाकर 53,000 टन कर दिया। अतः इससे क्या हुआ ? मांग में वृद्धि हो गई और मांग में वृद्धि के कारण सीमेंट उपलब्ध नहीं हुआ और काला-बाजारी में सीमेंट के दाम बढ़ गए। गरीबों को सीमेंट की सप्लाई नहीं की गई। जनता को सीमेंट की सप्लाई नहीं की गई।

मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं जिसमें बताया गया है कि कार्पोरेशन को काफी सीमेंट की आवश्यकता थी। पिछले तीन वर्षों में बम्बई नगर निगम के आंकड़े सीमेंट के उपभोग को प्रकट करते हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हो गया है ? आप बोलते क्यों नहीं ? (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वे यह कह रहे हैं कि हम असली लोग नहीं है। मेरा कहना है कि केवल आप ही असली लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न उठाइये जिससे कि वे आपका उत्तर दे सकें। आप तो सिर्फ व्याख्यान दे रहे हैं। अब आपको केन्द्रित होकर बोलना होगा। (व्यवधान)।

श्री एन० के० शेजवलकर : बम्बई नगर निगम की सीमेंट की खपत वर्ष 1979 में 82,679 टन वर्ष 1980 में 76,987 टन और इस वर्ष (अब तक) लगभग 40,000 टन रही है। इससे यह स्वाभाविक है कि बम्बई नगर निगम के निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सीमेंट किन लोगों को दिया गया है ? क्या इसका वितरण ठीक ढंग से किया गया है ? मैं बताना चाहता हूँ···(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : जब पूरक मांगें आयेंगी तब वे वक्तव्य दे सकते हैं। इस समय तो वे केवल एक या दो प्रश्न पूछ सकते हैं। 45 मिनट तक नहीं बोल सकते। (व्यवधान) वे सदन का महत्वपूर्ण समय नहीं ले सकते।

अध्यक्ष महोदय : श्री शेजवलकर, आप बोल रहे हैं या नहीं। (व्यवधान) कृपया बैठ जाएं। इस सदन के लिए यह कोई नयी बात नहीं है।

श्री एन० के० शेजवलकर : बम्बई में भवन बनाने वाली छोटी समितियों को बिलकुल भी सीमेंट नहीं दिया गया। सीमेंट केवल धनी ठेकेदारों को दिया गया। क्या यह गरीबों की सेवा है ?

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर बात हो चुकी है अब अगले मुद्दों पर आएं।

श्री एन० के० शेजवलकर : काले बाजार में सीमेंट की कीमत अब 125/रु० बोरी तक हो गयी है। अब मुद्दा यह है कि क्या श्री अन्तुले ने प्रति बोरी सीमेंट के लिए केवल 40 रु० पर समझौता किया था ? स्वाभाविक तौर पर बीच में भी भ्रष्टाचार है और उसकी अनदेखी की जा रही है। मैं बताता हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। सीमेंट का निर्धारित मूल्य प्रति बोरी 28 रु० है यह 40 रु० प्रति बोरी बेचा गया। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत यह अपराध है। मुख्य मंत्री के कार्यालय ने चन्दा ले कर धन इकट्ठा किया तथा यह निजी न्यास है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार उसी बात को क्यों दुहरा रहे हैं। जो सवाल करते हैं वे करिये।···(व्यवधान)···आप सवाल करने देंगे या नहीं।

श्री एन० के० शेजवलकर : ऐसी परिस्थितियों में सरकार क्या जाँच करेगी ? मैं अनुरोध करता हूँ कि धारा 151 के अन्तर्गत उन पर मुकदमा चलाया जाय···(व्यवधान) अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके यह घूस खोरी का स्पष्ट मामला बनता है। इस प्रकार यह भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम की तरह ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत भी भ्रष्टाचार का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : 15 मिनट में सारा काम समाप्त हो जाता ?

एक माननीय सदस्य : एक घण्टा लगा दिया ।

अध्यक्ष महोदय : किसने लगवाया ।

श्री आर० वेंकटरामन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे को संक्षेप में लूंगा । सबसे पहले मैं अपने माननीय मित्र श्री शेजवलकर को हो रही गलतफहमियों को स्पष्ट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि यह निजी न्यास है, स्पष्ट तौर पर वे इस विषय के बारे में कानून नहीं जानते । (व्यवधान) मेरी जानकारी उनसे कम नहीं है, पर मैं केवल अपने पर नियन्त्रण रखता हूं : (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप, नहीं चाहते कि मन्त्री महोदय उत्तर दें ।

श्री आर० वेंकटरामन : आयकर अधिनियम के अनुभाग 2, धारा 15, में "दान का उद्देश्य परिभाषित किया गया है । अनुभाग 11 और 12 के अन्तर्गत—धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया गए दान परकटौती मान्य है, और इस मामले में अनुभाग 80 (छ) से कटौती अनुपालन होना है—और अन्य उद्देश्यों के लिए अन्य कटौतियां होती हैं ।

श्री शेजवलकर ने मुझसे पूछा है कि विशेष तौर पर इस न्यास ने कब आवेदन पत्र दिया और कब इसका पंजीयन हुआ । इस विशेष न्यास का बम्बई धर्मार्थ न्यास के अन्तर्गत पंजीयन किया गया । जब इस अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया जाता है तब आवेदन पत्र की जांच होती है । तत्पश्चात, उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त जांच पूरी होने के बाद इस अनुभाग के अन्तर्गत अपनी जानकारी रिकार्ड करता है । फिर इस नियम के अनुभाग 21 के अन्तर्गत उप या सहायक धर्मार्थ आयुक्त उप धारा-2 के अन्तर्गत "धर्मार्थ उद्देश्य" का अंकन करता है । इस प्रकार की गई टिप्पणियों के लिए इस नियम में यह प्राविधान है कि पश्चात वर्ती प्राविधान में रिकार्ड हो जाने के बाद यह अन्तिम और निर्णायक होगा । जब तक धर्मार्थ न्यास, बम्बई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के आधीन पंजीकृत है तो उसे एक तरफ नहीं किया जा सकता । वे लोगों के लिए धर्मार्थ न्यास बने रहेंगे । एक बार धर्मार्थ न्यास घोषित हो जाने पर वे धारा 80 (छ) के अन्तर्गत छूट के अधिकारी हो जाते हैं । 80 (छ) में सबसे कम छूट है । क्योंकि इसमें एक व्यक्ति अपनी कुल आय का केवल 10% तक योगदान कर सकता है । यदि वह 10% का भी योगदान करता है तो उस 10 प्रतिशत में भी 50 प्रतिशत पर हीकर की छूट है । मैं मुद्दे को समझाता हूं—यदि किसी व्यक्ति की आय एक लाख रुपया है तो वह 80(छ) के अन्तर्गत केवल 10,000रु० का दान कर सकता है यदि वह किसी को धर्मार्थ 10,000 रु० देता है तो आयकर की छूट केवल 5,000रु०पर दी जायेगी क्योंकि वह इसमें 50 प्रतिशत तक कटौती करने के लिए मान्य है । इसलिए इस मामले में कुछ अनहोनी नहीं हुई और प्रतिदिन 80 (छ) के अन्तर्गत सैकड़ों मामलों में छूट दी जाती है और क्योंकि यह बम्बई न्यास अधिनियम और अन्य नियमों के अन्तर्गत सार्वजनिक धर्मार्थ संस्था के तौर पर पंजीकृत है । उदाहरण के तौर पर

विभिन्न राज्यों में ऐसे मामले है जो धर्मार्थ न्यास अधिनियम के अन्तर्गत या सोसाइट्रीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। इसलिए यह कुछ नहीं है। यदि मेरे माननीय मित्र फिर भी तिथि या और भी जानकारी चाहते है···मैं सोचता हूं कि इस उत्तर के बाद वह असंगत हैं--मैं तिथियां बता सकता हूं।

दूसरा मुद्दा है···

श्री आर० के० महालगी : नाम से संशोधन कैसे किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री महालगी, आपको व्यवधान डालने की आदत पड़ गई है ? कृपया बैठ जाइए। वे प्रत्येक बात का उत्तर देंगे।

श्री आर० वेंकट रामन : आप यहां पर 20 महीनों से जानते हैं खास तौर पर मैं कोई प्रश्न नहीं छोड़ता। यदि मैं नहीं जानता तो नहीं जानता। तथा मैं आपको बता दूं कि मैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ता।

अब, इस मामले में, एक पंजीकृत समिति या धर्मार्थ न्यास के नियम में ही नाम बदलने के अधिकार हैं—धर्मार्थ न्यास अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत नियम में लिखा है :

"जहां धारा 23 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन होता है, न्यासी परिवर्तन होने के 90 दिन के भीतर या किसी जन न्यास के प्रशासन के हित में आयुक्त को ऐसे परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा···"

श्री सोमनाथ चटर्जी : परिवर्तन कैसे किया जाता है ?

श्री आर० वेंकटरामन : आप कैसे न कहे, कहें क्यों ? प्रश्न यह है।

श्री चितु बसु :·····*

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति नहीं दी गई है···(**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरामन : इस मामले में सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है। इसलिए आपकी दलील कमजोर है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति बनाए रखिए।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रत्येक बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। ऐसा क्यों किया गया ? सामान्यतया प्रधान मन्त्री ऐसे किसी न्यास या इस प्रकार के किसी अन्य मामले में अपना

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री आर० वेंकटरामन]

नाम जोड़ने की अनुमति नहीं देती। जब लोग इस प्रकार की अनुमति मांगते हैं, वह नहीं देतीं। और इस मामले में उन्होंने कहा कि उसका उद्देश्य बहुत बड़ी सेवा करने का है ; वे अपने नाम का प्रयोग करने पर सहमत नहीं हुई । वे केवल उद्देश्यों पर सहमत थी और जब उनके नाम का उपयोग हुआ। उन्होंने कहा—'कृपया इसे हटा दें'। और उनकी इच्छा के विपरीत···

श्री आर० के० महालगी : वे उद्घाटन समारोह में स्वयं उपस्थित थीं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं उत्तर दूंगा···

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें पूरा वक्तव्य क्यों नहीं देने देते।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता: आपका तात्पर्य यह है कि उनके नाम का प्रयोग उनकी अनुमति के बिना हुआ है। और उन्होंने केवल उद्देश्यों के लिए सहमति दी थी।

श्री आर० वेंकटरामन : आपका प्रश्न क्या है ? आप मुझे स्पष्ट नहीं करने दे रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप केवल श्री शेजवलकर के प्रश्न का उत्तर दें।

श्री आर० वेंकट रामन : ठीक है, महोदय।

मुझे विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली है कि प्रधान मन्त्री ने इसका उद्घाटन नहीं किया था··· अब महोदय में अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के अनुसार श्री शेजवलकर का उत्तर दे सकता हूं और किसी को उत्तर नहीं दे सकता (व्यवधान) महोदय उन्होंने प्रश्न पूछने में चालीस मिनट लगा दिए जब मैं उत्तर दे रहा हूं वे लगातार प्रश्न नहीं पूछ सकते ?

अध्यक्ष महोदय : आप कहते रहें।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक पत्रक जारी किया था जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने इन्दिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान की नींव डाली है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान वर्ष 1980-81 के वित्त मन्त्री के बजट भाषण की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 9 मार्च 1981 को विधान सभा में पेश किया। यह वित्त मन्त्री का भाषण है :

> "हमने इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान की सहायता की है। न्यास द्वारा अथवा इसमें लगे लोगों द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं।"

चालू वर्ष में राज्य सरकार ने 10 लाख रुपये का योगदान किया और आगे के लिए भी प्रावधान रखा। एक बार राज्य को बजट भाषण में जब सूचना मिल गई तो मैं नहीं सोचता कि संसद अब इस बारे में विचार करे। (व्यवधान)

उसके बाद श्री शेजवलकर ने यह मुद्दा उठाया है कि इस धन का उपयोग पार्टी के कोष के लिए किया गया है। मुख्य मन्त्री ने इसका खण्डन किया है और इसे मान लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अनेक ऐसी परम्पराएं और मान्यताएं हैं जिनका संसद ने पालन किया है और उन परंपराओं में से ही यह एक ऐसी परम्परा है, जब एक मुख्यमन्त्री इसे नकारता है, तो किसी सदस्य को इस पर सन्देह नहीं करना होता। वह ऐसा कर सकता है। (व्यवधान) कम से कम आप तो परम्पराओं की परवाह नहीं करते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे मत सुनिए।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं बोलना जारी रखूंगा। इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि पार्टी फंड के लिए एक पाई भी खर्च हुई नहीं दिखाई गई है। (व्यवधान) महोदय, कानून के मसले पर मैं अपने माननीय मित्रों का सामना करने में नहीं हिचकूंगा। यदि फंड का उपयोग राजनीतिक प्रयोजन के लिए किया गया है तो धारा 13 के अधीन इसे आयकर की छूट नहीं मिलेगी। इसे किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। इसकी लेखा परीक्षा की जा रही है। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की आयकर विभाग द्वारा जांच की जाएगी। यदि आयकर विभाग को यह पता चलता है कि सार्वजनिक धर्मार्थ प्रयोजन जिसके लिए इसकी स्थापना हुई है के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन पर धन खर्च किया गया है, तो आयकर से दूर का इसका अधिकार समाप्त हो जायेगा।

महोदय, फिर श्री शेजवलकर ने कहा था। कि इस छूट को दिलाने के लिए मामले में बल प्रयोग किया गया था। अभी तक तो हमें इसके बारे में किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री आर० के० महालगी : श्रीमती शालिनी पाटिल ने कहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप क्यों बातें कर रहे हैं। आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? श्री शेजवलकर आप भी उन्हें सुनें।

श्री आर० वेंकटरामन : इस अवसर का उपयोग कुछ लोगों पर कीचड़ उछालने और उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। वस्तुतः चीनी की जिन सहकारी मिलों ने अथवा जिन लोगों ने दान दिया है, उनमें से किसी की भी कोई शिकायत नहीं आई है।

फिर यह कहा जाता है कि उन्होंने 40 रुपये प्रति कट्टे की वसूली की है। मेरे पास इस बात के आंकड़े हैं कि लगभग 462 व्यक्तियों को सीमेंट के परमिट दिए गए हैं और उनमें से केवल 12 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिष्ठान को दान दिया था। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हम यह संख्या 150 मानते हैं। क्या आप इसकी जाँच कराएंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैच काहे का हो रहा है, समझ में नहीं आता है। इस बात में इतना समय क्यों लग रहा है। उन्हें उत्तर देने दें। वे आंकड़े और तथ्य दे रहे हैं। दूसरों का नम्बर आएगा और वे पूछ लेंगे। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकट रामन : मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। मैं ये आंकड़े पढ़कर बताता हूं। ये सभी मेरे पक्ष में है इसीलिए मैं इनका उपयोग कर रहा हूं। जिन लोगों को सीमेंट आवंटित की गई, उनकी संख्या 462 है और कुल 32,225 टन सीमेंट आवंटित की गई। प्रतिष्ठान को दान देने वालों की संख्या 12 है तथा उन्हें मात्र 2000 टन सीमेंट आवंटित की गई। मैं इसके आगे भी बता सकता हूं। यदि आप धनराशि का हिसाब लगाए, तो देखेंगे कि कुछ मामलों में यह 7 रुपये बैठता है और कुछ अन्य मामलों में 125 रुपये बैठता है। अत: सीमेंट के आवंटन और दिए गए दान में कोई सम्बन्ध नहीं है। यह केवल कुछ लोगों का प्रयास है कि वे उनमें भी सम्बन्ध खोज लें, जहां कोई सम्बन्ध न हो। (व्यवधान)

महोदय, फिर श्री शेजवलकर ने यह कहा था कि वहां रिश्वत आदि भी चली। मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि इनमें से किसी मामले में भी आवंटन और भुगतान के बीच में कोई आकस्मिक सम्बन्ध नहीं था। आप इसे स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं। आपने अखबारों में बहुत से लेख लिखे। आपने राई का पर्वत बनाने का प्रयास किया, लेकिन आप किसी आकस्मिक सम्बन्ध की कोई एक भी घटना प्रमाणित करने में असमर्थ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन् : श्री शेजवलकर ने यह कहा था कि बम्बई में सीमेंट काले-बाजार में 125 रुपये तक बिकी। ऐसा लगता है कि वे काले-बाजार में सीमेंट के भाव जानने के विशेषज्ञ हैं। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि देश में सीमेंट की कमी है और इस कमी के कारण अनेक राज्यों के आवंटन में कटौती की गई है। इसी के परिणामस्वरूप सीमेंट की कीमतों में वृद्धि हुई है। मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है और इस बात के लिए हमें खेद है। लेकिन एकदम खड़े होकर यह कह देना कि इसी कारण हम भ्रष्टाचार की एक किस्म हैं और ऐसे ही अन्ध आरोप सरकार पर लगा देना उचित नहीं है।

श्री शेजवलकर का अन्तिम मुद्दा यह था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन यह अपराध किया गया है। मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूं। न तो इस प्रतिष्ठान ने और न ही सरकार ने इन आवश्यक वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को ऊंचे मूल्यों पर बेचा है। उनका आरोप यही है कि दान इकट्ठा किया गया है। लेकिन ऐसा कोई आरोप नहीं है कि प्रतिष्ठान ने अथवा सरकार ने इन वस्तुओं में से किसी वस्तु को काले बाजार में अथवा ऊंची कीमतों पर बेचा है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैंने यह कहा था कि इस मामले में कार्यालय का दुरुपयोग हुआ है। यह कहा था मैंने।

श्री सी० एम० स्टीफन : आप जो चाहे कह सकते हैं। आपको कुछ कहने से कौन रोकता है ?

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, एक भी आरोप सिद्ध न कर सकने के बाद अब वे कहते हैं कि जांच करवा ली जाए, वे कहते हैं आयोग नियुक्त कर दिया जाए और हमारे पक्ष में कुछ खोज लिया जाए। मुझे अफसोस है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहीं मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे महान् राष्ट्र के महान् निर्माताओं और हमारे गणराज्य के संस्थापकों ने 'सत्यमेव जयते' नामक एक नीति-मन्त्र हमें दिया था। अपने उन अच्छे मित्रों को सुनने के बाद, जिनके लिए मेरे दिल में अत्याधिक स्नेह और आदर है···।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने वह आदर अब खो दिया है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : नहीं महोदय, उनके लिए तो मैंने अपना आदर नहीं खोया है, हालांकि अन्य बहुत लोगों के बारे में मैंने इसे खो दिया है। मेरा ख्याल है कि वे, अथवा दल या उनकी सरकार इसे 'असत्यमेव जयते' के रूप में परिवर्तित करने के मूड में हैं आज उनकी बात सुनकर मुझे अफसोस है और मैं बेचैनी का अनुभव करता हूं कि उनकी भूमिका यह कहने की है : अश्वत्थामो हतः आज उनका यह कार्य-निष्पादन रहा है। मेरे अच्छे मित्र अब्दुल रहमान अन्तुले 'इम्मैकुलेट मेरी' या एक 'ग्रेड एन्जेल' ही सकते हैं लेकिन हाल के कुछ हफ्तों में देश में कुछ नई बातें हुई हैं—एक जिम्मेदार आदमी, जो देश के एक मुख्य राज्य में एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन है, को प्रधान मन्त्री के नाम में मुख्य मन्त्री के शक्तिशाली कार्यालय का दुरुपयोग करते, संविधान के साथ धोखा करते और भारत की संचित निधि को नुकसान पहुंचाते पाया गया है। (व्यवधान) यह भारत के संविधान के साथ धोखा है। देश के साथ जो कुछ घटा है, वह भारी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की कार्यवाही है और इस महापुरुष अब्दुल रहमान अन्तुले का नाम बन गया है। (व्यवधान)**

श्री सी० पी० एन० सिंह : महोदय, यह शब्द कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)** जब मैं बोल रहा हूं, तो यह आशा की जाती है कि आप बैठ जाएं।···(व्यवधान)** कृपया आप बैठ जाएं। मैं बोल रहा हूं, कृपया बैठ जाएं।···(व्यवधान)** जो भी संसदीय पद्धति अपनाई जानी है, वह नियमों के अनुसार ही अपनाई जाएगी, और जो बात नियमों के विरुद्ध होगी, उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि बोलते समय वे अपनी बात पर नियन्त्रण रखें और मैं श्री उन्नीकृष्णन से यह अनुरोध करता हूं कि वे नियमों का ध्यान रखें। जो कुछ उन्होंने कहा है, उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं इसे कह चुका हूं। (व्यवधान)

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उन्नीकृष्णन द्वारा दिए गए नामों की ओर दिलाना चाहता हूं—

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा, मैं आपको बता चुका हूं। आप इसे बार-बार दोहराना क्यों चाहते हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं जो कुछ कहने का प्रयास कर रहा था, वह यह था कि एक शब्द है जो ·····कहलाता है और एक एक शब्द अन्तुले है । इससे अधिक कुछ नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : जो कुछ उन्होंने कहा है, वह असंसदीय है । वह शब्द असंसदीय है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । **(व्यवधान)** श्री उन्नीकृष्ण, अपने मुद्दे पर आइए । हमें सकारात्मक होना चाहिए ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे भूले हुए व्यक्तियों के बीते हुए दिनों में हमने कुछ मानक अपनाये थे । दिनांक 29 अक्टूबर, 1964 को भारत सरकार ने केन्द्रीय और राज्य मन्त्रियों के आचरण-संहिता प्रकाशित की थी । मैं संक्षेप में केवल उसका पैरा 3 उद्धृत करना चाहूंगा :

> "कोई भी मन्त्री (क) स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से राजनीतिक, धर्मार्थ या अन्य किसी भी प्रयोजन से दान स्वीकार नहीं करेगा। यदि उसे किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा राजनीतिक दल के मान्यता प्राप्त किसी संस्था के लिए पर्स या चैक भेंट किया जाता है, तो वह इसे यथासंभव शीघ्र ही उस संगठन को भेज देगा, जिसके लिए यह निर्दिष्ट है ।"

यह दिनांक 29 अक्टूबर, 1964 की बात है ।

महोदय, अब न केवल उन मानकों को ही भुला दिया गया है, बल्कि राज्य में सरकार का कार्यव्यापार गुल-गपाड़े से चल रहा है । एक मुख्य मन्त्री, जिसे जनहित का अभिरक्षक निहित समझा जाता है यदि वह ही उसे नुकसान पहुंचाता है और अपने प्राधिकारों तथा शक्ति का कुछ

निहित और** स्वार्थ में जनता के हित की उपेक्षा करते हुए भारी दुरुपयोग करता है, जैसा कि यहां प्रोत्साहन दिया गया है और उसे अदण्डित छोड़ दिया गया है। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं आपको नाम से नहीं पुकारूंगा, क्योंकि यह असंसदीय है। अतः मैं आपको किसी अन्य नाम से पुकारूंगा। (व्यवधान)

श्री के० पी० एन० सिंह : हम सब जानते हैं कि आप क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन शब्दों को कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मेरे विचार से श्री उन्नीकृष्णन आप कृपया व्यक्तित्वों के बारे बातचीत न करें। यह बहुत बुरी बात है। (व्यवधान)

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : इसे कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही वृतान्त का हिस्सा नहीं है—केवल अन्य सामग्री।(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : केन्द्र और राज्यों में अन्य ऐसे हैं जिनका सौभाग्य से पता नहीं चलता है और कुछ अन्य ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि चीनी अथवा खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात करने में एक मीट्रिक टन पर एक हजार रुपये का कमीशन ले रहे हैं—जिनके बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे। (व्यवधान)

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। हम यहां पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और हम यहां पर वाद-विवाद और चर्चा नहीं कर रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न किए जायें यह नियमों में बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। (व्यवधान) स्पष्टीकरण के रूप में प्रश्न अथवा ध्यानाकर्षण गृहीत नोटिस की विषय वस्तु तक सीमित होने चाहिए। मेरा निवेदन है कि गृहीत नोटिस भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं के लिए छूट देने के बारे में है। यह इसी में सीमित होनी चाहिए। आप विश्व में घटित हो रही प्रत्येक बात पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इन बातों को ध्यान में रखें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं अपनी बात को आगे प्रमाणित करने के लिए यही कर रहा

**अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

था। बहुत से लोगों ने बहुत से मामलों को उठाया था। मैं उन पर आज चर्चा नहीं करूंगा। (व्यवधान) उनमें 'मांसाहारी' भी और 'शाकाहारी' भी हैं और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बड़े पैमाने पर धन बंटोरते हैं जैसाकि इस मामले में है और ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ी धनराशि के लिए प्रत्येक जेब को काटते हैं। (व्यवधान) हम इस समय महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री की गतिविधियों में रुचि रखते हैं और इसके परिणामस्वरूप भारत की संचित निधि के लिए···एक मुख्य मन्त्री 18 नवम्बर, 1980 को एक ट्रस्ट पंजीकरण कराते हैं अब यह शुद्धि करके 18 अक्तूबर, 1980 किया गया है—वित्त मन्त्री द्वारा की गई एक महत्त्वपूर्ण शुद्धि—और इसे 'इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान' का नाम देते हैं और अब यह दोबारा इन्कार किया गया है कि प्रधान मन्त्री ने इसका उद्घाटन नहीं किया था हांलाकि समस्त प्रेस ने और सर्वत्र यह सूचित किया गया था यदि मुझे ठीक से याद है तो आकाशवाणी से भी समाचार दिया गया था कि महाराष्ट्र बम्बई में राजभवन में एक समारोह हुआ था और प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने प्रतिभा प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया था।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसके अतिरिक्त ट्रस्ट को एक पब्लिक ट्रस्ट अथवा सरकार द्वारा जारी किए गए एक ट्रस्ट का रूप दिया गया है जबकि मुख्य मन्त्री एक सार्वजनिक प्राधिकरण के सामने शपथ लेते हैं कि वह ट्रस्ट पत्र के अन्तर्गत ट्रस्ट के व्यवस्थापक हैं जबकि अब्दुल रहमान अंतुले ने वास्तव में स्वयं को एकमात्र संचालक बना लिया है और ट्रस्ट दस्तावेजों के विभिन्न तरीकों के जरिए ट्रस्टियों से इसके वितरण की शक्तियां ले ली हैं तथा लाखों सम्पन्न व्यापारियों और संकटग्रस्त चीनी मिलों सहित गरीबों से पैसा बटोरने के सर्वेसर्वा हैं। इस सबसे बढ़कर वह महाराष्ट्र सरकार, जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, को 2 करोड़ रुपये देने के लिए कहते हैं। हमें माननीय वित्त मन्त्री द्वारा अभी-अभी बताया गया है कि बजट भाषण में इसका उल्लेख किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई विशेष दुर्विनियोग या अथवा क्या यह राशि आकस्मिकता निधि से दी गई थी? सदन को यह जानने का हकदार है। (व्यवधान) मुझे वित्त मन्त्री के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। (व्यवधान) निश्चित रूप से हम यह जानने के हकदार हैं कि क्या दान दिया गया है चाहे यह कुछ भी हो और यह ट्रस्ट किस प्रकार चलाया जाता है क्योंकि हमने इसे केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत छूट दी है। इसमें प्रधानमन्त्री की भूमिका क्या है? क्या उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया था और इसका उद्घाटन किया था? हम यह जानने के हकदार हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह हमसे सम्बन्धित नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या उन्होंने ट्रस्ट के धन का अनुसरण किया था? मैंने सोचा है कि सरकार और प्रधानमन्त्री···

अध्यक्ष महोदय : असंगत है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने सोचा है कि सरकार और प्रधानमन्त्री, यदि वे सार्वजनिक

नैतिकता को बनाये रखने में रुचि रखते हैं, सदन के सामने आयेंगे और वह अपनी स्वयं की और अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करेंगे। मैं इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के ट्रस्ट पत्र का हवाला देना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब्दुल रहमान अन्तुले—महाराष्ट्र सरकार नहीं—इस ट्रस्ट को किसी अन्य ट्रस्ट अथवा किसी अन्य संस्था में विलय कर सकते हैं। वह ट्रस्टियों को जोड़ सकते है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे संविधान में हैं। मेरे विचार से वे अधिनियम में भी हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : और इन्हें समाप्त कर सकते हैं। विभिन्न संकल्पों के जरिए इन्हें अपने नियन्त्रण में लेकर और अपने हाथ में शक्ति लेकर एकत्र की गई इस बड़ी राशि से संतुष्ट न होते हुए अब उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। हमारे वित्त मन्त्री सदैव सप्लाई प्रबन्ध के बारे में बातचीत करते हैं। मैं जानता हूं कि वह आवश्यक वस्तुओं के बारे में अत्यन्त चिंतित हैं। इस सप्लाई व्यवस्था को महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री गत कई महीनों से अदण्डित होकर चला रहे हैं और अब वह आकर कहते हैं कि 460 प्रदाताओं में से केवल 12 प्रदाताओं ने दिये हैं। अब मैं प्रत्यारोप लगाऊंगा कि यदि मैं इस ओर से रसीदों और अलग-अलग व्यक्तियों के नाम और प्रदाताओं के नाम और एक तुलनात्मक सूची पेश करूं तो क्या वह एक संसदीय जांच के लिए तैयार होंगे ? क्या वह जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक कमीशन को गठित करने के लिए तैयार होंगे ? यह आवश्यक वस्तु के बारे में है जिसकी काला बाजारी करने पर दो वर्ष तक सजा योग्य एक दण्डनीय अपराध है।

अध्यक्ष महोदय : भाषण जारी रखें। बात कह दी गई है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जो बात कही गई है मैं आशा करता हूं कि आप उस बात को समझते हैं। जो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इस मामले में जांच स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भाषण जारी रखें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसने प्रायः नीलामी का रूप ले लिया है और एक अन्य ट्रस्ट है जो औद्योगिक अल्कोहल बेचने की गतिविधियों में स्वयं सम्बद्ध है। आप जानते हैं कि केरल और तमिलनाडु में क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप उन्हें इस बात में शामिल न करें। आप उन बातों को नहीं ला सकते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप समय की बर्बादी कर रहे हैं···(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुझे बोलने से मना करने का कार्य अध्यक्ष महोदय का है।

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

कृपया कुछ तो सीखें। मैंने अभी तक···नहीं लिया है। (व्यवधान) केरल और तमिलनाडु में स्पिरिट कांड हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : केरल का उल्लेख न करें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :···और अचानक वे गये और उन्होंने निर्णय लिया, श्री स्टीफन स्वयं केरल में गए थे और एक समिति नहीं अपितु दो आयोग नियुक्त किए गए थे। हममें से कुछ सदस्यों ने कहा था (व्यवधान) मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि धन···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें। सदन को सूचित न करें। (व्यवधान) महोदय, श्री अब्दुर रहमान ने पक्ष लिया···औद्योगिक प्रयोक्ता कोटे से औद्योगिक अल्कोहल फिर से चालू करने के लिए एक लीटर पर दो रुपये वसूल किये गये थे और यह धन क्राउन डिस्टीलरीज, मैक डोवेल्स और वरशिट, जिनसे श्री स्टीफन परिचित हैं, द्वारा चन्दे के रूप में दिया गया था। अब क्या महाराष्ट्र से केरल तक स्प्रिट और अल्कोहल को लाने ले जाने के बारे में जांच की जायेगी ? केरल और तमिलनाडु के मामले की भांति पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिए। केरल में वे दो आयोग नियुक्त कर चुके हैं। (व्यवधान) कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अब 12 करोड़ लीटर अल्कोहल बेची जा रही है और (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक वस्तु है, आवश्यक वस्तु है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : एक प्रमुख प्रश्न उत्पन्न होता है। पहले मैंने अपने भाषण में कहा था और मैंने उनसे क्षमा करने के लिए निवेदन किया था और श्री वेंकटरामन ने जो कुछ कहा था वह "अश्वाथामा हतः" के समान था। अब वह इस विवरण के दूसरे पैरा में कहते हैं कि आय-कर अधिनियम की धारा 80 (छ) के अन्तर्गत एक करदाता कुछ निधियों और धर्मार्थ संस्थाओं को दान के बारे में कटौती के लिए हकदार है। अब मैं धारा 80 (छ) को लेता हूं। मैं वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं कि धारा 80 (छ) (2) (क) के अन्तर्गत (चार) और (पांच) हैं :

(चार) में कहा गया है :

"कोई अन्य निधि अथवा कोई संस्था जिस पर यह धारा लागू होती है।"

(पांच) में कहा गया है :

"सरकार अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण जिसे किसी धर्मार्थ प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जायेगा।"

श्री वेंकटरामन, क्या यह धारा 80 छ (2) (चार) अथवा धारा 80 छ (2) (क) (पांच) है जो आकर्षक है। इस बारे में मैं वित्त मन्त्री से यह स्पष्टीकरणजानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णनन : मुझे बात पूरी कहने दें। आपने श्री शेजवलकर को 25 से 30 मिनट तक का समय दिया है।

अध्यक्ष महोदय : पहले वक्ता को हमेशा अधिक समय मिलता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कृपया इस प्रकार की धारणा न दें कि आप प्रतिबन्ध लगा रहे हैं और इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर लोगों को बोलने से मना कर रहे हैं। यह सार्वजनिक नैतिकता का एक मामला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका अर्थ बोलने से मना करना है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या श्री ए० आर० अन्तुले द्वारा संचालित यह एक सरकारी ट्रस्ट है अथवा एक प्राइवेट ट्रस्ट है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसके बाद मैं कोंकण उन्नति मित्र मंडल नामक ट्रस्ट पर आता हूँ जिसने एक गैर-सरकारी हवाई पट्टी भी शुरू कर दी है। खोली गई उस गैर-सरकारी हवाई-पट्टी के बारे में हमें श्री दंडवते बता सकेंगे। इसके दो उद्देश्य हैं। आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों में शामिल है—(क) बम्बई शहर में और न कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोंकण से आने वाले यात्रियों के लिए अस्थायी आवास उपलब्ध करना। यह ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। (ख) ऐसी अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना है जो बम्बई शहर में आवश्यक हों। वित्त मन्त्री महोदय क्या इस आयकर आयुक्त अथवा सी० बी० डी० टी० ने ट्रस्टियों अथवा ट्रस्ट को सूचित किया था कि ये ग्रामीण विकास की सही परियोजनायें नहीं हैं जिसके लिए उन्हें 97 करोड़ रुपये की रियायत दी गई है—— —97 करोड़ रुपये के कार्यक्रम अनुमोदित किए गये थे ? क्या वह तीन अन्य ट्रस्टों अथवा किसी अन्य एक का नाम बतायेंगे जिसे इस वित्तीत वर्ष के दौरान 20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अन्य एक ऐसा ट्रस्ट है जिसे गत तीन वर्षों में कार्यक्रमों के लिए लगभग 20 करोड रुपये अथवा इससे अधिक की राशि दी गई है और सी० बी० डी० टी० द्वारा अनुमोदित किया गया है ? उन्होंने कहा है कि 11 अप्रैल, 1981 के पत्र के आधार पर 35 सी० सी० ए० के अन्तर्गत आयकर आयुक्त द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है। प्रश्न यह है कि प्रदाताओं से यह धन-राशियां कर के बक्सों में आयकर भारत की संचित निधि में आनी चाहिए। ऐसे बोगस ट्रस्टों को बनाने की अनुमति देकर भारत की संचित निधि से राशि निकली है। यही स्थिति संकट ग्रस्त मिलों और पुनर्वास ऋणों के बारे में है···

अध्यक्ष महोदय : यह मात्र पुनरावृत्ति है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वे कहते हैं कि वे किसानों के हितों के मामले में रुचि लेते हैं।

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

उन्होंने अपनी किसान रैली भी की थी। क्या किसानों के साथ वर्ताव का यही तरीका है कि जब वह प्रदान नहीं कर सकते हैं···(व्यवधान)। मैं यह कहकर भाषण समाप्त करूंगा कि आप अन्तुले के साथ जो भी कार्यवाही करें वह आपका कार्य है। लेकिन शान्त होना चाहिये। यह एक छोटा मामला हो सकता है जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यदि गंगोत्री दूषित हो जाती है तो गंगा नदी शुद्ध नहीं हो सकती है। इस देश में यह हुआ है कि गंगोत्री प्रदूषित हो गई है और इस लिए गंगा का पानी साफ नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय मेरे मित्र श्री उन्नीकृष्णन वाक्पटु हैं और कोई मामला जितना कमजोर होता है उतना ही वाक्पटुता अधिक होती है।

उन्होंने कहा कि अधिकार का दुरुपयोग किया गया। मैं श्री शेजवलकर को दिए गए अपने उत्तर में पहले ही कह चुका हूं कि अधिकार का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया। अधिकार के गलत उपयोग अथवा दुरुपयोग की कोई घटना किसी के द्वारा प्रकट नहीं की गई है।

उन्होंने दूसरी बात उस आचार संहिता के बारे में कही है जो स्मरणीय पंडित जी द्वारा निर्धारित की गई थी। वास्तव में, आचार संहिता के बारे में कहा गया है कि राज्य अथवा केन्द्र के किसी मन्त्री को कोई धनराशि प्राप्त नहीं करनी चाहिए और यदि किसी संस्था की ओर से यह प्राप्त की जाती है तो इसे तत्काल उस संस्था को दे दिया जाना चाहिए। इस मामले में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि मुख्य मन्त्री ने धनराशि प्राप्त की है। सारी राशियां विभिन्न संस्थाओं को प्राप्त हुई हैं। (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह वाक्पटुता भी नहीं और तर्क भी नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : जी, यह नहीं है, जब कोई बात चुभती हो वह वाक्पटुता अथवा तर्क नहीं कहा जा सकता ? जब आप बोलते हैं तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है।

श्री उन्नीकृष्णन ने अगली बात यह कही है कि क्या वे मुख्या मन्त्री हैं अथवा उपनिवेशक। जी हां, जिस प्रकार से न्यासों का प्रायः गठन किया जाता है। कोई न कोई संस्थापक अथवा उपनिवेशक होता है। इस मामले में श्री अन्तुले संस्थापक अथवा उपनिवेशक हैं। जहां तक कानून अथवा प्रक्रिया का सम्बन्ध है यदि कोई व्यक्ति संस्थापक अथवा उपनिवेशक बनता है तो उसमें कोई दोष नहीं है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि इस मामले में उन्होंने जिन ट्रस्टियों को नामांकित किया है उनमें उच्च न्यायालय के दो वर्तमान न्यायाधीश भी हैं एक उच्च न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीश है तथा मुख्य सचिव हैं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे कौन हैं ? (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : वे न्यायाधीश अग्रवाल तथा न्यायाधीश महोदकर हैं। मेरा विचार है कि विपक्ष के लोग न्यायपालिका की बहुत प्रतिष्ठा करते हैं। जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ट्रस्टों की बात हो तो वे हंस देते हैं। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वे अतिरिक्त न्यायाधीश हैं ? (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : श्री अन्तुले के पास यह असाधारण शक्ति कही जाती है कि वह किसी भी ट्रस्ट को दूसरे के साथ विलय कर सकते हैं। श्री उन्नीकृष्णन को ट्रस्ट के दस्तावेज पढ़ लेने चाहिए थे। हर एक ट्रस्ट के दस्तावेज में ये सभी औपचारिक शर्तें रखी रहती हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री उत्तर दे रहे हैं। उन पर दया करें।

श्री आर० वेंकटरामन : उन्होंने अल्कोहल के बारे में कुछ कहा। मेरी व्यवस्था के अनुसार अल्कोहल आवश्यक नहीं है परन्तु उनके लिए यह बहुत ही जरूरी हो सकती है। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या यही उत्तर है। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : क्या मैं कोई मजाक की बात नहीं कर सकता ? यह क्या है।

श्री उन्नीकृष्णन ने निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बात उठाई है। उन्होंने 35 सी० सी० ए० के अधीन छूट दिए जाने के बारे में प्रश्न पूछा है। इस अधिनियम में एक ही बार तीन वर्षों के लिए छूट दिए जाने के लिए उपबन्ध है। निर्णय वास्तव में एक शक्ति प्राप्त समिति के स्तर पर किया जाता है। उस शक्ति प्राप्त समिति में आयकर आयुक्त होता है और एक सचिव होता है जो उस विशेष राज्य द्वारा नामित किया जाता है जिसमें समिति कार्य कर रही हो। उस समिति ने यह निर्णय किया है कि इसे तीन वर्षों के लिए छूट दी जानी चाहिए। हम इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। जब शक्ति प्राप्त समिति द्वारा अधिनियम की धारा 35 के अधीन छूट दिए जाने से इन्कार कर दिए जाने पर हमारे पास अपील की जाती है तब सरकार द्वारा उस पर विचार किया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रक्रिया क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : श्री चटर्जी यह पूछ रहे हैं कि...

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभा एवं लोगों को उसका पता लगाना चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : प्रक्रिया इस प्रकार से है। ट्रस्ट द्वारा आवेदन दिया जाता है। तब ट्रस्ट द्वारा उन सभी योजनाओं का उल्लेख किया जाता है जिनको वह ग्रामीण विकास के लिए अधि-

[श्री आर० वेंकटरामन]

नियम को धारा 35 के अनुसरण में चलाना चाहता है। तब शक्ति प्राप्त समिति द्वारा यह जांच जाती है कि क्या ये योजनायें वास्तव में ग्रामीण विकास योजनायें हैं और शत-प्रतिशत छूट हकदार हैं। यदि शक्ति प्राप्त समिति द्वारा यह निर्णय किया जाये कि वे ग्रामीण विकास योजनायें तो वह छूट के लिए सिफारिश करती हैं। यदि वह यह निर्णय करे कि वे ऐसी योजनाएं नहीं हैं तो सिफारिश नहीं करतीं। यह प्रक्रिया है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बड़ी बात है। हर समय लो कहते हैं कि आयोग बनाया जाये। किस के लिए आयोग ? प्रथम दृष्टया कोई मामला होना चाहि और इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, जब हमारे विपक्ष के मित्रों को शासन करने का अवसर मिला था तो उनके चारों ओर माया थी। अब वह सत्य को देखने की स्थिति में नहीं है इसके लिए उनको प्रायश्चित करना होगा और तपस्या करनी होगी जिससे कि वे सच्चाई को देख सकें। (व्यवधान)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति नहीं है। इसे कार्यवाह वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री जैनुल बशर : उनके भाषण राजनीति से प्रेरित हैं और चरित्र हनन की कोटि के हैं अपने ढाई वर्षों के शासन के दौरान वे श्रीमती इन्दिरा गांधी के चरित्र हनन में लगे रहे। अब भी चरित्र हनन करने में लगे हैं। उनका लक्ष्य श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। परन्तु उन्होंने उनको पीटने के लिए दूसरी छड़ी उठाई है। उनका वास्तविक उद्देश्य यह है।

वास्तव में श्री अन्तुले ने मुख्य मन्त्री का पद स्वीकार करके गलती की। उनको बिहार के श्री अब्दुल गफूर के भाग्य की याद नहीं रही। श्री अब्दुल गफूर के साथ क्या हुआ ? उनके विरु सभी आन्दोलन चलाये गये। क्यों ? श्री जयप्रकाश नारायण ने प्रमाण-पत्र दिया कि ये ईमानदा व्यक्ति हैं। परन्तु अपने दिलों की तह में विपक्ष यह नहीं चाहता था कि एक मुसलमान बिहार राज्य का मुख्य मन्त्री बने।

उपाध्यक्ष महोदय, यही श्री अन्तुले के साथ हुआ है। भाग्य अथवा दुर्भाग्य से श्री अन्तुले मुसलमान हैं और विपक्ष उनको मुख्य मन्त्री बने रहना नहीं देखना चाहता। (व्यवधान) यह श्री अंतुले को मुख्य मन्त्री पद से हटाने के लिए एक गहरी साजिश है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। शांति रखें।

श्री जैनुल बशर : यह एक नयी बात नहीं है। हमने 1975 तथा 1976 में बिहार में यह देख और अब 1981 में हम महाराष्ट्र में यह देख रहे हैं।

जहां तक ट्रस्ट का सम्बन्ध है वित्त मन्त्री द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। इस बारे में

कोई अस्पष्टता नहीं है। ट्रस्ट की स्थापना एक महान उद्देश्य से, मानव प्राणियों की सेवा के लिए, दस्तकारों की सेवाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई। ट्रस्टों में ट्रस्टियों के रूप में विख्यात व्यक्ति हैं। जैसा कि बताया जा चुका है उनमें उच्च न्यायालयों के दो वर्तमान न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय का एक भूतपूर्व न्यायाधीश है, जोकि इस सदन के भी सदस्य हैं और राज्य सभा के भी सदस्य थे। इस ट्रस्ट के वे सदस्य हैं। इस प्रकार के व्यक्ति उस धन का दुरुपयोग नहीं कर सकते। जब न्यायाधीश, विख्यात व्यक्ति, ट्रस्टी हों, तो यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे धन का दुरुपयोग करेंगे अथवा श्री अन्तुले उस धन का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करेंगे ? इसकी आशा नहीं की जा सकती।

इसी प्रकार वे सीमेंट वितरण और सहकारिताओं से प्राप्त दान की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रत्येक मुख्य मन्त्री ने—श्री चव्हाण यहां पर नहीं हैं वे मेरे से सहमत होंगे—दान इकट्ठा किया है। सचिवालय अथवा मंत्रालय में केवल 262 व्यक्तियों को सीमेंट का आवंटन किया गया और उनमें से केवल 12 व्यक्तियों ने पैसा दिया है। तब यह शोर किस लिए है ?

एक माननीय सदस्य : 400 व्यक्ति।

श्री जैनुल बशर : 400 अथवा 500 हो सकते हैं परन्तु केवल 12 व्यक्तियों ने पैसा दिया है। महाराष्ट्र सहकारी समितियों में एक परम्परा है। समितियों के सदस्य ट्रस्टों अथवा उचित उद्देश्यों के लिए पैसा देते हैं। अब भी उन्होंने ऐसा किया है। श्री पवार ने भी इसी प्रकार से पैसा इकट्ठा किया है। महाराष्ट्र के अन्य मुख्य मंत्रियों ने भी इसी ढंग से पैसा इकट्ठा किया है।

जनता शासन के दौरान इकट्ठा किये गये पैसे का क्या हुआ ? मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसकी जांच की है। किसान ट्रस्ट क्या है ? समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ—मैंने उन दिनों में पढ़ा था कि 15 लाख रुपये इकट्ठा किये गये थे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : 77 लाख रुपये।

श्री जैनुल बशर : हां, 77 लाख रुपये, मैं गलती पर था। 77 लाख रुपये इकट्ठा किये गये और केवल 50 लाख रुपये जमा किये गये और वह भी एक व्यक्ति के नाम पर।

श्री रशीद मसूद : महोदय·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम है। आप बाद में उनको उत्तर दे सकते हैं।

श्री जैनुल बशर : 50 लाख रुपये किसी ट्रस्ट अथवा किसी समिति के नाम में जमा नहीं किए गए। वह पैसा एक व्यक्ति के नाम में जमा कराया गया—मैं उस नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति जानता है। (**व्यवधान**) वह व्यक्ति श्री चरण सिंह हैं। उस 25 लाख रुपये का क्या हुआ

[श्री जैनुल बशर]

जो आज तक जमा नहीं कराया गया है ? मुझे पता है कि जो 25 लाख रुपये जमा नहीं कराए गए वह कहां से आए थे । उनका ब्यौरा इस प्रकार से है :

हिसार

जिन्दल, हिसार एण्ड वाईन कान्ट्रैक्टर्स	1,50,000/-रु०
(i) राव लावासिया आयल मिल, हिसार ।	इनमें से तीनों से 1700/-प्रति मिल
(ii) नव भारत उद्योग, हिसार,	इस धमकी के द्वारा लिया गया कि
(iii) हरियाणा आयल एण्ड जनरल मिल, हिसार ।	यदि उन्होंने यह पैसा नहीं दिया तो उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे चलाए जायेंगे ।

अम्बाला

(1) गाबा आयरन स्टोर्स, यमुनानगर	2,000/-रु०
(2) श्री राजकुमार, I-2, रेलवे स्टेशन, यमुनानगर द्वारा श्री जोगेन्दर सिंह आयकर अधिकारी, अम्बाला	2,000/-रु०
(3) श्री रत्न सिंह डेरी, I-2, सामने, पुलिस स्टेशन, जगाधरी	1500/-
(4) अलग-अलग डीलरों से	8,000/-रु० 25,000/-रु० 20,000/-रु० 700/-रु०
(5) श्री जंगशेर सिंह मलिक, खंड विकास अधिकारी, बरारा जिला अम्बाला	8,000/-रु० उनका स्थानांतरण रद्द कराने के लिए
(6) यमुनानगर के शराब ठेकेदार से	5,000/-रु०
(7) सरल कुमार, रेलवे आउट एजेन्सी, जगाधरी	80,000/-रु० उनका स्थानांतरण रद्द कराने के लिए

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह अब सही प्रश्न पर बोलने जा रहे हैं । वह भूमिका तैयार कर रहे हैं। कोई नहीं बैठ रहा । एक घंटे से भी अधिक समय बीत चुका है ।

श्री जैनुल बशर (कुरुक्षेत्र) :

श्री बावा सिंह, देशी शराब विक्रेता, कैथल	6,000/-रु०
श्री धर्म सिंह, निरीक्षक, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, कैथल	1,000/-रु०
(1) श्री प्रेमचन्द शेरावाला, कैथल	500/-रु०
(2) श्री सुरेश कुमार शेरावाला, कैथल	100/-रु०

सभी नाम इसमें दिये गये हैं। मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता। 25,00,000/-रुपये एकत्रित किए गए हैं। विरोधी दलों के सदस्य यह पता लगायें कि ये 25 लाख रुपये कहां गए ? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने किसान ट्रस्ट के मामले में जांच करवायी है ? क्या जिस व्यक्ति के नाम में 50 लाख रुपये जमा किए गए हैं उसके नाम आयकर को नोटिस दिया गया है ? क्या उस धनराशि में से कोई आयकर लिया गया है ? क्या उस धनराशि से कोई सम्पत्ति कर लिया गया है ? क्या जांच की गई है ? वित्त मन्त्री कृपया पूर्ण ब्यौरा दें।

दीन दयाल उपाध्याय संस्थान की स्थापना की गई है। जिन्होंने ये ट्रस्ट खोला है वे राजनैतिक व्यक्ति हैं। ग्रामीण विकास के लिए धनराशि एकत्रित की गई है। यह धनराशि कैसे एकत्रित की गई ? यह सब हम जानते है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं किस प्रकार एक व्यक्ति ने जिसका नागरिक आपूर्ति मंत्री के उस ग्रुप से जुड़ा है, किस प्रकार धनराशि एकत्रित की है ? दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट के लिए धनराशि दिल्ली में एकत्रित की गई। इसके लिए बहुत से भ्रष्ट तरीके अपनाए गए। फंड लिया गया। धनराशि एकत्रित की गई। यह सही है कि वह धनराशि किसी एक व्यक्ति के नाम जमा नहीं की गई। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री जैनुल बशर : मैं मन्त्री जी से दीनदयाल उपाध्याय संस्थान के बारे में जानना चाहता हूं। क्या ट्रस्ट को आयकर की छूट दी गई है ? क्या आयकर प्राधिकारियों ने आय के स्रोतों का पता लगाया है ? क्या मन्त्री महोदय इन सब बातों के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे ?

हमेशा यह प्रथा रही है। श्री चन्द्रभानु गुप्ता ने अपने जन्म दिन पर लाखों रुपये एकत्रित किए ? परन्तु मुझे नहीं पता कि आयकर या वित्त विभाग ने इस मामले की जांच की है या नहीं और इस मामले का क्या हुआ ?

व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों से, नेताओं ने हमेशा धन एकत्रित किया है। श्री वाजपेई आजकल क्या कर रहे हैं ? क्या वे दिल्ली से बाहर हैं—मैं जानता हूं कि वह भाग्यशाली व्यक्ति हैं—उन्हें हमेशा थैलियां मिलती हैं। वह थैली प्राप्त करने में माहिर हैं। जब उन्हें मैं सभा में नहीं पाता तो समझ लेता हूं कि वे कहीं थैली लेने गए हैं। यह धन कहां से आता है ? क्या व्यापारी यह धन स्वयं देते हैं ? इस सम्बन्ध में मैं कुछ ब्यौरा देना चाहता हूं।

श्री आर० के० महालगी : क्या यह बात संगत है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं और एक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : 14 अप्रैल, 1981 को फिरोजशाह कोटला मैदान में श्री वाजपेयी को एक लाख रुपये की थैली भेंट की गई। यह धन कहां से आया था इस बारे में मेरे पास कुछ जानकारी है।

निम्नलिखित व्यक्तियों ने यह धन दिया था :—

लक्ष्मीनारायण पोद्दार, भूतपूर्व-प्रेसीडेंट ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, नया बाजार दिल्ली।

कैप्टन वासुदेव, खाद्यान के थोक व्यापारी, नया बाजार, दिल्ली।

श्री राम भगत, खाद्यान्न के थोक व्यापारी नया बाजार, दिल्ली।

श्री टीकम चन्द, खाद्यान्न के थोक व्यापारी।

श्री मंगल चन्द गुप्ता, ताले वाले,

श्री जय नारायण खंडेलवाल, सर्राफ, चांदनी चौक,दिल्ली।

श्री पन्नालाल, किराना व्यापारी, नया बांस

श्री भूपिन्द्र नाथ, मेवा व्यापारी, गडोदिया मार्केट।

श्री मदन लाल अनाजवाला, नया बाजार, दिल्ली

उन्होंने किसी व्यक्ति, एसोसिएशन या व्यापार को नहीं छोड़ा। यह भी पता चला है कि भूमि के घोटाले से सम्बन्धित श्री एम० एल० कुमार ने व्यक्तिगत तौर पर पांच लाख रुपये दिए हैं।

यह धन कहां से आया ? क्या वित्त मन्त्री इस बात की जांच करेंगे कि यह धन कहां से प्राप्त हुआ ? मैं ब्यौरा प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या वे जांच कराएंगे ? (व्यवधान) यदि वे दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकते हैं तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वे स्वयं शीशे के मकानों से रह रहे हैं।

वैद्यलिंगम समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ ? जनता शासन के दौरान क्या हुआ ? हमने उनकी तरह जांच आयोग नहीं बैठाया।

एक माननीय सदस्य : आप ऐसा क्यों नहीं करते ?

श्री जैनुल बशर : क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा शरीफ आदमी हैं।

मैं उनसे खुश नहीं हूं। वैद्यलिंगम रिपोर्ट पर इस सभा में चर्चा नहीं हुई। यह समिति हमारी सरकार ने नियुक्त नहीं की थी। इस समिति की नियुक्ति स्वयं जनता सरकार ने की थी। उस समिति के निष्कर्ष क्या थे, यह हमें सब मालूम है। दो भूतपूर्व प्रधान मन्त्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही ?

डा० सुब्रमण्यम स्वामी : मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो जाए। चर्चा के लिए मैंने कई बार कहा है। परन्तु मन्त्री जी ने चर्चा के लिए इन्कार कर दिया है। आप गलत कह रहे हैं। आप ऐसी बातों के लिए अनुमति क्यों दे रहे हैं ?

श्री जैनुल बशर : मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री भगवत झा आजाद : महोदय, कृपया चर्चा के लिए माननीय सदस्य के अनुरोध पर विचार किया जाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मन्त्री जी को मैंने कई बार कहा है। वे केवल मुस्करा देते हैं और वे कुछ नहीं करते।

श्री जैनुल बशर : मैं वैद्यलिंगम रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करता हूं। यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिए। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को चर्चा में पूरा मौका दिया जाएगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : असंगत विषय यहां प्रस्तुत न करें। यह सब कुछ असंगत है।

श्री जैनुल बशर : यह असंगत नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप संसद में चर्चा करना चाहते हैं। आपकी सरकार चर्चा से कतराती है।

श्री जैनुल बशर : मैं यह जानना चाहता हूं कि वैद्यलिंगम समिति की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर सभा में चर्चा की जाएगी कि नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं, विशेषकर मंत्री जी से, कि क्या रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के मामले में जो कुछ हुआ था वह सब जानते है। समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि उन्होंने बहुत बडी धनराशि एकत्रित करके विदेशों में एक बैंक में जमा की है।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्हें ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। जोकि इस सभा का सदस्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड की जांच नहीं करूंगा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया गया है। जो इस सभा का सदस्य नहीं है, तो मैं रिकार्ड की जांच करूंगा।

श्री जैनुल बशर : मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने नैपाल में 40 करोड़ रुपये जमा किए हैं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि कथित वर्तमान सदस्यों, जो धन एकत्रित किए जाने के लिए इतने उत्तेजित हो रहे हैं, ने उस वक्त कोई कार्यवाही नहीं कि जब वे सत्ता में थे। वास्तव में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है परन्तु मैं वित्त मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे बिहार के मुख्य मन्त्री, जिन्होंने नेपाल में एक विदेशी बैंक में 40 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई थी, वे मामले की कोई जांच करवा रहे हैं क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्हें चर्चा में नैपाल का नाम नहीं लेना चाहिए। (व्यवधान)

मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन मामलों की जांच कारवाई की जा रही है। ये मेरे प्रश्न हैं। मुझे गलत मत समझना। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के मामले का क्या रहा ?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख न करें जो इस सभा का सदस्य नही है।

श्री जैनुल बशर : उन्होंने नाम लिया है। मैं नाम क्यों नहीं लूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नाम न लें।

श्री जैनुल बशर : नाम क्यों नहीं लें ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह नियम है। यदि कोई व्यक्ति सभा का सदस्य नहीं है तो उसके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

श्री जैनुल बशर : हमें दिल्ली के भूतपूर्व महापौर के बारे में रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में ट्रस्ट खोल रखे हैं उन ट्रस्टों के क्रियाकलापों के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। वे कदाचार में लिप्त हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उनके कार्यों की जांच कराएंगे। और मुझे पता लगा है कि इनके विरुद्ध कुछ विशिष्ट आरोप सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल और केरल में क्या हो रहा है ? पश्चिम बंगाल में बिस्कुट कांड क्या है ? मुझे यह सब बातें बताई जाएं। पश्चिम बंगाल में परमिट जारी करने, लाइसेंस मंजूर करने के लिए और काम के बदले अनाज कार्यक्रम में करोड़ों रुपये एकत्रित किए जा रहे हैं. वे बुरी तरह कदाचार में लिप्त हैं। (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं माननीय सदस्य की बात का समर्थन करता हूं। हां तुम ठीक कह रहे हो। मैं इसका समर्थन करता हूं। गनी खान चौधरी यह कर चुके हैं ?

श्री जैनुल बशर : एक साम्यवादी मन्त्री है जिनका पुत्र उद्योगपति बनने वाला है। वैसे मुझे पूरा मालूम नहीं है परन्तु वह दुर्गापुर में बिस्कुट का कारखाना लगाने वाला है। उसे क्या हुआ है ? वे यह सब बातें भूल रहे हैं। करोड़ों रुपये इकट्ठे किये जा रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगता हूं··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय कृपया शांत रहिए। (**व्यवधान**) इनको कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये। (**व्यवधान**)* कृपया शांत रहिये। श्री जैनुल बशर अपने प्रश्न समाप्त कीजिए।

श्री जैनुल बशर : ये सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा हैं। (**व्यवधान**)*

श्री जैनुल बशर : महोदय आपके राज्य, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा करोड़ों रुपये इकट्ठे किये जा रहे हैं, इस बारे में मुझसे अधिक जानते हैं, श्री दंडपाणि इसे भली-भांति जानते हैं। तमिलनाडु में जो करोड़ों रुपये इकट्ठे किए जा रहे हैं। उनका क्या हो रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : नियम 376 के अन्तर्गत उन्होंने जो कुछ उल्लेख किया है वह इस ध्यानाकर्षण से संगत नहीं है। उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। जिस मामले का उन्होंने उल्लेख किया है और जो इस ध्यानाकर्षण से सम्बन्धित नहीं है उसे निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसका ध्यान रखूंगा। मुझे नियमों की जानकारी है। मैं नियमों के अनुसार सभा की कार्यवाही चला रहा हूं। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। नियमों का पालन किया जाना चाहिए (**व्यवधान**) जी हां, नियमों का पालन किया जाना चाहिए। हम नियमों के अनुसार सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं। नियमों का पालन किया जायेगा। आपने कुछ भी कहा हां, नियमों का पालन किया जायेगा।

श्री जैनुल बशर : महोदय, तमिलनाडु के बारे में क्या है? आप ज्यादा जानते हैं, और श्री दंडपाणि ज्यादा जानते हैं। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा करोड़ों रुपये इकट्ठे किये जा रहे हैं और हम सभी स्पिरिट कांड के बारे में जानते है। केरल सरकार भी इसमें शामिल हो रही है। इन मामलों में

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

[श्री जैनुल बशर]

केन्द्रीय जांच का वे क्यों विरोध कर रहे हैं ?···(व्यवधान)यदि वे दोषी नहीं हैं और यदि वे निश्छल हैं तो वे केन्द्रीय जांच स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम यहां सभी राज्य सरकारों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) कृपया अपना प्रश्न पूछिये और इसको पूरा कीजिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। कृपया शांत रहिए।

श्री जैनुल बशर : मेरे पास यहां बहुत से मामले हैं तथा मैं नाम नहीं लेना चाहता। वे बेमतलब नाराज हो रहे हैं। यह मेरा सार्वजनिक कर्तव्य है । मैं इस गरिमायुक्त सभा के लिए वैसे ही चुना गया हूँ जैसे वे चुने गये हैं और उनसे पूछना तथा उन व्यक्तियों के नाम बताना मेरा सार्वजनिक कर्तव्य है जो इन भ्रष्ट कार्यों में शामिल हैं, चाहे पहले थे या अब हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह मंत्री से प्रश्न कर रहे हैं । यदि वह किसी उठाये गये मामले का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उनको उत्तर देने की जरूरत नहीं है···(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा नियम 353 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है आप कृपया बैठ जाइये। माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूरा करें।

श्री जैनुल बशर : श्री हरिकेश बहादुर क्षुब्ध क्यों हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपकी आलोचना की जाती है तो अगला व्यक्ति उत्तर दे सकता है···(व्यवधान) श्री बशर, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ, कृपया अपनी बात पूरी करिए···(व्यवधान) वह अपनी बात पूरी करने जा रहे हैं···(व्यवधान) कृपया बैठ जाइये।

श्री जैनुल बशर : श्री हरिकेश जी, आप इतने क्षुब्ध क्यों हैं ? मैंने श्री बहुगुणा का नाम नहीं लिया है, यद्यपि उन्होंने बहुत बड़ी धनराशि एकत्र की है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न रखिए और इसे समाप्त कीजिए। आपने अधिक समय ले लिया है।

श्री जैनुल बशर : महोदय, अब समय आ गया है कि इसे यहां लाया जाये···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय क्या उनके भाषण में कुछ भी संगत है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण पूरा कीजिए···(व्यवधान) कृपया शांत रहिए। वह अपना भाषण पूरा कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइये। इसे और मत बिगाड़िए।···

श्री जैनुल बशर : पिछले डेढ़ वर्षों से···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अपना प्रश्न पूरा कर रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : महोदय, जब वे बोल रहे थे तब हम धैर्य रखे हुए थे परन्तु जब हम बोलते हैं तो वे धैर्य नहीं रखते···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह उत्तर देना मंत्री का काम है, चाहे संगत हो या असंगत । आपको उत्तर नहीं देना है । उनको उत्तर देना है ।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण । कृपया शांत रहिये । हम कितना समय ले रहे हैं ? वह 20 मिनट लेते हैं । एक और सदस्य 25 मिनट ले लेते हैं और अन्य सदस्य 35 मिनट ले लेते हैं ।...व्यवधान यदि हम नियमानुसार सभा का कार्य चलायें तो कुछ नहीं होगा...यही कठिनाई है...(व्यवधान) यह उनका अधिकार है । उनका नाम बैलट में आया है । श्री बशर, आप अपना प्रश्न पूरा कीजिए । आप सभी बैठ जाइये । वह अपना प्रश्न पूरा करने जा रहे हैं । यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

श्री हरिकेश बहादुर : खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम यहां नहीं है । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित न करें ।.. (व्यवधान)** मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । सभा का समय बर्बाद न करें ।

श्री जैनुल बशर : गत डेढ़ वर्षों से वे किसी कांड की तलाश कर रहे थे । उनका सरकार के पास कोई कांड नहीं मिल रहा था । (व्यवधान) अब वे अन्तुले की गतिविधियों को लेकर आये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । (व्यवधान)** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें । केवल उनका भाषण ही कार्यवाही-वृत्तान्त में जायेगा । कृपया अपना प्रश्न पूरा कीजिये ।

श्री जैनुल बशर : मेरा प्रश्न यह है...

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । कृपया अपने प्रश्न कीजिए ।

श्री जैनुल बशर : मैं प्रश्नों पर आ रहा हूं । महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार धन के स्त्रोतों की जांच करेगी...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये । मुझे नियमों की जानकारी है । मैं नियमानुसार सभा की कार्यवाही का संचालन करूंगा । मैं नियमों का अभिरक्षक हूं । मैं नियमानुसार संचालन करूंगा । श्री बशर, आप जारी रखिए ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री जैनुल बशर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जांच करेगी (व्यवधान) मुझे आशा है कि वित्त मंत्री मुझे सुन रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसान ट्रस्ट, दीन दयाल उपाध्याय ट्रस्ट सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा स्थापित तथा संचालित सभी ट्रस्टों को प्राप्त हुए धन के स्रोतों की जांच करेगी, मेरे अन्य प्रश्न ये हैं : क्या सरकार वेंचलिंगम समिति के प्रतिवेदन पर गौर करेगी ? इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

क्या सरकार मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री सकलेचा द्वारा एकत्रित धन, जो उन्होंने विदेश के किसी बैंक में जमा कराया है, मैं स्रोत के बारे में जांच करेगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अनुमति क्यों देते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह संगत नहीं है तो मंत्री उत्तर नहीं देंगे। प्रत्येक व्यक्ति संगत बात बोलता है।

अब आप अपना प्रश्न कीजिए। आपको अब भूख भी लग रही होगी।

श्री जैनुल बशर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चरणसिंह किसान रैली के लिये एकत्र किये गये धन की जांच करेगी (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह संगत है तो वह उत्तर देंगे ?

श्री जैनुल बशर : क्या इस मामले में कार्यवाही की गई है अथवा नहीं क्या आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ की गई है या नहीं ;

क्या सरकार दीन दयाल उपाध्याय संस्थान को प्राप्त तथा राजनीतिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त धन की जांच करेगी ? महोदय धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री उत्तर देंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य, श्री बशर मंत्री बनने योग्य हो गये हैं। उन्होंने कोई प्रश्न पूछने के बजाय जानकारी अधिक दी है। प्रश्न पूछना सदस्य का अधिकार अथवा विशेषाधिकार है तथा उसका उत्तर देना मंत्री का कर्तव्य। उन्होंने बहुत अधिक जानकारी दी है। उन्होंने जो मामले उठाये हैं उन सभी पर बोलना मेरे लिये उचित नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जो एक विशेष विषय से सम्बन्धित है और जिस पर ध्यानाकर्षण सूचना दी गई है। यदि वह चाहें तो यह प्रत्येक माननीय सदस्य का अधिकार है कि वह उचित ढंग से कोई प्रश्न करें। उनको प्रक्रिया का पालन करना होगा। हम जानकारी एकत्र करके उसे दे देंगे। जहां तक इसका सम्बन्ध है, जैसाकि मैं बार-बार कह चुका हूं इस प्रक्रिया में कोई कु-संचालन अथवा कोई त्रुटि नहीं छुटी है। मैंने यही दोहराया है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, सभापति के रूप में आप प्रक्रिया जानते हैं। यदि यह असंसदीय है तो इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया शांत रहिये। मेरी अनुमति बिना कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्री रशीद मसूद।

श्री रशीद मसूद : गुलिस्तां के माली की हालत तो देखो,
गुलिस्तां को फूंके हैं ये पार्टी पर।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जब सुन रहा था तो मुझे अफसोस हो रहा था कि आज के दौर में ग्राम समाज का एक साधारण मेम्बर भी इस बात को जानता है कि जो एजेन्डा हो उसके मुताबिक बोलना चाहिए लेकिन एजेन्डा के मुताबिक जो बोलना नहीं जानते उनको भी मिनिस्ट्री के लिए क्वालीफाइट बता दिया जाता है। जिस मिनिस्ट्री का यह आलम होगा उसमें मुल्क में क्या नहीं होगा, अन्तुले साहब जो कर रहे हैं उसका तो कहना ही क्या है ?

डिप्टी स्पीकर साहब, केवल इसके कि मैं कोई रेलिवेन्ट बात कहूं, न कुछ इरेलिवेन्ट बातों का जवाब दे देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं भी किसान ट्रस्ट का मेम्बर हूं और उस हैसियत से मुझे पता है कि हमने 77 लाख रुपया बैंक में डिपाजिट किया। मैं जहां पर चैलेंज करता हूं कि अगर जैनन बशर साहब का स्टेमेन्ट सही है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर स्टेटमेन्ट सही नहीं है तो वे इस्तीफा दे देंगे। (व्यवधान) यहां पर आपकी मेजारिटी है इसलिए आप जो भी कहना चाहेंगे वह कहेंगे –यह नहीं चलेगा। आपको यहां पर जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहनी चाहिए क्योंकि आप एक पार्लमेन्ट के मेम्बर हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास नोट बनाकर भेज दिया मिनिस्टर ने और आपने उसको पढ़ दिया – यह निहायत अफसोस की बात है। (व्यवधान) हमारा एतराज इस बात पर है कि जो ट्रस्ट फार्म किए गए हैं उनके लिए मौके का नाजायज फायदा उठाकर रुपया इकट्ठा किया गया है और इस सिलसिले में उधर के मेम्बरों ने कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने वही बात कही कि चूंकि जनता वालों ने गलत काम किया था (हालांकि इसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं) इसलिए उनको भी लाइसेंस मिल जाता है कि गलत काम करें। (व्यवधान) मैं चार्ज करता हूं इस गवर्नमेन्ट को कि इसमें खाली अन्तुले की ही बात नहीं है, इसमें मिसेज इन्दिरा गांधी और फाइनेन्स मिनिस्टर भी हैं (व्यवधान)...हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ब्लैक मनी को व्हाइट करने में बड़े माहिर हैं और हम देखते हैं कि यहां भी उनकी एक साजिश है ब्लैक मनी को व्हाइट करने की... (व्यवधान) अगर ऐसी बात नहीं है तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बतलायें 53,000 टन सीमेन्ट क्वाटर्ली से घटकर 21,670 टन सीमेन्ट महाराष्ट्र में क्यों रह गया ?

दूसरी बात यह है कि यह जो सीमेंट के परमिट दिये गये हैं वह किन-किन फर्मों और किन किन लोगों को दिए गए हैं और उनसे कितना कितना पैसा वसूल किया गया है– इस बात को मन्त्री भी बतायें। इसी एक बात से पता चल जायेगा कि मिनिस्ट्री का गलत इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है।

[श्री रशीद मसूद]

अभी आज जो बयान आया है एक मिनिस्टर का, जिनको कि निकाल दिया गया है क्योंकि सच बोलना गुनाह है उसमें उन्होंने कहा है कि वे समझ रही थीं कि ट्रस्ट जो बन रहा है वह गवर्नमेन्ट ट्रस्ट बन रहा है। इस सिलसिले में मैं दरख्वास्त करूंगा कि इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन (415) है उसको आप देख लें :

"जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या वह सम्पत्ति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक, ख्याति सम्बन्धी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी सम्भाव्य है, वह "छल" करता है, यह कहा जाता है।"

तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस सार के अर्थात अन्तर्गत प्रवंचना है।

हमारे अन्तुले साहब जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को भी सही तरीके पर इन्फार्मेशन नहीं दी और उनको इस गलतफहमी में रखा कि यह जो ट्रस्ट है, यह गवर्नमेंट का ट्रस्ट बना रहे हैं। लिहाजा अन्तुले साहब के ऊपर फौरन मुकद्दमा दायर करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में टेलिग्राम का फोटो छपा था। आप इस पर मुलाहिजा फरमायें और देखें कि क्या यह एक्सटॉर्शन नहीं है तो क्या है और मैं भी फिर आप को बताऊंगा।

महाराष्ट्र सरकार को इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के बारे में आपके चैक की नितान्त आवश्यकता है और आप अब देख लें कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से यह नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है। इसके अलावा जितनी भी ऐसी चीजें थी, जिन से पैसे लिए जा सकते थे, उनको वन-बाई-वन करके मिनिस्टरों से छिन कर चीफ मिनिस्टर, श्री अन्तुले, अपने पास लेते रहे हैं।... व्यवधान).. पहले सप्लाई का पोर्ट-फोलियो अन्तुले साहब ने अपने पास लिया। उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर का कोटा था, उसको रिड्यूस कर दिया, 53 हजार से 21 हजार 670 टन क्वार्टरली। इसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज हुआ। शॉर्टेज इतनी हुई कि जो सीमेंट का बैग जिसकी कीमत 28 रु० है, यह चालीस का मिल रहा था, वह एक दम बढ़कर 125 रु० हो गया। इस प्रकार उन्होंने रुपया पर-बैग के हिसाब से लिया। जिन लोगों को दिया गया, उन लोगों से।...(व्यवधान)...तो 125 रु० बेचकर बाकी रुपया अपने पास डिपॉजिट कर लिया गया।

दूसरी तरफ एल्कोहल का भी ऐसे हुआ है...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहिले ही बहस हो चुकी है और उन्होंने उत्तर भी दे दिया है।

महाराष्ट्र में एल्कोहल जो इन्डस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है, उसका 80 फीसदी इस्तेमाल इन्डस्ट्रीज में कर दिया गया और पांच इन्डस्ट्रीज से 10 लाख रुपया लिया गया है या नहीं दिया गया है, ये हमारे मिनिस्टर साहब बतलायेंगे । इसमें से 25 लाख मीटर, जो एक कर्नाटक की फर्म है, उसको एलाट किया गया है या नहीं किया गया है । लीकर का भी यही सिलसिला हुआ है । जो उसके लाइसेंस पड़े हुए थे, उनको रोक दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा, जो ब्लैक में मिलता था, वह बढ़ सके । इस तरह से जब लोगों को डर होने लगा तो किसी ने कुछ आफर किया और किसी ने कुछ आफर किया, इस तरह से फायदा उठाकर के उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया । लीकर शाप्स वालों से भी लिया । एक पैसा प्रति लीटर के हिसाब से लिया गया । 120 मिलियन लीटर जो वहां का प्रोडक्शन था, इस हिसाब से 12 लाख रु० 19 डिस्टीलरीज से लिया गया है । लिया गया है या नहीं लिया गया है, यह तो आप बतायेंगे ?···(व्यवधान)···यह आपने आज तक सी नहीं सुना होगा । सिक मिल्स, जिनको चलाने के लिए गवर्नमेंट से पैसा लेकर चलाया जाता है । जो को-आपरेटिव्ज में थी, उनसे डोनेशन लिया गया । जिसकी डिमाण्ड 21 लाख रु० की है । उसके बारे में मन्त्री जी बतायेंगे, जिस पर झगड़ा हुआ है । वहां पर एक क्राइटेरिया बनाया गया... (व्यवधान)...इसके उपर आगे रिकवरी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे लिए जायेंगे । इसके बाद मैं अब एक लैटर कोट करना चाहता हूं: 25-7-81 को एक लैटर लिखा गया है शूगर डाइरेक्टोरेट से, जिसका न० डी० एस० फिन०/6/ए/100९/एस० ओ-81 । इसके अन्दर शूगर मिल्स को कहा गया है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे पास डिपोजिट करो और उस तरह से डिपोजिट करो जो रेट्स कोआपरेटिव ने फिक्स कर लिए हैं । मेरा कहना यह है कि इस हकूमत का, इस पार्टी का यह मिजाज बन गया है कि हिन्दुस्तान में हिन्दुओं को लड़ाओ, मुसलमानों को लड़ाओ और सिक्खों को लड़ाओ अब आप यह बताइए कि श्री जैनुल बशर ने जो कहा, उसकी क्या रेलेवेन्सी थी ···(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रशीद मसूद के कथन के अलावा और कुछ कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए ।

श्री रशीद मसूद : श्री जैनुल बशर ने कहा कि गफूर साहब के तरीके से क्योंकि वे मुसलमान हैं, उनको भी हटाना चाहिए । अभी तक बेईमान को बेईमान कहा जाता था लेकिन अब क्या है कि अगर वह बेईमान मुसलमान है, तो उसको मुसलमान का नाम लेकर डिफेन्ड किया जाता है और अगर बेईमान हिन्दू है, तो हिन्दू का नाम लेकर उसको डिफेन्ड किया जाएगा । आज जो यह गवर्नमेंट 30 साल से हुकूमत में है, यह हिन्दू और मुसलमान में नफरत पैदा कर रही है । हिन्दू के नाम पर और मुसलमानों के नाम पर यह आपस में नफरत पैदा करा रही है । अगर इस गवर्नमेंट में कोई हमदर्दी मुसलमानों के लिए होती, तो बिहार शरीफ में जो इतने मुसलमानों को जलाया गया, लूटा गया, उनके लिए कुछ करती । वहां के चीफ मिनिस्टर ने यह एलान कर दिया था कि हम पुलिस अफसरों को ससपेंड कर रहे हैं और जब प्रधान मन्त्री वहां

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

[श्री रशीद मसूद]

गई···(व्यवधान) ·· आज तक पुलिस के बारे में कुछ नहीं हुआ है। एक प्राइवेट आदमी को सजा देना दूसरी बात है, माफ कीजिएगा, लेकिन जहां आपके पुलिस अफसर इन्वोल्व्ड हैं, उनको आप सत्ता नहीं दे सकते। मुरादाबाद में जो फसाद हुए, उनमें पुलिस वालों ने मुसलमानों पर गोलियां चलाईं वहां हिन्दू इन्वोल्व्ड नहीं थे और वहां पर बहुत से हिन्दू भाइयों ने मुसलमान भाइयों को बचाया है लेकिन जान-बूझ कर और कोशिश करके आपने उसको हिन्दू मुस्लिम फसाद बनाया है। आप यह बताइए कि आप ने कितने लोगों को सजा दिलाई आप सजा नहीं दिलाते हैं बल्कि फसाद कराते हैं, इसलिए कि हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमानों में नफरत पैदा हो। जब हिन्दुस्तान में नफरत बढ़ गई, तो आप ने एक दूसरा यह शोशा छोड़ा है कि अब बेईमानी भी हिन्दू और मुसलमान को देख कर नहीं हुआ करेगी। अगर बेईमान मुसलमान है, तो उस को बेईमान कहिए, पूरी कौम को यह कहिये कि यह आदमी बेईमान है लेकिन मुसलमान कह कर उस को बचाया जाए, मैं इस को पसन्द नहीं करता हूं। मैं भी मुसलमान हूं और मैं इस को पसन्द, नहीं करता। इन पालिसी की वजह से आज हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमान का भेदभाव बढ़ रहा है और यह जो हिन्दू मुसलमान का भेदभाव है, यह हिन्दुस्तान को तबाह कर देगा। मैंने पहले एक शेर कहा है और मैं फिर इस को आप की नजर करता हूं :

गुलिस्तां के माली की हालत तो देखो
गुलिस्तां के फूंके हैं ये पार्टी पर।।

आप अपनी पार्टी पर पूरे हिन्दुस्तान को फूंकना चाहते हैं, जोकि हम नहीं होने देंगे।

अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं।

श्री रशीद मसूद : साहब, ये ट्रस्ट बिल्कुल पब्लिक इन्ट्रेस्ट्स में नहीं बनाये गये, बल्कि अन्तुले साहब ने अपने इन्ट्रेस्ट में बनाये। क्या यह सही नहीं है ? अन्तुले साहब की कांस्टीच्युएन्सी, जिले कस्बे और गांव ऐसे कितने ट्रस्ट हैं जो कि ताल्लुक नहीं रखते हैं ? क्या ऐसा कोई ट्रस्ट है जो कि इन से ताल्लुक नहीं रखता हो ?

उन लोगों के क्या क्या नाम हैं जो कि इनट्रस्ट्स के ट्रस्टीज हैं ? उनके नाम बताइये। क्या यह बात भी सही है कि अन्तुले साहब की बीवी भी इन्दिरा प्रतिष्ठान ट्रस्ट की एक ट्रस्टी है ?

मेरा तीसरा सवाल है...(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : चौधरी चरण सिंह की बीवी इस हाउस की मेम्बर बन जाएंगी अन्तुले की बीवी ट्रस्ट की मेम्बर नहीं बन सकती है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मसूद, आप प्रश्न पूछें। (व्यवधान) कृपया व्यवस्था बनाये रखें। वह प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : चौधरी चरण सिंह की बीवी से कहो...(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा हर तरफ होता है। कुछ समय पहिले आपकी बारी थी सब ठीक है, हमें इन्तजाम करना है।

श्री रशीद मसूद : क्या यह बात सही है कि कोई भी इसका एक्स ओफिशियो मेम्बर नहीं है, सब के सब मेम्बर इंडोविजुअल केपेसिटी में हैं ? क्या यह बात दुरुस्त है ?

श्री एच० के० एल० भगत : मन्त्री महोदय के वक्तव्य से पहिले मेरा एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनें। मन्त्री महोदय उत्तर देने वाले हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : वे उसका उत्तर दें। इससे पहिले नियम 353 के अन्तर्गत मेरा एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) महोदय, आपने ठीक ही कहा है कि आप नियमों के संरक्षक हैं तथा सभा की कार्यवाही नियमों के अनुसार ही चलनी चाहिये व्यवस्था के इस प्रश्न से इस बहस में हस्तक्षेप करने का मेरा कतई इरादा नहीं है। फिर भी मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं इस सभा में बहुत गलत परम्परा डाली जा रही है नियम 353 में कहा गया है।

"मान हानि या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं....." (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद और एक अन्य माननीय सदस्य ने दण्ड संहिता की धाराओं का उल्लेख किया उन्होंने एक मामले के पंजीकरण के बारे में पूछा उन्होंने अभियोगात्मक आरोप लगाए। जिनका धारा 353 के अन्तर्गत पूर्णतया निषेध है, महोदय, आप इसे पढ़ें और अपनी स्पष्ट व्यवस्था दें : यदि कोई महसूस करता है...(व्यवधान) मैं श्री मसूद से अनुरोध करता हूं कि वे न्यायालय में जाएं और नियम 353 के अन्तर्गत आग्रह करें।

महोदय कृपा आप इसे पढ़ें और अपनी स्पष्ट व्यवस्था दें : कृपया व्यवस्था दे... (व्यवधान) क्या ये आरोप लगाये जा सकते हैं; यदि ये आरोप नहीं लगाये जा सकते तो इन्हें कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाय, यह बहुत खतरनाक मिसाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगत, मैं कार्यवाही वृतांत को पढ़ूंगा यदि मैंने पाया कि किसी भी तरह से किसी भी ढंग से नियम 353 का उल्लंघन हुआ है, तो मैं इस पर ध्यान दूंगा। (व्यवधान) अब मन्त्री महोदय उत्तर दें।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : वे उस समय सचेत थे या सोये थे ? (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, इस शोर शराबे में मैं केवल कुछ ही मुद्दों को सुन पाता हूं इसलिए मैं उन्हीं मुददों का उत्तर दूंगा। पहला है, वितरण में कमी क्यों की गई ? क्या

[श्री आर० वेंकटरामन]

आपको मालूम है कि आज सर्वोच्चम न्यायालय ने धारक बाण्डों को जारी करना उचित ठहराया ? (व्यवधान) न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है। (व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : श्री सोमनाथ के लिये उन्होंने कहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस मामले के विरुद्ध पैरवी नहीं की थी। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे उनका बचाव कर रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने श्री शेजवलकर को पहिले दिये गये अपने उत्तर में स्पष्ट तौर से बता दिया है कि वर्ष 1979-80 में सीमेन्ट उत्पादन में कमी हुई जिसके कारण वर्ष 1980-81 के आवंटन (वितरण) में कमी हुयी, मैं इससे सहमत हूं। यह बहुत कठिन समय था इसलिए सभी राज्यों के लिए यथानुपात कटौती की गई। इसी प्रक्रिया में महाराष्ट्र शहर में परेशानी हुयी। लेकिन यह कहना कि केवल इसी उद्देश्य के लिए, या काला बाजारी करने के गलत विचार से सप्लाई कम की गई, मामले के तथ्यों से यह बिल्कुल गलत साबित होता है। उन्होंने जो दूसरी बात कही है—वह यह है। यह बात मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूं, यह मेरा अन्दाजा है कि ट्रस्ट को सीमेन्ट दिया गया। नहीं, ट्रस्ट को सीमेन्ट नहीं दिया गया, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं...(व्यवधान) यह सब ठीक है। मुझे खेद है मैं इसे वापस ले लूंगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की उस उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने आवंटन किया जो बम्बई में निर्माण कार्यों के लिए आवंटन करती है और उन्होंने आवंटन किया। मुख्य मन्त्री सदस्य नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री उस समिति के सदस्य नहीं है राजस्व मन्त्री इस समिति के सभापति हैं; समिति के कर्मचारी हैं। यह आवंटन उन्होंने किया, उसके बाद मेरे मित्र ने दण्ड संहिता के धारा 415 का उल्लेख किया मेरे विचार से वे इस धारा के बारे में उन्होंने बहुत समय पहले पढ़ी होगी, अपनी स्मृति ताजा करना चाहते होंगे, इसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वे आज कल वकालत नहीं कर रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : यहां पर एक तार है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार की इसमें रुचि थी लेकिन यह तार न महाराष्ट्र सरकार ने, न किसी ट्रस्ट ने और न किसी व्यक्ति ने जारी किया बल्कि महाराष्ट्र सहकारी संघ ने दिया है। और इसमें कहा गया है कि धन का भुगतान किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं होता कि सरकार ने ऐसा कहा था। किसी ट्रस्ट ने ऐसा कहा (व्यवधान) वास्तव में यह तार सहकारी संघ ने जारी किया था। यह इस पर लागू नहीं होता। यह सही नहीं है।

माननीय सदस्य ने अलकोहल के बारे में भी पूछा है। यद्यपि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह विषय इस मामले से सम्बन्धित नहीं है फिर भी लोगों ने इसे उठाया है, इसलिए मैं स्थिति

की जानकारी देना चाहता हूं। महाराष्ट्र का अल्कोहल उत्पादन 1220 लाख बल्क लीटर है जिसमें से 8% का औद्योगिक उपयोग के लिए और 20%का पीने के लिए आवंटन किया जाता है। विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार यह हर एक को दिया जा सकता है किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। नियमों के उल्लंघन के बारे में किसी की तरफ से किसी मामले में कोई शिकायत नहीं है। इसलिए इस मामले में बेईमानी की गई है, कहना गलत है। मुझे इतना ही कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील मैत्रा।

श्री सुनील मैत्रा : मुझे खेद है कि मैं अपना वक्तव्य कुछ भूमिका बांधते हुए शुरू कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार को अनावश्यक और अकारण इस मामले में घसीटा गया है आपने क्या किया ? जहां तक आपके सदस्यों का सवाल है वे आपके नेताओं की सलाह से बंधे नहीं हैं आपने पश्चिम बंगाल की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं फिर पिछले समय में अविश्वास प्रस्तावों पर बहस के बीच बोलते हुए आपके ज्ञानी जैलसिंह के वक्तव्य में जो कार्यवाई वृत्तान्त में शामिल है उल्लिखित है कि "कम्युनिष्ट सबसे अधिक ईमानदार हैं..." (व्यवधान) मैं आपको गृह मंत्री के शब्दों में बता रहा हूं (व्यवधान) "कम्युनिष्ट सबसे अधिक ईमानदार और धर्म निरपेक्ष हैं...(व्यवधान) आपके गृह मंत्री ने ऐसा कहा है। (व्यवधान)

जैनुल बशर : आरोपों की जांच होनी चाहिए।

श्री सुनील मैत्रा : इस सदन में बैठ कर आप फैसला नहीं दे सकते (व्यवधान) हम उद्यमियों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों की कृपा और मौज पर नहीं जी सकते और...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह काफी है। आपने उत्तर दे दिया है।

श्री सुनील मैत्रा : इस देश में शासन करने के लिए प्राप्त शासनादेश आज लूट खसोट करने के लाइसेंस बन गए हैं आपने अनेक असंगत बातें कहीं। याद रखें...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मैत्रा, जैनुल बशर की तरफ ध्यान न दें।

श्री सुनील मैत्रा : आपने उन्हें अनुमति दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : हर एक को अनुमति है। मैं अनुमति देता हूं।

श्री सुनील मैत्रा : मैं अमेरिका के दिल्ली में भूतपूर्व राजदूत का उल्लेख कर रहा हूं उनका नाम पैट्रिक डेनियल मोनहिन था। उन्होंने एक किताब लिखी है। किताब का नाम 'ए डेनजरस प्रेस' है, इसके भारतीय संस्करण के पृष्ठ 42 में श्री मोनहिन ने कहा है (व्यवधान) जब मेरी नियुक्ति हुई...(व्यवधान)...मैं कुछ डरा हुआ था। अमेरिका के राजदूत के बतौर जब मैं दिल्ली गया तो मैंने दूतावास को आदेश दिये कि वे रिकार्ड को देखें और मुझे सूचित करें कि हमने

[श्री सुनील मैत्रा]

भारत की आन्तरिक राजनीति में कितनी बार हस्तक्षेप किया। सबसे पहिले हमने तब हस्तक्षप किया था जब केरल में पहली बार चुनकर कम्युनिष्ट सत्ता में आने वाले थे, और दूसरी बार जब वे पश्चिम बगाल में चुनकर सत्ता में आ रहे थे (व्यवधान)

श्री सो० एम० स्टीफन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने और किसी को अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए। उनका व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए वह पहिले से खड़े है। नहीं, नहीं, नहीं, मैं अनुमति नहीं देता, हां, श्री स्टीफन, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती आप एक प्रोफेसर हैं। मुझे आपको नहीं बताना चाहिए उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न किया है। कृपया बैठ जाइए हमें उनके व्यवस्था के प्रश्न को सुनना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सो० एम० स्टीफन : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं यह विषय ऐसा है जिसके अनेक पहलू हैं, यद्यपि मेरे कुछ मित्र सीमा से बाहर जा रहे हैं फिर भी हम इसे यह सोच कर सहन कर रहे है कि इसका कुछ प्रभाव है जिसे हम नियमों के अन्तर्गत सीमित नहीं कर सकते। (व्यवधान) मैं धमकी में आने वाला नहीं हूं महोदय आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में जानते हैं यदि लोग इससे कुछ बाहर की बात करें तो यह बात मेरी समझ में आ सकती है लेकिन दस वर्ष पूर्व हुए केरल के चुनावों के बारे में श्री मोनहिन की किताब। भूतपूर्व राजदूत की किताब आदि का उल्लेख करना, यहां पर नहीं चलेगा सदन में चल रहे विषय के इर्द गिर्द यदि बहस हो तो इससे हम नहीं घबराते। (व्यवधान) हमारी सहन शक्ति की एक सीमा है उससे परे की बातें हम सहन नहीं कर सकते, हमें श्री मोनिहन का डर नहीं हैं उसकी किताब में लगाए गए आरोपों का भी हमें डर नहीं है पिछले समय में भी इस विषय पर बहस हुयी थी। हर चीज की एक सीमा होती है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे विषय तक ही सीमित रहें और नियमों का कड़ाई से पालन करें।

श्री सुनील मैत्रा : मैं किसी का नाम नहीं लूगा, मैं शरीफ आदमी हूं,

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं जानता हूं वह शरीफ आदमी है, मैं जानता हूं वह महिला नहीं है, मैडम आप सीमा में रहें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मैत्रा, 3.30 का समय हो रहा है। आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री सुनील मैत्रा : जब उन्होंने किताब लिखी थी दो बार.....

उपाध्यक्ष महोदय : विषय सम्बन्धी कुछ बात कीजिए।

श्री रशीद मसूद : जब वह बोल रहे थे आपने उस समय मना क्यों नहीं किया (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे वक्ता ने उसका उत्तर दे दिया है, वह भ्रष्टाचार के बारें में था, यह भ्रष्टाचार के बारें में नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री सुनील मैत्रा : **

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया यहां पर असंगत बातें न करें यह बहुत बुरी बात है। मुझे खेद है। नहीं, नहीं, इन बातों पर बहस न करें, इसका इससे दूर तक भी सम्बन्ध नहीं है, दलों के बारें में बात न करें दलों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। आप केवल सरकार के बारें में बात कर सकते हैं। दलों के बारे में बात न करें। मैं किसी दल के बारें में किसी बात की अनुमति नहीं दूंगा। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा। कृपया आप सभी बैठ जाइये; इस सदन में किसी को अमेरिका से धन मिलता है, किसी को रूस से धन मिलता है, ऐसे आरोप लगाना अच्छा नहीं है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे किस पार्टी को किस देश से धन मिलता है, इसका उल्लेख न करें अन्यथा हमारा लोकतंत्र मजाक बन जायगा। बहुत अधिकमें राजनीतिज्ञ न बने और अन्तर्राष्ट्रिय स्तर पर अपने देश की कलई न खोलें। मुझे खेद है। हमें अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की कलई नहीं खोलनी चाहिए, कृपया उन बातों का उल्लेख न करें (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना वक्तव्य जारी रखें। क्या आप वक्तव्य जारी रख रहे हैं या नहीं। आप सभी बैठ जाऐं, केवल श्री मैत्रा बोलेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा, श्री मैत्रा, आप बोलिए आप सभी बैठ सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूगा। मैं केवल श्री मैत्रा को अनुमति दे रहा हूं। श्री मैत्रा, आप बोल सकते हैं। (व्यवधान)

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को इस या उस दल पर आरोप लगाने या देश की कलई खोलने की अनुमति नहीं दूंगा । यह बहुत गलत है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जाएं श्री मैत्रा बोल सकते हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा, आप बैठ जाइए । श्री मैत्रा के वक्तव्य के अलावा और कुछ कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा । (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय ; अब 3.30 का समय होने वाला है और 3.30 बजे मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा । कृपया बैठ जाए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं । हां, श्री मैत्रा, आप बोलिए ।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने धन लेने से इन्कार किया है, क्या इस सदन में ऐसे वक्तव्य को स्वीकार करने की प्रथा है, लेकिन इस देश में शासक दल ने जो परम्पराएं डाली हैं वे बिल्कुल उल्टी हैं, ऐसे अनेक प्रश्न उठाए गए हैं जिनको प्रबल जन समर्थन प्राप्त है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विदेशी मुद्रा के बारे में क्या ख्याल है ?

श्री सुनील मैत्रा : हां मैं इसी विषय पर आ रहा हूं शासक दल ने इस वर्ष 1981 में... (व्यवधान) इस साल के शुरू में शासन दल ने एक किसान रैली का आयोजन किया था (व्यवधान) यहां जो मन्त्री है उन्होंने व्यापारी घरानों से धन इकट्ठा किया (व्यवधान) मेरे पास एक खबर है मैं इसे पढ़ता हूं (व्यवधान) मैं इसे प्रेस को दूंगा । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप ध्यानाकर्षण की बात कर रहे हैं, वह क्या है ? क्या आप ध्यानाकर्षण के सम्बन्ध में कुछ कर रहे हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह कागज क्या है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुने । श्री मैत्रा आप क्या पढ़ना चाहते थे ?

श्री सुनील मैत्रा : मैं इस दस्तावेज को पढ़ रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते है । आपको इसे पढ़ने से पहिले मेरी अनुमति लेनी होगी, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री सुनील मैत्रा : आप अनुमति क्यों नहीं देंगे ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं, मैं इसे यहां पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा, आप को इसे सभा पटल पर रखना होगा। अन्यथा आप इसे नहीं पढ़ सकते। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसे सभा पटल पर रखना होगा तभी आप मेरी अनुमति के बाद पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप नहीं पढ़ सकते। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : माननीय सदस्य केवल उल्लेख कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अनुमति लेनी होगी और इस सदन के सभा पटल में दस्तावेज रखना होगा, मैं उन्हें नहीं पढ़ने दूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आप दस्तावेजों आदि से उद्धरण नहीं दे सकते। मुझे कठोरता बरतनी होगी। (व्यवधान) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आप उद्धरण नहीं दे सकते, आप दस्तावेज से नहीं पढ़ सकते। (व्यवधान) मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री मैत्रा यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अन्यथा, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको बैठ जाने को कह रहा हूं (व्यवधान)। मैं आपको उसके पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यदि आप दिन भर भी प्रतिक्षा करते रहेंगे तो भी आपको उसके पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मैं यहां पर किसी दस्तावेज से पढ़े जाने की अनुमति नहीं दूंगा। यह चर्चा नहीं है। आपको इसे पहले सभा पटल पर रखना चाहिए और मेरी अनुमति लेनी चाहिए। तत्पश्चात मैं यहां पर उसके पढ़ने की अनुमति दूंगा। (व्यवधान) यह सब कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा (व्यवधान)।**

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आप किसी दस्तावेज आदि से नहीं पढ़ सकते। मैं इसकी अनुमति नहीं देता। मैं यहां किसी दस्तावेज से पढ़ा जाना नहीं चाहता।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे वेयवस्था का प्रश्न ही नहीं उठाना चाहते। (व्यवधान) आपको उसे पढ़ने के लिए मेरी अनुमति लेनी चाहिए वे उद्धरण दे रहे हैं उन्होंने एक दस्तावेज से पढ़ा है। मैंने उनसे पूछा कि वे क्यों पढ़ रहे हैं। और कहां से पढ रहे हैं। उन्होंने मुझे नहीं बताया मैंने उनसे पूछा कि वे कहां से पढ़ रहे हैं। उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : इस सभा में प्रथम लोक सभा से इस लोक सभा तक चर्चाओं के दौरान दस्तावेजों से अनेक बार उद्धरण दिए गए हैं। और यदि कोई ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा। यदि वे इसे सभा पटल पर रखते हैं तो मैं उन्हें अनुमति दूंगा। मेरी समस्या यह है कि ये उसे सभा पटल पर रखें। मैं अनुमति दे दूंगा। मैं नहीं जानता वे कहां से उद्धरण दे रहे हैं। (व्यवधान)

मैं सभा की कार्यवाही का संचालन नियमानुसार करूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, जिन्दाबाद

प्रो० मधु दंडवते : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो दस्तावेज वह पढ़ना चाहते हैं उसे पहले सभा पटल पर रखा जाना होगा। मैं इनकी अनुमति नहीं दूंगा अथवा उनको दस्तावेज से पढ़ने के लिए मेरी पूर्वानुमति लेनी चाहिए थी।

प्रो० मधु दंडवते। इससे पूर्व कि आप अपना विनिर्णय दें ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मैत्रा जी से पूछा कि वे कहां से पढ़ रहे हैं। परन्तु उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि वे कहां से पढ़ रहे हैं। जब तक इसे सभा पटल पर न रखा जाय मैं तब तक अनुमति नहीं देता। मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : क्या व्यवस्था का प्रश्न सभा पटल पर रखा जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : दस्तावेज।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह आपका मत है कि यदि मुझे कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना है तो मुझे उसे सभा पटल पर रखना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रोफेसर नहीं हूं मैं एक प्रोफेसर का केवल एक छात्र रहा हूं मैंने अपना अन्तिम निर्णय दे दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। यह अन्तिम है। सभा के किसी सदस्य द्वारा उस पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य रोक रहे हैं मैं नहीं रोक रहा। कृपया सभी सदस्य बैठ जायें। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कृपया सब बैठ जायें। तब मैं आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न बना लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभी सदस्य बैठ जायें। केवल तब मैं आपको अनुमति दूंगा, जब वे इस प्रकार से खड़े हैं तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। यह उचित नहीं है।

प्रो मधु दंडवते : महोदय आप उनसे अनुरोध करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुरोध कर चुका हूं। आप भी अनुरोध कर सकते हैं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आपने अन्य सभी को पढ़ने की अनुमति दी ...

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री समर मुखर्जी : जब वित्त मन्त्री ने उत्तर दिया तो उन्होंने उद्धरण दिए। श्री शेजवलकर ने भी उद्धरण दिए। परन्तु आप उन्हें रोक रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सुनील मैत्रा से पूछा कि किस दस्तावेज से पढ़ रहे हैं और उद्धरण देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे उचित उत्तर नहीं दिया। (व्यवधान) अतः मैंने ऐसा कहा कि किसी दस्तावेज से उद्धरण देने से पूर्व वे उसे सभा पटल पर रखें अथवा उन्हें मेरी अनुमति लेनी चाहिए थी। अब भी वह मुझे बता सकते हैं कि वे कहां से उद्धरण दे रहे थे और देना चाहते हैं।

श्री सुनील मैत्रा : मैं भारत सरकार के एक दस्तावेज से उद्धरण दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उसे भी सभा पटल पर रखना चाहिए। तब ही मैं अनुमति दूंगा। मैं उसकी जांच करूंगा और तब आपको अनुमति दूंगा। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप उन्हें उसे पढ़ने की अनुमति दे दें।

श्री समर मुखर्जी : आपने अन्य सभी को अनुमति दी है। आप उनके पढ़ने पर आपत्ति नहीं उठा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी (व्यवधान) जब मैंने श्री सुनील मैत्रा से पूछा कि वे कहां से उद्धरण दे रहे हैं तो उन्होंने उचित उत्तर नहीं दिया।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इस चर्चा से ही एक दृष्टान्त देता हूं। जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा था ... (व्यवधान)। मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न बना रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समर मुखर्जी के अनुरोध पर मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं ...

श्री मल्लिकार्जुन : आपका विनिर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह दस्तावेज भारत सरकार का है। मैंने उनसे पूछा कि वे किस दस्तावेज से उद्धरण दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि यह भारत सरकार का एक दस्तावेज है इसलिए मैंने कहा है कि मैंने उन्हें अनुमति दे दी है।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम यह जानने के हकदार हैं कि यह दस्तावेज क्या है। आप कोई भी विनिर्णय दे सकते है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपका पहला रुख था वह ठीक था मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि यह प्रश्न कि यह सार्वजनिक दस्तावेज है अथवा नहीं ... ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि यह भारत सरकार के एक प्रकाशन से है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं नहीं जानता कि यह सार्वजनिक दस्तावेज है अथवा नहीं ...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्टीफन, मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे उसे सभा पटल पर रखें। पहले जब मैंने श्री सुनील मैत्रा से पूछा कि वे कहां से उद्धरण दे रहे हैं तो वे मुझे बताना नहीं चाहते थे इसलिए मैंने कहा, "आप जब तक उसे सभा पटल पर न रखें और मेरी पूर्वानुमति न लें तब तक उद्धरण नहीं दे सकते।" अब श्री मैत्रा कहते हैं कि यह भारत सरकार का एक प्रकाशन हैं तो यह सार्वजनिक दस्तावेज है इसलिए मैंने कहा है कि वे इसके इससे उद्धरण दे सकते हैं। (व्यवधान) इसमें से उद्धरण देने के पश्चात श्री सुनील मैत्रा इसे सभा पटल पर रख देंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : उनके उद्धरण देने से पूर्व आपको उसे देखना चाहिये ...। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। केवल मात्र इतना कहने से कि यह भारत सरकार का प्रकाशन है यह सार्वजनिक दस्तावेज नहीं बन जाएगा। सरकारी दस्तावेज और सार्वजनिक दस्तावेज के बीच अन्तर है। सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज से अलग भी हो सकता है। श्री शकधर ने कहा है कि सदस्य को प्राय: अध्यक्ष महोदय, सभा तथा सरकार के सामने ऐसे दस्तावेज से अचानक उद्धरण नहीं देना चाहिये, जो सार्वजनिक नहीं हो।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह गुप्त दस्तावेजों के बारे में है।

श्री सी०एम० स्टीफन : सब की ओर निष्पक्ष रहते हुए तथा संसदीय परम्पराओं के अनुरूप उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अध्यक्ष को अग्रिम सूचना दें ताकि जब मामला सभा में उठाया जाये तो वे उससे निपट सकें। यदि इस अपेक्षा को पूरा न किया जाये.....(व्यवधान) यदि यह अपेक्षा पूरी न की जाये तो अध्यक्ष ऐसे दस्तावेज से उद्धरण देने से रोक सकता है और उनसे कह सकता है कि उद्धरण देने की अनुमति दिये जाने से पूर्व वे अध्यक्ष को उसकी प्रति उपलब्ध करें।

अत: मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो विनिर्णय आपने दिया है वह संसदीय परम्पराओं में स्वीकृत पूर्वोदाहरणों के अनुरूप हो । प्रश्न यह है कि सार्वजनिक दस्तावेज है अथवा नहीं । मेरे पास उसका उत्तर नहीं है। मुझे बताया गया है कि यह भारत सरकार का दस्तावेज है परन्तु केवल मात्र भारत सरकार के दस्तावेज होने के कारण यह सार्वजनिक दस्तावेज नहीं बन जाता । इसे सार्वजनिक दस्तावेज होने चाहिये और तभी उन्हें उद्धरण देने का अधिकार है और जब वह उद्धरण देते हैं तो हमें यह मांग करने का अधिकार है कि उसे सभा पटल पर रखा जाये । परन्तु परम्परा की मांग है—आपको परम्पराओं का भी पता होना चाहिये—उद्धरण दिये जाने से पूर्व आपकी सन्तुष्टि हो । महोदय, यह एक ऐसा मामला है जिसका संबंध केवल आपके साथ नहीं है प्रश्न यह है कि सरकार को अग्रिम रूप से यह जानने का अधिकार है कि वह दस्तावेज क्या है, ताकि वह उस का उत्तर दे सके उन्हें अचानक ही दस्तावेज पेश करने का और सरकार को यह कहने का हक नहीं है कि उत्तर दिया जाये इसकी अनुमति नहीं है यह सभी परम्पराओं के विरुद्ध है आपको अपने को सन्तुष्ट करना होगा कि दस्तावेज से उद्धरण दिया जा सकता है और हमें सूचना दी जानी चाहिये ताकि हमें उसका पता हो । उसका समुचित उत्तर दिया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मैत्रा उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है...(व्यवधान) कृपया बैठ जाये यदि आपका अन्तरात्मा यह समझती हैं कि यह समुचित दस्तावेज नहीं है अथवा उस प्रकार की कोई बात जिससे भ्रांति पैदा हो तो आप मंत्री के सामने अचानक ऐसी बात नहीं कर सकते और उसका उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दस्तावेज क्या है ? मैं जानना चाहता हूं...(व्यवधान) दस्तावेज क्या है ?

श्री सुनील मैत्रा : यह दिनांक 27 अप्रैल 1981 का दस्तावेज है इसमें कहा गया है...**

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी मैं अनुमति नहीं दे रहा ...(व्यवधान) मैं इसकी अनुमति नहीं देता.....इसे सभा पटल पर नहीं रखा जायेगा...(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप किस नियम के अधीन अनुमति नहीं दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं अथवा नहीं ?...कृपया ऐसा न करें उसे मत पढ़ें । मैं आपको पढ़ने कि अनुमति नहीं दे रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी : इसका इस विषय से संबंध है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसे सभा पटल पर रख सकते हैं। पहले मुझे उसकी जांच कर लेने दें और तब मैं अनुमति दूंगा ...(व्यवधान) इसे कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जायेगा । श्री मैत्रा क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ? अपना प्रश्न पूछें । मैं आपको उस दस्तावेज से पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा । कृपया अपना प्रश्न पूछें ।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उद्धरण नहीं दे सकते । आप पहले उसे सभा पटल पर रखें । हम जांच के बाद देखेंगे । मैं आपको पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं आपको मन्त्री महोदय को प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं । अब पहले ही समय हो चुका है । (व्यवधान) कृपया बैठ जायें । श्री मैत्रा आप अपना प्रश्न पूछें ।

श्री सुनील मैत्रा : चूंकि मुख्य मन्त्री ने व्यापारिक संगठनों से पैसा लेने से इन्कार किया है हम उस वक्तव्य को मान नहीं सकते । आपके दल को व्यापारिक गृहों से राजनैतिक प्रयोजनों के लिये पैसा लेने की आदत है । (व्यवधान) अब मैं वित्त मन्त्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं ।

(1) ट्रस्ट का पंजीकरण किस तारीख को हुआ ।

(2) इस ट्रस्ट ने आयकर विभाग को छूट देने के लिए किस तारीख को वास्तव में आवेदन दिया ?

(3) इस ट्रस्ट को छूट वास्तव में किस तारीख को दी गई ?

(4) ऐसी पंजीकृत ट्रस्टों को छूट देने में आयकर विभाग को प्राय: कितना समय लगता है ?

(5) आयकर आयुक्त, बम्बई को वर्ष 1981 में आयकर नियमों में छूट के लिये क्या कोई अन्य आवेदन पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां तो कितने महीनों अथवा दिनों में इन पंजीकृत ट्रस्टों के मामलों का निपटान किया गया ?

(6) *

(7) क्या यह सच है कि मुख्य मंत्री ने महाराष्ट्र के एक विधायक को सीमेन्ट की 6,000 बोरियां दीं ?

(8) क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय शोरा बोर्ड ने (व्यवधान) निर्णय किया कि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक अल्कोहल की सप्लाई की जायेगी ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इनका उत्तर देना मन्त्री महोदय का काम है ।

श्री सुनील मैत्रा : क्या यह सच नहीं है कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा 65 लाख लिटर औद्योगिक एल्कोहल अन्य राज्यों को वितरित किया जाना था ? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना औद्योगिक अल्कोहल वितरित किया गया और कितने राज्यों को ? कितनी मात्रा का वितरण किया गया ? कृपया राज्य-वार आंकड़े बताए जायें ?

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : एक पैसा प्रति लिटर ।

श्री सुनील मंत्रा : चूंकि औद्योगिक एल्कोहल का अभाव था, इसका अब आयात करना पड़ता है । यदि हां, तो विदेशी मुद्रा का मामला पैदा होना है । यदि हम औद्योगिक अल्कोहल के बारे में आत्म निर्भर हैं तो क्या महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री की यह कार्यवाही विदेशी मुद्रा भंडार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करती ?

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि वित्त मन्त्री यह कैसे आशा करते हैं कि राव एकक मुख्य मन्त्री कोष में दान देने की स्थिति में होंगे ? जगदम्बा, नासिक फल्से तथा पंजाब-आन आदि सभी एकक बीमार एकक हैं (व्यवधान)

महोदय, वित्त मन्त्री ने कहा कि तार सरकार के अनुरोध पर नहीं गया था । परन्तु, महोदय, तार में क्या लिखा है, मैं उद्धृत करता हूं :

> "संदर्भ, इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान को दान के संबंध में । महाराष्ट्र सरकार अपेक्षा करती है कि आपका चेक···" "अपेक्षा" का क्या अर्थ है? क्या यह महाराष्ट्र सरकार का ऐसा निदेश अथवा अनुदेश नहीं था जिसका पालन न किये जाने पर इन एककों के सामने दिक्कतें आतीं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोट) : जहां तक तारीखों का सम्बन्ध है यद्यपि वित्त मन्त्री पहले ही तारीखें बता चुके हैं फिर भी मैं पुनः बताता हूं । इस विशेष शेष का गठन 18 अक्तूबर 1980 को किया गया था । धर्मार्थ आयुक्त के पास पंजीकरण की तारीख 20 अक्तूबर, 1980 है । आयकर आयुक्त द्वारा छूट दिये जाने की तारीख 25 नवम्बर, 1980 है । धारा 80 छ के अधीन छूट के लिए आवेदन पत्र 25 नवम्बर, 1980 को दिया गया और धारा 80 छ के अधीन छूट दिये जाने की तारीख 25 नवम्बर 1980 है । छूट की अवधि 18 अक्तूबर 1980 से 31 दिसम्बर, 19 0 तक है । (व्यवधान)

जैसा कि वित्त मन्त्री ने कहा है, आयकर अधिकारियों को धारा 80 छ के अधीन छूट के आवेदन पत्र हर रोज प्राप्त होते रहते हैं और अनेक मामलों में यह छूट तत्काल ही दी गई है । (व्यवधान)

ऐसे उदाहरण हैं जिनमें यह छूट उसी समय दी गई है ।

अल्कोहल के बारे में प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आवश्यक वस्तुओं के बारे में है और जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री ने कहा अल्कोहल कोई आवश्यक वस्तु नहीं है और यदि डिस्टिलरों तथा अल्कोहल उद्योग द्वारा दान दिए जाने के बारे में अलग से प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर दे दिया जायेगा । अंतिम प्रश्न तार तथा बीमार एककों के बारे में था । मैं इसे

[श्री मगन भाई बारोट]

पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। यह तार चीनी फैडरेशन द्वारा भेजा गया था जो महाराष्ट्र के सभी सरकारी कारखानों का महासंघ जगदम्बा चीनी मिल सहित जो एक चीनी कारखाना है, और यह तार प्रत्येक सदस्य को भेजा गया था। आज एक समाचार छपा है जिसमें कहा गया है :

"महाराष्ट्र जनता पार्टी के प्रेजीडेन्ट, श्री राजाराम बापू पाटिल ने आज कहा है कि जहां तक महाराष्ट्र के इन चीनी सहकारी कारखानों द्वारा इन्दिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान को दान देने की बात है, हमने इसका समर्थन किया है और इन पर आपत्ति करने अथवा पैसा वापस मांगने अथवा इस प्रकार की किसी बात का कोई प्रश्न नहीं है।" मैं समझता हूं कि मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं।"

तत्पश्चात लोकसभा चार बजकर तीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा भोजन काल के उपरान्त चार बजकर छत्तीस मिनट (म० प०) पर पुनः समवेत हुई।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

सांगली मिरज और नान्द्रे-माधवनगर नए सांगली रेल सम्पर्क को बहाल करने के बारे में याचिका

श्री आर० के० महालगी : मैं सांगली मिरज और नान्द्रे माधव नगर नई सांगली रेल सम्पर्क बहाल करने के बारे में श्री रमेश के० कुलकर्णी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1981-82

श्री मगन भाई बारोट : मैं वर्ष 1980-81 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पूर्वोत्तर रेलवे में रेल लाइनों को बड़ी लाइन में बदले जाने के पश्चात् यात्रियों को होने वाली कठिनाईयां

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : पूर्व उत्तर रेलवे में आमान परिवर्तन के जरिए गोरखपुर से हावड़ा (कलकत्ता) और गोरखपुर से लखनऊ तक सीधी गाड़ियां चलने लगी हैं इसके लिए

रेल मन्त्री, रेल महकमे और रेल के सभी स्थाई और कैजुअल कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। लेकिन समुचित व्यवस्था और दूरगामी नियोजन के अभाव में यह आमान परिवर्तन मजाक और असुविधा का कारण बन गया है। हावड़ा को जाने वाली वह रेलगाड़ी जिसकी झंडी रेल मन्त्री जी ने 8 अगस्त को दिखाई थी, 12 अगस्त तक गोरखपुर नहीं लौट पाई। गोरखपुर से लखनऊ को जाने वाली लिंक एक्सप्रेस रोज अव्वल से ही गोरखपुर और लखनऊ से डेढ़ घन्टा लेट छूट रही है। वजह यह है कि गाड़ियां तो चला दी गयीं लेकिन उनकी व्यवस्थित ढंग से चलने के लिए दूरगामी प्लानिंग नहीं की गई। इंजन और सवारी डिब्बों की व्यवस्था नहीं की गई। जरूरत के मुताबिक बड़ी लाईन के इंजन शेड नहीं बनाए गए। गोरखपुर, भटनी और लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म तक की व्यवस्था नहीं की गई। पूर्व उत्तर रेलवे की इस परिवर्तित लाईन पर मंगनी के इंजन और मंगनी के डिब्बों से काम चलाया जा रहा है और मंगनी में इसे घटिया इंजन और डिब्बे बड़ी मुश्किल से मिल पाये हैं। अव्यवस्था के कारण पूर्व उत्तर रेलवे के लाइन के कर्मचारी इंजन, ड्राईवर, गार्ड, टी० सी० वगैरह बेकार कर दिए गए हैं।

आमान परिवर्तन के कारण केन्द्रीय ट्रैफिक कन्ट्रोल व्यवस्था तोड़ दी गई हैं इसको फिर से दुरुस्त करने में कितना समय लगेगा इसके बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहा है।

आमान परिवर्तन के बाद बाकी बची छोटी लाइन तो बिल्कुल बिना मां-बाप की होकर रह गई है। गाड़ियों के आने जाने का कोई निश्चित समय रह ही नहीं गया है आमान परिवर्तन के बाद छोटी लाईन के रेक और इंजन खाली हो गए हैं और इन लाइनों पर और गाड़िया चलाने की आवश्यकता है। आमान परिवर्तन के कारण गाड़ियां जो बन्द की गई थी फिर से चलाई नहीं जा रही हैं। गोरखपुर छितौनी और गोरखपुर नौतनवा लाइन की जनता इन लाइनों पर पहले से चलने वाली गाड़ियों को फिर से चलाने और नई गाड़ियां चलाने की मांग कर रही है।

इसलिए रेल मन्त्री से इस सदन के द्वारा निवेदन करुंगा कि 8 अगस्त को गोरखपुर में झंडी दिखाने के बाद से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई हैं। आमान परिवर्तन की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए अधिकारियों को सचेत करें ताकि परिवर्तित और अपरिवर्तित दोनों रेलगाड़िया व्यवस्थित ढंग से चल सकें। मौजूदा छोटी लाइन की तरफ भी विशेष ध्यान दें। कैजुअल मजदूरों को भी काम पर लगाने की जिम्मेदारी लें वरना कैजुअल मजदूर और साधारण रेल यात्री इस आमान परिवर्तन को रेल महकमें के ईमान परिवर्तन के नाम से याद करेगा।

(दो) दूसरा हुगली पुल परियोजना को आवंटित धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री अजीत नाग (सीरमपुर) : महोदय केन्द्रीय सरकार द्वारा कथ धनराशि आवंटित किए जाने के कारण न केवल दूसरे हुगली पुल की परियोजना के कार्य निष्पादन में ही विलम्ब हो

[श्री अजीत नाग]

रहा है, बल्कि परियोजना की लागत में भी इन वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। लगभग 57 करोड़ रुपये के वास्तविक अनुमान की तुलना में इसकी निर्माण लागत का संशोधित अनुमान 142 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दूसरे हुगली पुल के लिए इस वर्ष 25 करोड़ रुपये का अनुरोध किया था। अब दूसरे हुगली पुल आयोग को कुछ दिनों में पोदी से आयातित इस्पात की भारी मात्रा को छुड़ाने के लिए शीघ्र ही 11 करोड़ रुपये की धन राशि की अति आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह दूसरे हुगली पुल आयोग को बिना किसी विलम्ब के शीघ्र ही 11 करोड़ रुपये की धन राशि रिलीज करने का कष्ट करें ताकि परियोजना कार्य में कोई रुकावट पैदा न हो।

(तीन) झेलम एक्सप्रेस और महानगर एक्सप्रेस का बुरहानपुर में हाल्ट स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री शिव कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, पिछले 30 वर्षों में बुरहानपुर से वाराणसी एवं दिल्ली आने जाने के लिए कोई नई ट्रेन नहीं बनी है। इस बीच में अभी-अभी 2 नई ट्रेन बम्बई से जम्मू-तवी (झेलम एक्सप्रेस) और बम्बई से वाराणसी (महानगरी एक्सप्रेस) शुरू हुई हैं परन्तु दोनों ही ट्रेन बुरहानपुर नहीं रुकती हैं।

बुरहानपुर मध्यप्रदेश का 11वें नम्बर का महत्वपूर्ण नगर है, नगर निगम है। 17,000 पावरलूम चलते हैं, 28 साईजिंग हैं, 5 कलेन्डरिंग व लांट हैं, स्पिनिंग मिल, वीविंग मिल हैं, कपास उत्पादन का बड़ा केन्द्र है, 14 करोड़ रुपये का केला प्रतिवर्ष बुरहानपुर से बाहर भेजा जाता है।

मुसलमानों, बोहरों, सिखों, हिन्दुओं का तीर्थ स्थान है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी, कबीर पंथियों के मन्दिर हैं। बुरहानपुर से दिल्ली, मनमाड़, पूना का काफी ट्रैफिक है। बुरहानपुर से वाराणसी का भी काफी ट्रैफिक हैं। अतः रेलवे मन्त्री जी से निवेदन है कि (1) झेलम एक्सप्रेस, (2) महानगरी एक्सप्रेस को बुरहानपुर में रोका जाए।

(चार) सेवा निवृत्त नाविकों को पेंशन के लाभ

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमांगाओ) : भारत सरकार की नाविक कल्याण कोष सोसायटी ने ऐसे पंजीकृत भारतीय नाविकों को, जिनका पंजीकरण 1 जनवरी, 1975 को अथवा उसके बाद रद्द कर दिया गया है, 85 रुपये प्रति माह का पेंशन लाभ देने का निर्णय लिया है। यह

राहत न केवल संबंधित नाविकों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका अनेक परिवारों और आश्रितों को बड़ा लाभ मिलेगा यद्यपि यह पेंशन ऐसे नाविकों को देना अस्वीकार कर दिया गया है जो वर्ष 1975 से पहले सेवा-निवृत्त हो गए थे अथवा जिन्हें शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह भेद-भाव तर्क संगत अथवा उचित प्रतीत नहीं होता। यह स्मरण किया जा सकता है कि ऐसे नाविकों के मामले में जो वर्ष 1975 से पहले सेवा निवृत्त हो गए थे, उनकी काम की शर्तें अत्यधिक कठिन थीं और विशेष रूप से वर्ष 1964 से पहले, काम के घन्टे समयोपरि भत्ता, पारिश्रमिक मिलने वाली छुट्टियों में दुगना वेतन, भविष्य निधि और ऐसी अन्य सुविधाओं का नाम भी नहीं सुना जाता था। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पेंशन का उपरोक्त लाभ उन नाविकों को भी प्रदान किया जाय जो 1 जनवरी, 1975 से पहले सेवा निवृत्त हो चुके थे। मैं सरकार से यह अनुरोध और करता हूं कि वह नाविकों की भर्ती की असन्तोषजनक पद्धति और सेवा शर्तों की ओर तथा उनमें व्याप्त बेरोजगारी की ओर ध्यान दें और हमारी जनसंख्या के इस वर्ग को एक बेहतर व्यवहार मुलभ बनाने हेतु एक विस्तृत नीति तैयार करे।

(पांच) तमिल दैनिक "मुक्काल कुराल" के मदुरै संस्करण का प्रकाशन पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : तमिल भाषा के दैनिक समाचारपत्र "मुक्काल कुराल" (जनता की आवाज) ने जो श्रमिक वर्ग का हिमायती होने की डींग हांकता है अपने मदुरै संस्करण को प्रकाशित करना बंद कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए रोजी का कोई साधन नहीं रह गया है। इसका मालिक, जो इण्डियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स' का प्रधान भी है, ने बिना कोई क्षतिपूर्ति दिए तालाबन्दी कर दी है। जबकि तमिलनाडु में अन्य तमिल दैनिक पत्रों ने 'पालेकर अवार्ड' कार्यान्वित कर दिया है, "मुक्काल कुराल" ने श्रमिकों को उनके अधिकार देना पूर्णतः नकार दिया है। इसके अलावा, प्रबन्धकों ने अमरीका से प्रिन्टिंग मशीन का आयात करने के बारे में असत्य घोषणा करके सीमा शुल्क अधिनियम का उल्लंघन भी किया था। प्रबन्धकों ने श्रमिकों के साथ समझौते की बात पूर्णतः अस्वीकार कर दी है। अतः मैं श्रम मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि तालाबन्दी को समाप्त करने के लिए और किसी प्रकार से उत्पीड़ित किए बिना मदुरै संस्करण को पुनः निकालना शुरू करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करें और श्रमिकों को भूख से मरने से बचाएं।

(छः) सैदपुर (उत्तर प्रदेश) में डकैती, हत्या लूटमार की घटनाओं में वृद्धि

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र सैदपुर की अत्यन्त विषम स्थिति की ओर

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के सैदपुर क्षेत्र में डकैती, हत्यायें, फर्जी मुठभेड़, लूट-पाट की इतनी घटनाएं हो रही हैं कि यह अब दूसरा चम्बल बनने जा रहा है। यहां पिछड़े तथा कमजोर वर्गों की कथित हत्यायें हो रही हैं। गत 3 माह में लगभग 20 यादव गोली से उड़ा दिए गए।

मान्यवर, मैं अत्यन्त विनम्र शब्दों में माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान इधर ले जाते हुए कहूंगा कि सैदपुर तीन जिलों, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, को मिला कर बना एक संसदीय क्षेत्र है। यहां के रहने वाले 80 प्रतिशत हरिजन कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के हैं। आज यहां का हर आदमी भयभीत है, आतंकित है। उसका सड़क पर चलना दूभर हो गया है। शाम को चिराग जलते ही लोग अपने घरों में घुस जाते हैं। हत्यारे और डकैत गोल बनाकर खुले-आम घूमते हैं।

अन्य प्रान्तों, बिहार पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश, के भी शातिर अपराधी यहां भारी संख्या में अपना अड्डा बना रहे हैं। अन्य प्रान्तों में तस्करी करने वाले गिरोह भी यहां अफीम आदि का क्षेत्र होने की वजह से अपना जाल बढ़ाते चले जा रहे हैं।

माननीय गृह मन्त्री जी तुरन्त इस मामले की गंभीरता को महसूस करें। इसे रोकने की दिशा में कठोर कार्यवाही करने की व्यवस्था करें एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को हिदायत दें कि वे इस सैदपुर को दूसरा चम्बल होने से अविलम्ब रोकें।

(सात) देशी तम्बाकू को भी तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत लाये जाने की आवश्यकता

श्री मोती भाई आर० चौधरी (मेहसाना) : सभापति महोदय, देश में कई प्रकार की तम्बाकू पैदा की जाती हैं, लेकिन तम्बाकू बोर्ड ऐक्ट में सभी प्रकार की तम्बाकू को शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ वरजीनिया तम्बाकू का ही कार्यभार यह बोर्ड चलाता है। देसी बीडो तम्बाकू, रोस्टीया और नाटु आदि प्रकार की तम्बाकू पकाने वाले किसानों को इसका फायदा नहीं मिलता है। उन्हें तो प्राईवेट व्यापारियों, दलालों के हाथ ही मरना होता है, क्योंकि इसको कोई दूसरा खरीदने वाला नहीं है। इस कारण व्यापारियों के संगठन द्वारा बहुत कम कीमत पर यह तम्बाकू खरीदी जाती है और इनके पैसे भी सालों बाद मिलते हैं और इन लोगों के साथ कई प्रकार की धोखाधड़ी की जाती है। इन किसानों का जो शोषण हो रहा है, उन्हें इनसे बचाने के लिए वाणिज्य और कृषि मन्त्रियों से मेरा अनुरोध है कि वरजीनिया से अलग प्रकार की जो तम्बाकू देश में पैदा होती हैं, उन सबका तम्बाकू बोर्ड ऐक्ट में समावेश किया जाए, इस बारे में सरकार ने भी

कृषि मन्त्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री मुखर्जी की अध्यक्षता में टोबेको एक्सपर्ट ग्रुप की रचना की थी। उस ग्रुप ने भी ऐसी सिफारिश की है कि इस देसी बीड़ी तम्बाकू आदि को तम्बाकू बोर्ड ऐक्ट के अन्तर्गत लिया जाए। अतः मेरा वाणिज्य मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस सिफारिश के मुताबिक तम्बाकू बोर्ड एक्ट में इस सत्र में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया जाए कि तम्बाकू पकाने वाले किसानों को आने वाले सीजन में लाभ मिले। इस बारे में संसद के पिछले सत्रों गुजरात के तम्बाकू पकाने वाले किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय वाणिज्य और कृषि मन्त्री जी से मिला था और उसी समय उनको यह आश्वासन भी दिया गया था कि उपरोक्त मामले में शीघ्र उनके हक में संशोधन किया जायेगा। इस सत्र में ही यह संशोधन हो जाए, यह मेरा अनुरोध है।

(आठ) रेल अधिकारियों तथा भारतीय खाद्य निगम की लापरवाही के कारण खाद्यान्नों के सड़ जाने की जांच किये जाने की आवश्यकता

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय जहां एक ओर तो भारत अमरीका से गेहूं का आयात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रेलवे अधिकारियों की अत्यधिक लापरवाही तथा भारतीय खाद्य निगम की हेरा-फेरी से गेहूं भारी मात्रा में नष्ट हो रहा है।

1 जुलाई, 1981 को 15 लाख रुपये मूल्य की गेहूं की एक खेप को पंजाब के दौराहा स्टेशन से चक्रधरपुर के लिए 19 खुले वैगनों में रवाना किया। गया गेहूं को लिए हुए वह मालगाड़ी दिनांक 26 जुलाई, 1981 को चक्रधरपुर पहुंची। इसी बीच 10,000 क्विन्टल गेहूं नष्ट हो गया, क्योंकि गाड़ी को चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन पर 25 दिन तक रोके रखा गया था।

गेहूं की 300 क्विंटल से भी अधिक मात्रा को मनुष्यों के खाने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। फिर भी इसे 3 आटा मिलों को बेच दिया गया।

यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि केवल छोटा नागपुर में ही खाद्यान्न की भारी मात्रा नष्ट हो गई है। जुलाई में, पंजाब का 16,000 क्विंटल गेहूं रांची और तातीसिलवे स्टेशनों पर नष्ट हो गया था। कुछ दिनों पहले भी धनबाद स्टेशन पर सड़े हुए गेहूं की एक अन्य खेप पहुंची थी और इस सदन में वह मामला उठाया गया था। यदि पूरे देश के आंकड़े इकट्ठे किए जाए और उन्हें प्रकाशित किया जाए, तो जुलाई के दौरान अथवा सरकारी गोदामों में नष्ट हुए गेहूं की मात्रा लाखों टन हो सकती है।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

मैं खाद्य मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि खुले वैगनों में गेहूं भेजने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। माननीय रेल-मन्त्री को रेलगाड़ी को उस खराबी के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए, जिसके कारण गाड़ी को चन्द्रपुर स्टेशन पर खड़े रहना पड़ा।

कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला खान श्रम कलयाण निधि अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये : —

"अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में "इकतीसवें" शब्द के स्थान पर "बत्तीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।"

"खंड 1

(2) पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में अंक "1980" के स्थान पर अंक "1981" प्रतिस्थापित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव किया गया :

"कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये : —

"अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में "इकतीसवें" शब्द के स्थान पर "बत्तीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।"

"खंड 1

(2) पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में अंक "1980" के स्थान पर अंक "1981" प्रतिस्थापित किया जाये।"

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, यह कोयला खान श्रम कल्याण निधि खास तौर से कोल माइन्स में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बनाई गई थी । इस ऐक्ट में 1947 के बाद एक बार 1979 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद एक अमेंडमेंट यह आप लेकर आए हैं । इस ऐक्ट का परपज कोल माइन्स में काम करने वाले कर्मचारियों के रहन सहन को ऊंचा उठाना है चाहे वह उनकी मैडिसिन्स से संबंधित हो, चाहे वह उनके आवास से सम्बन्धित हो, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित हो या उनकी हेल्थ ठीक करने के लिए हो । यह निधि उनके वैलफेयर के लिए है । मगर 1947 से लेकर आज तक जो हम लोग और इस देश के लोग कोल माइन्स के वर्कर्स की कंडीशन देख रहे हैं, इस निधि के बावजूद भी उनका रहन-सहन ऊंचा नहीं उठ पाया है । जो पेपर्स की रिपोर्ट्स इसके बारे में हैं उनके अनुसार हालत यह है कि आज तक आप कोल माइन्स के वर्कर्स को अच्छा सा एक कमरे का भी मकान मुहैया नहीं कर पाये । इसके लिए गवर्नमेंट की अलग स्कीम्स और इस निधि के होते हुए भी उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ है । इसका जो परपज है, मैं परपज पर नहीं कहना चाहता, परपज बहुत अच्छा है, यह अमेंडमेंट जो आप लाए हैं, इसके परपज का मैं विरोध नहीं करना चाहता । लेकिन कोल माइन्स के वर्कर्स की जो कंडीशंस हैं वह इतनी गिरी हुई हैं और सरकार के अमेंडमेंट लाने के बाद भी उनका लिविंग स्टेन्डर्ड इतना डाउन है जिसकी तरफ सरकार बिलकुल ध्यान नहीं दे पा रही है ।

आज हजारों कोल माइन्स के मजदूर काम करते हुए मर जाते हैं तो उनके बच्चे बेघर हो जाते हैं । उस घर में बच्चों को रहने ही नहीं दिया जाता । इसलिए ऐसा प्रविजन किया जाना चाहिए कि किसी मजदूर के मरने के बाद उसके बच्चों को रहने के लिए मकान मिलेगा । जब तक कि उसका कोई लड़का मेजर न हो जाय तब तक के लिए उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए ।

आजकल खानों में दुर्घटनाएं होती हैं वहां पर मजदूरों के मरने के बाद उनके बच्चों के भविष्य के लिए कोई निधि नहीं रहती है । इसलिए इस बिल में आपको इस तरह का प्राविजन रखना चाहिए कि किसी मजदूर के मरने के बाद उसके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बातों के लिए यह फंड जो आप बना रहे हैं उसमें से उनको सहायता दी जाएगी । इसके साथ ही मजदूरों की वर्किंग कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि किसी दुर्घटना में अगर वह मारा जाता है तो जब तक कि उसका बड़ा लड़का मेजर न हो जाय, इस फंड के द्वारा उसको फैमिली को आर्थिक सहायता दी जाएगी । यही कुछ बातें मुझे यहां पर कहनी थीं । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया ।

श्री विक्रम महाजन : सभापति महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जहां तक वर्कर्स का ताल्लुक है, सरकार की यह नीति है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जायें और साथ ही साथ उनके परिवारों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जायें। इसके तहत 1978-79 में 8 करोड़ रुपया रखा गया था और 1980-81 में जब कि नई सरकार बनी, 12-13 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है हम उम्मीद करते हैं कि छटी पंचवर्षीय योजना के तहत और सहूलियतें दी जाएगी। हम कोशिश कर रहे है कि ज्यादा से ज्यादा घरों के लिए और बाकी एमिनिटीज के लिए पैसा दिया जाय। अभी तक सिर्फ 75 पैसे फी टन से लेते थे लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इसको बढाया जाय ताकि ज्यादा पैसा इकट्ठा हो सके और उससे ज्यादा एमिनिटीज की व्यवस्था की जा सके।

जहां तक वर्कर्स के काम करने की बात है, अगर किसी वर्कर की एक्सीडेन्ट में डेथ हो जाय तो उसके लिए सरकार की पालिसी यह है कि उस परिवार में से बेवा या किसी एक बच्चे को नौकरी दी जाय। इस सम्बन्ध में जो कम्पेन्सेशन दिया जाता है उसके लिए अलग फंड हैं। उसके अन्तर्गत अगर कोई डिसेनिल हो जाय तो अलग कम्पेन्सेशन होता है और अगर डेथ हो जाये तो अलग कंपेन्सेशन दिया जाता है इससे कुल 40-50 हजार का सारा कम्पेन्सेशन पैकेट बनता हैं। आज देश में कोल माइन्स के जो वर्कर्स है वे वेस्ट पेड वर्कर्स में से हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे उनको और भी ज्यादा एमेनिटीज दी जायें। मैं इस सदन से यह निवेदन करूंगा कि यह बिल, जो राज्य सभा में अमेण्ड हुआ है इस पर सदन भी अपनी सहमति व्यक्त करे।

श्री जगपाल सिंह : क्या आप प्राइवेट कम्पनीज से भी यह पैसा लेंगे ?

श्री विक्रम महाजन : अब प्राइवेट कम्पनी कोई नहीं है, सभी नेशनलाईज हो गई हैं। बाकी कम्पनीज जो हैं वह स्टील मिल्स के साथ कनेक्टेड हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये।

"अधिनियम सूत्र :—

(1) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में "इकतीसवें" शब्द के स्थान पर "बत्तीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।"

[खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में अंक "1980" के स्थान पर "1981" प्रतिस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब, हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में "इकत्तीसवें" शब्द के स्थान पर "बत्तीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 1

(2) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में अंक "1980" के स्थान पर अंक "1981" प्रतिस्थापित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री विक्रम महाजन : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन स्वीकृत किए जायें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन स्वीकृत किए जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मुम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमन और दीव पर अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1980

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मुम्बई उच्च न्यायालय की अधिकारिता का गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करने के लिए पणजी में उस उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ

[श्री पी० शिवशंकर]

स्थापित करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए—

"अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में "इकत्तीसवें" शब्द के स्थान पर "बत्तीसवें" शब्द प्रस्थापित किया जाए ।"

"खंड 1

(2) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में अंक "1980" के स्थान पर अंक "1981" प्रतिस्थापित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मुम्बई उच्च न्यायालय की अधिकारिता का गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करने के लिए पणजी में उस उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए—

"अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में "इकत्तीसवें" शब्द के स्थान पर "बत्तीसवें" शब्द प्रस्थापित किया जाए ।"

"खंड 1

(2) पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में अंक "1980" के स्थान पर अंक "1981" प्रतिस्थापित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब, हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में "इकत्तीसवें" शब्द के स्थान पर "बत्तीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।"

"खंड 1

(2) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में अंक "1980" के स्थान पर "1981" प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन स्वीकृत किए जायें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन स्वीकृत किए जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिनेमा-कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1981
और
सिनेमा-कर्मकार कल्याण निधि विधेयक, 1981

सभापति महोदय : अब हम सिनेमा-कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक और सिनेमा-कर्मकार कल्याण निधि विधेयक पर एक साथ आगे और विचार करेंगे। अब श्री अराकल बोलना प्रारम्भ करें।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : महोदय, कल मैं दो बातों का जिक्र कर रहा था, जो इस प्रकार हैं, (एक) सिनेमा उद्योग को और अधिक सहायता दिया जाना और (दो) यदि इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की सीमा में उद्योग घोषित किया जाए, तो ये दो विधेयक, यदि अधिनियमित हो जाएं, तो अनावश्यक हो जाएंगे।

मैं इस बात की सिफारिश कर रहा हूं कि सिनेमा उद्योग को दो कारणों की वजह से और अधिक सहायता दी जानी चाहिए। पहला कारण तो यह है कि फिल्म का निर्माण करने में भारी लागत आती है। दूसरे, इसमें जोखिम रहता है। एक बार जब फिल्म बन जाती है, तो यह बात बिल्कुल अनिश्चित रहती है कि यह भारी मुनाफा कमाएगी। यह तकनीकी कारणों अथवा अन्य किन्हीं और कारणों की वजह से हो सकता है। सरकार ने हाल ही में सिनेमाघरों के निर्माण को काफी प्रोत्साहित किया है। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है, लेकिन वाणिज्यिक और आर्थिक रूप से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसीलिए

[श्री जेवियर अराकल]

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि सरकार पूरे के पूरे उद्योग को और अधिक वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के इस पहलू पर और ज्यादा बल दे।

दूसरी बात, जिसका कल मैं जिक्र कर रहा था, यह है कि यदि इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिभाषा के अनुरूप उद्योग घोषित कर दिया जाता है, तो अनेक श्रम और कल्याण संबंधी गतिविधियां इस क्षेत्र में स्वतः ही लागू हो जाएंगी। इस समय ऐसा नहीं है। तथापि यदि इसे उद्योग के रूप में घोषित किया जाता है तो हमें इस घोषणा के अनुवर्ती परिणामों पर विचार करना है—क्या यह इस उद्योग के विकास के लिए घातक होगा अथवा क्या इसमें श्रमिकों की सेवाओं और शर्तों को विनियमित करने के लिए यह उचित और उपयोगी होगा ? तथापि ये दो विधेयक कुछ सीमा तक इन्हें शामिल करते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं।

1981 के विधेयक संख्या 71 के बारे में मुझे माननीय मन्त्री महोदय से मौखिक अनुरोध करना है।

यदि आप खंड 1 (3) को देखें तो इसमें कहा गया है :

"यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।"

इसके अतिरिक्त खंड 3 (1) में कहा गया है :

"यह, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उपकर के रूप में उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा···।"

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमें एक राजपत्र अधिसूचना के लिए क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ती है ? यदि एक बार राष्ट्रपति विधेयक को अपनी अनुमति दे देते हैं तो यह स्वतः तुरन्त लागू हो जाता है।

इसके बाद खंड 2 (ख) को देखें जिसमें कहा गया है :

"कथा फिल्म"

प्रो० रंगा ने कल कुछ अन्य क्षेत्रों पर प्रकाश डाला था जहां सरकार द्वारा तात्कालिक ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। माननीय मंत्री को मेरा एक अन्य सुझाव है कि "कथा फिल्मों" की बजाय इसे "फिल्मों" के रूप में व्यापक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे इस कल्याण योजना में अधिक कर्मचारियों को लिया जा सके। इस खंड के अनुसार, जैसा यह है, यह केवल इस क्षेत्र तक ही सीमित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके विभाग ने इस मामले के बारे में कोई अध्ययन किया है कि इसमें कितने लोग सम्बद्ध हैं और इसके लिए कितने लोग पात्र हैं। उत्तर हो

सकता है कि हमें नियमों और गठित की जाने वाली समिति की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे अनुसार इस कल्याण योजना की परिधि "कथा" शब्द को निकाल कर और केवल "फिल्म" शब्द को रखकर विस्तृत हो जाती है।

इसके अतिरिक्त खंड 3 (1) में कहा गया है :

"···प्रत्येक कथा फिल्म पर एक हजार रुपये की दर से उत्पाद शुल्क···"

मेरा निवेदन है कि यह पर्याप्त नहीं है। यदि यह एक कल्याण योजना है तो वास्तव में आप इसे एक उपकर नहीं कह सकते हैं। आपको मुनाफों पर, जो वे फिल्मों से कमाते हैं, कर लगाना पड़ेगा। आपको 50,000 रुपये से अधिक मजूरी और वेतन पर भी कर लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप अधिक धन अर्जित कर सकते हैं। वास्तव में आप कानूनी समस्याओं के कारण इसे उत्पादन शूल्क के रूप में नाम नहीं दे सकते हैं। मुझे आशा है कि विभाग ने इस पहलू पर विचार किया है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह काले धन के लिए व्यापक क्षेत्र है। यदि आप इस उद्योग के मुनाफों पर अथवा 50,000 रुपये से अधिक मजूरी और वेतन पर उपकर अथवा कर लगाते हैं तो हमें इस उद्योग के लेखों पर विचार करने का अवसर मिलेगा। यह मेरा प्रमुख उद्देश्य है जो मैं इस सदन के नोटिस में लाना चाहता हूँ।

यदि आप खंड 4 को देखें तो इसमें कहा गया है :

"धारा 3 के अधीन किसी कथा फिल्म पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्क ऐसी फिल्म के निर्माता द्वारा केन्द्रीय सरकार को ऐसे संदाय के लिए उस सरकार द्वारा जारी की गई मांग की सूचना की तारीख से, एक मास के भीतर, संदेय होगा।"

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि विभाग इसे वसूल क्यों नहीं कर सकता जब वे स्वयं प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करते हैं ? इतनी अधिक कागजी कार्यवाही और असुविधा से बचा जा सकता है। इस प्रकार कागजी कार्यवाही में वृद्धि होती है और यह जमा होता जाता है। इससे बचा जा सकता है। वास्तव में यह केवल 1000 रुपये हैं। एक निर्माता' जिसने एक करोड़ रुपये अथवा 50 लाख रुपये से अधिक की राशि का पूंजी निवेश किया है, जब वह प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करता है वह 1000/ रुपये देने में संकोच नहीं करेगा। अनुमान कीजिए यदि यह खंड है तो हमें कितनी कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी ? कितना समय और मेहनत हमें बेकार खोनी पड़ेगी ? अतः मेरा अनुरोध है कि इसे आसान किया जाये। जब वे प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन-पत्र करें तो आप उनसे 1,000 रुपये की राशि जमा कराने के लिए कहें।

81 के विधेयक 72 का उल्लेख करते हुए अर्थात् निधि विधेक में यदि आप खंड 2, उप-खंड (3) 'सिनेमा कर्मकार' को देखें जिसके बारे में श्री डागा ने कुछ प्रकाश डाला है। लेकिन मेरा सन्देह उप खंड (दो) में है : क्या एक कर्मकार का आशय एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पारिश्रमिक ऐसे

[श्री जेवियर अराकल]

रोजगार में अथवा किन्हीं पांच कथा फिल्मों में से प्रत्येक के निर्माण के संबंध में की राशि से अधिक नहीं हुआ है···।" मेरा संदेह इस बात से संबंधित है। "जिनका पारिश्रमिक प्रति माह 1000 रुपये की राशि से अधिक नहीं है।" आप स्वयं पढ़ें। मैं इसको समझ नहीं सका हूँ। क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि यह केवल पांच कथा फिल्में होनी चाहिए। यदि आप उद्देश्यों और कारणों के कथन को देखें तो आप वहां पर स्पष्ट परस्पर विरोध देखेंगे। इसमें कहा गया है—"अत्यन्त कष्टपूर्ण स्थितियों की सहायता की व्यवस्था करने के लिए और सम्बद्ध कल्याणकारी उपाय आरम्भ करने के लिए।" आप 1000 रुपये के सन्दर्भ के बारे में कथन का विरोधाभास है। मान लीजिए 30 वर्ष पूर्व एक कलाकार ने काम किया और उसे 1000 रुपये प्राप्त हुए। वह कठिनाइयों से घिरा हुआ एक व्यक्ति है। वह इससे गुजारा नहीं चला सकता है।

इसलिए 1,000 रुपये की धन सम्बन्धी शर्त यहां पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कलाकार जो कठिनाई में है। इस सुविधा के लिए हकदार होना चाहिए। अन्यथा वह बिलकुल लाभकारी योजना नहीं होगी। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से इसका अध्ययन किया है कि इसका निर्धारण करने में सरकार का प्रयोजन क्या है। मैं खेद के साथ कहता हूं कि मैं यहां पर 1000/- रुपये निर्धारण करने को नहीं समझ सका हूं। मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या किसी वर्ष 1000 रुपये अथवा इसके आस-पास की राशि के लिए कोई सीमा है।

श्री जेवियर अराकल : एक व्यक्ति जो 1000 रुपये कमाता है वह कठिनाई की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है। एक कलाकार तो कठिनाई में है इसके लिए पात्र है। यह एक शर्त कि यदि वे जिन्हें 1000 रुपये से कम प्राप्य हुआ है इसका पात्र है तो यह गलत और अनुचित है। मैं यही निवेदन कर रहा हूं। आप इसे देख सकते हैं। मैंने यह देखने के लिए इसका बारीकी से अध्ययन किया है कि इस 1000 रुपये का निर्धारण करने का उद्देश्य क्या है। मैं उसे समझ नहीं सका हूं।

सभापति महोदय क्योंकि आप मेरी ओर देख रहे हैं, अतः मैं पृष्ठ 4 पर खंड 10 में एक छोटे मुद्दे को ले रहा हूं।

> "केन्द्रीय सरकार किसी निर्माता से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे आंकड़े और अन्य जानकारी ऐसे प्ररूप में और उतनी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दे।

इन कर्मचारियों में से किसी का पंजीकरण करने के लिए कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। यदि आप किसी कर्मकार की परिभाषा को देखें तो यह एक व्यापक पदावली है। क्या कोई कानून है जिसमें एक निर्माता को विद्यमान में रजिस्टर रखने की आवश्यकता है। मेरी जानकारी में पंजीकरण के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि नियम में वे इसका निर्धारण कर दें। प्रत्यायुक्त खंड

बहुत व्यापक है। मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि इस अधिनियम में ही एक अनिवार्य प्रावधान होना चाहिए जिसके प्रत्येक निर्माता को बाध्य किया जाए कि वे सभी कर्मचारियों का, चाहे वे वेतन भोगी हों अथवा मजूरी वाले हो, एक रजिस्टर रखें। यह न केवल कर्मकारों के लिए अपितु सबके लिए बहुत सहायक होगा। यह एक ऐसी बात है जिस पर मेरे विचार से सरकार विचार कर सकती है। अन्यथा हमें इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम को सौंपना पड़ेगा और इसकी परिभाषा के अन्तर्गत इसे एक उद्योग बनाना पड़ेगा।

ये मुख्य सुझाव हैं, जो मैंने दिये हैं। मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ कि कुछ सहयता देने के लिए इस विधेयक को लाया गया है।

एक और सुझाव है। दक्षिण भारत में, विशेषकर केरल में, जहां हम बहुत सी फिल्मों का निर्माण करते हैं, ऐसे कुछ विख्यात कलाकार हैं जिन्होंने नायक के रूप में 500 से अधिक फिल्मों में काम किया है लेकिन उन्हें कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया गया है···

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : केवल संख्या से कुछ नहीं होता है।

श्री जेवियर अराकल : वे विख्यात कलाकार हैं।

सभापति महोदय : अब तक आप अत्यन्त तर्कसंगत रहे हैं और आपने अत्यन्त उपयोगी सुझाव दिये हैं। कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री जेवियर अराकल : मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपका बहुत धन्यवाद।

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए]

श्री सी० टी० दंडपाणि : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री द्वारा लाये गये इस विधान का स्वागत करता हूं। मैं उन्हें फिल्म उद्योग में श्रमजीवी वर्ग की सहायता के लिए यह विधान पेश करने के लिए बधाई देता हूं। इस विधान से मैं श्रमजीवी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सरकार की इच्छा और बुद्धिमत्ता को समझ सकता हूं। अतः मन्त्री महोदय और सरकार बधाई पाने के पात्र हैं।

पिछले वक्ताओं ने इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार किया है। अतः मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। कल श्री डांगा ने इस विधेयक की प्रत्येक पंक्ति का विश्लेषण किया है।

समग्र रूप से विधेयक की भावना स्वागत योग्य है। जैसा प्रो० रंगा ने उल्लेख किया है कि अन्य मन्त्रालयों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए ताकि श्रमजीवी वर्ग को विभिन्न मन्त्रालयों के कार्यकरण में कुछ विश्वास हो जाएगा।

एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार ने अपने कर्मकारों के लिए कुछ कल्याण उपायों की व्यवस्था करने के लिए अपने दायित्व को समझ लिया है और इसलिए इस विधेयक को लाया

[श्री सी० टी० दण्डपाणि]

गया है। जहां तक सिनेमा उद्योग का संबंध है यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत से उतार-चढ़ाव हैं। इस उद्योग से निवृत्ति के बाद कलाकारों की सहायता की जानी चाहिए और न केवल इस वर्ग की ही अपितु कर्मकारों के अन्य वर्गों की भी सहायता की जानी चाहिए। इस विशेष उद्योग में प्रारम्भ में जब वे चोटी पर होते हैं और कर्ता-धर्ता होते हैं तो वे बड़ी सीमा तक धन अर्जित कर सकते हैं लेकिन इसके साथ ही बहुत से कलाकार अपनी युवा आयु के दौरान अपनी आय की बचत नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि सरकार ने यह विधेयक लाया है। जहां तक फीचर फिल्मों में प्रत्येक पूरे हुए चलचित्र से 1000 रुपये एकत्र करने का सम्बन्ध है, इस उद्योग को देखते हुए यह राशि बहुत कम और बहुत थोड़ी राशि है। मैं यह सुझाव दूंगा कि प्रत्येक फीचर फिल्म पर 1000 रुपये की बजाय यह फिल्म की कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत हो सकती है ताकि सरकार को अधिक राशि मिल सके। अतः मैं सुझाव देता हूं और मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कुल निर्माण लागत के प्रतिशत के रूप में इस राशि में वृद्धि करें।

दूसरे, उन्होंने कल्याण निधि विधेयक में श्रमजीवी वर्गों अर्थात् कुशल, अकुशल और हाथ से काम करने वाले कर्मकारों का उल्लेख किया है। थियेटर में दिन और रात काम करने पर इन कर्मकारों को भारी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। अधिकांश कर्मकारों को नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में समझा जा रहा है। अधिकांश कर्मकार ठेका पद्धति के आधार पर काम पर लगाये जा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल कोई संरक्षण नहीं मिलता है। उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाया गया है। उन पर कारखाना अधिनियम भी लागू नहीं होता है। उन्हें कई घंटों तक स्टूडियो और अन्य क्षेत्रों में लगातार कार्य करना पड़ता है। अतः जैसा यहां पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके लिए एक प्रकार की बीमा योजना की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अकुशल कर्मकार अथवा तकनीशियन—चाहे वे कोई हों—इस उपाय से लाभान्वित हो सकें।

महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। सरकार द्वारा एक अच्छा विधेयक अच्छे प्रयोजन से लाया गया है। इसके कार्यान्वयन के दौरान यदि हमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का पता चले तो सरकार उनमें सुधार कर सकती है। समग्र रूप से यह एक अच्छा विधेयक है और मैं इसका स्वागत करता हूं और मन्त्री महोदय तथा सरकार को यह विधेयक लाने के लिए दोबारा बधाई देता हूं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सदस्यों द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं उन्हें यदि सम्भव हो, इस विधेयक में समाविष्ट किया जाये। धन्यवाद।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : इस बिल का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सिनेमा उद्योग हमारे देश का बहुत पुराना उद्योग है। दिनों दिन फिल्में बनाना महंगा होता जा रहा है। फिल्म बनाने में करोड़ों रुपया लगता है। फिल्मों में काम करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं और जो

बड़े-बड़े एक्टर होते हैं वे तो अच्छी तरह रह लेते हैं लेकिन जो छोटे-छोटे आर्टिस्ट हैं वे तो बहुत गरीबी की हालत में रहते हैं। इस बिल को लाने के लिए मन्त्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं।

अच्छी फिल्मों का देश की जनता पर अच्छा और गलत फिल्मों का गलत असर पड़ता है। इस बिल से निश्चय ही अच्छा असर पड़ेगा और अच्छी फिल्में बनेंगी।

जैसे रंगा साहब और अराकल साहब ने कहा, मैं भी चाहता हूं कि इस बिल को मौडिफाई किया जाना चाहिए और तमाम जो एक्टर काम करने वाले हैं फिल्मों में या सर्कस आदि में उनके लिए भी ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए। सर्कस में जो काम करते हैं वे भी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं और उनमें जानवर भी काम करते हैं। हाथी हैं, शेर हैं, घोड़े हैं, अगर सरकस कम्पनी फेल हो जाती है तो बड़ी गरीबी की हालत में उसको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती। इसलिए उनके लिए भी प्रावधान होना चाहिये और सरकस में काम करने वाले आर्टिस्टों के लिए भी प्रोवीजन होना चाहिए।

प्रो० रंगा ने महाभारत की बात की। जिस प्रकार गांवों में छोटे-छोटे कलाकार कम्पनी बनाकर अच्छा काम करते हैं उनको सीजनल काम ही मिलता है। आपने ऐक्ट में 1,000 रु० का प्रावधान रखा है, यह रकम कम है। इसको कम से कम 5,000 रु० रखना चाहिए। एक-एक फिल्म बनाने में लाखों और करोड़ों रुपया लगते हैं, उनमें काम करने वाले ऐक्टर भी महंगे होते जा रहे हैं, उन पर भी बैन लगाना पड़ेगा। 20- 25 लाख से कम में कोई अच्छा ऐक्टर नहीं मिलता। आपको कानून बनाना चाहिये ताकि गांवों में छोटे-छोटे ऐक्टरों के रूप में प्रतिभायें हैं उनको अपनी प्रतिभा का विकास करने की शक्ति मिले। अगर आपने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया तो गाँवों में जो छोटे-छोटे कलाकार हैं वह पैसे की कमी के कारण अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और उनको अपने घर पर बैठना पड़ेगा। इसको एक फिल्म इंडस्ट्री के रूप में माना जाना चाहिए। सारे देश में फिल्म के ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर करती है। एक संगम फिल्म बनी थी जिसको देखकर कई लड़के, लड़कियों का संगम हुआ, शादियां हो गयीं। कहने का मतलब यह कि खराब फिल्म अगर होती है तो उसका लोगों पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आज दिल्ली में इतने सारे सिनेमा हाउसेज हैं, फिर भी ब्लैक में टिकट खरीदना पड़ेगा। चाहे आप भले ही एम० पी० हों। इसलिए अच्छा समाज बनाने के लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी फिल्में अच्छी हों। पास पड़ोस के देशों में ऐसी फिल्मों पर प्रतिबन्ध लग रहा है, इसलिए हमें भी ऐसी फिल्में बनानी चाहिएं जो देश के लोगों को सही रास्ते पर ले जायें और ऐक्टर्स को भी ऐसा ही रौल अदा करना चाहिए। आज 5.6 करोड़ नवयुवक बेकार हैं जिनको अच्छा काम नहीं मिलता तो फिल्मों में काम करने के चक्कर मारे-मारे फिरते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी एक अच्छा कानून लायें और इसको और मोडीफाई करें और जो 5,7 लाख रुपया साल में इकट्ठा करेंगे यह बहुत कम है। आपने इसमें स्टेट और सेन्टर के भी बोर्ड रखे हैं। माननीय डागा जी ने इस कानून की अच्छी व्याख्या की है। मैं समझता हूं कि 5, 7 लाख रु० तो खर्च हो जायेगा। इसके अच्छे संचालन के लिए करोड़ों रु० की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमको अधिक धन जुटाना चाहिए। और फिल्म इन्डस्ट्री को एक अच्छी इंडस्ट्री बनाना चाहिए। जो हमारी फिल्में बाहर जाती हैं। वह हमारी

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

प्रगति को दर्शाती हैं, इसलिए और भी आवश्यक है कि अच्छी से अच्छी फिल्में बनें ताकि उनका हमें अच्छा रिटर्न मिले ।

आज इस वक्त जो मंत्री जी बिल लाये हैं, वह बहुत अच्छा बिल है । मैं आपका और सदन का ज्यादा वक्त न लेते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं, मंत्री साठे साहब को धन्यवाद देता हूं। वह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनको फिल्मों के बारे में अच्छा तजुर्बा है । इसके लिये उनको भी धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद ।

आधे घन्टे की चर्चा

कोसी, गंडक और राजस्थान नहर को पूरा करने के बाद सिंचाई को जाने वाली भूमि के क्षेत्र के बारे में

सभापति महोदय : सदन अब आधे घंटे की चर्चा को शुरू करेगा । श्री भोगेन्द्र झा ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, यह बहस दिनांक 17 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर से पैदा हुई है । यह सवाल राजस्थान, गंडक और कोसी नहरों के बारे में हैं जिनसे कुल मिलाकर 87 लाख 28 हजार हेक्टर जमीन नहरों के पूरी हो जाने पर पटने वाली है।

कुछ साल पहले इस सवाल पर बहस मैंने उठाई थी और मंत्री जी की मदद के लिए मैं जरा हवाला दे दूं कि 4-4-1973 को सरकार का जवाब था...

> "तथापि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिमी कोसी नहर, राजस्थान नहर और गंडक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी ।"

पांचवीं पांचसाला योजना तक इसको पूरा हो जाना था, जिसके लिए केंद्रीय सरकार ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि उसके लिए पूरी राशि दी जायेगी और अभी जो 13 अगस्त, 81 को जवाब मिला है, उसके मुताबिक पूरी कोसी नहर में 30 प्रतिशत नहरें खोदी गई हैं, जिनसे सिंचाई शुरू हुई है । राजस्थान में 24 प्रतिशत में लगभग राजस्थान नहर में, गंडक का सौभाग्य है कि इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े हैं हम, और वह लगभग 47,48 प्रतिशत है । तो जिसको पांचसाला योजना के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिए था, अब छठी योजना चल रही है, अभी भी जो जवाब मिला है उसके मुताबिक गंडक को 85-86 में पूरा होना चाहिए, पूर्वी-कोसी नहर को 85-86 तक, पश्चिमी कोसी नहर को 87-88 में और राजस्थान नहर को 85-86 में पूरा होना चाहिए । उसका कारण बताया गया है, इतने बड़े बिलम्ब का कारण पैसे की कमी है।

"धन राशि आदि की अपर्याप्त व्यवस्था, मजदूरी, सामान, उपस्करों, भूमि आदि के मूल्यों में वृद्धि, सीमेंट, कोयला, इस्पात आदि जैसे अत्यधिक लाभ मिलने वाला सामान उपलब्ध न होना विलंब के कुछ कारणों में से है।"

सीमेंट के बारे में तो मन्त्री जी के सामने अभी एक सुझाव मौजूद है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए थोड़ा चन्दा भेज दें, सीमेंट ले लें। दूसरी जगह तो सीमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, उससे कम-से-कम देश की उपज में मदद मिल जाएगी और मन्त्री जी को कोई नुकसान नहीं होगा।

सभापति महोदय : झा जी, वह तो इसके परिसर में नहीं आता है।

श्री भोगेन्द्र झा : सीमेंट की कमी का मामला है, इस लिए मन्त्री जी की मदद के लिए कहा है।

अभी जहां ये स्थिति है, उसी समय जब सदन में बहस चली थी तो जवाब दिया था, जब मैंने मांग की थी कि केन्द्रीय सरकार इन राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को अपने हाथ में ले ले, राज्य सरकार यह काम नहीं कर सकेंगी, तो उस समय उस फंड के बारे में जवाब मिला था मन्त्री जीका। 4-4-73 को उन्होंने कहा था —

"मैंने उन्हें बताया था कि यदि वे कुछ क्षेत्र को समेकित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ले आए तो केन्द्रीय सरकार संभव सहायता कर सकती है। बिहार राज्य सरकार से परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने का सरकार का कोई विचार नहीं है।"

राज्य सरकार ने मांग की या नहीं और केन्द्रीय सरकार ने अपने आश्वासन को पूरा किया या नहीं, इसका जवाब तो मन्त्री महोदय ही देंगे। यहीं पर आश्वासन मिला था।

"मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलता हूं कि जो परियोजाएं शीघ्र लाभ देने में सक्षम हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार संभव पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर शीघ्र पूरा कराने की इच्छुक है।"

ये परियोजनाएं ऐसी हैं कि तुरन्त पैसा खर्च होगा और तुरन्त उनसे उत्पादन होने लगेगा। यह बहुत हीं लम्बी अवधि का मामला नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा है, अभी तक स्थिति यह है कि 30 प्रतिशत तक काम पूरा हो पाया है, जब कि हम विदेशों से अनाज मंगा रहे हैं।

अगर हम इन तीन परियोजनाओं को पूरा कर लें, तो हमारा देश कृषि उत्पादन के बहुत से मामलों में स्वावलम्बी बन जाएगा। इस मुजरिमाना हरकत और नाकामी के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है और राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। आज तो देश में एक ही दल की सरकारें हैं। अगर यहां से हुक्म हो, तो कम से कम राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश में कोई आना-कानी बात नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? पहले सरकारों का टकराव होता आया है। इस सम्बन्ध में मैं एक हवाला दूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए। मैंने मांग की

[श्री भोगेन्द्र झा]

थी कि एक आटानोमस बोर्ड बनाया जाए । उस समय मंत्री महोदय ने इसी सदन में जवाब दिया था :

"मैं अपने विद्वान तथा ज्ञानी मित्र श्री झा को यह बताना चाहता हूं कि इस समय बोर्ड कार्य कर रहे हैं। उदाहरणतया गंडक के लिए बिहार के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक बोर्ड है । कोसी के लिए मुख्य मन्त्री अध्यक्षता में एक बोर्ड कार्य कर रहा है । यह सही है कि दुर्भाग्यवश बिहार में कुछ वर्षों में काफी मुख्यमन्त्री आए हैं जिसकी वजह से विकास कार्य के निरन्तर चलने में बाधा आई है।"

कम से कम मुख्य मन्त्रियों के बहुत ज्यादा परिवर्तन का मर्ज अभी नहीं है। तब क्या स्थिति है ? बिहार में कोसी कंट्रोल बोर्ड है। 1975 के बाद उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है। 1975 तक उसकी 30 बैठकें हुई थीं, उसके बाद एक भी बैठक नहीं हुई। यह भी सरकार के जवाब से स्पष्ट है। 24 अगस्त को मेरा प्रश्न था :—

"क्या 1954 में बिहार सरकार द्वारा गठित कोसी नियंत्रण बोर्ड की 1975 से अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं।"

जवाब मिला :—

"जी हां, यह मामला बिहार राज्य सरकार से संबन्धित है।"

बोर्ड के चेयरमैन राज्य के मुख्य मन्त्री हैं और सात साल में एक भी बैठक नहीं हुई है। एक तरफ परियोजना को पूरा करने में इतना अधिक समय लग रहा है और दूसरी तरफ विदेशों से अनाज मंगाया जा रहा है। आखिर किसी की कोई जिम्मेदारी है या नहीं ? ये मिश्रित परियोजनाएं हैं। कोसी परियोजना भारत और नेपाल दोनों से सम्बन्धित है। उसके बोर्ड की एक भी मीटिंग नहीं हुई है।

खुशी की बात है कि भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री और वर्तमान रेल मन्त्री, हमारे मित्र, श्री केदार पांडे यहां मौजूद हैं । पिछली साल इसी सदन में 5 अगस्त को सिंचाई मन्त्री की हैसियत से उन्होंने ऐलान किया था, कि केन्द्रीय सरकार कोसी कन्ट्रोल बोर्ड गठित करती है, जिसके अध्यक्ष सिंचाई मन्त्री होंगे। 5 अगस्त, 1980 को इसी सदन में उस बोर्ड के गठन का ऐलान हुआ। प्रधान मन्त्री जी बैठी हुई थीं। अब 24 अगस्त, 1981 को एक बरस और एक पखवाड़ा बीता है मैंने पूछा :—

"क्या 5 अगस्त 1980 को सभा में जिस कोसी नियंत्रण बोर्ड की घोषणा की गई थी उसने कार्य शुरू कर दिया है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।"

(क) और (ख) जी नहीं केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव से बिहार सरकार सहमत नहीं हुई ।

तो जो बिहार में था और अभी है उसकी एक भी बैठक 75 के बाद नहीं हुई है उसका दायरा सिर्फ नहर, सिंचाई या बाढ़ के मामले तक था । केन्द्रीय सरकार ने जिस बोर्ड के गठन का एलान किया उसका दायरा बहु-उद्देशीय था जिसमें सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा जल-विद्युत परियोजना का था । तो केन्द्र की परियोजना को बिहार सरकार ने नामंजूर कर दिया । बिहार सरकार केन्द्र सरकार से ऊपर ही गई जिसने उसकी परियोजना को नामंजूर कर दिया और बिहार का जो अपना बोर्ड था उस की एक भी बैठक नहीं हुई ।

एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा । बिहार सरकार ने 1964 में एक कोसी बोर्ड आफ कंसल्टेंट्स गठित किया था जिसके अध्यक्ष डा० कंवरसेन साहब थे जो नदी घाटी परियोजना के विश्व के एक माने हुए अभियन्ता थे···(व्यवधान)···इसमें हमने डा० कंवरसेन वाली कमेटी के बारे में पूछा तो इसका मुझे जवाब दिया, केन्द्रीय सरकार ने कि ऐसा कोई बोर्ड गठित ही नहीं हुआ था और अभी 24 अगस्त का जवाब है प्रश्न संख्या 1199 का । प्रश्न यह था कि क्या जनवरी 1974 में डॉ० कंवरसेन की अध्यक्षता में गठित कोसी परामर्शदाता बोर्ड ने सितम्बर, 1974 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और क्या इसे अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ?

यह मेरा प्रश्न था । जवाब मिला कि बिहार सरकार द्वारा 1974 में गठित कोसी परामर्शदाता बोर्ड की सरकार को न तो कोई अन्तरिम और न ही अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है (व्यवधान)

समापति जी, कुछ ही मिनट और लगेंगे । यह बहुत ही आवश्यक है, सदन के लिए और देश के लिए क्योंकि एक ऐसे तथ्य से इंनकार किया जा रहा है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं । इसी सदन में इसी विषय पर मेरे 10 मई 1974 के प्रश्न का जवाब दिया था सरकार ने । प्रश्न था—

> "क्या बिहार सरकार द्वारा गठित कोसी परामर्शदाता बोर्ड ने 4-9-1974 को एक नोट के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।"

यह प्रश्न संख्या 3669 मैंने 10 मई को पूछा था ।

सभापति महोदय : अब कान्क्लूड कीजिए ।

श्री भोगेन्द्र झा : बस खत्म कर रहा हूं । उसमें यह था

"यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ।"

मैन फीचर्स में जवाब मिला है :

> "यह सुझाव दिया गया है कि कोसी नदी पर ऊँचा बांध बनाने हेतु परियोजना को अद्यतन बनाने के लिए आवश्यक सर्वेक्षण तथा जांच की जाए ।"

जिस तथ्य को इसी सदन में रखा गया उसी के लिए आज कहा जा रहा है कि वैसा बोर्ड

[श्री भोगेन्द्र झा]

कोई गठित नहीं हुआ । अब कहा जा रहा है उसने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया । इसलिए मैंने इसी सदन के बीच इसी सरकार द्वारा दिए हुए जवाब आपके सामने रखे हैं । अब मेरा आग्रह है, जब इस तरह से हाहाकार हो रहा है बाढ़ की वजह से और सूखे की वजह से, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर ये सब इलाके हमारे सरहद के इलाके हैं, देश की सुरक्षा का मामला है और वह इलाका रेगिस्तान बना हुआ है । रुपये की कमी नहीं है । वाहियात बातों के लिए हमारे वित्त मन्त्री नोट छापने में अपना रेकार्ड सभी भूतकालीन मन्त्रियों के मुकाबले में तोड़ रहे हैं । क्या ऐसे मामले के लिए रुपये का इतना बड़ा अभाव है कि उसको रेगिस्तान बने रहने देंगे और उसको उपजाऊ नहीं बनाएँगे ? वैसे ही जब विद्युत का इतना बड़ा संकट है तो एक डैम से जब 3300 मेगावाट विद्युत का हमें लाभ हो सकता है केवल कोसी के डैम से, यह रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, मगर जवाब मुझे मिला पत्र के जरिए कि—

> "बिजली की इतनी अधिक मात्रा के लिए हमारे पास उपभोक्ता उपलब्ध नहीं हो सकते ।"

इतनी बिजली नहीं खर्च कर सकेंगे, इसीलिए इसे नहीं लिया गया । यह बिहार सरकार से अकल लेकर केन्द्र सरकार ने मुझे जवाब दिया था । मैं आपके जरिये मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस तरह से परस्पर विरोधी बातों को लाना और देश के लिये जो बहुत ही राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजनाएं हैं उनको बार-बार टाल जाना—जो पांचवी योजना में पूरा होना था उसको अभी तक नहीं किया गया—यह किसकी जिम्मेदारी है और आगे कितनी जल्दी इसको पूरा कर रहे हैं ?

क्या फिर तो यह कहने का मौका नहीं आयेगा कि फलाने कारण से या अर्थाभाव से यह नहीं होने पाया ? मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी स्पष्ट जवाब दें ताकि यह सदन और देश जान सके कि सरकार की नीयत क्या है ? कहीं फिर तो पी एल 480 को रास्ते पर जाने का विचार तो नहीं है ? इस देश में ही गल्ला न पैदा करके विदेशों से गल्ला मंगाने का विचार इस सरकार का तो नहीं है—इस बात का स्पष्ट जवाब मन्त्री जी यहां पर दें ।

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : चेयरमैन साहब, भोगेन्द्र झा साहब इस हाउस के पुराने माननीय सदस्य हैं और वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कई बार इस हाउस में इस बात को कहा गया है कि इर्रीगेशन और वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट स्टेट सब्जेक्ट है । जो भी प्रोजेक्ट्स इर्रीगेशन के होते हैं, स्टेट्स में उनका फार्मुलेशन होता है, इन्वेस्टीगेशन होता है और उसका इंप्लीमेंटेशन भी उनका काम है ।

जो सवाल भोगेन्द्र झा साहब ने यहां पर उठाया है उसका ताल्लुक खुसूसियत के साथ तीन प्रोजेक्ट्स से है जिनमें से दो झा साहब की स्टेट बिहार के हैं और एक राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है । भोगेन्द्र झा साहब ने यह बात सही नहीं कही कि कोई अक्स बिहार सरकार से ले जाती है लेकिन यह बात जरूर है कि जब प्रोजेक्ट्स का इंप्लीमेंटेशन स्टेट्स के हाथ में है तो इत्तलात हम जरूर उनसे

लेते हैं। और अगर अक्ल कहीं से लेने की जरूरत पड़ ही जाए तो भोगेन्द्र झा साहब ज्यादा करीब हैं, थोड़ी-बहुत अक्ल हम उनसे ही ले लेंगे, इतनी दूर बिहार सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) एक-दूसरे माननीय सदस्य, शास्त्री जी भी इसके लिए यहां मौजूद हैं।

इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में दो-तीन सवाल उन्होंने उठाए हैं। एक सवाल तो यह है कि जब यह प्रोजेक्ट बने थे उस वक्त नेकनीयती के साथ यह इरादा था कि इनका कंप्लीशन जल्दी से जल्दी हो जाए, फिक्स्ड प्लान में हो जाए। झा साहब ने जो सवाल उठाया था उसके जवाब में कुछ वजहें दी गई हैं जिनकी वजह से यह प्रोजेक्ट डिले हो गये। और हमको यह एनाउन्स करने में कोई खुशी नहीं है कि डिले हो गई। लेकिन कुछ माकूल वजहें हैं। इसकी मेन जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट की है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हमारी जिम्मेदारी इस हद तक है कि फंड्स के एलोकेशन में प्लानिंग कमीशन जो प्लान एप्रूव करती है और जो एलोकेशन करती है वह हम नेपाल में किए जा रहे कामों के लिए प्रोवाइड करते हैं। प्लानिंग कमीशन ने एक वर्किंग ग्रुप मेजर एण्ड माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुकर्रर किया और उस ग्रुप ने जो वजहें इंप्लीमेंटेशन में देरी होने की बतलायी है वह कई बार इस हाउस के सामने आ चुकी हैं। उनमें से कुछ वजहें इसमें दी भी गयी हैं। आप जानते ही हैं कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके इंप्लीमेंटेशन के दौरान कभी-कभी यह महसूस किया जाता है कि उसमें कुछ काम्पोनेन्ट्स बढ़ा देने चाहिए। मसलन ईस्टर्न कोसी केनाल के इंप्लीमेंटेशन के बाद इस बात को महसूस किया गया कि उसमें ड्रेनेज का खातिरखाह इन्तजाम नहीं हुआ था। ड्रेनेज की खातिरखाह का इन्तजाम न होने की वजह से वाटरलौगिंग पैदा हो रही थी। इसलिए जाहिर है कि यह ड्रेनेज का इन्तजाम, वह कम्पोनेन्ट उसमें शामिल किया गया। वैस्टर्न कोसी कैनाल को हमने दोबारा देखा और यह राय कायम की कि वैस्टर्न कोसी कैनाल के प्रोजेक्ट में ड्रेनेज का प्रावधान, ड्रेनेज के कम्पोनेन्ट को भी शामिल किया जाए और उसका इंप्लीमेंटेशन साथ-साथ हो। कभी-कभी कुछ कमाण्ड एरिया के सिलसिले में और कुछ वजहों में हमको प्रोजेक्ट में तबदीलियां करनी पड़ती हैं। एक और माकूल वजह यह है कि कभी-कभी हमारे जन-प्रतिनिधियों के दबाव की वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स जो प्लान्स, जो प्रोजेक्ट्स एप्रूवड होते हैं, उनके अलावा और ज्यादा प्रोजेक्टस लेने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि उन्हीं प्रोजेक्ट्स में जो नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं, तकसीम करना पड़ता है। उसी तकसीम की वजह से उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो प्रोजेक्ट्स एप्रूवड हैं, उन पर कभी-कभी पैसे की कमी आ जाती है। यही वजह है, जिनकी वजह से कुछ डिले होता है।

छठी पंचवर्षीय योजना में हमारी स्ट्रेटजी यह है कि जो ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स को प्रोयोरिटी देकर कम्पलीट करवायेंगे और हमने उसमें एक टाइम-फ्रेम बनाया है, उसमें मुकर्रर किया है कि कौन से प्रोजेक्ट किस साल तक पूरे हो जायेंगे। अगर आप मुझे इजाजत दें, जो इनके मुताल्लिक सवाल उठाया गया है, वह सूरत मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। जैसे कोसी कैनाल प्रोजेक्ट के सिलसिले में तीन कम्पोनेन्ट हैं—पहला बैराज और ईस्टर्न कोसी कैनाल, दूसरा राजपुर कैनाल और तीसरा वैस्टर्न कोसी कैनाल। वैस्टर्न कोसी कैनाल के भी दो हिस्से हैं। एक वैस्टर्न कैनाल का वह हिस्सा है, जो हिन्दुस्तान के अन्दर है और एक वह हिस्सा है जो हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में बनना है।

सभापति महोदय : इसके बारे में छठे प्लान में जो प्रायोरिटी दी है, वह बता दीजिए।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : वही मैं अर्ज कर रहा हूं। इसमें जो बैराज है, वह 1963 में कम्पलीट हो गया।

श्री सुनील मैत्रा : मिनिस्टर साहब होम वर्क थोड़ा अच्छा करेंगे।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : बैस्टर्न कोसी कैनाल, जो मेन-कैनाल का हिस्सा है, उसमें इंडो-नेपाल बोर्डर से भूनाई बालान तक का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम, ड्रेनेज वगैरह है, सब हम 1983 तक कम्पलीट कर लेंगे। ईस्टर्न कोसी कैनाल को 1985-86 में कम्पलीट कर देंगे, राजपुर कैनाल 1983-84 तक कम्पलीट कर लेंगे। यह फेसैड-प्रोग्राम है जो प्लानिंग कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है। बैस्टर्न कैनाल का इंडिया का पोर्शन 1987-88 तक पूरा हो जायेगा और नेपाल का पोर्शन 1983 तक कम्पलीट कर लेंगे, इसमें काफी काम हो गया है।

इन चीजों के कम्पलीशन और इंप्लीमेंटेशन में जो दिक्कतें स्टेट गवर्नमेंट को आती हैं उनमें गवर्नमेंट आफ इंडिया का क्या रोल है ? इस सिलसिले में हमने सैन्ट्रल वाटर कमीशन में इन तमाम इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जिनमें कोसी, गण्डक और राजस्थान कैनाल शामिल हैं, एक मोनिटरिंग सेल कायम किया है, जो वक्तन-फवक्तन इन प्रोजेक्ट्स के काम को देखता है कि कितना काम हुआ है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, किस हद तक हम स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस दे सकते हैं— इन सब बातों की मोनिटरिंग की जाती है। इसके साथ ही हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा है कि अपनी-अपनी स्टेट में इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एक मोनिटरिंग सेल कायम करें। बिहार में भी वहां के इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए मोनिटरिंग सेल बनी हुई है। इनके अलावा प्रोजेक्ट-वाइज यानी कोसी और गण्डक के अलग-अलग मोनिटरिंग सेल्ज बने हुए हैं।

भोगेन्द्र झा जी ने कन्ट्रोल बोर्ड के बारे में एक सवाल किया था, जिसकी चर्चा इस हाउस में भी कई बार हो चुकी है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था – यह मामला स्टेट का है, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसको सुपरवाइज करना, उसको वक्त के अन्दर पूरा कराना— ये सब काम स्टेट के हैं। इसलिए जब तक हमको दखल देने के कोई इख्तियारात न हों, हम दखल नहीं दे सकते। हम भी अगर इख्तियारात लेंगे यानी सेन्ट्रल गवर्नमेंट अगर कोई इख्तियारात लेगी तो वे भी स्टेट गवर्नमेंट की राय से, उनके मशविरे से, उनकी इजाजत से लेंगे या फिर पार्लियामेंट में एन्ट्री 56 में कानून लाकर इन्टर-स्टेट रिवर्स के नियन्त्रण को अपने हाथ में लें, जैसाकि हमारा इरादा है कि हम एन्ट्री 56 के तहत कांस्टीच्यूशन में वे इख्तियारात अपने हाथ में लें। कोसी कन्ट्रोल बोर्ड के मुताल्लिक जो बात उन्होंने कही थी, वह सही है। 1954 में कोसी कन्ट्रोल बोर्ड कायम हुआ लेकिन 1975 के बाद वह डिफेक्ट हो गया, उसकी मीटिंग नहीं हुई, कोई कार्यवाही नहीं हुई···

श्री भोगेन्द्र झा : क्यों ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : रीजन्स स्टेट गवर्नमेंट जाने, मैं हाउस में नहीं बतला सकता

हूं लेकिन यह वाक्या है कि वह डिफेक्ट हो गया और यह भी वाक्या है कि भोगेन्द्र झा साहब और दूसरे आनरेबिल मैम्बरान ने जब इस बात की तरफ तवज्जह दिलायी कि कोई ऐसा कन्ट्रोल बोर्ड कोसी के सिलसिले में नहीं है जो उसको सुपरवाइज कर सके, जो उसके काम को नियन्त्रित कर सके तब हमारे फार्मर मिनिस्टर श्री केदार पांडे ने हाउस में यह कहा कि हमारे सामने यह प्रपोजल है, हम यह प्रपोज कर रहे हैं कि कोसी के लिए कोई ऐसा कन्ट्रोल बोर्ड बना दें जो सेन्टर के नियन्त्रण में हो। लेकिन आप जानते हैं, चेयरमैन साहब, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया था, उसको बार-बार दोहराना अच्छा मालूम नहीं होता है, अगर हम ऐसा इरादा भी करें तो हमें इस मसले पर स्टेट गवर्नमेंट से सलाह लेनी होगी। यह हमारी नेकनीयती है कि हमने इस मसले पर···

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने यह कार्य 1974 और 1976 के बीच नहीं किया। केन्द्रीय सरकार सो रही थी।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : इस मसले को हमने उनसे टेक-अप किया, लेकिन उन्होंने एग्री नहीं किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहिबा के इन्टरवेन्शन से यह बात तय हुई कि पुराना कन्ट्रोल बोर्ड दोबारा रिवाइव हो ताकि उसका फंक्शन तेजी से शुरू हो सके। प्राइम मिनिस्टर साहिबा के इन्टरवेन्शन से यह फैसला हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा : बिहार के दायरे में मल्टी-परपज प्रोजेक्ट्स नहीं हैं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह कोसी बोर्ड के सिलसिले में है। यह बात कोसी बोर्ड के सिलसिले में है और जो भी उसका दायरा अख्तियार है, उसमें कोसी बोर्ड का ही सवाल उठा था और कोसी बोर्ड के सिलसिले में यह बात कही गई थी कि सेन्टर से एक कन्ट्रोल बोर्ड कायम करने का हुकूमत का इरादा है और उस इरादे को हमने जाहिर किया है।

यह एक मुख्तसर सी कहानी है। मैं नहीं जानता कि कोई ऐसे सवाल उठे हैं भोगेन्द्र झा जी द्वारा, जिनका खातिरख्वाह जवाब इससे पहले इस हाउस में न दिया जा चुका हो।

एक सवाल उन्होंने और यह उठाया और उन्होंने खुद सजेस्ट किया कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस की प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सेन्टर अपने हाथ में ले, केन्द्र अपने हाथ में ले और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आनरेबिल मैम्बर को आगाह करना चाहता हूं कि हम बहुत सीरियसली इस बात को सोच रहे हैं और हम इस राय के हैं कि अगर अर्ली इम्पलीमेंटेशन इन प्रोजेक्ट्स को चाहते हैं, तो हमको सेन्टर के अख्तियारात एन्ट्री 56 के तहत बढ़ाने होंगे और हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारा पूरा इरादा है कि हम उस अख्तियार को अपने हाथ में लें।

श्री भोगेन्द्र झा : यह आपका जाती इरादा है या सरकार का फैसला है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह सरकार की थिंकिंग है। मैं जियाउर्रहमान की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस सदन के एक मैम्बर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह हुकूमत के एक नुमायन्दे की हैसियत से कह रहा हूं और यह सरकार की थिंकिंग है।

[श्री जियाउर्रहमान अंसारी]

मैं समझता हूं कि जो सवालात उन्होंने उठाए थे, उन सबका जवाब मैंने दे दिया है।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति महोदय, यह गण्डक नहर मेरे इलाके से होकर गुजरती है और गण्डक नहर का प्रत्यक्षदर्शी होने की हैसियत से जो समस्याएं सामने आती हैं, उनके बारे में मैं सवाल कर रहा हूं।

मेरा पहला सवाल यह है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गण्डक योजना से जितनी जमीन की सिंचाई हो सकती है, जितनी क्षमता अभी तक उपवब्ध है, गण्डक क्षेत्र कमांड एरिया में सीवेज एवं चवरों में पानी के जमाव के कारण उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। ऐसी बात आपने भी कही है और कोसी में भी यह बात लागू होती है। मैं जानना चाहता हूं कि पानी के जमाव को दूर करने के लिए और जल निकास योजना को लागू करने की दृष्टि से तथा सीवेज को रोकने के लिए आपने कोई कार्यवाई की है। आप कहते हैं कि राज्य सरकारों का यह काम है। क्या आपने इसके लिए राज्य सरकारों पर दवाव डाला है या नहीं ?

दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या यह बात सही नहीं है कि गण्डक योजना का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है और उधर खर्च बढ़ता जाता है। नतीजा यह हो रहा है कि जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है। क्या आपको इस बात की जानकारी है ?

तीसरा सवाल मेरा यह है कि क्या यह बात सही नहीं है कि गण्डक योजना के अन्दर बड़ी नहरें, शाखा नहरें, जल वितरने के बनने के बावजूद फील्ड चेनल का निर्माण समुचित नहीं है। इसके चलते जो सिंचाई क्षमता है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है।

चौथा सवाल यह है कि क्या सरकार को जानकारी है कि नहीं कि गण्डक नहर से सिंचाई की व्यवस्था में लगे जो अधिकारी हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनमें कार्यकुशलता का गहरा अभाव है, जिससे कभी तो समय पर पानी नहीं मिलता है और कभी अनावश्यक पानी नहरों में छोड़ दिया जाता है और इससे दोनों हालतों में किसानों को क्षति उठानी पड़ती है।

मेरा अगला सवाल यह है कि क्या यह बात सरकार के ज्ञान में है कि नहीं कि सिंचाई की कर वसूली में काफी धांधली है जिसके कारण किसान गण्डक नहर के पानी का समुचित इस्तेमाल नहीं करते। यह बात कोसी में भी है। इसके बारे में मंत्री जी बतायें।

क्या सरकार सिंचाई रेट बढ़ाने जा रही है जिसका परिणाम किसानों पर प्रतिकूल पड़ेगा ? उनकी अनाज बोने की जो क्षमता है उसको नुकसान पहुँचेगा, यह नहीं होना चाहिए। यदि नहीं तो सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

क्या सरकार की जानकारी में है या नहीं कि गण्डक योजना के अमल में ठेकेदार एवं अधिकांश अधिकारियों की मिली भगत से यह योजना ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए लूट की योजना बन गई है ? क्या सरकार ने इस लूट को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं। यदि नहीं तो क्या अब

कदम उठाने जा रही है और इसको रोकने जा रही है ? गण्डक को अधिकारियों के लिए सोने की चिड़िया कहा जाता है और आपकी पार्टी के नेताओं के लिए भी।

क्या सरकार गण्डक योजना की क्रियान्विति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों एवं जन-प्रतिनिधियों की एक समिति बनाकर इसकी समीक्षा करने जा रही है ? यदि हां तो कब तक ?

गण्डक योजना में निम्नतम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी केजुअल लेबर हैं और वर्षों से केजुअल लेबर हैं। उनकी अवधि पूरी हो गयी है लेकिन कुछ अधिकारियों और नौकरशाही की अवहेलना से कोई हल नहीं हो रहा है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों और छोटे इंजीनियरों की समस्याओं को हल करने और वहां के मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करने के आप क्या उपाय करने जा रहे हैं, इसका जवाब दें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान नहर देश की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी नहर है। इनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्व है और राजस्थान क्षेत्र को हराभरा करने के लिए यह नहर सबसे महत्वपूर्ण है।

इस पर कार्य 1958-59 में शुरू हुआ था। अब 1981 है। जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उस समय इस प्रोजेक्ट को कितनी राशि का बनाया गया था और अब इसमें कितनी राशि व्यय होगी यह बताने की कृपा करें।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राजस्थान नहर के फर्स्ट फेज का फुल यूटिलाइजेशन कब तक शुरू हो जाएगा? राजस्थान नहर का सैकिंड फेज कब शुरू हुआ और यह कब तक पूरा हो जाएगा और कब तक इसका फुल यूटिलाइजेशन होने लगेगा ?

प्रथम और सैकिंड फेज की अवहेलना के क्या कारण रहे हैं ? क्या यह सही नहीं है कि वहां विशेषतौर से कोयले के रेक्स की कमी से दिक्कत आ रही है क्योंकि वे नहीं मिल रहे हैं? मुझे विश्वास दिलाया गया था कि रेक्स पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे और सीमेंट भी मिलेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपका रेलवे विभाग और सिविल सप्लाई विभाग इनकी सप्लाई के लिए क्या एक्शन ले रहा है ? किस प्रकार से यह नहर 1985-86 तक कम्प्लीट हो जाएगी। अगर इन चीजों की कमी रही तो आप इस बारे में क्या कदम उठा रहे हैं ?

कंवरसेन कमेटी ने इस नहर को नेविगेबल बनाने की सिफारिश की थी लेकिन उसको बाद में वापस ले लिया गया। क्या सरकार पुनः इस स्कीम को लागू करके इस नहर को नेवीगेबल बनायेगी जिससे कि काण्डला तक यह नहर पहुंचे और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान भी लाभ उठा सकें ? कृपया इस मामले में भी जानकारी दें।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर में कहा है कि सेन्ट्रल मोनिटेरिंग आरगेनाइजेशन भी मोनिटेरिंग करता है, तो क्या वह डिले के लिये किसी की

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

रिस्पांसिब्लिटी फिक्स नहीं करता है ? इस डिले से कास्ट बढ़ जाती है और प्रोजेक्ट की कास्ट एक पेपर पर रह जाती है।

यह राजस्थान कैनाल जहां से निकलती है वहां का पानी राजस्थान को मिलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान को पानी की आवश्यकता भी है लेकिन दूसरे स्टेट के हाथ में कन्ट्रोल है। यह जो सेंट्रल कन्ट्रोल बोर्ड है, इसमें राजस्थान की प्रतिनिधि होना चाहिए। सेंट्रल के हाथ में इफेक्टिव कंट्रोल रहना चाहिए। जैसा कि बताया गया है कि राजस्थान को 18000 क्यूसिक पानी मिलना चाहिए, जबकि केवल 9000 क्यूसिक पानी मिल रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि इस पानी का उपयोग दूसरे राज्य अन्य कार्यों के लिए कर रहे हों।

इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनमें हमेशा मामले उठते रहते हैं तो क्यों न ऐसा किया जाए कि एक नेशनल कन्ट्रोल बोर्ड बना दिया जाए, जिससे इफेक्टिव कंट्रोल और प्रापरली काम हो सके और स्टेट्स के बीच के झगड़े कम हो सकें।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : चेयरमैन साहब, मैं शुक्रगुजार हूं कि माननीय सदस्यों ने एक तरह से हमारी वकालत ही की है। मैं बार-बार इस चीज को दोहरा चुका हूं कि कभी-कभी स्टेट्स आपस के झगड़ों में इतने उलझ जाते हैं और इस पर केन्द्र का कोई कंट्रोल नहीं होता। इस सिलसिले में हमारा मुस्तकिल इरादा है कि हम एन्ट्री 56 के अन्दर बाकायदा कानून लाकर के यह कार्य करेंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : कब तक लायेंगे।

श्री जियाउर्रहमान : जल्दी ही लाएंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : कोई समय बता दीजिए।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : एक समय बता दीजिए— चाहे 6 महीने का ही बता दीजिए, जिससे हमको विश्वास हो जाएगा।

सभापति महोदय : बता दिया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा।

श्री जियाउर्र हमान अंसारी : मैंने अर्ज किया है कि प्रोसेस में है और स्टडी हो रहा है, सा डिपार्टमेंट भी स्टडी कर रहा है, कोई आटोक्रेसी नहीं यहां पर डेमोक्रेसी है और उसी के अनुसार यह मामला प्रोग्रेस में है और मैं यकीन दिलाता हूं कि हम इसको जल्दी से जल्दी लाना चाहते हैं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : आप कह दीजिए कि इतने समय में लाएंगे— आप कह दीजिए कि बजट सेशन में लाएंगे।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह मैं नहीं कह सकता और हो सकता है कि इससे भी जल्दी आ जाए, बजट सेशन तो बहुत दूर है। यह तो हमारे इन्टरेस्ट की बात है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है।

माननीय मधुकरजी ने कुछ सवाल उठाए, उनमें से अधिकतर स्टेट्स से ताल्लुक रखते हैं। एक बात उन्होंने ड्रेनेज के सिलसिले में कही है। वाटर लागिंग और ड्रेनेज के सिलसिले में इनकी इत्तिला के लिए मैं बताना चाहता हूं कि गंडक प्रोजेक्ट के बारे में यू० पी० और बिहार—दोनों से सम्बन्धित ड्रेनेज स्कीम टेक-अप कर रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : सीमेंट एंड कोल

रीजंज हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उनमें से एक यह भी है कि कुछ रा मैटीरियल वक्त पर प्राप्त नहीं हुए जिसकी वजह से डिले हुई। जहां तक कोल का सवाल है उसकी कोई प्राब्लम नहीं है। सही मानो में रेलवे वैगेंज की प्राब्लम है। हमने रेलवे मिनिस्ट्री से इसको टेक-अप किया है। इनका स्ट्रक्चर कमेटी कैबिनेट की है। पहले रेलवे ने इरिगेशन को लो प्रायोरिटी दे रखी थी वेगेंज के एलाटमेंट के सिलसिले में। जो इनका स्ट्रक्चर कैबिनेट कमेटी है उसने इसको रेलवे केसाथ टेक अप किया 12 फरवरी 1981 को और उसने एग्री कर लिया है कि 1500 वैगेंज परमंथ इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए कोल की मूवमैंट के लिए पांच स्टेट्स को दिए जाएंगे। उनमें से पांच सौ वैगंज सिर्फ राजस्थान कैनाल के लिए ईयरमार्क्ड है।

जहां तक सीमेंट का ताल्लुक है मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्रीज से इस मसले को टेक अप किया गया था। सीमेंट कंट्रोलर को उस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वह सीमेंट फैक्ट्रीज पर इंस्पैक्टर बिठाएं ताकि इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर एलोकेशन के मुताबिक सीमेंट मिल सके। हमें भी चिन्ता है कि जल्दी से प्रोजेक्ट कम्प्लीट हों।

राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि उसकी ओरिजनल और लेटेस्ट कास्ट क्या है। लेटेस्ट कास्ट का जो स्टेज 1 का एस्टीमेट है वह 200 करोड़ है और स्टेज दो का 250 करोड़। कुल 450 करोड़ हो जाता है। एक्सपेंडीचर मार्च 1980 तक हुआ है 191.38 करोड़ स्टेज 1 में और 60.72 करोड़ स्टेज 2 में। छठे प्लान का आउटले 1980-85 का स्टेज 1 का 9.50 करोड़ और स्टेज 2 का 150 करोड़ है। 1980-81 में स्टेज 1 में जो एक्सपेंडीचर हुआ है वह 6.85 करोड़ है और 15.21 करोड़ स्टेज दो का है। एक्सपेंडीचर मार्च 1981 तक टोटल जो हुआ है वह 273.56 करोड़ का हुआ।

1981-82 का जो आउटले है वह 4.50 करोड़ स्टेज 1 का है और 27 करोड़ स्टेज दो का है। प्रौपोज्ड में इरिगेशन स्टेज 1 का 5.94 लाख हैक्टर है और स्टेज 2 का 6.60 लाख हैक्टर है। इरिगेशन पोटेंशल जो अभी तक क्रियेट हो चुका है वह स्टेज 1 में 5.33 लाख हैक्टर है।

[श्री बुद्धि चन्द्र जैन]

जो इरीगेशन पोटेंशियल है हमारा वह 5.94 लाख हेक्टर्स हैं उसी से 5.33 लाख हेक्टर्स हम क्रीएट कर चुके हैं मार्च 1971 तक स्टेज 1 में। इसी तरह टोटल इर्रीगेशन पोटेंशियल फौर स्टेज 2,6 60 लाख है लेकिन अभी तक 0.21 लाख हेक्टर्स क्रीएट किया है। और इसका कारण यह कि स्टेज 2 अभी पूरी तरह टेक-अप नहीं हुआ।

कार्य मन्त्रणा समिति

19 वां प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : आपकी अनुमति से मैं कार्य मन्त्रणा समिति का 19 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.22 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 3, सितम्बर 1981/ 12 भाद्र, 1903 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरिया गंज, नई दिल्ली-2.